एकादश माला, खण्ड 18, अंक 3

शुक्रवार, 21 नवम्बर, 1997
30 कार्तिक, 1919 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(भाग-एक)
(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 18 में अंक 1 से 4 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार, 21 नवम्बर, 1997/30 कार्तिक, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
11	18	डा॰ बल्लभ भाई कठीरिया	डा॰ बल्लभ भाई कथीरिया
32	नीचे से 11	श्री जार्ज फर्नांडीस	श्री जार्ज फर्नान्डीज
47	6	श्री घोतु भाई गामीत	श्री छीतु भाई गामीत
82	नीचे से 11	डा॰ राम विला वेदान्ती	डा॰ राम विलास वेदान्ती
132	17	श्री प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन	प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन
176	नीचे से 10	श्री ए॰जी॰जोस	श्री ए॰टी॰जोस

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डॉ० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री एम० आर० खोसला
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री राम लाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्री गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ट
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[एकादश माला, खण्ड 18, छठा सत्र (भाग-एक) 1997/1919 (शक)]

अंक 3, शुक्रवार, 21 नवम्बर, 1997/30 कार्तिक, 1919 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 60	3–26
अतारांकित प्रश्न संख्या 449 से 678	26–270

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था ।

लोक सभा

शुक्रवार, 21 नवम्बर, 1997/30 कार्तिक, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे इस सभा को हमारे पूर्व सहयोगी श्री लईसराम अचऊ सिंह के दुखद निधन की सूचना देनी है ।

श्री लईसराम अचऊ सिंह दूसरी लोक सभा के सदस्य थे जिन्होंने वर्ष 1957-62 के दौरान मणिपुर के आंतरिक मणिपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया ।

इससे पूर्व वह 1948 में मणिपुर विधान सभा के सदस्य रहे । वह एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने शिक्षा के प्रसार में गहरी रुचि ली । वह 1950-54 के दौरान आनन्द सिंह अकादमी तथा 1952 में इम्फाल नाइट कालेज के संस्थापक प्राचार्य रहे । वह 1949-50 के दौरान कांचीपुर पोलीटेक्निक इम्फाल के प्राचार्य भी रहे ।

श्री लईसराम अचऊ सिंह का निधन 77 वर्ष की आयु में 14 नवम्बर, 1997 को दिसपुर, गुवाहाटी में हुआ ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा उनके शोकसंतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है ।

दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदस्यगण थोड़ी देर के लिये मौन खड़े होंगे ।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, डाक्टर कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई हैं, हम सब को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री पी०आर० दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, कल सभा पटल पर रखी गई 'की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट' वास्तव में 'की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट' नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल में डी०एम०के० के सदस्य शामिल हैं ।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 41, श्री भक्त चरण दास ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं कृपया आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

डा० के०पी० रामलिंगम (तिरुचेंगोडे) : महोदय, हम चाहते हैं कि बोफोर्स और ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जायें ।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें । मुझे अपनी बात कहने दें । आप कृपया मेरी बात सुनेंगे? क्या आप मुझे कुछ कहने देंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं । अभी थोड़े दिन पहले स्पेशल सत्र हुआ, हमने उसमें तय किया था और यह रिपीट भी हो चुका है कि प्रश्न-काल में डिस्टरबेंस नहीं होगी, कोई नारेबाजी नहीं होगी । क्या हम उसको इतनी जल्दी भूल गए हैं? कुछ एक्स्ट्रा-आर्डिनेरी सर्कमस्टान्सिज हैं, मैं समझ सकता हूं ।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न काल के पश्चात आपको इसकी अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री पी०आर० दास मुंशी : मंत्रिमंडल, जिसमें डी०एम०के० के सदस्य शामिल हैं वह कैसे ए०वी०आर० पर निर्णय ले सकती है? यह बहुत आश्चर्य की बात है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : शरद पवार जी, मैं आपसे रिकवेस्ट करता हूं आप इनको कंट्रोल कीजिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें ।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : सभा में आज कोई कार्य नहीं होना चाहिये... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपमें से एक-एक करके आनरेबल मैम्बर बात करे ।

[अनुवाद]

डा० के०पी० रामलिंगम : आंध्र प्रदेश के बारे में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश के लोगों ने श्री राजीव गांधी की हत्या की ... *(व्यवधान)* आप इस बारे में एक खुली चर्चा करायें । हम सभा में इस पर चर्चा करेंगे । हम इस पर सभा से बाहर भी चर्चा करने को तैयार हैं... *(व्यवधान)* आपकी गतिविधियां अलोकतांत्रिक हैं । आप जन विरोधी हैं ।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस के बारे में बाहर देश में क्या इम्प्रेशन जाएगा । आप कृपया बैठ जाइये ।

[अनुवाद]

सभा सोमवार, पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनरुद्धार

*41. **श्री भक्त चरण दास :***
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) द्वारा वर्षवार तथा राज्यवार कितनी औद्योगिक इकाइयों को बंद किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार कितनी इकाइयों के पुनरुद्धार की सिफारिश की गई;

(ग) भारतीय औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास राज्यवार कितनी रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के प्रस्ताव लंबित हैं;

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु एक व्यापक नीति बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अंतिम रूप दे दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) में पंजीकृत मामलों पर रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाती है । मामलों का निपटान प्रत्येक मामले की रुग्णता की प्रकृति, पूर्ण सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्थाओं सहित पुनर्वास योजनाएं तैयार करने और सभी सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा पुनरुद्धार पैकेजों के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है ।

(ङ) और (च) मौजूदा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 को हटाने के लिए संसद में रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1997 प्रस्तुत किया गया है ।

विवरण

31.10.97 की स्थिति के अनुसार मामलों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95		1995-96		1996-97		31.10.97 को बकाया मामले
	उच्च न्यायालय को की गई समापन की सिफारिश	पुनरुद्धार योजना मंजूर/ अनुमोदित	उच्च न्यायालय को की गई समापन की सिफारिश	पुनरुद्धार योजना मंजूर/ अनुमोदित	उच्च न्यायालय को की गई समापन की सिफारिश	पुनरुद्धार योजना मंजूर/ अनुमोदित	
आंध्र प्रदेश	11	8	10	13	17	16	40
असम	0	1	0	0	0	1	3
बिहार	8	1	1	0	2	4	6
चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	2
दादरा व नागर हवेली	0	0	0	0	2	0	0
गोआ	0	0	0	1	0	0	1
गुजरात	4	3	13	8	6	15	32
हरियाणा	2	0	0	0	5	5	23
हिमाचल प्रदेश	3	0	0	2	4	2	5
जम्मू व कश्मीर	1	0	2	1	1	1	0
केरल	1	6	3	7	3	4	8
कर्नाटक	2	1	5	7	6	6	18
मध्य प्रदेश	10	4	3	4	4	9	27
महाराष्ट्र	13	17	9	29	15	12	67
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	1
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	1	0	0	0	0	8
उड़ीसा	2	4	0	2	0	2	10
पांडिचेरी	1	1	0	1	0	0	1
पंजाब	1	1	2	4	2	4	21
राजस्थान	5	1	3	3	4	3	25
तमिलनाडु	3	9	2	10	7	11	34
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	1
उत्तर प्रदेश	14	5	8	10	18	6	18
पश्चिम बंगाल	2	9	4	7	7	5	49
योग	83	72	65	109	103	106	430

चुनाव सुधार

*42. श्री सुन्दर लाल पटवा :
श्री वी०एम० सुधीरन :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा उसने इस संबंध में सरकार को कुछ सुझाव भी भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने चुनाव सुधार संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मंत्रियों का कोई पैनल बनाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पैनल द्वारा कब तक अपनी सिफारिशे प्रस्तुत करने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने, इस आशय के कतिपय न्यायिक निर्णयों पर विचार किया है कि दंडादेश का निलंबन और जमानत पर उन्मुक्ति, लोक प्रतिनिधित्व, 1951 की धारा 8 के अधीन निरर्हता को समाप्त नहीं कर देते हैं और आयोग ने सभी रिटर्निंग आफिसरों को तद्नुसार निर्वाचन लड़ने वालों की अभ्यर्थिता की विधिमान्यता या अन्यथा का विनिश्चय करने के लिए निदेश दिया है । उक्त धारा को सशक्त बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए प्रमुख सुझाव संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) से (च) निर्वाचन सुधारों संबंधी प्रस्तावों पर, जिनके अंतर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव भी हैं, और अपनी सिफारिशें करने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया है । समूह की एक बैठक पहले ही 5.11.1997 को हो चुकी है और उसकी सिफारिशें शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है ।

विवरण

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 को सशक्त बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए प्रमुख सुझाव

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अधीन उपबंधित सभी मामलों में निरर्हता दोषसिद्धि की तारीख से आरम्भ होनी चाहिए और निरर्हता की अवधि, दंडादेश की अवधि और उसके पश्चात अतिरिक्त छह वर्ष होनी चाहिए ।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 8 के खंड (2) और (3) एक साथ रखे जाने चाहिए, सरल बनाए जाने चाहिए और न्यूनतम दंड दो वर्ष से घटाकर छह मास किया जाना चाहिए; और

(3) खंड (1), (2) और (3) के बजाय एक साधारण उपबंध किया जाना चाहिए कि छह मास या उससे अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किसी व्यक्ति को निर्वाचन लड़ने से वर्जित किया जाना चाहिए ।

कपड़ा मजदूर पुनर्वास योजना

*43. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य और केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले कपड़ा मजदूरों का कपड़ा मजदूर पुनर्वास योजना के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं, और

(ग) इस संबंध में शीघ्रतापूर्वक निर्णय लिए जाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और कपड़ा मजदूरों को इस योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) से (ग) इस समय वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के अंतर्गत भुगतान निजी क्षेत्र की मिलों के पात्र कामगारों तक ही सीमित है । तथापि, इस योजना के अंतर्गत राज्य की बंद पड़ी सरकारी क्षेत्र की मिल को लाभ देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

इस मामले में निर्णय लेने के लिए वस्त्र आयुक्त तथा वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है । शीघ्र ही एक उपयुक्त निर्णय लेने के लिए प्रयास किए जायेंगे ।

उद्योगों में मंदी

*44. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री अनन्त गंगाराम गीते :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घोषित योजना व्यय में 5 प्रतिशत की कटौती से उद्योगों में मंदी आने की सम्भावना है जैसाकि उद्योग द्वारा आशंका प्रकट की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका घरेलू उद्योग और आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस स्थिति के निवारणार्थ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं । केन्द्रीय योजना व्यय (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर) में 5 प्रतिशत कटौती से करीब 1800 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है । समग्र बचत 1995-96 में बाजार मूल्यों की दर पर सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) का करीब 0.16 प्रतिशत है । वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद स्तर की तुलना में यह और भी कम होगा ।

(ग) केन्द्रीय बजट 1997-98 तथा तत्पश्चात् अप्रैल-अक्तूबर, 1997 में घोषित ऋण नीति में निवेशकों का विश्वास, उद्योग का लाभ तथा ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए ठोस उपायों का प्रावधान किया गया है । प्रधान मंत्री द्वारा 22 जुलाई, 1997 को आधारभूत क्षेत्रों तथा 14 अक्तूबर, 1997 को अन्य विनिर्माणकारी उद्योग के साथ आयोजित बैठक में कुछ क्षेत्रों में अस्थाई मंदगति से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु शुल्क संबंधी वापसी को बहाल करने जैसे प्रयास पहले किए जा चुके हैं। इसके अलावा, नकद आरक्षण अनुपात (सी०आर०आर०) को चरणबद्ध रूप से कम करने से बैंकों के पास ऋण संसाधनों की उपलब्धता में तीव्र वृद्धि होने, ब्याज दरों में पर्याप्त कमी और पांचवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के क्रियान्वित होने के कारण केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन की देय बकाया राशि के जारी किए जाने से औद्योगिक उत्पादों की समग्र मांग में वृद्धि होने की संभावना है।

रबड़ का आयात

*45. **श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन :**
श्री वी०वी० राघवन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ का प्रतिवर्ष किन-किन देशों से और कितना-कितना आयात किया गया;

(ख) एस०टी०सी० द्वारा अब तक कितनी रबड़ की खरीद की गई है और प्राकृतिक रबड़ उत्पादकों को रबड़ की प्रति किलो कितने मूल्य की पेशकश की गई है;

(ग) क्या घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में तेजी से गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में केरल के रबड़ उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो देश के रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले तीन वर्षों में हर वर्ष के दौरान आयातित प्राकृतिक रबड़ की मात्रा के आंकड़े निम्नानुसार रहे हैं :

वर्ष	मात्रा (एम टी)
1994-95	8094
1995-96	51644
1996-97	18057

(स्रोत: डी०जी०सी०आई० एण्ड एस० के आंकड़े)

प्राकृतिक रबड़ के आयात के देश-वार विस्तृत विवरण डी०जी०सी०आई० एण्ड एस० द्वारा प्रकाशित विदेश व्यापार सांख्यिकी में उपलब्ध हैं । जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) दिनांक 17.11.1997 की स्थिति के अनुसार, एसटीसी द्वारा 9256 एमटी के अनुमोदन के तहत 1193 एमटी प्राकृतिक रबड़ वितरित किया गया है । यह अनुमोदन चालू दैनिक बाजार कीमतों के आधार पर रहा है ।

(ग) और (घ) टायर उद्योग द्वारा प्राकृतिक रबड़ की कम मांग होने और औद्योगिक क्रियाकलापों में सामान्य मन्दी होने के कारण प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में रबड़ की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार गिरावट का रुख दिखता रहा है । किन्तु, घरेलू कीमतें अभी भी रबड़ की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से ज्यादा हैं ।

(ङ) और (च) जी, हां । घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ के भाव को स्थित करने के लिए सरकार एस०टी०सी० को बाजार में हस्तक्षेप करने और 42/- रुपये प्रति किलोग्राम से अनधिक वर्तमान भाव पर 10,000 मी० टन तक प्राकृतिक रबड़ की खरीद सरकारी खाते से करने के निर्देश दे चुकी है ।

हथकरघा क्षेत्र का विकास

*46. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में हथकरघा वस्त्र उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनायें हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में हथकरघा विकास की संभावनाओं का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) जी, हां ।

(ख) हथकरघा विकास के लिए नीतियों तथा कार्यक्रमों को बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है । सरकार वर्तमान में हथकरघा क्षेत्र के विकास तथा बुनकरों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है । ये बुनकरों को उनके करघों का आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण द्वारा बुनाई निपुणता में वृद्धि, डिजाइनों के विकास, निवेश उत्पादों का प्रावधान जैसे सूत तथा रंगाई सुविधायें तथा उनके उत्पादों के विपणन में

सहायता प्रदान करते हैं । कुछ योजनायें जिसके अंतर्गत बुनकरों को सहायता प्रदान की जा रही है वे हैं :- प्रोजेक्ट पैकेज योजना, निर्यात विकास के लिए योजना, स्वतंत्र डिजाइनरों के लिए योजना, विपणन विकास सहायता, विपणन कम्पलेक्सों की स्थापना की योजना, हथकरघा विकास केन्द्रों तथा उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की स्थापना तथा मेलों तथा प्रदर्शनियों के आयोजनों के लिए सहायता प्रदान करना । इसके अतिरिक्त कल्याण योजनायें जैसे समूह बीमा, थ्रिफ्ट फंड तथा स्वास्थ्य पैकेज तथा कार्यशाला-सह-आवास योजना भी कार्यान्वित की जा रही है ।

(ग) इस क्षेत्र के लिए 1997-98 के लिए वार्षिक योजना में 110.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । राज्य सरकारों तथा कार्यान्वित अभिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न चालू योजनाओं के अंतर्गत सहायता स्वीकृत की जाती है । राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त संख्या मे प्रस्तावों को प्रस्तुत करें ।

[अनुवाद]

जूट बैग

*47. **डा० बल्लभ भाई कठीरिया :**
श्री शान्तिलाल पुरषोत्तमदास पटेल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट और उर्वरकों को जूट बैगों और एच०डी०पी०ई०/पी०पी० बैगों में पैक करने के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) क्या इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के दौरान तथा व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर चोरी की गुंजाइश रहती है जिससे आमतौर पर उपभोक्ता ही प्रभावित होते हैं;

(ग) क्या विशेष रूप से उपर्युक्त वस्तुओं के मामले में जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के उपबंधों को लागू करने के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की नए सिरे से जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सीमेंट व भवन निर्माण सामग्री परिषद द्वारा केवल सीमेंट में ही पैकिंग करने के लिए पटसन और विभिन्न सिंथेटिक बोरों को तुलनात्मक निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किया गया था । सीमेंट का पटसन बोरों और एच डी पी ई/पी पी दोनों प्रकार के बोरों से पारगमन के विभिन्न चरणों में चोरी होना/परिवहन में क्षति होना स्वाभाविक है । पटसन बोरों से होने वाली चोरी/परिवहन क्षति, एच डी पी ई/ पी पी बोरों की तुलना में मामूली अर्थात 0.4 प्रतिशत अधिक है । उर्वरक के संबंध में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ग) से (ङ) विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा विभिन्न संघों से विशेषकर पटसन के बोरों में सीमेंट की पैकिंग के संबंध में अनिवार्य आरक्षण को लागू करने के पक्ष तथा विपक्ष में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इसमें निहित मुद्दों पर विचार करने के बाद सरकार ने खाद्यान्न, चीनी तथा यूरिया के संबंध में एक संशोधित पटसन पैकेजिंग आदेश जारी किया जो कि 1.7.1997 से प्रभावी हुआ । इस आदेश के अंतर्गत पटसन वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के लिए खाद्यान्न (100 प्रतिशत), चीनी 100 प्रतिशत तथा यूरिया (50 प्रतिशत) को अनिवार्यत: पटसन की पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाना अपेक्षित है । सीमेंट के संबंध में मौजूदा आरक्षण प्रतिशत में संशोधन करने का मामला, सरकार के अंतिम निर्णय लेने तक लंबित है ।

ब्याज दर नीति

*48. **श्री आई०डी० स्वामी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज और वित्त नीति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसा कितनी-बार किया जा चुका है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इसके क्या लाभ हुए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों, किसानों, व्यापारियों और निजी व्यक्तियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी फ्लैट खरीदने के लिए आसानी से ऋण स्वीकृत किए जा सकें?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) निरंतर आधार पर ब्याज दर नीति समेत, मौद्रिक एवं ऋण नीति की समीक्षा करता रहता है । अर्थव्यवस्था में होने वाले विकास के आधार पर जब कभी आवश्यकता पड़ती है, नीति में संशोधन किया जाता है । आर०बी०आई० ने 21.10.1997 को 1997-98 के उत्तरार्ध की मौद्रिक एवं ऋण नीति की घोषणा की है । मोटे तौर पर, मौद्रिक और ऋण नीति का उद्देश्य मूल्य-स्थिरता का एक संतुलित स्तर बनाए रखने और देश की अर्थव्यवस्था के विकास की सहायता के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना है । अधिक बहिर्मुखी और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में संचलित अर्थव्यवस्था के साथ, मौद्रिक एवं ऋण नीति को मूल्य, ब्याज-दर और विनिमय दरों के संबंध में स्थायी वित्तीय वातावरण की स्थिरता को बनाए रखने के लिए

किया जाता है । मौद्रिक एवं ऋण-नीति के सूत्रपात्र ने मुद्रा की आपूर्ति को और अधिक नियंत्रित करने और इसके माध्यम से मुद्रा स्फीति (जैसा कि थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है) को प्रभावित करने में सहायता की है जिससे 1993-94 और 1994-95 में दो अंकों का आंकड़ा कम होकर 25 अक्तूबर, 1997 तक 4 प्रतिशत हो गया । मौद्रिक नीति के प्रसार के एक उपाय के रूप में और बाजार ब्याज दर की गतिविधियों की दिशा को प्रभावित करने के एक संदर्भ दर के रूप में बैंक दर को लागू करने के प्रयत्न सफल रहे हैं क्योंकि बैंक दर में कमी के परिणामस्वरूप बैंकों की उधार और जमा दरों में कमी आई है।

बैंकों को यह भी निदेश दिए गए हैं कि वे छोटे, मझोले और बड़े विभिन्न श्रेणियों के ऋणकर्ताओं के लिए स्पष्ट ऋण-नीतियां निर्धारित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवास क्षेत्र समेत सभी उत्पादक क्षेत्रों पर संगठित ऋण-बाजार का अपेक्षित सही ध्यान आकर्षित हो ।

[हिन्दी]

मारुति उद्योग

*49. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद खड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विवाद के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विवाद को निपटाने के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या मैसर्स सुजुकी मोटर कारपोरेशन, जापान ने इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स से इस मामले में हस्तक्षेप करने और मध्यस्थता करने के लिए अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा दी गई रियायतें और सहायता, सुजुकी मोटर कारपोरेशन की सक्रिय रूप से भागीदारी तथा पूर्ण रूप से एम०यू०एल० के कर्मचारियों तथा प्रबंधन के प्रयासों के कारण मारुति उद्योग लि० (एम०यू०एल०) एक सफल संगठन रहा है । 2 जून 1992 के अभिदान और संशोधन द्वारा यथा संशोधित भारत सरकार, सुजुकी मोटर कारपोरेशन तथा मारुति उद्योग लि० के बीच 2 अक्तूबर, 1982 के संयुक्त उद्यम करार के प्रावधान के अनुसार सुजुकी मोटर कारपोरेशन ने वर्ष 1992 में श्री आर०सी० भार्गव को मारुति उद्योग लि० के प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया था। उक्त करार के अनुसार, भारत सरकार ने अपनी बारी में श्री आर०एस०एस०एल०एन० भास्करुडु को दिनांक 27.8.1997 को मारुति उद्योग लि० के प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया । एस०एम०सी० ने इस आधार पर इस नियुक्ति पर आपत्ति की है कि सरकार ने न तो एस०एम०सी० से परामर्श किया और न ही श्री भास्करुडु को नामित करते समय इससे सहमति ली और न ही श्री भास्करुडु के पास मारुति उद्योग लि० के आकार की कम्पनी का नेतृत्व करने की सामर्थ्य है । सरकार की कार्रवाई पूर्ण रूप से कायम करार के अक्षरश: और भावना के अनुकूल रही है।

श्री भास्करुडु, जो वर्ष 1983 से मारुति उद्योग लि० में हैं, संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में चार वर्ष सहित 9 वर्ष से अधिक समय तक निदेशक के रूप में कार्य करते रहे हैं तथा पूर्व प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक का भी कार्य कर चुके हैं । उन्होंने मारुति उद्योग लि० के परियोजना, उत्पादन और सामग्री प्रबंधन के प्रभागों का सक्षम रूप से कार्य किया है । वे मारुति उद्योग लि० में सबसे वरिष्ठ निदेशक भी हैं तथा कम्पनी का नेतृत्व करने के लिए अधिक योग्य हैं । सरकार ने श्री भास्करुडु को प्रबंध निदेशक के रूप में नामित करते समय सभी योग्य उम्मीदवारों की योग्यता एवं वरिष्ठता को ध्यान में रखा है।

(ग) और (घ) इन मतभेदों को दूर करने के लिए दिनांक 17, 20 और 21 सितम्बर, 1997 को एस०एम०सी० के प्रतिनिधियों से हुए विचार विमर्श असफल सिद्ध हुए ।

(ङ) और (च) एस०एम०सी० ने उपरोक्त आधार पर भारत सरकार और मारुति उद्योग लि० के विरुद्ध विवाद उठाते हुए अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के अन्तर्राष्ट्रीय विवाचन न्यायालय के पास विवाचन के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है ।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना

*50. **श्री टी० गोविन्दन :**
श्री चमन लाल गुप्त :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा घोषित स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (वी०डी०आई०एस०) का उद्देश्य क्या है;

(ख) इस योजना के विज्ञापन पर सितम्बर, 1997 तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत आज तक कुल कितने लोगों ने अपनी परिसंपत्तियों/आय की घोषणा की है और इस योजना के बारे में राज्यों में लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(घ) ऐसी परिसंपत्तियों का कुल मूल्य कितना है;

(ङ) सरकार ने लोगों को अपनी परिसंपत्तियों/आय की घोषणा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(च) इस योजना के उद्देश्य किस हद तक पूरे हुए हैं;

(छ) क्या उक्त योजना के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में कोई विश्लेषण किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना उत्पादनकारी उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ काले धन की पर्याप्त धनराशि जुटाने के लिए घोषित की गई थी।

(ख) इस योजना के बहु-मीडिया प्रचार के लिए स्वीकृत की गई कुल धनराशि 29.4 करोड़ रुपये थी। सितम्बर, 1997 तक उक्त योजना के विज्ञापन पर विज्ञापन एजेंसियों को 34.00 लाख रुपये की कुल धनराशि रिलीज की गई है।

(ग) से (ज) इस योजना में घोषणाओं और घोषणाकर्ताओं के संबंध में पूर्ण गोपनीयता की गारन्टी दी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए इस योजना में यह व्यवस्था की गई है कि घोषणाओं को केवल आयकर आयुक्तों को प्रस्तुत किया जाएगा। इस कारण से घोषणाकर्ताओं की संख्या अथवा प्रकट की गई धनराशि आदि के बारे में आयुक्तों से ब्यौरे केन्द्रीयकृत रूप से प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं। इस योजना के प्रचालन की अवधि की समाप्ति पर ही स्थिति की समीक्षा किए जाने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक क्षेत्रों को बैंक ऋण

*51. **श्रीमती केतकी देवी सिंह :**
कुमारी उमा भारती :
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जा रहे ऋणों में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जा रहे ऋणों में वृद्धि करने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया खाद्येतर बैंक ऋण दिनांक 28 मार्च, 1977 को 270805 करोड़ रुपये के थे, जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1997 को बढ़कर 274209 करोड़ रुपए हो गए। इस प्रकार 3404 करोड़ रुपये (1.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्येतर बैंक ऋण में 2382 करोड़ रुपये (1.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान घोषित मौद्रिक-नीति में वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए संसाधन की उपलब्धता की तीव्र वृद्धि को सुकर बनाने के लिए कुछ उपाय अंतर्विष्ट हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) बैंक दर में 3 प्रतिशत की कमी।

(2) आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 2 प्रतिशत की कमी (8 चरणों में कम किया जाना है)।

(3) ऋणकर्ताओं के लिए ऋण की अनिवार्य संघीय सहायता प्रणाली के सम्बन्ध में शर्तों को उदार बनाना।

(4) कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए अधिकतम अनुमेय बैंक वित्त (एमपीबीएफ) के संबंध में निर्देश वापस लेना।

(5) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के लिए कम्पनियों को तात्कालिक ऋणों की मंजूरी हेतु बैंकों को अनुमति देना।

[अनुवाद]

दल-बदल विरोधी कानून

*52. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दल-बदल विरोधी कानून में अनेक कमियां हैं और इसीलिए दल-बदल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची की समीक्षा करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अब इस कानून में संशोधन करने और दल-बदल पर पाबंदी लगाने के लिए कोई विधेयक लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) और (ख) दल-परिवर्तन विरोधी विधि को सशक्त बनाने के लिए इस आधार पर मांग की गई है कि यह दल परिवर्तन को रोकने के वांछित लक्ष्य को अभिप्राप्त कर पाने में समर्थ नहीं हुआ है। इस बाबत किया गया एक प्रस्ताव दल-परिवर्तन विरोधी विधि के उस उपबंध को हटाए जाने का है जो एक तिहाई सदस्यों द्वारा दल विभाजन को मान्यता देता है।

(ग) से (ङ) दल-परिवर्तन विरोधी विधि में किए जाने वाले परिवर्तनों पर राजनीतिक दलों के मध्य सर्वसम्मति प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सरकार एक विधेयक लाएगी।

वस्त्रों पर एन्टी-डर्पिंग शुल्क

*53. **श्री के०एस० रायुडु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ ने भारतीय वस्त्रों की कतिपय श्रेणियों पर एन्टी डर्पिंग शुल्क लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यूरोपीय संघ के देशों को पिछले वर्ष प्रथम छह महीनों की तुलना में चालू वर्ष की इसी अवधि के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के वस्त्रों का निर्यात किया गया था; और

(घ) इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रामैया) : (क) और (ख) यूरोपीय संघ (ई०यू०) ने भारत से सूती चादर के आयात पर 3.9 प्रतिशत से 27.3 प्रतिशत तक का अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया है । अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क 6 जून, 1997 से छह महीनों की अवधि के लिए लागू हो गया है । गैर-विरंजित सूती फैब्रिक्स के संबंध में दिनांक 11.07.1997 को प्रतिपाटन जांच शुरू की गई है और अभी तक कोई शुल्क नहीं लगाया गया है ।

(ग) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ के देशों अप्रैल-सितम्बर, 97 के दौरान 546.50 करोड़ रुपये मूल्य के 320 मिलियन वर्ग मी० फैब्रिक्स का निर्यात किया गया जबकि पिछले वर्ष की उक्त अवधि में 560.50 करोड़ रुपये मूल्य के 366.83 मिलियन वर्ग मी० का निर्यात किया गया था । जहां तक मेड-अप्स (सूती चादर सहित) का संबंध है अप्रैल-सितम्बर, 97 के दौरान 701 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया जबकि पिछले वर्ष की उक्त अवधि में यह 643 करोड़ रुपये का किया गया था (यह सूचना सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है) ।

(घ) भारत सरकार ने यह मामला ब्रुशेल्स में स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से यूरोपीय संघ के अधिकारियों के साथ उठाया है ।

[हिन्दी]

बंद कपड़ा मिलें

*54. **डा० सत्यनारायण जटिया** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक राज्यवार राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा राज्य वस्त्र निगम के स्वामित्व वाली तथा निजी क्षेत्र की कुल कितनी मिलें बंद की गई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उज्जैन (मध्य प्रदेश) में कितनी वस्त्र मिलें बंद की गई हैं तथा प्रत्येक मिल में कितने मजदूर बेरोजगार हो गए हैं; और

(ग) प्रत्येक मिल में उनके पुनर्वास तथा भविष्य निधि राशि के भुगतान की स्थिति क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) पिछले तीन वर्षों में आज तक बंद पड़ी मिलों की संख्या निम्नानुसार हैं :

आंध्र प्रदेश	11
असम	0
बिहार	1
गुजरात	22
हरियाणा	3
कर्नाटक	2
केरल	1
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	8
उड़ीसा	0
पंजाब	2
राजस्थान	2
तमिलनाडु	25
उत्तर प्रदेश	3
पश्चिम बंगाल	2
दिल्ली	3
मणिपुर	0
दमन और दीव	1

जहां तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम का संबंध है, एन टी सी के अधीन कोई भी मिल औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत बंद नहीं है क्योंकि मजदूरियों और वेतन का निरंतर भुगतान किया जाता है । तथापि एन टी सी (डी पी आर) लि० के अधीन अजुध्या टैक्सटाइल मिल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने/अन्य स्थानों पर ले जाने के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों/निर्देशों के अनुसार बंद पड़ी हुई हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार अजुध्या टैक्सटाइल मिल के कामगारों को बढ़े हुए अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान किया गया है ।

(ख) और (ग) मैसर्स इंदौर टैक्सटाइल लि० उज्जैन (मध्य प्रदेश) बंद है जिससे 1792 कामगार प्रभावित हुए हैं । रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के

अनुसार औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के पुनर्वासन के उपाय करने का दायित्व सौंपा गया है । सरकार ने भी मिलों के स्थाई/अस्थाई रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना स्थापित की है । जहां तक निजी क्षेत्र की मिलों तथा राज्य वस्त्र निगमों की मिलों का संबंध है, उनके भविष्य निधि की देय राशि/भुगतान के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं ।

[अनुवाद]

परिमाणात्मक प्रतिबंध

*55. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दूसरे देश आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाने के लिए भारत पर दबाव डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का परिमाणात्मक प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के मामले को अमेरिका तथा अन्य देशों के साथ किस प्रकार निपटाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) 20-21 जनवरी, 1997 को हुई विश्व व्यापार संगठन की भुगतान संतुलन प्रतिबंध समिति की बैठक के अनुसरण में भारत ने विश्व व्यापार संगठन को भुगतान संतुलन प्रयोजनों के लिए आयातों पर लगाए गए सभी शेष मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी । इस योजना पर जून-जुलाई, 1997 में भुगतान संतुलन प्रतिबंधों से संबंधित डब्ल्यू टी ओ समिति द्वारा विचार किया गया था । डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के बीच में भिन्नता को नोट करते हुए, परामर्शों को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की गई । इसके बाद विश्व व्यापार संगठन के 6 सदस्य नामत: आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय समुदाय, न्यूजीलैंड, स्विटजरलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका ने टैरिफ और व्यापार (गाट) पर सामान्य करार के अनुच्छेद XXII तथा विवाद निपटान को शामिल करने वाले नियमावली तथा क्रियाविधियों के तहत भारत के साथ विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया । इन परामर्शों के दौरान भुगतान संतुलन प्रयोजनों के लिए आयातों पर लगाए गए शेष मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के लिए समय-सारणी के संबंध में यूरोपीय समुदाय, कनाडा तथा स्विट्जरलैंड के साथ करार किया गया। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ पारस्परिक संतोषजनक हल निकालने के लिए वार्ताएं अंतिम चरण में हैं । संयुक्त राज्य अमरीका के अनुरोध पर 18 नवम्बर, 1997 को एक पेनल का गठन किया गया है जो यू एस के इस आरोप की जांच करेगा कि भारत द्वारा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को निरंतर बनाए रखना डब्ल्यू टी ओ करार के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप नहीं है ।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रमुख ऋण-दरों में कटौती

*56. **श्री ए०सी० जोस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की "बिजी सीजन" ऋण नीति में निर्धारित निर्देशों का अनुसरण करते हुए विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने वाणिज्यिक ऋणों पर अपनी-अपनी प्रमुख ऋण-दरों में कटौती की घोषणा करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) औद्योगिक उत्पादन पर इस उपाय का क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 21 अक्तूबर, 1997 को वर्ष 1997-98 की दूसरी छमाही के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा के अनुसरण में कई वाणिज्यिक बैंकों और प्रमुख वित्तीय संस्थाओं ने अपने प्रमुख ऋण दरों (पी एल आर) में और कमी कर दी है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

प्रमुख ऋण दरें (पी एल आर)

क्रम सं०	बैंक/वित्तीय संस्थाओं की किस्म	व्यस्त मौसम नीति से पूर्व पीएलआर	व्यस्त मौसम नीति के पश्चात् पीएलआर	परिवर्तन की घोषणा करने वाले बैंक
1.	सरकारी क्षेत्र	13.5-15.0	12.5-13.5	14
2.	गैर-सरकारी क्षेत्र	14.0-17.0	13.0-14.0	7
3.	विदेशी बैंक	14.5-17.5	14.0-15.0	14
4.	आई डी बी आई	14.5	12.5-13.5	
5.	आई एफ सी आई	14.5	12.5-13.5	-
6.	आई सी आई सी आई	12.5-14.5	12.0-13.5	-
7.	सिडबी	14.0	12.5-13.0	-

आशा की जाती है कि इस ऋण नीति में परिकल्पित उपायों से बैंक ऋण की संवृद्धि में सहायता मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक क्रिया-कलापों में वृद्धि होगी ।

[हिन्दी]

मुद्रा स्फीति की दर

*57. **श्री पी०आर० दासमुंशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि होगी; और

(ग) इसका घरेलू बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि से मांग में कुछ उत्प्लावकता पैदा होने की सम्भावना थी । तथापि, ऐसा अब तक घटित नहीं हुआ है, क्योंकि वर्तमान मुद्रास्फीति की दर निरन्तर 4 प्रतिशत से नीचे बनी रही है जो कि अपने आप में 11 वर्ष की न्यूनतम मुद्रा स्फीति दर है ।

[अनुवाद]

"मिनी रत्न"

*58. **श्री संदीपान थोरात** :
श्री सनत मेहता :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों को "मिनी रत्न" का विशेष दर्जा दिया गया है तथा इनके नाम क्या-क्या हैं;

(ख) ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान हेतु क्या मानदंड अपनाये गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय तथा कार्यकरण की स्वायत्तता देने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में मजदूर संघों की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलीमारन) : (क) से (ङ) सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान लगातार लाभ अर्जित करने वाले सरकारी उद्यमों, जिन उद्यमों की निवल परिसम्पत्तियां घनात्मक हैं, जिन्होंने ऋण तथा ब्याज की वापसी में कोई चूक नहीं की है और जिन्होंने सरकार से बजटगत सहायता की मांग नहीं की है, उन उद्यमों को मिनी रत्नों का दर्जा प्रदान किया है । लाभकारिता तथा निवल परिसंपत्ति के मानदण्ड के आधार पर सरकारी क्षेत्र के 95 उपक्रमों को अनंतिम रूप से मिनी रत्नों के रूप में अभिज्ञात किया है, जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है । अन्तिम रूप से शामिल करने का निर्णय प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सभी मानदण्डों की जांच करके लिया जाएगा, जिसमें सरकारी ऋण की चूक भी शामिल है । इस संबंध में मिनी रत्नों को कतिपय दिशा-निर्देशों के अध्याधीन अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, जिसमें पूंजीगत व्यय उठाने, संयुक्त उद्यम स्थापित करने, प्रौद्योगिकीय तथा महत्वपूर्ण समझौते करने तथा मानव संसाधन प्रबंध योजनाएं तैयार करने इत्यादि के लिए शक्तियां शामिल हैं । सरकार को श्रमिक संघों की ओर से मिनी रत्न उद्यमों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।

विवरण

"मिनी रत्न" सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की अनंतिम सूची

1. एयर इण्डिया लि०
2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
3. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम
4. अंतरिक्ष निगम लि०
5. बामर लॉरी एण्ड कं० लि०
6. भारत एल्युमिनियम कं० लि०
7. भारत डायनामिक्स लि०
8. भारत अर्थ मूवर्स लि०
9. भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०
10. बीको लॉरी लि०
11. बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि०
12. ब्रिज एण्ड रूफ कं० (इण्डिया) लि०
13. भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि०
14. केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्पन संस्थान लि०
15. केन्द्रीय भण्डारण निगम
16. कोचीन रिफाइनरीज लि०
17. कंटेनर कारपो० ऑफ इण्डिया लि०
18. भारतीय कपास निगम लि०
19. ड्रेजिंग कारपो० ऑफ इण्डिया लि०
20. ऐजूकेशनल कंसलटेंट्स (इण्डिया) लि०
21. इलेक्ट्रानिक्स कारपो० ऑफ इण्डिया लि०
22. इंजीनियर्स इण्डिया लि०
23. फैरो स्क्रेप निगम लि०
24. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि०
25. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०
26. गोवा शिपयार्ड लि०
27. एच०टी०एल० लि०

28. एच०एम०टी० (इंटरनेशनल) लि०
29. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०
30. हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि०
31. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०
32. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०
33. हिन्दुस्तान जिंक लि०
34. एच०एम०टी० बियरिंग्स लि०
35. हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि०
36. भारतीय अस्पताल परामर्शदायी सेवाएं निगम लि०
37. आवास एवं शहर विकास निगम लि०
38. आई०बी०पी० कं० लि०
39. भारतीय पर्यटन विकास निगम लि०
40. इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन
41. इण्डियन मेडीसिन फार्मास्युटिकल्स कारपो० लि०
42. इण्डियन ऑयल ब्लैण्डिंग लि०
43. इण्डियन रेलवे फाईनेंस कारपो० लि०
44. भारतीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लि०
45. इण्डो होटल होटल लि०
46. इरकॉन इंटरनेशनल लि०
47. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०
48. कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि०
49. लगन जूट मशीनरी कं० लि०
50. लुब्रिझोल इण्डिया लि०
51. एम०एम०टी०सी० लि०
52. एस०एस०टी०सी० लि०
53. मद्रास रिफाइनरीज लि०
54. महानदी कोलफील्ड्स लि०
55. महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि०
56. मैगनीज ओर (इण्डिया) लि०
57. मझगांव डॉक लि०
58. मेटालर्जिकल एण्ड इंजी० कसल्टेंट्स (इण्डिया) लि०
59. मिश्र धातु निगम लि०
60. माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि०
61. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि०
62. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
63. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०
64. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०
65. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपो० लि०
66. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०
67. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०
68. भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लि०
69. राष्ट्रीय अनु० जाति/अनु० जनजाति वित्त एवं विकास निगम
70. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०
71. नेवेली लिग्नाईट कारपो० लि०
72. नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो० लि०
73. नार्दर्न कौल फील्ड्स लि०
74. ऑयल इण्डिया लि०
75. पारादीप फास्फेट्स लि०
76. पवन हंस हैलीकाप्टर्स लि०
77. विद्युत वित्त निगम
78. पावर ग्रिड कारपो० ऑफ इण्डिया लि०
79. परियोजना एवं उपस्कर निगम लि०
80. रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसिज लि०
81. राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०
82. राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि०
83. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०
84. ग्रामीण विद्युतकरण निगम लि०
85. सेमी-कण्डक्टर्स काम्प्लेक्स लि०
86. भारतीय नौवहन निगम लि०
87. साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लि०
88. सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो० लि०
89. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०
90. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि०
91. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०
92. यूरेनियम कारपो० ऑफ इण्डिया लि०
93. विगनयन इण्डस्ट्रीज लि०
94. वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसिज (इण्डिया) लि०
95. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

[हिन्दी]

सोना और चांदी आयात नीति

*59. **श्री श्यामलाल बंशीवाल :**
श्री मदन पाटिल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोने और चांदी संबंधी आयात नीति को और अधिक उदार बनाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वदेशी बाजार में इन धातुओं की बिक्री हेतु किन-किन एजेंसियों/बैंकों को आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और इसके लिये क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) स्वदेशी बाजार में इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) इस निर्णय से आभूषणों के निर्यात को किस सीमा तक बढ़ावा दिया जा सकेगा तथा सोने की तस्करी को किस हद तक रोका जा सकेगा?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ने घरेलू बाजार में सोने और चांदी की बिक्री के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों के लिए सोने और चांदी के आयात की नीति बनाई है । सोने के लिए शुल्क की दर 220 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के लिए 500 रुपये प्रति किलोग्राम है । यह शुल्क भारतीय रुपयों में देय है ।

(ग) जिन एजेंसियों/बैंकों को प्राधिकृत किया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं:- राज्य व्यापार निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, हथकरघा और दस्तकारी निर्यात निगम, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ नोवा स्कोटिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ए०वी०एन०-आमरो बैंक । ये ऐजेंसियां उपर्युक्त दर पर लाइसेंस के बिना अथवा विशेष आयात लाइसेंस समर्पित किये बिना किसी भी रूप में सोने और चांदी के आयात के लिए पात्र हैं ।

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत आयातित सोने/चांदी की भारतीय बाजार में उपलब्धता के बाद इन मूल्यवान धातुओं का मूल्य लगभग उनके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के बराबर होने की आशा की जाती है ।

(ङ) उपर्युक्त योजनाओं के जरिये सोना और चांदी सरलता से उपलब्ध होने से आभूषण विनिर्माताओं को निर्यात उत्पादन के लिए बिलकुल उचित दरों पर निविष्टयां प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । इस योजना से उन विभिन्न स्थानों पर यह मूल्यवान धातु उपलब्ध होगी जहां प्राधिकृत आयातकों के अपने बिक्री केन्द्र हैं । इससे भी सोने की तस्करी की रोक-थाम करने पर अच्छा प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास में गिरावट

*60. **श्री आर० साम्बाशिवा राव :**
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी से सितम्बर, 1997 के दौरान औद्योगिक विकास की दर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें गिरावट आने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा विकास दर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस संबंध में भारत को दोषी ठहराया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलीमारन) : (क) और (ख) जी, हां । फरवरी-अगस्त, 1997 में समग्र औद्योगिक विकास 7.2 प्रतिशत था जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 11.6 प्रतिशत था । औद्योगिक विकास में कमी के लिए बहुत से बड़े कारकों के संचित प्रभाव को महसूस किया गया है, जिसमें धीमा निर्यात विकास, निवेश तथा उपभोक्ता मांग में धीमापन अवसंरचनात्मक उद्योगों का खराब निष्पादन तथा 1996-97 के अधिकांश मांग के दौरान पूंजी की उच्च लागत शामिल है ।

(ग) उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श के पश्चात, निवेश वातावरण में सुधार तथा औद्योगिक विकास को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाली अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं ।

(घ) और (ङ) जी, नहीं ।

[हिन्दी]

अनुपादेय परिसम्पत्तियां (नॉन-परफारमिंग ऐसेट्स)

449. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनुपादेय परिसम्पत्तियों (नॉन-परफारमिंग ऐसेट्स का वर्तमान मूल्य क्या है; और

(ख) उक्त राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1996-1997 के लिए भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों की निवल अनुपयोज्य आस्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :-

बैंक का नाम	राशि (करोड़ रुपये)	कुल अग्रिमों का प्रतिशत
भारतीय स्टेट बैंक	10961.54	16.02
इलाहाबाद बैंक	1302.89	23.93
आन्ध्रा बैंक	365.68	11.81
बैंक ऑफ बड़ौदा	3116.00	17.15
बैंक ऑफ इण्डिया	2275.00	11.78
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	749.43	20.67
केनरा बैंक	3323.72	20.26
सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	2520.00	25.00
कारपोरेशन बैंक	316.78	9.92
देना बैंक	674.21	15.10
इंडियन बैंक	3303.00	39.12
इंडियन ओवरसीज बैंक	1317.00	15.80
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	367.56	7.36
पंजाब एंड सिंध बैंक	1089.70	30.71
पंजाब नेशनल बैंक	2426.14	18.31
सिंडिकेट बैंक	1291.78	19.32
यूको बैंक	1872.62	28.35
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	987.80	10.38
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1398.00	36.20
विजया बैंक	511.96	18.73

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने बैंकों पर जोर दिया है कि वे अपने प्रधान कार्यालयों में वसूली कक्ष स्थापित करने और अनुप्योज्य आस्तियों की वसूली के लिए शाखा-वार लक्ष्य निर्धारित करें । वसूली के कार्य में शाखाओं के कार्यनिष्पादन की मुख्य कार्यपालकों द्वारा मासिक आधार पर प्रधान कार्यालय स्तर पर निगरानी की जाती है । संबंधित बैंकों के निदेशक मंडल को भी तिमाही अन्तराल पर वसूली में प्रगति के बारे में जानकारी दी जाती है । अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली/कमी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श के बाद प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए अलग-अलग निर्धारित करता है । इनकी निगरानी बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के साथ आवधिक बैठकों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है ।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ व्यापार के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

450. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री सुशील चंद्र :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में भारतीय टायरों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में व्यापार के अनेक क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों के अवसर बढ़ाने के लिए किसी प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां । पाकिस्तान में भारतीय टायरों की अच्छी मांग है ।

(ख) और (ग) पंजाब, हरियाणा, दिल्ली (पी एच डी) के वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का एक व्यापार शिष्टमंडल जिसमें भारतीय टायर उद्योग के भी प्रतिनिधि शामिल थे, ने 28 जुलाई से 2 अगस्त, 1997 तक पाकिस्तान का दौरा किया । इस शिष्टमंडल ने लाहौर, इस्लामाबाद और करांची का भी दौरा किया और पाकिस्तानी व्यवसाय एवं व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लिया जिन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने भारतीय शिष्टमंडल के साथ अपनी बातचीत में काफी उत्साह दिखाया है और उन्होंने भारत के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का समर्थन किया है, परन्तु इसके साथ-साथ पाकिस्तानी विनिर्माताओं के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया है । तथापि, टायर उद्योग के संबंध में इस क्षेत्र में संयुक्त उद्यम पर बल देने के बजाय पाकिस्तान को किए जाने वाले टायरों के निर्यात में वृद्धि करने पर अधिक जोर दिया गया ।

चावल का निर्यात

451. **श्री सुरेश आर० जादव :**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आसिआन देश भारत के मुख्य प्रतिस्पर्धी हैं, क्या सरकार को यह जानकारी है कि हाल में आसिआन (ए०एस०ई०ए०एन०) देशों की मुद्राओं के अवमूल्यन के कारण भारत से चावल का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय चावल निर्यातकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) ग्रेडिंग और पैकजिंग में किए गए अतिरिक्त खर्च और गुणवत्ता में अन्तर, विभिन्न किस्मों के व्यापार के

कारण चावल के निर्यात पर आसियान (ए एस ई एन) मुद्राओं के अवमूल्यन के प्रभाव का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है ।

(ख) चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिये कुछ कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल हैं : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में सहभागिता; क्रेता-विक्रेता बैठकों की व्यवस्था करना; बाजार विकास संबंधी अभियानों का संचालन करना और उत्पाद विकास के लिए सहायता उपलब्ध करवाना ।

[हिन्दी]

पिपरवार परियोजना

452. **श्री महावीर लाल विश्वकर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान बिहार की पिपरवार परियोजना से कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन हुआ है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान पिपरवार परियोजना के अंतर्गत इसके आसपास के क्षेत्र के विकास हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (बिहार) के अंतर्गत पिपरवार परियोजना में कोयले के उत्पादन की मात्रा और इसके आस-पास के क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के लिए वर्ष 1990-91 से 1993-94 की अवधि के दौरान व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	उत्पादित कोयले की मात्रा (मिलियन टन में)	सामुदायिक विकास के लिए व्यय की गई धनराशि (लाख रुपयों में)
1990-91	0.73	1.91
1991-92	1.08	4.13
1992-93	2.62	3.31
1993-94	4.24	5.86

पत्थर उद्योग पर उत्पाद शुल्क

453. **डा० रासा सिंह रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पिछले बजट में पत्थर उद्योग को संगमरमर पत्थर के समकक्ष मानते हुए उस पर उत्पाद शुल्क लगाने से यह उद्योग भीषण संकट का सामना कर रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पत्थर उद्योग में पत्थर की कटाई, इसे चिकना बनाने और सुन्दर बनाने के संबंध में क्रमशः किस दर से उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने उत्पाद शुल्क को घटाने के संबंध में राजस्थान के पत्थर व्यापारियों, संगठनों और जन प्रतिनिधियों से कई ज्ञापन प्राप्त किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संदर्भ में पत्थर उद्योग की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए कर-विशेषज्ञों के एक दल को भेजा था और क्या सरकार ने सदन में भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया था; और

(च) यदि हां, तो कर-विशेषज्ञों के उक्त दल की क्या रिपोर्ट है और सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में पत्थर उद्योग को बचाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पिछले बजट में पत्थर पर संगमरमर की पट्टियों, टाइलों आदि के बराबर शुल्क नहीं लगाया गया था । दूसरी ओर शीर्ष सं० 68.07 के अंतर्गत आने वाली पत्थर की वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया था ।

(ख) से (च) ऊपर (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के वेतन-मानों संबंधी गुप्ता समिति

454. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन-मान में विसंगतियों की जांच करने के लिए श्री आर०सी० गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जैसा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उनके द्वारा वर्ष 1991 में श्री आर०सी० गुप्ता की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था, जिने अपनी रिपोर्ट फरवरी 1992 में प्रस्तुत की थी । रिपोर्ट पर सरकार/नाबार्ड द्वारा विचार किया गया था और नाबार्ड द्वारा मार्च 1993 में, बैंकों को समुचित अनुदेश जारी किए गए थे । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (एन आई टी) के निर्णय को कार्यान्वित करने की प्रणाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी) के कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम उपलब्ध कराना, प्रायोजक बैंकों की तुलना में आर आर बी के पदों की समानता पर स्पष्टीकरण और आर आर बी कर्मचारियों के निर्धारण से संबंधित विभिन्न पहलू शामिल हैं ।

[अनुवाद]

बौद्धिक संपदा अधिकार पर समिति

455. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी प्रकाशनों को गैर-कानूनी ढंग से प्रकाशित करने और उनकी बिक्री को रोकने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के अन्तर्गत एक समिति का गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कदाचार को रोकने के लिए दूसरे कौन से ठोस कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० कोला वुल्ली रमैया) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) सरकारी कार्य के प्रकाशनाधिकार के उल्लघंन संबंधी मामलों पर प्रकाशनाधिकार अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है ।

[हिन्दी]

रुग्ण इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता

456. **डा० अरविन्द शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितनी इकाइयां रुग्ण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में रुग्ण इकाइयों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रुग्ण इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु राज्य-वार कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं; और

(घ) लम्बित प्रस्तावों को कब तक निपटाए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण जोन की परियोजनाएं

457. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी स्थापना के समय से ही अनिश्चितताओं से घिरे होने के कारण विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण जोन में अंतत: सुधार हुआ है;

(ख) क्या केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 350 करोड़ रुपये की अनुमानित निवेश की 4 परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के कारण विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण जोन से भारी मदद मिली है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण जोन फेस-2 की त्वरित मंजूरी के लिए संपर्क किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण जोन फेस-2 के प्रस्ताव पर सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण जोन को कितनी धनराशि जारी किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० कोला वुल्ली रमैया) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम निर्यात संसाधन क्षेत्र जो 163 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, प्रथम चरण की बुनियादी मूलभूत सुविधाओं के पूरा हो जाने पर 1.4.1993 से चालू कर दिया गया है । राज्य सरकार द्वारा एक सुसम्बद्ध खण्ड में भूमि का हस्तांतरण करने के बाद इस क्षेत्र के विकास का कार्य संतोषप्रद ढंग से आगे बढ़ा है । इस क्षेत्र में अब तक स्थापना के लिए 18 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है जिनमें 205 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित निवेश वाली हाल ही में स्वीकृत 4 परियोजनाएं शामिल हैं और इनसे वाणिज्यिक व्यापार के प्रारम्भ होने से 5 वर्षों से अधिक की अवधि में 1708 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात होने का अनुमान है ।

(ग) से (ङ) चूंकि, फेस-1 में इकाईयों को आबंटित करने के लिए विकसित क्षेत्र वर्तमान में उपलब्ध है, इसलिए वी ई पी जेड में फेस-2 के विकास पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा ।

रुपये की विनिमय दर

458. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री वी०वी० राघवन :
श्री जार्ज फर्नांडीस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान अमरीकन डालर के मुकाबले रुपये की वास्तविक रूप से प्रभावी विनिमय दर 7 से 8 प्रतिशत तक बढ़ी है;

(ख) क्या भारत से निर्यात में गिरावट आने का यह मुख्य कारण है;

(ग) यदि हां, तो क्या रुपये की वास्तविक रूप से प्रभावी विनिमय दर प्रदर्शित करने के वास्ते कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) अमरीकी डालर की तुलना में रुपये की द्विपक्षीय वास्तविक विनिमय दर अक्टूबर, 1996 के स्तर की तुलना में अक्टूबर, 1997 में लगभग 2 प्रतिशत बढ़ जाने का अनुमान है ।

(ख) हाल की अवधियों में निर्यात वृद्धि में गिरावट का कारण अन्य बातों के साथ-साथ विश्व बाजार में विनिर्माण वस्तुओं की कीमतों में मन्दी के साथ-साथ विश्व व्यापार में गिरावट, प्रति-मुद्रा विनिमय दरों में स्थिरता और घरेलू औद्योगिक गतिविधियों में मन्दी को माना जा सकता है ।

(ग) से (ङ) रुपये की विनिमय दर मांग और आपूर्ति के बाजार दबावों द्वारा निर्धारित होती है । विनिमय दर के उतार-चढ़ाव को लगातार मानीटर किया जाता है तथा सुव्यवस्थित बाजार दशाओं को बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि रुपये की विनिमय दर आर्थिक आधारभूत तत्वों के साथ सामंजस्य में बनी रहे, जब कभी आवश्यक हों उपाय किए जाते हैं ।

सीमेंट की मांग व आपूर्ति

459. **श्री केशव महंत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) देश में सीमेंट की मांग तथा आपूर्ति कुल कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने सीमेंट के निर्यात की दृष्टि से "सर्वाधिक महत्वपूर्ण" वस्तु के रूप में पहचान की है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सीमेंट का कुल कितना निर्यात किया गया?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों में सीमेंट का वर्ष-वार उपभोग और उत्पादन इस प्रकार है :-

		(मिलियन टनों में)
वर्ष	उत्पादन	उपभोग
1994-95	62.35	60.67
1995-96	69.63	68.07
1996-97	76.22	74.39

(ख) जी, हां ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान सीमेंट और क्लींकर का कुल निर्यात इस प्रकार रहा है :-

	(लाख टनों में)
वर्ष	सीमेंट और क्लींकर का निर्यात
1995-96	2.4
1996-97	2.7

स्पेन के साथ द्विपक्षीय व्यापार

460. **श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्पेन के साथ द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कौन-कौन से क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) 1997-98 के लिए तैयार किए गए विस्तार कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बोली बुल्ली रमैया) : (क) सरकार का यह प्रयास है कि स्पेन सहित सभी व्यापारिक सहभागियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार किया जाए ।

(ख) अभिज्ञात क्षेत्रों में ये शामिल हैं : समुद्री उत्पाद, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, इलैक्ट्रानिक और इंजीनियरी वस्तुएं, खनन उत्पाद, चमड़ा तथा खेलकूद का सामान, संगमरमर और ग्रेनाइट, कॉफी, चाय, कालीन, रेशम, कृषिजन्य वस्तुएं, प्रसंस्कृत खाद्य तथा रसायन आदि ।

(ग) भारत-स्पेन संयुक्त आयोग तथा भारत-स्पेन संयुक्त व्यापार परिषद् की बैठकें मैड्रिड में मई, 1997 में हुई थी जहां द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाने वाले उपायों का पता लगाया गया, जिनमें शामिल थे – व्यापार शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में सहभागिता, स्पेन में भारत के साहित्य का प्रचार-प्रसार करना । सरकारी तथा व्यापार शिष्टमंडल दोनों ने ही बिलबाओं, जो उत्तरी स्पेन का मुख्य पत्तन है, का दौरा किया ताकि वे उस क्षेत्र में उद्यमियों के साथ व्यापार तथा औद्योगिक संबंध स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके । अक्तूबर, 1997 में स्पेन सरकार ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में विशाल औद्योगिक तथा निवेश मेले का आयोजन किया जिसे एक्पोटेक्निया के नाम से पुकारा जाता है जिसका उद्देश्य स्पेन उद्योग का प्रदर्शन करना तथा भारत से स्पेन में निवेश को आमंत्रित करना था । इन कार्यकलापों के फलस्वरूप आगामी वर्षों में व्यापार के पर्याप्त मात्रा में विविधीकृत होने तथा बढ़ने की संभावना है ।

नाबार्ड द्वारा जारी किए गए ऋण

461. **श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान देश के कृषि क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्य-वार कुल कितनी ऋण राशि जारी की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान पूरे देश के लिए जारी किए गए ऋण का राज्य-वार अनुपात क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अ०जा०/अ०ज०जा० के उद्यमियों का ऋण

462. **श्री अशोक प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत देश में विशेषकर उ०प्र० अ०जा०/अ०ज०जा० के उद्यमियों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिए गए ऋणों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान दिए गए ऋण निर्धारित लक्ष्यों से कम थे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के मार्गनिर्देशों में अ०जा०/अ०ज०जा० उधारकर्ताओं के लिए 22.5 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है । पिछले तीन वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर दोनो पर इस योजना में अ०जा०/अ०ज०जा० उधारकर्ताओं की भागीदारी पिछले तीन वर्ष के दौरान 9.7 प्रतिशत और 13.6 प्रतिशत के बीच रही है । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्रायोजक एजेंसियों को पात्र अ०जा०/अ०ज०जा० उधारकर्ताओं से पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं । इसके अतिरिक्त, पी एम आर वाई के क्रियान्वयन से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गए विभिन्न अध्ययनों से यह पता चलता है कि अ०जा०/अ०ज०जा० उधारकर्ता पी एम आर वाई के अन्तर्गत जोखिम भरे स्वरोजगार उद्यमों की तुलना में सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं में वेतनभोगी रोजगार को तरजीह देते हैं ।

विवरण-I

पी एम आर वाई कार्यक्रम वर्ष 1994-95

31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष की स्थिति दर्शानेवाली रिपोर्ट

(रु० लाख)

बैंक का नाम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			कुल स्वीकृत ऋणों में से अ०जा०/अ०ज०जा० को स्वीकृत किए गए ऋण		
	लक्ष्य	जोड़ संख्या	ऋण राशि	संख्या	राशि	कालम 2 की तुलना में 5 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	25000	18356	10429.02	2841	1369.40	11.4
2. अरुणाचल प्रदेश	250	159	98.30	34	31.20	13.6
3. असम	6600	5582	4209.90	887	596.72	13.4
4. बिहार	22150	11364	8407.80	1940	989.21	8.8
5. गुजरात	8500	5775	2409.35	667	280.19	7.8
6. गोवा	520	315	213.91	11	5.00	2.1
7. हरियाणा	4100	4297	2096.99	370	148.28	9.0
8. हिमाचल प्रदेश	2100	2276	1157.62	306	148.50	14.6
9. जम्मू एवं कश्मीर	2000	2041	1258.20	100	50.29	5.0
10. कर्नाटक	15000	12375	5943.30	1116	428.61	7.4
11. केरल	15000	11367	5593.37	887	403.74	5.9
12. महाराष्ट्र	20500	21518	10382.24	2598	1059.97	12.7
13. मणिपुर	2000	1834	1175.90	257	152.33	12.9
14. मध्य प्रदेश	20000	19839	12361.27	2644	1366.58	13.2
15. मेघालय	300	282	187.40	153	85.52	51.0

1	2	3	4	5	6	7
16. मिजोरम	250	193	165.13	111	27.65	44.4
17. नागालैंड	250	205	183.59	75	52.38	30.0
18. उड़ीसा	6570	5393	3701.45	561	318.21	8.5
19. पंजाब	4900	5118	3033.13	665	324.10	13.6
20. राजस्थान	8300	7082	3874.69	1306	580.74	15.7
21. सिक्किम	250	58	30.24	13	8.00	5.2
22. त्रिपुरा	1000	775	626.95	84	48.95	8.4
23. तमिलनाडु	17400	13880	7508.12	1268	642.26	7.3
24. उत्तर प्रदेश	27400	20901	11644.75	2693	1407.30	9.8
25. प० बंगाल	22900	8941	4366.92	1334	602.95	5.8
26. रा०रा० क्षेत्र, दिल्ली	4540	1936	1014.20	185	81.94	4.1
27. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	250	52	34.49	6	3.51	2.4
28. चण्डीगढ़	150	213	151.69	17	8.28	11.3
29. दादर और नगर हवेली	250	215	170.40	43	30.61	17.2
30. दमन और दीव	250	36	24.66	8	5.45	3.2
31. लक्ष्य द्वीप	75	0	0.00	-	-	0.0
32. पाण्डिचेरी	460	341	137.49	45	64.35	9.8
33. विनिर्दिष्ट नहीं	-	-	-	-	-	-
अखिल भारत :	239215	182718	102592.47	23225	11322.22	9.7

विवरण-II

पी एम आर वाई कार्यक्रम वर्ष 1995-96

मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष की स्थिति दर्शानेवाली रिपोर्ट

(रु० लाख)

बैंक का नाम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			कुल स्वीकृत ऋणों में से अ०जा०/अ०ज०जा० को स्वीकृत किए गए ऋण		
	लक्ष्य	जोड़ संख्या	ऋण राशि	संख्या	राशि	कालम 2 की तुलना में 5 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	31900	29776	16424.26	4613	2331.92	14.5
2. अरुणाचल प्रदेश	300	256	190.81	242	179.40	80.7
3. असम	10125	8784	6773.43	1762	1403.96	17.4
4. बिहार	22150	17100	12571.35	3107	2241.03	14.0
5. गुजरात	8500	10455	4499.29	1313	524.64	15.4
6. गोवा	550	514	386.69	28	15.06	5.1
7. हरियाणा	7480	9003	4741.65	781	403.62	10.4
8. हिमाचल प्रदेश	2100	2570	1476.49	438	206.72	20.9
9. जम्मू एवं कश्मीर	3152	2658	1810.52	143	97.41	4.5
10. कर्नाटक	17700	15877	8802.55	1912	902.88	10.8
11. केरल	16000	14211	7405.03	1427	692.41	8.9

1	2	3	4	5	6	7
12. महाराष्ट्र	35980	40070	19383.38	5643	2687.48	15.7
13. मणिपुर	4000	1272	1113.24	269	216.44	6.7
14. मध्य प्रदेश	27050	30592	20360.76	5133	3164.56	19.0
15. मेघालय	550	534	415.77	492	372.46	89.5
16. मिजोरम	250	250	230.99	117	86.06	46.8
17. नागालैंड	300	295	228.78	264	206.64	88.0
18. उड़ीसा	8310	7941	5881.70	1280	827.28	15.4
19. पंजाब	15000	15312	9088.77	2372	1276.76	15.8
20. राजस्थान	14000	9936	5231.75	1602	719.80	1.4
21. सिक्किम	200	161	81.86	30	16.47	15.0
22. त्रिपुरा	1300	1407	964.85	313	224.96	24.1
23. तमिलनाडु	22870	18311	9950.35	2363	1130.50	10.3
24. उत्तर प्रदेश	42613	34477	20151.47	5689	3092.92	13.4
25. प० बंगाल	25950	11535	6962.38	1699	1145.84	6.5
26. रा०रा० क्षेत्र, दिल्ली	4550	4358	2331.89	532	255.43	11.7
27. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	100	92	57.64	16	11.29	16.0
28. चण्डीगढ़	150	177	138.27	19	15.15	12.7
29. दादर और नगर हवेली	150	188	128.05	81	55.38	54.0
30. दमन और दीव	100	44	27.81	6	2.20	6.0
31. लक्ष्य द्वीप	50	35	24.00	35	24.00	70.0
32. पाण्डिचेरी	500	402	170.83	46	19.06	9.2
33. विनिर्दिष्ट नहीं	-	11	5.33	2	0.72	-
अखिल भारत :	321360	288604	168011.94	43769	24550.45	13.6

विवरण-III

पी एम आर वाई कार्यक्रम वर्ष 1996-97

मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष की स्थिति दर्शानेवाली रिपोर्ट

(रु० लाख)

बैंक का नाम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			कुल स्वीकृत ऋणों में से अ०जा०/अ०ज०जा० को स्वीकृत किए गए ऋण		
	लक्ष्य	जोड संख्या	ऋण राशि	संख्या	राशि	कालम 2 की तुलना में 5 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	31900	27293	15107.03	2397	1570.29	7.5
2. अरुणाचल प्रदेश	450	283	203.35	260	150.54	57.8
3. असम	15000	7789	6126.41	1174	731.02	7.8
4. बिहार	22150	17303	13065.97	2240	1619.08	10.1
5. गुजरात	8500	9502	4055.65	1132	422.95	12.3
6. गोवा	550	480	359.49	5	3.19	0.9
7. हरियाणा	[illegible]	8382	4393.05	590	292.64	8.2

1	2	3	4	5	6	7
8. हिमाचल प्रदेश	2100	2398	1354.24	280	159.17	18.3
9. जम्मू एवं कश्मीर	3500	1240	901.82	94	50.13	1.7
10. कर्नाटक	17700	15791	8944.87	1997	1059.68	11.3
11. केरल	15000	14090	7544.17	1211	668.10	8.1
12. महाराष्ट्र	35900	36620	18665.23	4869	2275.13	13.6
13. मणिपुर	3000	1799	1566.96	285	219.93	9.5
14. मध्य प्रदेश	27050	31465	20275.37	4143	2518.69	15.3
15. मेघालय	825	495	378.41	356	213.20	43.2
16. मिजोरम	375	225	208.83	225	208.83	60.0
17. नागालैंड	450	306	243.89	255	188.93	56.7
18. उड़ीसा	8250	7289	5333.73	958	559.67	11.6
19. पंजाब	8600	9889	5981.74	1309	743.57	15.2
20. राजस्थान	10400	10256	5629.46	1510	736.48	14.5
21. सिक्किम	200	126	58.97	92	38.49	46.0
22. त्रिपुरा	1950	1355	937.94	585	267.17	30.0
23. तमिलनाडु	21800	13758	7264.37	1511	639.14	6.9
24. उत्तर प्रदेश	35813	33287	19616.46	3493	1908.51	9.8
25. प० बंगाल	22900	8585	5364.21	1053	627.84	4.6
26. रा०रा० क्षेत्र, दिल्ली	4550	1859	996.88	160	75.78	3.5
27. अण्डमान और निकोबार द्वीप समुह	100	81	48.66	43	21.60	45.0
28. चण्डीगढ़	150	148	118.11	9	6.97	6.0
29. दादर और नगर हवेली	150	173	115.41	79	54.06	52.7
30. दमन और द्वीव	100	24	16.85	-	-	0.0
31. लक्ष्य द्वीप	50	36	29.27	36	29.27	72.0
32. पाण्डिचेरी	500	270	115.72	28	10.41	5.6
33. विनिर्दिष्ट नहीं	2	18	11.55	2	0.36	100.0
अखिल भारत :	307163	262415	155034.07	32383	18069.87	10.5

[अनुवाद]

रुग्ण कोयला खानें

463. **श्री नवीन पटनायक** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कोयला खानों में घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कोयला खानों को पुन: चालू करने अथवा बंद करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान, निम्नलिखित 381 खानों को घाटे उठाने पड़े :-

क्र०सं०	कंपनी	घाटा उठाने वाली कंपनियों की सं०
1.	ई०सी०एल०	109
2.	बी०सी०सी०एल०	61
3.	सी०सी०एल०	51
4.	डब्लू०सी०एल०	36
5.	एस०ई०सी०एल०	27
6.	एम०सी०एल०	29
7.	एन०ई०सी०/सी०आई०एल०	06
8.	एस०सी०सी०एल०	62
	जोड़ :	381

(ग) से (ङ) कोयला कंपनियों ने घाटा उठाने वाली खानों के पुनरुत्थान हेतु कई कदम उठाए हैं:-

(1) श्रम शक्ति का पुनर्गठन ।

(2) उत्पादन में वृद्धि किए जाने हेतु अल्प-कालीन योजनाएं ।

(3) एस०डी०एल० एवं एल०एच०डी० द्वारा शारीरिक रूप से की जाने वाली कोयले की लदान को प्रतिस्थापित किया जाना ।

(4) जहां भी व्यवहार्य हो, वहां भूमिगत खानों को ओपनकास्ट खानों में परिवर्तित किया जाना ।

(5) उपकरणों का समुचित प्रयोग ।

(6) बेहतर अनुरक्षण, कल-पुर्जों की पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रचालकों तथा अनुरक्षण कार्मिकों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना ।

(7) कड़े लागत नियंत्रण उपाय ।

(8) प्रेषणों के बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन उत्पादित किया जाना ।

किन्तु, वर्ष 1996-97 के दौरान, 6 खानों (ई०को०लि० में चार तथा दे०को०लि० में दो) को बंद कर दिया गया क्योंकि भू-खनन परिस्थितियों, सुरक्षा कारणों तथा अपर्याप्त खनन भण्डारों के कारण इन खानों के पुनरुत्थान योजना असफल हो गई थी ।

कालीनों के आयात पर प्रतिबंध

464. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने भारत से कालीनों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिबंध के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) प्रतिबंध परिहार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रामैया): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमरीकी सरकार के कोष, डाक सेवाओं और सामान्य विनियोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत हाल ही में एक संशोधन किया गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाय :-

"धारा 633, इस अधिनियम में संयुक्त राज्य सीमा-शुल्क सेवाओं के लिए उपलब्ध कराए गए कोषों में से किसी भी कोष का उपयोग किसी सामान, बर्तन, वस्तु या बल प्रयोग द्वारा खुदाई माल या बंधुआ बाल श्रमिकों द्वारा उत्पादित उत्पाद के संयुक्त राज्य में आयात करने के लिए नहीं किया जा सकता है जैसा कि 1930 के टैरिफ अधिनियम (19 यू.एस.सी.1307) की धारा 307 के अनुसरण में निर्धारित हो"

ऐसी संभावना है कि इस संशोधन से भारत से होने वाली कालीन के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) सरकार द्वारा इस नियम से देश से बाहर होने वाले कालीन के निर्यात पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं: भारतीय कानून के संदर्भ में यू.एस. कानून तथा इसकी जटिलता की जांच करना, आई एल ओ में श्रम मानकों से संबंधित कारणों से व्यापार प्रतिबंध उपायों के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए गहन प्रयास करना; इस मामले को औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से डब्ल्यू.टी.ओ. में उठाने पर विचार करना; इस मामले को यू.एस. सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर उठाना; संयुक्त राज्य के भारतीय कालीन के प्रमुख अमरीकी आयातकों के साथ बातचीत करना; कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा संयुक्त राज्य को प्रतिनिधिमंडल भेजना, प्रचार अभियान चलाना, कालीन व्यापार द्वारा स्वैच्छिक आचार संहिता अपनाना ।

ढांचागत विकास वित्त निगम (आई डी एफ सी)

465. **श्री चिन्तामन वानगा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ढांचागत विकास वित्त निगम गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ढांचागत विकास के लिए निवेश करने पर सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो आई डी एफ सी द्वारा शुरू किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) आधारित विकास वित्त कंपनी लिमिटेड (आई डी एफ सी) को विशेषरूप से देश में आधारभूत क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक विशेषज्ञ वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 30 जनवरी, 1997 को एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था ।

(ख) आई डी एफ सी ने सूचित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों में से अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, कंपनी की शेयर पूंजी में 20 मिलियन अमरीकी डालन तक का अंशदान करने के लिए सहमत हो गया है ।

(ग) आई डी एफ सी का उद्देश्य आधारभूत परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक रूप से अर्धक्षम आधार पर निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देना होगा । आई डी एफ सी आधारभूत क्षेत्र के आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों के संबंध में व्यावहारिक होगा । यह विश्वस्थ परियोजनाओं का पोषण और विकास करेगा तथा

आधारभूत तत्व के लिए ढांचागत वित्त-पोषण में विशेषज्ञता का भी विकास करेगा । अपने परिचालन के प्रारंभिक चरण में, आई डी एफ सी विद्युत, दूरसंचार, सड़कों एवं राजमार्गों, पत्तनों और शहरी वित्त के क्षेत्रों में सक्रिय होगा ।

अल्पसंख्यकों को ऋण/अग्रिम

466. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋण/अग्रिम का विवरण नियमित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक को भेजते हैं;

(ख) इन "रिटर्न" की जांच और अनुवर्ती कार्य के लिए क्या व्यवस्था है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण/अगिम राशि दिए जाने के संबंध में वार्षिक लक्ष्य क्या था और कितनी राशि उपलब्ध कराई गई; और

(घ) उन बैंकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य से कम और अपर्याप्त ऋण/अग्रिम राशि उपलब्ध कराई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के संबंध में ब्यौरे छमाही आधार पर जमा करते हैं । सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई विवरणियों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है और समेकित विवरण को प्रशासनिक मंत्रालयों ओर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भेजा जाता है । जब कभी देरी का पता चलता है तो भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों से उपचारी उपाय करने के लिए कहता है ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च 1994, मार्च 1995 और मार्च 1996 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार देश में अल्पसंख्यक समुदायों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (शेष बकाया राशि) से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है :

(खाते लाख में)
(राशि रुपये लाख में)

मार्च 1994 को समाप्त वर्ष		मार्च 1995 को समाप्त वर्ष		मार्च 1996 को समाप्त वर्ष	
खातों की सं०	बकाया राशि	खातों की सं०	बकाया राशि	खातों की सं०	बकाया राशि
59.11	6351.61	61.20	6946.79	64.43	7916.23

अल्प संख्यक समुदाय की बहुलता वाले क्षेत्र के रूप में पहचान किए गए 41 जिलों में से 18 में अल्प संख्यक समुदायों को दी गई ऋण सुविधाओं का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चलता है कि बैंकों द्वारा अल्प संख्यक समुदायों के सदस्यों को दी गई सहायता आमतौर पर पर्याप्त थी । भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अल्प संख्यक समुदायों को ऋण का प्रवाह सुकर बनाने और जिला परामर्शदात्री समिति (डी सी सी) और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) की बैठकों में की गई प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए कहा है ।

[हिन्दी]

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973

467. **श्री मणी भाई रामजीभाई चौधरी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इसके कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां (ख) सरकार द्वारा नोट किया गया है कि कोयला उत्पादन तथा कोयले की मांग का प्रक्षेपण यह दर्शाता है कि नौवीं योजना के अंत में इसमें अंतराल आ जाएगा तथा इसमें दसवीं योजना अवधि के दौरान वृद्धि होगी । यद्यपि नौवीं योजना में निवेश आठवीं योजना में किए गए निवेश की तुलना में दो गुने से भी अधिक हो जाएगा, फिर भी अंतराल बना रहेगा । 1993 में कोयला खान राष्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया ताकि कंपनियां जोकि इस्पात विद्युत उत्पादन तथा अन्य उपयोग से जुडी हुई हैं, उन्हें कोयले का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जा सके । प्रत्याशित अंतराल को दृष्टिगत करते हुए सरकार द्वारा कोयला खान राष्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 में संशोधन किए जाने पर विचार किया जा रहा है ताकि कोई भी भारतीय कम्पनी कोयले का उत्खनन कर सके जिससे कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोयला खनन में निवेश में वृद्धि की जा सके ।

(ग) कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 में संशोधन किए जाने हेतु प्रस्ताव संसद में कब प्रस्तुत किया जाएगा, इस संबंध में अभी तक सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

रुपए के मूल्य में वृद्धि

468. ***श्री धीतु भाई गामीत : क्या वित्त मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1996-97 के अपने वार्षिक प्रतिवेदन में यह दिखाया है कि सोने के मूल्य में हर बार होने वाली गिरावट अमरीकी डालर की तुलना में रुपये के मूल्य में वृद्धि और अन्य मुद्राओं की तुलना में डालर के मूल्य में वृद्धि के कारण केन्द्रीय बैंक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (भा०रि०बैंक) की 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्ण धारिताओं की मात्रा अपरिवर्तनीय बनी रही, तो भी सोने की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी के कारण 1996-97 के दौरान तथा 1997-98 की पहली तिमाही में स्वर्ण धारिताओं के मूल्य में कमी आई । इसी प्रकार, 1996-97 के दौरान, अमरीकी डॉलर के रूप में, विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में वृद्धि अमरीकी डॉलर की तुलना में डॉलर-भिन्न मुद्राओं के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप मूल्यांकन ह्रास के कारण कुछ हद तक कमी आई ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विनिमय दरों और सोने की कीमतों में उर्ध्वगामी और अधोगामी घट-बढ़ सामान्य घटनाएं हैं तथा इसके परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा भण्डारों की धारिताओं में मूल्यांकन संबंधी लाभ या हानि अपरिहार्य हैं । तथापि, ऐसे मूल्यांकन परिवर्तन भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्ण धारिताओं की मात्रा या संबंधित विदेशी मुद्राओं में विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति की धारिताओं की राशि को प्रभावित नहीं करते । रिजर्व बैंक अपने अधिशेष पत्र में मूल्यांकन हानियों से होने वाली असम्भावित तथा अप्रत्याशित देयताओं को समायोजित करने में सक्षम होने के लिए आकस्मिक भण्डार भी बनाए रखता है ।

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा छोटे तथा सीमान्त किसानों को दिये गए ऋण

469 **श्री राम टहल चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा छोटे और सीमान्त किसानों को कितना ऋण दिया गया है;

(ख) क्या इन ऋणों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया में कुछ अनियमितताओं का पता लगा है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं;

(घ) उपरोक्त अवधि में ऋणों की कितनी राशि की वसूली कर ली गयी है; और

(ङ) राज्य में किसानों को बैंक द्वारा ऋण दिये जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

चैम्बरों का आबंटन

470. **श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के कुछ अधिवक्ताओं ने गत नौ महीने के दौरान उन्हें चैम्बर्स आबंटन करने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन/ज्ञापन भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप): (क) जी, हां ।

. (ख) कुछ अधिवक्ताओं ने, सरकार के पास मार्च, 1997 में यह अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन भेजा था कि डा० भगवानदास रोड् स्थित नए चैम्बरों का आबटंन ऐसी रीति से किया जाए कि 1996 तक उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट्स आन रिकार्ड के रूप में रजिस्ट्रीकृत सभी अधिवक्ताओं को, सरकार के उपलम्य संसाधनों के भीतर स्थान मिल जाते हैं ।

(ग) उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट्स आन रिकार्ड को चैम्बरों का आबटंन, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या इस निमित्त उनके द्वारा नियुक्त की गई समिति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है । तद्नुसार, उपर्युक्त ज्ञापन की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री को अग्रेषित कर दी गई थी।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का पुनर्गठन

471. **श्री धर्मभिक्षम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वित्तीय पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति सहित, यूनिट-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलीमारन): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केनरा बैंक में सतर्कता प्रभाग

472. **श्री अनंत कुमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केनरा बैंक के सतर्कता खंड का संगठनात्मक ढांचा क्या है तथा 1996-97 के दौरान बैंक के सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार, बेईमानी तथा अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक धन रखने संबंधी कितने मामलों की जांच की गई है;

(ख) ऐसे मामलों में ग्रेड-वार कितने अधिकारी लिए हैं;

(ग) 1996 तथा 1997 में भ्रष्टाचार, बेईमानी तथा धोखाधड़ी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या सतर्कता अनुभाग ने बेईमानी तथा भ्रष्टाचार के संदेह पर कर्मचारियों के खिलाफ अपनी ओर से कोई कार्यवाही शुरू की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केनरा बैंक ने अपने नियंत्रण में सतर्कता अनुभाग की शक्ति एवं कार्य संचालन की कोई समीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) केनरा बैंक में सतर्कता ढांचे में प्रधान कार्यालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी शामिल है जिसकी सहायता सतर्कता कक्ष करता है । मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता भी अंचल/मंडल में काम कर रहे 12 सतर्कता अधिकारियों द्वारा की जाती है । केनरा बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1996 और 1997 (सितम्बर तक) के दौरान 296 सतर्कता मामलों की जांच की गई/प्रारम्भ की गई ।

(ख) उपर्युक्त मामलों में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों की संख्या की ग्रेड-वार स्थिति इस प्रकार है :-

स्केल-I	54	स्केल-V	2
स्केल-II	35	स्केल-VI	1
स्केल-III	21	स्केल-VII	2
स्केल-IV	6		

(ग) वर्ष 1996 और 1997 (सितम्बर तक) के दौरान केनरा बैंक को 27 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो भ्रष्टाचार, बेईमानी और धोखाधड़ियों से संबंधित हैं;

(घ) और (ङ) केनरा बैंक में सतर्कता कक्ष ने उन 18 अधिकारियों के विरुद्ध स्व-प्रेरित कार्रवाई प्रारम्भ की है जिन पर बेईमान और भ्रष्ट होने का संदेह था;

(च) और (छ) केनरा बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने सतर्कता विभाग के कार्यकलापों और शक्तियों की पुनरीक्षा की और यह समुचित पाई गई । सतर्कता मशीनरी के कार्यकलापों के बारे में एक पुनरीक्षा टिप्पणी बैंक के निदेशक मण्डल के सम्मुख तिमाही आधार पर रखी जाती है । बैंक में सतर्कता संबधी कार्यकलापों की स्थिति के साथ-साथ सतर्कता मशीनरी के कार्यकरण के बारे में एक तिमाही नोट भी बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के समक्ष रखा जाता है ।

[हिन्दी]

कारों का उत्पादन

473. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मोटरगाड़ियों का विनिर्माण विदेशों में मांग की पूर्ति करने की दृष्टि से अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या और अधिक कारों के विनिर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब से लंबित है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) भारत में आटोमोबाइल क्षेत्र के पास घरेलू मांग को पूरा करने तथा अन्य देशों को निर्यात करने के लिए कारों के विनिर्माण हेतु पर्याप्त अधिष्ठापित क्षमता है । यह देश विभिन्न किस्मों की कारों का विनिर्माण कर रहा है जिसमें विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को जुटाने के लिए आधुनिक तथा विलासिता की कारें शामिल हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । कार का विनिर्माण लाइसेंस मुक्त है तथा इसके लिए सरकार की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।

[अनुवाद]

गोमांस का आयात

474. **जस्टिस गुमान मल लोढा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन आवश्यकता न होने पर भी भारत को स्थानीय बाजार के लिए गोमांस आयात करने की अनुमति देने के लिए दबाव डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितना गोमांस आयात किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे आयात को रोकने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सरकारी उपक्रमों पर बकाया

475. **श्रीमती कमल रानी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सरकारी उपक्रमों की संख्या कितनी है;

(ख) इन उपक्रमों पर आज तक विद्युत आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड की कितनी राशि बकाया है; और

(ग) उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड का इन उपक्रमों से बकाया की वसूली के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 18 उपक्रमों के पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में हैं । उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनमें से सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम द्वारा इस संबंध में देयता लम्बित नहीं है । उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मध्य बकाया राशि समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती है । यह मामला केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दैनिक कार्यों के अंतर्गत आता है, जिनका परिवीक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं किया जाता ।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम के चतुर्थ श्रेणी के सिख कर्मचारियों की पगड़ी को वर्दी से हटाना

476. **श्री सत्यपाल जैन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के सिख कर्मचारियों को वर्दी के भाग के रूप में पगड़ी मिलती थी;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के चतुर्थ श्रेणी के सिख कर्मचारियों की पगड़ी को वर्दी से हटा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): *(क) से (ग) जी, हां । भारतीय जीवन बीमा निगम ने यह सूचित किया है कि वर्ष 1983 से पूर्व उनके चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारियों के लिए वर्दी सूती-कमीज तथा पेंट और गैर-सिख कर्मचारियों के* मामले में टोपी तथा सिख कर्मचारियों के मामले में पगड़ी उपयोग में लायी जाती थी । कर्मचारियों की यूनियनों की मांग पर वर्ष 1983 से सूती-कमीज तथा पेंट के स्थान पर टेरीकोट कमीज और पेंट उपयोग में लायी गयी और गैर-सिख कर्मचारियों के लिए टोपी तथा सिख कर्मचारियों के लिए पगड़ी के उपयोग को समाप्त कर दिया गया था ।

शेयरों का अन्तरण

477. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य :** क्या **वित्त मंत्री** शेयरों के अन्तरण के बारे में 7 मई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4975 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांछित जानकारी एकत्र की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे सभा पटल पर कब तक रखे जाने की सम्भावना है; और

(घ) निवेशकों, विशेष रूप से उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

शुल्क अपवंचन

478. **श्री राम सागर :** क्या **वित्त मंत्री** शुल्क अपवंचन के बारे में 28 फरवरी, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1248 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) सूचना अब एकत्र कर ली गई है ।

(ख) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पाताल गंगा को 4.12.92 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें लगभग 16.4 करोड़ रुपये के के.उ. शुल्क की मांग की गई थी और जिसका न्यायनिर्णयन 28.8.96 को हुआ था । सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, मुम्बई ने अपने दिनांक 10.10.96 के आदेश द्वारा रकम पहले जमा कराने की शर्तों को समाप्त करने के लिए मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के आवेदन पत्र को रद्द कर दिया था और उन्हें आदेश की तारीख से तीन महीने के अन्दर-अन्दर कुल रकम जमा कराने का निर्देश दिया था । अब यह सूचित किया गया है कि मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि. ने 16,39,84,343/- रु. की राशि जमा करवा दी है ।

(ग) प्राप्त सूचना के आधार पर, लोक सभा के दिनांक 28.2.97 के अतारांकित प्रश्न सं. 1248 के संबंध में दिये गये आश्वासन को तीन महीने की निर्धारित अवधि के अन्दर 21.4.97 को पूरा कर लिया गया था ।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता

479. **श्री गंगा चरण राजपूत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, औषधि, ओद्योगिक अनुसंधान तथा आणविक ऊर्जा पर इस समय सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा है;

(ख) अन्य विकासशील देशों की तुलना में इस व्यय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसंधान के क्षेत्र में यह बजट बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित औद्योगिक नीति एवं सांख्यिकी पुस्तिका 1997 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चुनिन्दा देशों के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय हेतु तुलनीय आंकड़े निम्नानुसार हैं: (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उस वर्ष को दर्शाते हैं जिससे आंकड़े संबंधित हैं) अर्जेंटाइना 0.3 प्रतिशत (1996), ब्राजील 0.4 प्रतिशत (1985), भारत 0.8 प्रतिशत (1994) और इंडोनेशिया 0.2 प्रतिशत (1988) ।

(ग) से (ङ) व्यय बजट के अनुसार केन्द्र सरकार के व्यय में, 1996-97 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 1997-98 (ब०अ०) में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए 5.9 प्रतिशत, जैव प्रौद्योगिकी में 23.9 प्रतिशत, स्वास्थ्य में 11.6 प्रतिशत, औषधि (भारतीय एवं होम्यो) में 28.5 प्रतिशत, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान में 9.2 प्रतिशत तथा परमाणु ऊर्जा में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, 1997-98 के बजट में प्रौद्योगिकी विकास निधि के लिए आबंटन में वृद्धि की गई है; विज्ञान में विश्व श्रेणी के स्तरों को प्राप्त करने तथा बनाए रखने के लिए उत्कृष्ट वैज्ञानिकों के लिए "स्वर्णजयन्ती" फेलोशिप की स्थापना की है; और भारतीय उद्योग तथा सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान प्रयोगशालाओं के बीच निकट संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नए प्रोत्साहन दिए हैं । इन उपायों से वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है ।

विवरण

अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में केन्द्र सरकार का कुल व्यय

	मंत्रालय/विभाग	1996-97 (संशोधित अनुमान)	1997-98 (बजट अनुमान)
1.	कृषि	0.31	0.30
	(क) कृषि एवं सहकारिता	0.25	0.25
	(ख) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0.05	0.04
	(ग) पशुपालन एवं डेयरी विकास	0.02	0.01
2.	जैव प्रौद्योगिकी	0.01	0.01
3.	स्वास्थ्य	0.10	0.10
4.	परिवार कल्याण	0.12	0.13
5.	औषधि (भारतीय एवं होम्योपैथी)	0.00	0.00
6.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान	0.04	0.04
7.	परमाणु ऊर्जा	0.13	0.13
	जोड़ (1 से 7)	0.72	0.71

[अनुवाद]

वाणिज्य महादूतावासों का पुनर्गठन

480. **डा० रामकृष्ण कुसमरिया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के निर्यात संवर्द्धन प्रयासों को बढ़ाने के लिए सभी वाणिज्य दूतावासों के पुनर्गठन की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन वाणिज्य दूतावासों से जानकारी मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, नहीं ।

तथापि हमारे निर्यात व्यापार के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से विदेशों में स्थित भारत के वाणिज्यिक स्कंधों के कामकाज को सरल एवं कारगर बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आर्थिक विकास दर

481. **श्री के० परसुरामन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक लक्षित आर्थिक विकास दर का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक आर्थिक विकास दर की वास्तविक उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है; और;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक निर्धारित लक्षित आर्थिक वृद्धि (उपादान लागत पर सं.घ.उ. के रूप में) 5.6 प्रतिशत प्रति वर्ष थी । अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि की वास्तविक दर 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष होने की सम्भावना है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

व्यापार प्रतिबंध नीति

482. **श्री जी०ए० चरण रेड्डी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका से अपनी व्यापार प्रतिबंध संबंधी नीति की समीक्षा करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधानमंत्री के हाल के अमरीका दौरे के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति के साथ इस मसले पर बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने भारत के प्रति अपनी प्रतिबंध नीति की समीक्षा करने को तैयार हुई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) संयुक्त राज्य की सरकार ने हाल ही में कुछ भारतीय प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक उद्यमों का यू०एस० निर्यात प्रशासन विनिमयन (यू एस ई ए आर) के अंतर्गत नामों का उल्लेख किया है, जो कि इन प्रतिष्ठानों/कंपनियों द्वारा आयातित सभी वस्तुओं के लिए विशिष्ट निर्यात लाइसेंस की शर्त को अपरिहार्य बनाता है ।

इस मामले को विभिन्न शासकीय और अधिकारिक स्तरों पर दृढ़तापूर्वक उठाया गया था ताकि यू एस प्राधिकारियों को अपने निर्णय पर पुन: विचार करने हेतु मनाने के लिए अनुरोध किया जा सके ।

हालांकि कुछ प्रगति हुई है, परिणाम पूरी तरह संतोषजनक नहीं हैं तथा इस मसले पर और विचार-विमर्श जारी रहेंगे ।

औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियां

483. **श्री एन०एन० कृष्णादास :**
श्री रूपचन्द पाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के लोप के परिणामस्वरूप अधिसंख्य औद्योगिक घरानों को अब केन्द्र सरकार के पास पंजीकृत किये जाने की आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों का पता लगाने का कोई अन्य स्रोत है; और

(ग) यदि हां, तो शीर्ष एकसी औद्योगिक घरानों के क्या नाम हैं और उनके पास कितनी परिसम्पत्तियां हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अध्याय III के भाग क को 27.9.1991 से हटाए जाने के परिणामस्वरूप, कम्पनी कार्य विभाग ने औद्योगिक घरानों के अलग से आंकड़े एकत्र नहीं किए हैं ।

हेरोइन की जब्ती

481. **श्री टी० गोपाल कृष्ण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के एक वरिष्ठ एयर इंडिया कमांडर से मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर अत्यधिक परिष्कृत हेरोइन को जब्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो हेरोइन कितनी थी और इसका मूल्य क्या था तथा किन देशों की बनी हुई थी तथा कहां से आई थी;

(ग) क्या सम्पर्क करने वाले उन व्यक्तियों की पहचान कर ली गयी है जिन्हें मुम्बई में हेरोइन दी जानी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एयर इंडिया कमांडर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हां । एयर इंडिया के एक वरिष्ठ कमाण्डर से अवैध बाजार दर पर 2.16 लाख रुपये के मूल्य की 1080 ग्राम हेरोइन उस समय पकड़ी गई जब वह उड़ान संख्या ए०आई० 101 द्वारा मुम्बई से न्यूयार्क के लिए प्रस्थान कर रहा था । प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि हेरोइन का उद्गम देश भारत है और इसे संयुक्त राज्य अमरीका को भेजा जाना था ।

(ग) और (घ) जांच-पड़ताल से स्पष्ट हुआ है कि हेरोइन की मुम्बई में डिलीवरी नहीं की जानी थी ।

(ङ) इस मामले में शामिल एयर इंडिया कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है ।

हीरा प्रसंस्करण परियोजना

485. **डा० एम० जगन्नाथ :**
श्रीमती लक्ष्मी पनवाका :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापटनम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में हीरा प्रसंस्करण परियोजना सहित चार इकाइयों को स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में कुल कितना निवेश हुआ है;

(ग) क्या वर्ल्ड वाइड डाइमन्ड प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा आयातित अपरिष्कृत हीरों का प्रसंस्करण करने के लिए हीरा प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जायेगी; और

(घ) इस परियोजना से हीरों का अनुमानत: कितना निर्यात होगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रवीचा) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापना के लिए हाल ही में स्वीकृत चार परियोजनाओं में 11.83 करोड़ रुपये की अनुमानित निवेश वाली एक हीरा प्रसंस्करण परियोजना शामिल है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) वाणिज्यिक व्यापार के प्रारम्भ से पांच वर्ष से अधिक की अवधि में इस इकाई द्वारा 753.45 करोड रुपये का अनुमानित निर्यात प्रक्षेपित किया गया है ।

सामान्य भविष्य निधि अंशदान

486. **श्री एल० रमना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि अंशदान की अधिकतम सीमा निर्धारित किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के सरकारी कर्मचारियों की पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उन्हें मिलने वाली बकाया धनराशि को आर्थिक स्थिरता के हित में अपने सामान्य भविष्य निधि खाता में जमा कराने हेतु इसकी अधिकतम सीमा में छूट देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि अंशदान की सीमा का निर्धारण सामान्य भविष्य निधि (सिविल सेवा) नियमावली 1968 के तहत किया जाता है, जिसके अनुसार अंशदान वह कोई भी राशि हो सकती है जो कि कर्मचारी की कुल परिलब्धियों के 6 (छ:) प्रतिशत से कम तथा उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक न हो ।

(ख) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के कारण सरकारी कर्मचारियों को देय बकाया राशि को स्वेच्छा सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आवास वित्त कंपनियां

487. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में कितनी आवास वित्त कम्पनियां चल रही हैं;

(ख) जमाराशियों पर अदा किए जा रहे ब्याज की दर और व्यक्तियों को दिए गए आवास ऋण पर उनके द्वारा वसूले गए ब्याज की दर कितनी है;

(ग) क्या हाल ही में इन मानकों को संशोधित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सत्पाल महाराज) : (क) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 10 नवम्बर, 1997 की स्थिति के अनुसार, 389 आवास वित्त कंपनियां थीं, जिनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) से (घ) आवास वित्त कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दरें आवास वित्त कंपनियां (राष्ट्रीय आवास बैंक) निर्देश, 1989 द्वारा नियंत्रित की जाती है । इनके अनुसार, पहली नवम्बर, 1995 से इन जमाराशियों की न्यूनतम ब्याज दर 10 प्रतिशत वार्षिक है, जबकि अधिकतम ब्याज दर 15 प्रतिशत वार्षिक है । 14 मार्च, 1997 से, राष्ट्रीय आवास बैंक 50 लाख और इससे अधिक की निवल स्वाधिकृत निधियों वाली आवास वित्त कंपनियों द्वारा जमा राशियों पर दिये जाने वाले ब्याज दर की अधिकतम सीमा में प्रत्येक मामले के आधार पर ढील दे रहा है ।

व्यक्तियों को दिए गए ऋणों पर आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दर आवास वित्त कंपनियों द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती है । पुनर्वित्त के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित आवास वित्त कंपनियों के संबंध में ब्याज की अद्यतन दरें इस समय 12 प्रतिशत से 19 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न हैं ।

विद्यमान आवास वित्त कंपनियों का प्रोफाइल (10 नवम्बर, 1997 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अपनी पुनर्वित्त पात्रता के लिए एनएचबी की अनुमोदित सूची में एचएफसी				
	प्रायोजित बैंक	संस्थापक रूप से प्रायोजित	सरकारी	गैर-सरकारी	जोड़
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	1	–	1	21	23
असम	–	–	–	3	3
बिहार	–	–	–	3	3
गोवा	–	–	–	2	2
गुजरात	–	1	3	40	44
हरियाणा	–	–	–	2	2
कर्नाटक	3	–	1	24	20
केरल	–	–	–	3	3
मध्य प्रदेश	1	–	–	14	15
महाराष्ट्र	–	3	2	62	67
उड़ीसा	–	1	–	11	12
पंजाब	–	–	–	5	5
पांडिचेरी	–	–	–	2	2
राजस्थान	1	–	–	12	13
तमिलनाडु	1	–	1	34	36
उत्तर प्रदेश	–	–	–	38	38
पश्चिम बंगाल	1	–	2	46	49
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1	1	1	41	44
जोड़:	9	6	11	363	309

[हिन्दी]

मांस का निर्यात

488. **श्री परसराम भारद्वाज :**
चौधरी रामचन्द्र बैंदा :
श्री छीतुभाई गामीत :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से दूसरे देशों को मांस का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान पशु-वार और देश-वार कितना मांस निर्यात किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान मांस का पशु-वार निर्यात निम्नानुसार रहा है:-

मात्रा: मी० टन में
मूल्य: लाख रुपए में

	1994-95		1995-96		1996-97	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. भैंस का मांस	116137.6	32437.0	159704.0	55500.0	247573.8	61903.5
2. भेड़/बकरे का मांस	10819.3	6603.1	8612.8	5642.5	8691.0	7103.5
3. सुअर का मांस	741.0	252.2	908.0	262.2	352.5	136.6
4. कुक्कुट का मांस	40.5	11.0	13.7	5.4	2.0	0.9
	127738.4	39303.3	169238.5	61410.1	256619.3	69144.5

* अनन्तिम (स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

मांस का निर्यात मुख्यत: बहरीन, ब्रुनेई, फ्रांस, यूनान, ईरान, जापान, जोर्डन, कुवैत, लेबनान, मलेशिया, मलावी, मारीशस, नीदरलैंड, ओमान, फिलीपिन्स, कतर, सउदी अरब, सिंगापुर, टर्की, यू.ए.ई., यू.के., और यू.एस.ए. को किया जाता है । निर्यात के देश-वार ब्यौरे वाणिज्य जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मासिक/वार्षिक बुलेटिन में उपलब्ध है जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

[अनुवाद]

वैश्य बैंक लिमिटेड

489. **श्री जय प्रकाश (हरदोई)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्य बैंक लिमिटेड की शाखाओं का कितनी बार निरीक्षण किया;

(ख) किए गए इन निरीक्षणों के दौरान ध्यान में आई कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंक/बैंकों के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों (1995-97) के दौरान वैश्य बैंक लिमिटेड का दिनांक 29 दिसम्बर, 1995 तथा 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए निरीक्षण किया गया था ।

(ख) शाखाओं का निरीक्षण चुनींदा आधार पर किया जाता है और सभी बैंकों का निरीक्षण नहीं किया जाता । भारतीय रिजर्व बैंक का निरीक्षण अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश/मार्गनिर्देशों और साथ ही स्वयं बैंक के प्रबंधकों द्वारा आन्तरिक रूप से निर्धारित नीतियों एवं क्रियाविधियों के अनुपालन का मूल्यांकन करने पर केन्द्रित होता है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बिलों, तात्कालिक ऋणों तथा शेयरों पर अग्रिम के संबंध में अपने निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए वैश्य बैंक लि० पर 20 लाख रु० का अर्थदंड लगाया है ।

[अनुवाद]

एम०एम०टी०सी०/एस०टी०सी० में रिक्त पद

490. **श्री कड़िया मुन्डा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी लंबे समय से भारतीय राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के उनके दिल्ली/नई दिल्ली कार्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्ग की आरक्षित श्रेणियों में समूह "घ" के अनेक पद (चपरासी/फ्राश) खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो सीधी भरती से भरे जाने वाले इन खाली पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) एस०टी०सी० में कोई भी ग्रुप "घ" पद नहीं है । एस०सी०टी० में चपरासी इत्यादि निम्नतम श्रेणी के पद ग्रुप "ग" में आते हैं और इस श्रेणी में एस०सी०/एस०टी० तथा ओ०बी०सी० के लिए आरक्षित कोई भी रिक्ति नहीं है ।

एम०एम०टी०सी० के मामले में इसके निगमित कार्यालय में ग्रुप "घ" में एस०टी० श्रेणी का एक पद रिक्त है । इस पद को सीधी भर्ती के जरिए भरा जाना है जिसके लिए एम०एम०टी०सी० ने कार्रवाई आरम्भ कर दी है ।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के पेंशन भोगियों को पेंशन

491. **कर्नल सोना राम चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों से राजस्थान के अविकसित पिछड़े और रेगिस्तानी क्षेत्र के पेंशन भोगियों को थार आंचलिक ग्रामीण बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विशेष रूप से वृद्ध लोगों को हो रही अनेक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए थार आंचलिक ग्रामीण बैंक जो दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, के माध्यम से पेंशन का संवितरण करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय और रक्षा लेखा नियंत्रक जो कि क्रमशः सिविलियन और रक्षा-कर्मियों को पेंशन भुगतान का कार्य करते हैं, ने पुष्टि की है कि उन्हें थार आंचलिक ग्रामीण बैंकों के माध्यम से पेंशनरों को पेंशन भुगतान करने संबंधी कोई अभ्यावेदन राजस्थान के अविकसित, पिछड़े, रेगिस्तानी क्षेत्र के सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

हस्तशिल्प में यू०एन०डी०पी० की सहायता

492. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा यू०एन०डी०पी० का विचार दक्षिण भारत में हस्तशिल्प की वर्तमान संभावना का दोहन करने के लिए "वुड क्राफ्टस" शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो नई परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी होगी;

(ग) क्या प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा काष्ठ शिल्प के डिजाइन विकास पर ध्यान देने के लिए मैसूर में "वुड सीजनिंग" संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा): (क) से (घ) जी, हां। सरकार का यू०एन०डी०पी० की सहायता से दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत में हस्तशिल्प की वर्तमान संभावना का दोहन करने के लिए "काष्ठ आधारित हस्तशिल्पों के निर्यात संवर्धन" की परियोजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । इस नई परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 5.60 करोड़ रुपये है । इस परियोजना के अन्तर्गत केवल त्रिवेन्द्रम तथा जोधपुर में वुड सीजनिंग संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ।

[हिन्दी]

नये कोयला भण्डार

493. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में कोयले के एक विशाल भंडार का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो वहां कितना कोयला उपलब्ध है; और

(ग) इसका खनन कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) मध्य प्रदेश के रायगढ जिला में मांड-रायगढ़ कोलफील्ड का एक बड़ा भाग शामिल है । भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) द्वारा 1.1.1997 की स्थिति के अनुसार 9824.63 मि०टन कुल कोयले का भंडार (600 मीटर की गहराई तक) का आंकलन किया गया है । इनमें से 7843.90 मि० टन कोयला प्रमाणित/निर्दिष्ट श्रेणी का है तथा 1980.73 मि०टन निम्न श्रेणी में आते हैं । प्रमाणित तथा निर्दिष्ट श्रेणी के कोयले के भंडारों का ग्रेड-वार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

ग्रेड (अकोकर कोयला)	मात्रा (मिलियन टन में)
ए	208.44
बी	105.09
सी	350.15
डी	642.73
ई, एफ और जी	6537.49

(ग) रायगढ़ कोलफील्ड में दो भूमिगत खान तथा एक ओपनकास्ट खान प्रचालन में है ।

न्यायाधिकरण

494. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्याय में विलम्ब को रोकने और शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से कुछ न्यायाधिकरण गठित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो ये न्यायाधिकरण कब गठित किए गए थे;

(ग) क्या इन न्यायाधिकरणों के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आज तक, न्यायाधिकरण-वार कितने मामले लम्बित हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन न्यायाधिकरणों के कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप): (क), (ग), (घ) और (च) इन अधिनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले मामलों को निपटाने के लिए विभिन्न अधिनियमों के अधीन सरकार द्वारा अनेक अधिकरण स्थापित किए गए हैं । ये अधिकरण, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं । भारत के विधि आयोग ने अधिकरणों के कार्यकारण पर अध्ययन आरम्भ किया है ।

(ख) और (ङ) आय-कर अपील अधिकरण और विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड, जो विधि और न्याय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं, क्रमशः 25-1-1941 और 1-1-1974 को स्थापित किए गए थे । आयकर अपील अधिकरण में (1-10-1997 को) और विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड में (18-11-1997 को) लंबित मामलों की संख्या क्रमशः 3,00,9.39 और 4,516 है ।

नई आटोमोबाइल नीति

495. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कल-पुर्जों के निर्यात की संभाव्यता का पता लगाने हेतु किसी नई आटोमोबाइल नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) एविजम नीति में आटोमोटिव हिस्से पुर्जों के निर्यात सहित निर्यातों के लिए ढांचे की व्यवस्था की गई है । चूंकि यात्री कारों के सीकेडी/एसकेडी किटों के आयात को एविजम नीति के तहत प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए वर्ष 1995 में सीकेडी/एसकेडी किटों का आयात करने के लिए संयुक्त उद्यम आटो कंपनियों को आयात लाइसेंस जारी करने के लिए नीति संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिनके अनुसार उक्त कम्पनियों का भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होते हैं । समझौता ज्ञापन के तहत निर्धारित पैरामीटरों में से एक पैरामीटर के अनुसार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनियों द्वारा उनके द्वारा लगाए गए पूर्वानुमानों के आधार पर निर्यात करना होता है । इन दिशानिर्देशों की आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

साड़ी घोटाला

496. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री दिनेश चंद्र यादव :
डा० बलिराम :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एसोशिएशन ऑफ कारपोरेशन एंड एपैक्स सोसाइटीज ऑफ हैंडलूम" [(ए०के०ए०एस०एच०) (आकाश)] द्वारा बिहार में धोती और साड़ियों की आपूर्ति में बड़ा घोटाला किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों तथा "आकाश" हथकरघा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है/की जा रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा): (क) से (ग) एसोसिएशन ऑफ कारपोरेशन एण्ड एपैक्स सोसाइटीज ऑफ हैंडलूम [(ए०के०ए०एस०एस०एच० (आकाश)] द्वारा बिहार सरकार को हथकरघा के स्थान पर पावरलूम पर तैयार की गई कुछ धोतियों तथा साड़ियों की आपूर्ति के आरोप की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । मामले को तत्काल प्राथमिक पूछताछ के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दिया गया था । वस्त्र मंत्रालय के अन्तर्गत वस्त्र आयुक्त द्वारा आंतरिक पूछताछ भी की गई

थी। यह जांच के लिए पुन: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा गया था । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामले को पंजीकृत किया तथा मामला उनके जांचाधीन है । कुल वास्तविक आपूर्ति में से बिहार सरकार को लगभग 35.40 करोड़ की आपूर्ति की गई, पावरलूम पर उत्पादित उत्पाद की आपूर्ति का वास्तविक मूल्य पूछताछ के बाद मालूम होगा ।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के परिणामों की प्राप्ति बकाया, आकाश के तत्कालिक अध्यक्ष को स्थामान्तरित कर दिया गया है तथा मामले से संबंधित आकाश का एक पदाधिकारी निलंबनाधीन है।

कोयले के मूल्यों से नियंत्रण उठाना

497. **श्री शरत पटनायक :**
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला कंपनियों के आंतरिक वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने हेतु कोयले के मूल्यों को नियंत्रण मुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के नई परियोजनाओं के कार्यान्वियन और विद्यमान खानों के आधुनिकीकरण में कहां तक सुविधाजनक बनने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा कोल इंडिया लि० के "कैप्टिव" खानों के अनुमानत: 18856 मिलियन टन वाले संरक्षित ब्लाकों का भी पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पता लगाये गए ऐसे कोयला ब्लाकों का क्या ब्यौरा है और उन निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के क्या नाम हैं जिन्हें खानों की खुदाई का काम दिया है; और

(ङ) इन खनन ब्लाकों को कब तक "कैप्टिव" खनन के लिए सौंप दिया जाएगा?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां । कोकेकर कोयला तथा "ए", "बी", "सी" तथा "डी" ग्रेड के अकोकेकर कोयला तथा हार्ड कोक तथा सापट कोक की कीमतों को विनियंत्रित कर दिया गया है ताकि कोयला कंपनियां कोयला परियोजनाओं तथा विस्तार कार्यक्रम में पुनर्निवेश हेतु आंतरिक वित्तीय संसाधनों को जुटा सकें ।

(ख) कोयले की कीमतों के विनियंत्रण से कोयला कंपनियों की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हुई है । इससे नई परियोजनाओं के वित्त-पोषण हेतु निधि जुटाने के लिए ऋण-बाजार से संपर्क करने में तथा सरकार द्वारा बजटीय सहायता प्रदान करने पर आश्रित हुए बिना विद्यमान खानों को आधुनिकीकरण करने में सहायता प्राप्त हुई है ।

(ग) और (घ) जी, हां । ग्रहीत कोयला खनन के लिए 47 अकोकेकर कोयला खनन ब्लाकों तथा 9 कोकेकर कोयला खनन ब्लॉकों को विनिर्दिष्ट किया गया है । अब तक 20 पार्टियों को विद्युत उत्पादन तथा लौह तथा इस्पात उत्पादन हेतु कोयले का खनन किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है । विनिर्दिष्ट ग्रहीत खनन ब्लाकों का ब्यौरा तथा संबद्ध पार्टियों का नाम संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

(ङ) इच्छुक ग्रहीत खनन पार्टियों को, उनके प्रस्तावों पर मंत्रालय में गठित जांच समिति के द्वारा विचार किए जाने के बाद, इन ब्लाकों को विनिर्दिष्ट किया गया है । खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (एम०एम०आर०डी० अधिनियम, 1957) एवं खनिज रियायत नियम, 1960 के अंतर्गत विहित प्रक्रियाओं के अनुसार खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए पार्टियों को संबद्ध राज्य सरकारों के पास आवेदन करना पड़ता है। 5 पार्टियों के मामले में संबद्ध राज्य सरकार द्वारा एम०एम० (आर०डी०) अधिनियम, 1957 की धारा 5 के अधीन खनन पट्टा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति मांगी गई है तथा 4 मामलों में स्वीकृति दे दी गई है । पार्टियों को, उनके द्वारा संबद्ध संविधियों के अंतर्गत सांविदिक अपेक्षाओं को पूरा कर लेने के बाद खनन प्रचालन संबंधी क्रियाकलाप प्रारंभ करने के लिए ग्रहीत खनन ब्लॉक प्रदान किए जा सकते हैं ।

विवरण

क्र०सं०	नाम	अंतिम उपयोग	कोलफील्ड्स जिसमें ब्लाक विनिर्दिष्ट/ निर्दिष्ट किए गए अथवा स्थित हैं	खनन ब्लाक/ उप-ब्लाकों का संयोजन	भू-गर्भीय भंडार (पि०ट०)
1	2	3	4	5	6
1.	आर०पी०जी० इंडस्ट्रीज/सीईएससी लि०	विद्युत उत्पादन	रानीगंज महान	सरिसाटोली	147.52
2.	मैसर्स कलिंगा पावर कारपोरेशन	- तदैव -	तलचर	उत्कल-ए	304.00
3.	मैसर्स निप्पोन डेनरो इस्पात लि०	- तदैव -	वर्धा/बंडेर	बारंज-I-IV	64.31
				बंडेर	110.00
				लोहारा वेस्ट	120.50
4.	मैसर्स गुजरात पावर कारपोरेशन	- तदैव -	ईब घाटी	चतुरधारा	127.00
5.	मैसर्स आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड	- तदैव -	तलचर	गोपालप्रसाद वेस्ट का पश्चिमी भाग	371.00
6.	मैसर्स इंडियन अल्युमिनियम कंपनी लि०	- तदैव -	ईब घाटी	तालाबीरा-I	17.00
7.	मैसर्स डेवलपमेंट कंसलटेन्ट्स लि०	- तदैव -	राजमहल	चूपरबीटा	1200.92
8.	मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कंपनी लि०	- तदैव -	वर्धा	लोहारा वेस्ट	57.21
9.	मैसर्स एच०ओ०के०आई०	- तदैव -	तलचर	उत्कल-बी 2	106.00
10.	मैसर्स समलई पावर प्राईवेट लि०	- तदैव -	ईब घाटी	तालाबीरा-2	154.00
11.	मैसर्स डब्ल्यू०बी०एस०ई०बी० बंगाल ऐमटा कोल कंपनी	- तदैव -	रानीगंज	तारा ईस्ट	84.48
12.	मैसर्स विडीयोकोन पावर लि०	- तदैव -	तलचर	उत्कल-बी-1	228.00
13.	मैसर्स जिंदल स्ट्रीप्स लि०	स्पोज आयरन	मांड रायगढ़	गरे पालमा सब ब्लाक-IV/1	99.20
14.	मैसर्स बिरला टेक्नीकल सर्विसेज	पिग आन्यरन	सीसीएल क्षेत्र	गाकरीबुरबाडीह	1400.00
15.	"सेल"	इस्पात	झीरवा	तसरा	285.00
16.	मैसर्स डब्ल्यू०बी०पी०डी०सी०एल० बंगाल ऐमता कोल कम्पनी	विद्युत उप्पादन	रानीगंज	तारा वेस्ट	125.78
17.	मैसर्स मोन्नेट इस्पात	स्पोंज आयरन	मांड रायगढ़	गरे पालमा सब-ब्लाक IV/5	100.80
18.	मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज	स्पोंज आयरन	साईकोलि क्षेत्र	हसदेव अरांड	
19.	मैसर्स बी०एल०ए० इंडस्ट्रीज	विद्युत उत्पादन	मोहापानी	गोइटीटोरिया ईस्ट	5.15
				गोइटीटोरिया वेस्ट	8.53
20.	टी०एन०ई०बी०	विद्युत उत्पादन	तलचर	गोपाल प्रसाद में एक खनन ब्लाक	

उच्च न्यायालय की खंडपीठ

498. श्री के०सी० कोंडय्या :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री अशोक प्रधान :
श्रीमती कमल रानी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ उच्च न्यायालयों की खंडपीठ सक्रिय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कुछ उच्च न्यायालयों की नई खंडपीठ स्थापित करने और देश में उच्च न्यायालयों की काम नहीं कर रही खंडपीठों को पुन: शुरू करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान ज्ञापन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें उनके प्रधान स्थानों से दूर स्थानों पर स्थापित करने के लिए विभिन्न विधिज्ञ संगमों, विधिविज्ञ परिषदों, केन्द्रीय और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, अन्य संगठनों और व्यक्तियों, आदि से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई केवल तभी की जाती है जब संबद्ध राज्य सरकार से संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई विनिर्दिष्ट पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो जाता है । केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

[हिन्दी]

फलों, सब्जियों और फूलों का निर्यात

499. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वस्तुवार कितनी मात्रा के तथा कितने मूल्य के फलों, सब्जियों तथा फूलों का निर्यात किया गया है; और

(ख) इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित फलों, सब्जियों और फूलों की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं :-

मात्रा : मी० टन में, मूल्य : करोड़ रुपये में

	1994-95		1995-96		1996-97	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. फल	88255	123.88	102778	147.55	उ० नहीं*	249.33
2. सब्जी	459832	248.74	434401	301.19	उ० नहीं*	342.85
3. फूल (पुष्पोत्पाद सहित)	उ० नहीं*	38.83	उ० नहीं	60.14	उ० नहीं*	61.80

* निर्यात की गई मात्रा के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

मुख्य निर्यातित मदें हैं आम एवं अंगूर; ताजे प्याज एवं आलू और फूल । फलों, सब्जियों और फूलों के विभिन्न मदों के निर्यात आंकड़ों के ब्यौरे वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी के वार्षिक अंक में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं ।

(ख) फलों, सब्जियों और फूलों सहित कृषिजन्य मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कुछ योजनाएं हैं, जिसके अधीन उपजकर्ताओं/निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है :

(1) बुनियादी सुविधाओं जैसे कि विशिष्ट परिवहन एककों की खरीद, पूर्व-प्रशीतन/प्रशीतन भण्डारण सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करना;

(2) ग्रेडिंग/प्रशंसकरण केन्द्रों, नीलामी मंचों, पकाने/देख-रेख प्रकोष्ठ और गुणवत्ता जांच उपकरण की स्थापना के लिए आसान शर्तों पर ऋण देना;

(3) उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना;

(4) निकासी के लिए प्रतीक्षारत निर्यात की खेपों के लिए चलता-फिरता शीत भण्डारण की स्थापना करना;

(5) एक ही जगह से माल बुकिंग और सीमाशुल्क निकासी की सुविधा के लिए हवाई-माल सुविधाओं की स्थापना करना;

(6) हवाई पत्तनों पर विनाशवान वस्तुओं के रख-रखाव के लिए समर्पित माल रख-रखाव सुविधाओं की स्थापना करना;

(7) उत्पादों की व्यापक स्वीकार्यता के लिए वाष्प ऊर्जा उपचार सुविधाओं की स्थापना करना;

(8) पुष्पोत्पादों के निर्यात खासकर कटे हुए फूलों के निर्यात और इनकी उत्पादकता के संवर्द्धन के लिए पुष्पोत्पाद पर एक यू एन डी पी परियोजना को कार्यान्वित करना;

(9) चुनिंदा पुष्पोत्पाद, उद्यानोत्पाद और ताजी सब्जियों के लिए हवाई भाड़ा इमदाद का प्रावधान करना;

(10) निर्यात संवर्द्धन क्रियाकलापों का संचालन करना जैसे कि क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

सामुदायिक विकास के लिए धनराशि

500. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० को सामुदायिक विकास के लिए गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि दी गई;

(ख) आबंटित किए गए धन से किए गए/किए जाने वाले विकास कार्यों की संख्या कितनी है; और

(ग) सामुदायिक विकास के लिए धनराशि का उपयोग करने के संबंध में मौजूदा नियम क्या हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) वर्ष 1994-95 से सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में सामुदायिक विकास हेतु निम्नलिखित धनराशि का आबंटन किया गया है :-

1994-95	119.50 लाख रुपये
1995-96	93.00 लाख रुपये
1996-97	88.20 लाख रुपये
1997-98	90.00 लाख रुपये

(ख) 1994-95 से 1996-97 के दौरान किए गए विकासात्मक कार्य की संख्या तथा 1997-98 के लक्ष्य का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

1994-95	124
1995-96	224
1996-97	183
1997-98	240

(ग) सामुदायिक विकास हेतु आबंटित धनराशि को कोलियरियों तथा उसके आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना, आदिवासी उप-योजना तथा विशेष अंगभूत योजना के अंतर्गत उपयोग में लाया जाता है ।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऋण

501. **श्री सुख राम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1994-95 में एच पी एस ई बी के माध्यम से 424.85 करोड़ रुपये का ऋण जुटाया था और इस ऋण पर 34.02 करोड़ रुपये का ब्याज के रूप में और साथ ही 1.97 करोड़ रुपये का सेवा प्रभार के रूप में भुगतान किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना ऋण जुटाकर संविधान के अनुच्छेद 293(3) का उल्लंघन किया है जैसा कि 31 मार्च, 1995 के समाप्त हुए वर्ष की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संख्या 3 में बताया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है या किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्पाल महाराज): (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 1995 को समाप्त अपनी रिपोर्ट संख्या-3 में इसका उल्लेख किया गया है ।

(ख) और (ग) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार केन्द्रीय सहमति के बिना राज्य सरकारों को बकाया उधार के लिए ऐसे किसी भी ऋण जुटाने की मनाही है जो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया गया हो या जिसकी गारन्टी भारत सरकार द्वारा दी गई हो । नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि इस केस में ऋण हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा जुटाया गया था यद्यपि कहा यह गया था कि उक्त ऋण हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के लिए नहीं है । नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य सरकार के विधान मण्डल के समक्ष उचित कार्यवाही हेतु पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है ।

विमानपत्तन कर

502. **श्री कोडीकुनील सुरेश** :
श्री जी०एम० बनातवाला :
श्री पी०सी० थामस :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर विमानपत्तन कर अथवा एफ०टी०टी० में हाल में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है तथा इसके क्या कारण हैं और अब प्रत्येक यात्री को कितनी राशि देनी होगी;

(ग) क्या सरकार को विमानपत्तन कर/एफ०टी०टी० में वृद्धि वापिस लेने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या विमानपत्तनों का स्तर तथा वहां सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो प्रत्येक विमानपत्तन में ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या इस कर में कमी करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ख) पड़ोसी देशों को छोड़ कर अन्य देशों की यात्रा पर जा रहे यात्रियों के मामले में 26 सितम्बर, 1997 से विदेश यात्रा कर को प्रति यात्रा 300 रुपये से बढ़ा कर 750 रुपये कर दिया गया है । पिछली बार वृद्धि वर्ष 1989 में की गई थी और मौजूदा वृद्धि विदेश यात्रा से सम्बद्ध लागतों में हुई भारी वृद्धि को देखते हुए की गई है ।

(ग), (घ) और (छ) सरकार को विभिन्न व्यक्तियों और एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया गया है । इस कर को कम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तस्करी की वस्तुएं तथा विदेशी मुद्रा की जब्ती

503. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सीमा शुल्क अधिकारियों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा कितनी मात्रा तथा मूल्य की तस्करी की वस्तुएं तथा विदेशी मुद्रा राज्यवार जब्त की गयी;

(ख) प्रत्येक मामले में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा देश में भविष्य में तस्करी की वस्तुओं तथा विदेशी मुद्रा को लाने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के रिक्त पद

504. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की अनुषंगी कंपनियों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या डी०आई०सी० के पद पर भर्ती होने वाले अधिकारी अनेक वर्षों की सेवा करने के बाद भी नियमित हुए बिना ही विशेषकर महानदी कोलफील्ड्स लि० में सेवानिवृत्त हो जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० में बोर्ड स्तर के पदों की रिक्तियों की स्थिति के संबंध में ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

	पद का नाम	रिक्ति की तारीख	रिक्त होने का कारण
1.	निदेशक (वित्त), एन०एल०सी०	1.3.1996	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रतीक्षाधीन है ।
2.	सी०एम०डी०, एम०सी०एल०	1.12.1996	
3.	सी०एम०डी०, एस०ई०सी०एल०	1.2.1997	
4.	सी०एम०डी०, सी०सी०एल०	31.10.97	
5.	निदेशक (तक०), सी०एम०पी०डी०आई०एल०	27.9.1996	
6.	निदेशक (तक०), एन०सी०एल०	18.12.1996	पैनल में रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा प्रतीक्षाधीन है ।
7.	निदेशक (तक०), बी०सी०सी०एल०	1.7.1997	
8.	निदेशक (तक०), सी०सी०एल०	1.8.1997	
9.	निदेशक (तक०), ई०सी०एल०	31.8.1997	
10.	निदेशक (तक०), डब्ल्यू०सी०एल०	31.10.1997	
11.	निदेशक (वित्त), सी०सी०एल०	18.9.1997	- तदैव -
12.	निदेशक (तक०), सी०एम०पी०डी०आई०एल०	19.11.1997	
13.	निदेशक (कार्मिक), एम०सी०एल०	18.9.1997	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रतीक्षाधीन है ।
14.	निदेशक (पी० एण्ड पी०), एन०एल०सी०	1.10.1997	

(ग) और (घ) जब कभी अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सी०एम०डी०) का पद कंपनी, जिसमें महानदी कोलफील्ड्स लि० शामिल है, में रिक्त होता है, कंपनी के कार्यरत निदेशक को उक्त पद का अतिरिक्त कार्य-भार सौंपे जाने की उपयुक्त व्यवस्था की जाती है, ताकि नियमित सी०एम०डी० की नियुक्ति

में हो रहे विलंब में कार्य सुचारु रूप से चल सके । डी०आई०सी० अधिकारियों की सेवा का जारी रहना इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उनकी सेवा-निवृत्ति की तारीख से पूर्व सी०एम०डी० की नियमित नियुक्ति की जा सकती है । महानदी कोलफील्ड्स लि० के मामले में, यदि नियमित नियुक्ति के लिए की जा रही कार्रवाई उक्त तारीख से पूर्व क्रियान्वित नहीं होती है तो डी०आई०सी० की सेवा-निवृत्ति की तारीख, अर्थात् 30.11.1997 तक जारी रखी जाएगी ।

(ङ) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के पदों को समय से भरे जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ।

भ्रष्टाचार के मामले

505. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा सिविल सेवा के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, बेईमानी और आय से अधिक की सम्पत्ति की जांच किए गए मामलों की संख्या क्या है;

(ख) ऐसे मामलों में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों की ग्रेड-वार संख्या क्या है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान भ्रष्टाचार और बेईमानी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सतर्कता विभाग उन कर्मचारियों के विरुद्ध स्वत: कोई कार्रवाई शुरू करता है जिन पर बेईमानी और भ्रष्टाचार का संदेह हो; और

(ङ) क्या मंत्रालय ने अपने नियंत्रणाधीन सतर्कता अनुभाग की शक्तियों के उपयोग की कोई समीक्षा की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर सभापटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

[हिन्दी]

कपड़ा मजदूर

506. **डा० साहेबराव सुकराम बागूल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 7-8 वर्षों से महाराष्ट्र के धूलिया नगर में कपड़ा मिलों में लगभग एक हजार मजदूर दिहाड़ी पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी सेवाओं को नियमित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा): (क) एन०टी०सी० की धुले में एक मिल है जिसका नाम धुले टेक्सटाइल मिल्स है । इस मिल में 719 स्थाई तथा 353 बरली कामगार हैं । मिल में दैनिक मजदूरी के आधार पर कोई कामगार नियोजित नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

नेयवेली लिग्नाइट निगम (कारपोरेशन)

507. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (निगम) प्रबंधन अवैध रूप से हरे पेड़ कटवा रहा है जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और पर्यावरण प्रभावित हो रहा है;

(ख) क्या प्रबंधन और खनन, वृक्षारोपण के उच्च अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन माफिया गिरोह बन गया है और हरे पेड़ काटने का कार्य ठेके पर कराया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में चोरी, लूट, धोखाधड़ियों और बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों को काटने की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं

(ग) और (घ) उत्तर के भाग (क) और (ख) को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

कोयले की आपूर्ति

508. **श्री रमेन्द्र कुमार :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली उत्पादन के लिए कोयले की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी; और

(ख) इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही करने पर विचार किया है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मूल्यांकन के अनुसार नौवीं योजना के अंतिम वर्ष

(2001-02) में विद्युत क्षेत्र द्वारा कोयले की संभावित मांग 288.62 मिलियन टन है । योजना आयोग द्वारा गठित कोयला तथा लिग्नाइट पर कार्यकारी दल, जोकि नौवीं योजना को तैयार किए जाने के लिए है, द्वारा कोयले की उपलब्धता का मूल्यांकन किया गया है जिसके अनुसार कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० से विद्युत ग्रेड हेतु कोयले की उपलब्धता 237 मिलियन टन होने की आशा है जिसमें 2001-02 वर्ष के लिए कोल इंडिया लि० हेतु वाशरी मिडलिंग तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० हेतु 22.68 मिलियन टन शामिल है ।

नौवीं योजना की अवधि के अंत में मांग तथा उत्पादन के अंतराल में कमी किए जाने के विचार से संरचनात्मक ढांचे पर मंत्रिमंडल समिति के निदेशों के अंतर्गत जुलाई, 1997 में सदस्य-सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसके सदस्य सचिव (कोयला), सचिव (विद्युत) तथा अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड हैं । उक्त समिति द्वारा, अन्य बातों के अलावा, उत्पादन तथा मांग के उपर्युक्त अंतराल को कम करने के लिए अवरोधों को दूर करने के उपायों तथा चालू कोयला परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति को बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जाएगा । इस समिति की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए नौवीं योजना अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोयला मंत्रालय ने प्रत्येक परियोजना पर अलग से कार्रवाई की है । मंत्रालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कोल इंडिया लि० के संसाधनों से नौवीं योजना के दौरान 303 मिलियन टन के लक्ष्य से 11 मिलियन टन अधिक कोयले का उत्पादन संभव है यदि कोल इंडिया लि० को अधिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं और कुछ परियोजनाओं में अन्तर्ग्रस्त वन भूमि के अधिग्रहण के मामले पर शीघ्र कार्रवाई की जाए ।

विद्युत उत्पादन के लिए प्राइवेट पार्टी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 20 ग्रहित खान ब्लाक आबंटित किए गए हैं । कार्यकारी दल के मूल्यांकन के अनुसार ऐसी आशा है कि 2001-02 तक ये ब्लाक लगभग 13 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेंगे । उपर्युक्त मांग की पूर्ति किए जाने के अधीन विद्युत क्षेत्र की मांग तथा कोल इंडिया लि०/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० से कोयले की उपलब्धता के बीच का अंतराल ग्रहित खनन ब्लाकों से कोयले का उत्पादन/आयात किए जाने के द्वारा पूरा किया जाएगा ।

[अनुवाद]

करेंसी नोटों का मुद्रण आदेश

509. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 500 रुपए मूल्य वाले 160 करोड़ रुपए के नोटों का मुद्रण आदेश अधर में पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा करेंसी नोटों की कमी की भरपाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) करेंसी नोटों की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) 1 रुपया, 2 रुपए तथा 5 रुपए के निम्न मूल्यवर्ग के नोटों का सिक्काकरण करना तथा इस प्रकार बचाई गई क्षमता का उपयोग उच्च मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई के लिए करना ।

(2) नासिक और देवास स्थित दो नोट प्रिंटिंग प्रेसों का आधुनिकीकरण ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन 4950 मिलियन अदद की वार्षिक क्षमता सहित दो नई नोट प्रिंटिंग प्रेसों अर्थात् एक मैसूर (कर्नाटक) में और एक अन्य सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में, की स्थापना करना ।

(4) एक बारगी उपाय के रूप में विदेश से 3600 मिलियन अदद मुद्रित नोटों का आयात ।

खनन क्षेत्रों में प्रदूषण

510. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
श्री राम बहादुर सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जुलाई, 1997 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" में उड़ीसा की ईब घाटी में खुले मुहाने वाली खानों वाले क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों के, कोयला क्षेत्र में प्रदूषण के कारण विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने से संबंधित प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां । ईब घाटी में कार्यरत महानदी कोलफील्ड्स लि० के कर्मचारी भी उसी कोलफील्ड में रहते हैं जहां अन्य गैर-कर्मचारी हैं । महानदी कोलफील्ड्स लि० अपने कर्मचारियों के

अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच नहीं करता है और न ही एम०सी०एल० के पास ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच का कोई रिकार्ड है । ईब घाटी में रहने वाले महानदी कोलफील्ड्स लि० के 3658 कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच किए जाने के बाद यह पता लगा है कि न्यूमोकोनिओसिस का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है और न ही इसकी पुष्टि की गई । किन्तु, न्यूमोकोनिओसिस बोर्ड द्वारा दो संदिग्ध मामलों की अभी पुष्टि की जानी है । टी०बी० के दो मामलों का पता लगा है । इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि टी०बी० तथा अन्य श्वसन संबंधी समस्याएं विशेष रूप से कोयला जनित धूल से संबंधित नहीं हैं ।

(ख) महानदी कोलफील्ड्स लि० में कायला जनित धूल पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं, जिसमें उत्पादन स्थल पर ही धूल को नियंत्रित करने के लिए आर्द ड्रिलिंग, धूल निकासी का प्रयोग, नियंत्रित विस्फोटन, निर्धारित स्थल पर तथा वाहनों द्वारा स्व-चालित जल-छिड़काव, सड़कों पर तारकोल बिछाया जाना, हरित पट्टी का निर्माण, धूल को दबाने के लिए रसायनों का प्रयोग तथा पुनरुत्पादक वायु वैक्यम क्लीनर के उपयोग आदि पर प्रबंधन द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा है । धनबाद स्थित केन्द्रीय खान अनुसंधान संस्थान द्वारा वायु, जल, ध्वनि तथा मिट्टी का नियमित रूप से प्रबोधन किया जा रहा है ।

दूसरे देशों में कृषि उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध

511. **श्री सिद्दया कोटा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व व्यापार संगठन में हस्ताक्षर करने के कुछ वर्षों के भीतर दूसरे देशों के कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से मुख्य कृषि उत्पाद हैं;

(ग) क्या भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करने की किसी योजना के बारे में विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) 20-21 जनवरी, 1997 को आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) की भुगतान संतुलन प्रतिबंध समिति की बैठक के अनुसार भारत ने डब्ल्यू टी ओ को 19 मई, 1997 को भुगतान संतुलन के प्रयोजनों से कृषिजन्य उत्पादों सहित आयातों पर लगाए गए सभी शेष मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने की एक योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना पर भुगतान संतुलन प्रतिबंधों संबंधी डब्ल्यू टी ओ समिति की भारत के साथ 10-11 जून, 1997 और 30 जून-1 जुलाई, 1997 को पुन: हुए परामर्श में विचार किया गया था । योजना पर डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों के बीच जब मतान्तर होने की बात नोट करते हुए इन परामर्शों को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की गई थी । बाद में डब्ल्यू टी ओ के छ: सदस्यों अर्थात् आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय समुदाय, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका ने टैरिफ और व्यापार (गाट), 1994 संबंधी सामान्य करार के अनुच्छेद **11 और विवादों के निपटान को शासित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं संबंधी समझौते के अंतर्गत भारत के साथ परामर्श करने का अनुरोध किया था । इन परामर्शों के अनुसार भुगतान संतुलन के उद्देश्यों से आयातों पर लगाए गए शेष मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने की समय-सीमा के संबंध में कनाडा, यूरोपीय समुदायों और स्विट्जरलैंड के साथ करार हो गया है । आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ आपसी संतोषजनक समाधान की दिशा में बातचीत काफी प्रगति पर है। संयुक्त राज्य अमरीका के अनुरोध पर राज्य के इस आरोप की जांच के लिए 18 नवम्बर, 1997 को एक पैनल बनाया गया है कि भारत द्वारा आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को निरंतर जारी रखना डब्ल्यू टी ओ करार के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप नहीं है ।

(ग) और (घ) आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को एक चरणबद्ध तरीके से हटाने का प्रस्ताव है ताकि भारत में किसानों के हितों को अधिकतम सीमा तक सुरक्षित रखा जा सके । साथ ही साथ भारतीय कृषि की उत्पादकता को सुधारने और समग्र प्रतिस्पर्धात्मकताओं को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं । घरेलू उत्पादन को बचाने के लिए सुरक्षा उपायों जैसे टैरिफ, पाटनरोधी उपाय, बेजा इमदाद के प्रभाव को कम करने के प्रतिकारी उपाय और आयात में वृद्धि के जरिए घरेलू उत्पादन की क्षति को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों का उपयोग करने का प्रस्ताव है ।

[हिन्दी]

आभूषणों का निर्यात

512. **श्री सोहनवीर सिंह :**
डा० राम विलास वेदान्ती :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों को भारी मात्रा में स्वर्ण आभूषणों का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान स्वर्ण आभूषणों का निर्यात करने के लिए कितनी राशि के क्रयादेश प्राप्त हुए?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) गत तीन वर्षों में भारत से स्वर्ण

आभूषणों (जड़ित आभूषण सहित) के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

गत तीन वर्षों में स्वर्णाभूषणों के निर्यात से हुई विदेशी मुद्रा आय और इस क्षेत्र में हुई वृद्धि निम्नानुसार है :-

(मूल्य अमरीकी मिलियन डालर में)

वर्ष	मूल्य	वृद्धि प्रतिशत
1994-95	421.20	36.49
1995-96	480.40	14.06
1996-97 (अनन्तिम)	511.80	6.54

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

(घ) पूरे भारत में अलग-अलग निर्यातकों को सीधे ही निर्यात ऑर्डर मिलते हैं इसलिए निर्यात नहीं होने तक सही-सही आंकड़ों का पता लगाना संभव नहीं है । फिर भी, यह आशा की जाती है कि वर्ष 1997-98 के दौरान निर्यात वृद्धि का रुख बना रहेगा ।

खाद्य तेल पर सीमा शुल्क

513. **श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर हाल ही में सीमा शुल्क में भारी कटौती दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस भारी कटौती का घरेलू खाद्य उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव से अवगत है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू खाद्य तेल उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) वर्ष 1997-98 का बजट पेश करने के बाद खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क में कोई कमी नहीं की गई है ।

(ग) और (घ) खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क की मौजूदा दरों को स्वदेशी उद्योग के हितों सहित सभी संबद्ध कारकों को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर खाद्य तेल उपलब्ध कराया जा सके ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम को हुए घाटे

514. **श्री एन० रामकृष्ण रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम के घाटे वाले अनुषंगी कार्यालयों को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका क्या औचित्य है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा): (क) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के किसी भी सहायक निगम को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

बैंकों/भारतीय जीवन बीमा निगम में रिक्त पड़े पद

515. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इन पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

महिलाओं को अधिकार प्रदान करना

516. **श्री माधवराव सिंधिया :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद के दोनों सदनों में हुई चर्चा के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दिखायी गई प्रतिबद्धता के आलोक में विधान-मंडलों में उचित प्रतिनिधित्व के प्रावधान सहित महिलाओं को अधिकार प्रदान करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाया है अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी०खलप): (क) से (ग) संविधान (इक्यासिवां संशोधन) विधेयक, 1996 जो लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान

सभाओं में स्थानों की कुल संख्या का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षण करने के लिए है, पहले ही सरकार द्वारा 12.9.1996 को लोक सभा में पुर:स्थापित कर दिया गया है । विधेयक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया गया था और समिति ने अपनी रिपोर्ट 9.12.1996 को प्रस्तुत की थी । सरकार ने, संयुक्त समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

आयकर बकाया

517. **श्री आर०एल०पी० वर्मा :**
डा० अरविन्द शर्मा :
श्री नरेन्द्र बुडानिया :
श्री मणीभाई रामजी भाई चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1997 तक कुल कितनी राशि का आयकर बकाया था तथा गत पांच वर्षों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन दोषियों का ब्यौरा क्या है जिन पर आयकर के रूप में दस लाख रुपये या उससे अधिक की राशि बकाया है;

(ग) क्या इन दोषियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और अब तक कितनी धनराशि की वसूली की गई है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) निगम कर और आयकर की गत पांच वर्षों की कुल बकाया मांग निम्नानुसार है :-

वित्त वर्ष	कुल बकाया मांग (करोड़ रु० में)
1992-93	9211
1993-94	10780
1994-95	22699
1995-96	28970
1996-97 (अनन्तिम)	33979
1997-98 (जून, 97 तक)	33320

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

सिक्कों का आयात

518. **श्री राम नाईक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी टकसालों के कर्मचारियों ने दो और पांच रुपए के सिक्कों का आयात करने का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके विरोध करने के मुख्य मुद्दे क्या हैं;

(ग) कितने मूल्य के सिक्के आयात किए जायेंगे और सरकार ने किस देश से इन सिक्कों का आयात करने का निर्णय लिया है; और

(घ) आयातित और देश में वर्तमान तंत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने से विनिर्मित सिक्कों का लागत विश्लेषण क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (घ) सिक्कों की अत्यधिक कमी तथा सरकारी टकसालों की सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विश्व व्यापी संविदा के आधार पर 2 रुपए के 300 मिलियन अदद सिक्के कोरिया गणराज्य से तथा 1 रुपए के 700 मिलियन अदद सिक्के मैक्सिको से आयात करने का निर्णय किया है । इन सिक्कों का कुल मूल्य 130 करोड़ रुपए होगा । आयातित और स्वदेशी सिक्कों की तुलनात्मक लागत निम्नानुसार है :

	2 रुपये प्रति हजार अदद	1 रुपया प्रति हजार अदद
भारत सरकार के टकसालों द्वारा निर्मित सिक्के	1690 रुपये	870 रुपये
आयातित सिक्के	1221 रुपये	541 रुपये

टकसालों में कुछ कर्मचारी यूनियनों ने आशंकाएं व्यक्त की हैं कि आयातों के कारण उनके कार्यभार तथा इसके परिणामस्वरूप उनके वेतन में कमी आ सकती है । उनकी आशंकाएं गलत हैं क्योंकि सरकार सिक्कों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए टकसालों का आधुनिकीकरण भी कर रही है ।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना

519. **श्री सत्य देव सिंह :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारी समुदाय "स्वैच्छिक आय घोषणा" को लेकर इस दुविधा में है कि यदि अपनी आय की घोषणा में कोई

चालाकी की जाती है तो व्यापारियों को बहुधा आय कर विभाग के छापों का खतरा बना रहेगा और यदि वे अपनी आय की घोषणा में ईमानदारी बरतते हैं तो उन्हें उत्पाद कर और बिक्री कर जैसे विभागों का डर होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कारण व्यापारी समुदाय में व्याप्त इस भय को दूर करने के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ग) स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना के बारे में ऐसी कोई आशंका न्यायोचित नहीं है । इस योजना में यह व्यवस्था है कि घोषणाएं केवल आयकर आयुक्तों के समक्ष ही प्रस्तुत की जाएंगी और घोषणाकर्ताओं के बारे में अत्यन्त गोपनीयता रखी जाएगी । घोषणाकर्ताओं के मस्तिष्क में पैदा होने वाले किसी भय को दूर करने के लिए इस योजना के गोपनीयता और उन्मुक्ति संबंधी उपबंधों का व्यापक प्रचार किया गया है ।

[अनुवाद]

भारतीय ईसाइयों के लिए कानून

520. **श्री पी०सी० थामस :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में ईसाइयों में विरासत, विवाह, तलाक और गोद लेने संबंधी कानून के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में ईसाई नेताओं और संसद सदस्यों के साथ परामर्श किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप): (क) से (घ) सरकार के पास विवाह, विवाह-विच्छेद, विरासत और दत्तक-ग्रहण का बाबत क्रिश्चियन स्वाय विधि में परिवर्तन करने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव विचाराधीन है । सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को यह अनुरोध करते हुए एक निर्देश दिया है कि आयोग यह सूचित करे कि क्या क्रिश्चियन समुदाय का निश्चय समूह प्रस्ताव के पक्ष में है । सरकार ने प्रस्ताव पर राज्य सरकारों/राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अभिमत टीका-टिप्पणी भी मांगी है । सरकार, यथासंभव शीघ्र, संसद क्रिश्चियन सदस्यों के साथ विचार विमर्श करने का भी प्रस्ताव करता है और इस निमित प्रस्ताव की प्रतियां संसद के कतिपय सदस्यों को उपलब्ध करा दी गई थी ।

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां

521. **श्री मधुकर सरपोतदार :**
श्री अनंत गुटे :
श्री एल० रमना :
डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :
श्री जय सिंह चौहान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितनी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकरण कराया है और इन कंपनियों की राज्यवार कुल सम्पत्ति कितनी-कितनी है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक उनका पंजीकरण करने से पूर्व उनके व्यापारिक रिकार्ड का सत्यापन करता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि सीआरबी ग्रुप की कंपनियों के अलावा कई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां जमाकर्ताओं को उनकी देय धनराशि का भुगतान न करने की दोषी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के संबंध में कौन से कठोर मानदंड निर्धारित किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, पंजीकरण की नई प्रणाली के अन्तर्गत उन्होंने अब तक 10 गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिए हैं । उनमें से प्रत्येक की निवल स्वाधिकृत निधियां (एनओएफ) और वह राज्य, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है, नीचे दिये गए हैं :-

कंपनियों की संख्या	राज्य जहां अवस्थित है	निवल स्वाधिकृत निधियां (लाख रुपये)
2	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	409.44 और 414.00
1	पश्चिम बंगाल	99.34
2	महाराष्ट्र	2625.00 और 27.93
2	तमिलनाडु	124.39 और 50.09
1	कर्नाटक	47.40
1	जम्मु एवं कश्मीर	25.00
1	आन्ध्र प्रदेश	25.07

(ख) और (ग) पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र पर विचार करने के प्रयोजन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ञ क की उप-धारा 4 की शर्तों के अनुसार, बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का बहियों की अथवा कतिपय विशिष्ट शर्तों की जांच करे । उनमें से एक शर्त यह है कि गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के परिचालन इस प्रकार न हो रहे हों जो वर्तमान अथवा भविष्य के जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध हों । पंजीकरण का प्रमाण-पत्र देने से पहले, भारतीय रिजर्व बैंक को कंपनी की वित्तीय स्थिति, आस्तियों की गुणवत्ता, प्रवर्तकों का पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड, निदेशकगण और निदेशों तथा मार्गनिर्देशों की अनुपालना आदि से संतुष्ट होना होता है ।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम, 1997 के अनुसार, कंपनी विधि को यह शक्ति प्रदत्त की गई है कि वह चूक की स्थिति में मूल राशि और उस पर ब्याज की वापसी करने में, जिसके लिए कंपनी विधि बोर्ड विनियमन 1991 की निर्धारित फार्म संख्या 4 में आवेदन-पत्र देना होता है, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा मंजूर की गई जमाराशियों की चुकौती का निदेश दे । भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1997 के दौरान अब तक 19 कंपनियों के मामले में नई जमाराशियों को मंजूर करने से रोकने के लिए निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं ।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्यवेक्षण तंत्र को सुदृढ़ करके और प्रतिफलों की गहन निगरानी करके एनबीएफसी की जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु विनियामक और पर्यवेक्षण दोनों प्रकार के बहुत से उपाय किए हैं । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में किए गए हाल के संशोधनों में एनबीएफसी की अनिवार्य पंजीकरण, चलनिधि आस्तियों का रख-रखाव, आरक्षित निधि में लाभों का अंतरण विवेकपूर्ण मानदंडों के लिए निदेश देने की शक्ति आदि के लिए व्यवस्था की गई है । एनबीएफसी के क्षेत्र में हाल में हुए विकास को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, निदेशों का नया सेट जारी करने पर विचार कर रहा है ।

हेलियस ग्रुप और जे०वी०जी० फाइनेंस ग्रुप के विरुद्ध शिकायतें

522. **श्री विश्वेश्वर भगत :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की पटना शाखा ने हेलियस ग्रुप और जे०वी०जी० फाइनेंस ग्रुप, मुम्बई के विरुद्ध कुछ शिकायतें की हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों और भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसी तरह के अन्य फाइनेंस ग्रुपों का ब्यौरा क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय, मुम्बई को इन ग्रुपों के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, उनके पटना कार्यालय ने हेलियस ग्रुप और जेवीजी फाइनेंस ग्रुप के बारे में कोई शिकायत नहीं की है । तथापि, इन कंपनियों के निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर इन दोनों वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध जनता से धन-स्वीकृत न करने के बारे में निषेधात्मक आदेश जारी करने समेत, कुछ पर्यवेक्षण कार्रवाई की गई है ।

(घ) आरबीआई, पटना कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाली निम्नलिखित कंपनियों को पहले ही निषेधात्मक आदेश जारी किए गए थे :-

(1) सोशल वेलफेयर सेर्विंग्स एण्ड फाइनेंस लिमिटेड

(2) बार्ल इंडिया फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि०

(3) प्रोलेट कंपनी लि०

(4) मानव संधान विकास फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट लि०

(5) प्रस्टीजियस फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट लि० ।

निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर आरबीआई ने आगे यह भी सूचित किया है कि मैसर्स सीआरबी कैपिटल मार्केट्स लि० के अतिरिक्त निम्नलिखित कंपनियों पर, हाल ही में, जमाधन लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है :-

(1) मैसर्स एशिया पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लि०

(2) मैसर्स ग्लोबल फाइनेंस कारपोरेशन लि०

(3) मैसर्स प्रूडेंशियल कैपिटल मार्केट्स लि०

(4) मैसर्स वेस्टर्न इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लि० और

(5) मैसर्स गाडगिल वेस्टर्न इंडिया कारपोरेशन लि० ।

आरबीआई के अनुसार, उक्त कंपनियों में और धन जमा कराने से रोकने के लिए आम जनता को सावधान करने हेतु ऐसे प्रतिबंधों का व्यापक प्रचार प्रेस के जरिए किया जाता है ।

समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात

523. **श्री के०पी० सिंह देव :**
श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री अजमीरा चन्दूलाल :
जस्टिस गुमानमल लोढ़ा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (राज्यवार) उन समुद्री खाद्य उत्पाद इकाईयों के नाम और संख्या क्या है जो विभिन्न देशों में समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात कर रही है;

(ख) इन समुद्री खाद्य इकाईयों का वार्षिक निर्यात कारोबार कितना है;

(ग) क्या यूरोपीय संघ ने भारत से समुद्री खाद्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त प्रतिबंध से प्रभावित समुद्री उत्पाद फर्मों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन समुद्री खाद्य उत्पाद इकाईयों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया): (क) भारत से समुद्री खाद्य का निर्यात करने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) में 402 समुद्री खाद्य एकक पंजीकृत हैं । राज्यवार एककों की संख्या नीचे दी गई है :-

राज्य	एककों की संख्या
केरल	129
तमिलनाडु	047
कर्नाटक	014
आन्ध्र प्रदेश	050
गोवा	006
गुजरात	053
उड़ीसा	021
महाराष्ट्र	048
पश्चिम बंगाल	034
कुल	402

ऊपर बताए गए एककों के नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान समुद्री खाद्य एककों ने निम्नानुसार समुद्री उत्पादों का निर्यात किया :-

निर्यात की गई मात्रा	378199 (एम टी)
प्राप्त मूल्य (करोड़ रु० में)	4121.36
प्राप्त मूल्य (मिलियन यू०एस० डालर में)	1152.83

(ग) और (घ) जी, हां । यूरोपीय आयोग ने दिनांक 1 अगस्त, 1997 के निर्णय के द्वारा भारत के उद्गम वाले मत्स्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जो कि कुछ मात्स्यिकी केन्द्रों में अवस्थापना और स्वच्छता के बारे में कमियों के पाये जाने पर आधारित था जिसे कि यूरोपीय संघ (ई०यू०) के पशु चिकित्सा विशेषज्ञों के एक दल ने देखा था जो जून, 1997 के महीने में भारत आया था । 1 अगस्त, 1997 के इस निर्णय में यूरोपीय संघ ने यह भी कहा है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा किए गए नियंत्रणों की सक्षमता के बारे में पर्याप्त गारंटी नहीं है ।

(ङ) भारतीय मात्स्यिकी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने से 160 समुद्री खाद्य एककों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है जो कि ई०यू० को निर्यात कर रहे थे ।

(च) ई०यू० को निर्यात करने वाले समुद्री एककों के हितों की सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं :-

(1) व्यापक अतिरिक्त दिशा-निर्देशों तथा आवश्यकताओं के नए सेट को अन्तिम रूप दिया गया जिसका अनुपालन ई०यू० को समुद्री उत्पादों का निर्यात करने की इच्छा रखने वाले सभी एककों द्वारा किया जाएगा तथा उसे संबंधित एककों तथा निर्यात निरीक्षण परिषद (ई०आई०सी०) के माध्यम से निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ई०आई०ए०) और एम्पीडा को भी उपलब्ध कराया गया है ।

(2) वे समुद्री उत्पाद निर्यात एकक जो ई०यू० को निर्यात करने के इच्छुक हैं और जो ई०यू० द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने और उसके अनुसार चलने के इच्छुक हैं, उन्हें ई०आई०ए० के पास आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया जिससे कि केवल वे एकक जो ई०यू० की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, को ही अनुमोदित किया जाए और ई०यू० को निर्यात करने की अनुमति दी जाए ।

(3) प्राप्त आवेदनों के आधार पर ई०आई०ए०, एम्पीडा और केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्था (सी०आई०एफ०टी०) के प्रतिनिधियों से बने अंतर विभागीय पैनलों (आई०डी०पी०) ने आवेदक समुद्री उत्पाद निर्यात एककों में से प्रत्येक का निरीक्षण दौरा किया ।

(4) आई०डी०पी० के सुझावों के आधार पर आई०डी०पी० के सदस्यों से वरिष्ठ कर्मचारियों से बने पर्यवेक्षकीय लेखा परीक्षा दल (एस०ए०टी०) ने खुद की तसल्ली करने के लिए एककों का दौरा किया कि आई०डी०पी० द्वारा जिन एककों की अनुसंशा की गई है वे ई०यू० को निर्यात करने के लिए जिन आवश्यकताओं और मानकों की जरूरत है, उसका पूर्ण रूप से अनुपालन करते हैं ।

(5) गारंटी पत्र सहित एस०ए०टी० द्वारा यथास्वीकृत एककों की सूची को ई०यू० के पास भेजा गया है जिसमें 30 नवम्बर, 1997 की समीक्षा की अन्तिम सीमा के काफी पहले जांच के लिए एक टीम भेजने का उनसे अनुरोध किया गया है ।

(6) ई०यू० द्वारा एककों को स्वीकृति दिए जाने के बाद संबंधित ई०आई०ए० नियमित मॉनीटरिंग जांच करेंगे । ऐसी जांच पखवाड़े के आधार पर होगी । ई०आई०ए० द्वारा की गई जांच का पर्यवेक्षण करने के लिए एस०ए०टी० भी मासिक दौरा करेगा ।

(7) राज्य सरकारों को लिखा गया है कि वे अपने अधीन उतराई केन्द्रों तथा मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों इत्यादि का तुरन्त सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखा गया है । उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने मछुआरों को स्वच्छ प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए विस्तार कार्यक्रम शुरू करें और यह भी देखें कि मछली पकड़ने वाले पोत-निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हों । अपने नियंत्रणाधीन मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों में आवश्यक सुधार और मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों तथा उतराई केन्द्रों में सामान्य सुधार करने के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से भी अनुरोध किया गया है ।

(8) भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने के बाद ई०यू० ने दो विशेषज्ञों का एक दल भेजने का निर्णय लिया है वे 22.11.1997 से 28.11.1997 तक भारत का दौरा करेंगे । भारत में प्रवास के दौरान मुम्बई, कोचीन, बंगलौर और पामरू के कुछ स्वीकृत एककों का निरीक्षण करने का उनका प्रस्ताव है और वे सरकार/एम्पीडा/ई०आई०सी० के संबंधित अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श करेंगे । उपर्युक्त ई०यू० टीम की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यूरोपीय आयोग द्वारा भारतीय मत्स्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के उनके पहले के निर्णय की समीक्षा करने की संभावना है ।

विवरण

केरल राज्य

क्रम सं०	समुद्री खाद्य इकाई का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य इकाई का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य इकाई का नाम
1.	अबैड फिशर्स	2.	बेबी मैरिन एक्सपोर्ट्स	3.	भारत सी फूड यूनिट-I
4.	बेल फूडस (मैरिन डिवीजन)	5.	कोरोमंडल फिशर्स	6.	चेम्मीन्स (रजि०)
7.	कैनिंग इंडस्ट्री कोचीन	8.	एलाइट सीफूड्स	9.	बराका ओवरसीज
10.	जीओ सीफूड्स	11.	प्रिंश फिशर्स प्रा०लि०	12.	आइजलैंड सीफूड्स प्रा०लि०
13.	कार्तिका मैरिन इन्डस्ट्रीज	14.	के०ई० केशवाम एण्ड संस यूनिट लि०	15.	केरल फूड्स पैकर
16.	कैराली एक्सपोर्ट्स	17.	एम०के० फिशर्स	18.	ओल्लुपुरथ इंडस्ट्रीज
19.	पैरा गोन सीफूड्स	20.	रेलिश फूड्स	21.	रूबी मैरिन फूड्स यूनिट-II
22.	रजिनी आई० एण्ड कोल्ड स्टोरेज	23.	सीएस्टर इंडस्ट्रीज	24.	सी पेरल इंडस्ट्रीज
25.	सीजन इन्टरप्राइजेज	26.	फैन्सी फूड्स	27.	स्टैंडर्ड फूड्स पैकर्स
28.	टोयो सीफूड्स	29.	यूनिवर्सल ट्रेडर्स कॉरपोरेशन	30.	एक्स०एल० सीफूड्स
31.	केरल फूड्स पैकर	32.	कामिनी सीफूड्स प्रा० लि०	33.	ब्लू०बे० फिशर्स प्रा० लि०
34.	कलप्पुराक्कल इंडस्ट्रीज	35.	नेशनल सीफूड्स कंपनी	36.	बैलेन्ट सीफूड्स
37.	इंटरनेशनल क्रीएटीव फूड्स	38.	रूबियन एक्सपोर्ट	39.	पोयीलक्कडा फिशर्स लि०
40.	अबैड फिशर्स	41.	पैरा गोन इंडस्ट्रीज	42.	दीपा एक्सपोर्ट इन्टरप्राइजेज
43.	प्रीमियर एक्सपोर्ट इंटरनेशनल	44.	मैथा आईस इंडस्ट्रीज	45.	भारत सीफूड्स यूनिट-II
46.	एमीशन फूड्स लि०	47.	च्वाईस कैनिंग कंपनी	48.	सोनिया एक्सपोर्ट
49.	के०इ० केशवाम एण्ड संस यूनिट लि०	50.	बेस्ट फूड्स कॉरपोरेशन	51.	एरीजोना फूड्स एक्सपोर्ट

क्रम सं०	समुद्री खाद्य इकाई का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य इकाई का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य इकाई का नाम
52.	आनन्द एक्सपोर्ट	53.	कोचीन फ्रोजेन फूड्स एक्सपोर्ट	54.	इन्नोवेटिव मैरिन फूड्स लि०
55.	इंटीग्रेटेड रूबियन एक्सपोर्ट	56.	सिल्वर स्टार सीफूड्स लि०	57.	जी०ओ० मैरिन एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
58.	ट्री मैरिन फूड्स प्रा०लि०	59.	ट्री मैरिन फूड्स प्रा० लि०	60.	मालंकारा मैरिन एक्सपोर्ट्स
61.	बेबी मैरिन इंटरनेशनल	62.	अमालगम फूड्स लि०	63.	के०के० एक्सपोर्ट
64.	एलेनजीका एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०	65.	ओ०सी०एन० बाउंटी लि०	66.	सी पर्ल इंटरप्राइजेज
67.	अबैड एक्विजम प्रा० लि०	68.	यूनिरॉयल मैरिन एक्सपोर्ट लि०	69.	अमीना इन्टरप्राइजेज
70.	इंटरनेशनल फ्रीज फिश	71.	जी०के०एस० बिजनेस एसोसिएट्स	72.	टौरी हैरिस सीफूड्स लि०
73.	एसीलरेटेड फ्रीज ड्राईंग	74.	अबैड फिशर्स	75.	लैनसी फूड्स प्रा० लि०
76.	लक्ष्मी मैरिन प्रोडक्ट्स	77.	आर०एफ० एक्सपोर्ट	78.	भटर्स एक्वेटीक प्रोडक्ट्स
79.	पैसगोन सीफूड्स यूनि० लि०	80.	सम्राट मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट	81.	पैडीनजाराथालैकल प्लांटेशन
82.	बेबी मैरिन इंटरनेशनल	83.	कार्तिका फिशर्स	84.	उपासना एक्सपोर्ट
85.	अबैड एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०	86.	अमालगम फूड्स प्रा० लि०	87.	पीवीज इन्टरप्राइजेज
88.	रूबी मैरिन फूड्स यूनिट-I	89.	मास्टर मैरिन फूड्स प्रा० लि०	90.	कोलुथरा एक्सपोर्ट्स लि०
91.	रेमन फूड्स प्रा० लि०	92.	इंटरनेशनल क्रीएटीव फूड्स	93.	इंडेक्स पोट लि०
94.	इंटीग्रेटेड रूबिअन एक्सपोर्ट	95.	एसीलरेटेड फ्रीज ड्राईंग	96.	इंटीग्रेटेड फिशरीज प्रोजेक्ट
97.	ट्री टी सीफूड्स को०	98.	इंडियन सीफूड्स इंडस्ट्रीज	99.	अबैड फिशरीज
100.	फिश इंडिया एक्सपोर्ट इंटरनेशनल	101.	नैस फिशरीज प्रा० लि०	102.	परवाना एक्सपोर्ट्स
103.	वी० मैरिन एक्सपोर्ट्स	104.	गोल्ड फार्म फूड्स	105.	कैपिथन एक्सपोर्टिंग को०
106.	एसमारिओ एक्सपोर्ट इंटरप्राइजेज	107.	इंडियन एक्वेटिक प्रोडक्ट्स	108.	फाइन सी प्रोडक्ट्स
109.	किंग फिशरीज लि०	110.	केरल सीफूड्स	111.	ओसिएनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टिंग को०
112.	पोयिलाकाडा फिशरीज लि०	113.	सी एण्ड सैंड इन्टरप्राइजेज	114.	गिरली इंडस्ट्रीज
115.	अबंध इंटरप्राइजेज	116.	मरीयालायम सीफूड्स एक्सपोर्ट्स	117.	यूरो मेराईन प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०
118.	किंग्स मैरिन प्रोडक्ट्स	119.	एजीस मैरीन (प्रा०) लि०	120.	कोरल सीफूड्स
121.	नाजी मैरिन एक्सपोर्ट	122.	ए०एस०एफ०सी० फूड्स	123.	कोरल सीफूड्स
124.	सी वेल्थ इंडिया एक्सपोर्ट प्रा० लि०	125.	क्लासिक फूड्स	126.	मास्टर मैरिन फूड्स प्रा० लि०
127.	पर्ल फूड प्रोडक्ट्स	128.	रॉयली ओवरसीज प्रा० लि०	129.	मंगला सी प्रोडक्ट्स

तमिलनाडु राज्य

क्रम सं०	समुद्री खाद्य इकाई का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य इकाई का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य इकाई का नाम
1.	कोचिन सीफूड्स	2.	क्रिस्टल एक्सपोर्ट	3.	जार्ज मैजो
4.	केरल फूड्स पैकर्स	5.	न्यु इंडिया मैरिटाइम एजेन्सी	6.	ओरिएंट मैरिन प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
7.	पेनटाकोर प्रोडक्ट्स लि०	8.	साउदर्न सीफूड्स लि०	9.	एशियन मैरिन प्रोडक्ट्स प्रा०लि०

क्रम सं०	समुद्री खाद्य इकाई का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य इकाई का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य इकाई का नाम
10.	तमिलनाडु फिशरिज डेवलप	11.	बेबी मैरिन फूड्स एक्सपोर्ट लि०	12.	तमिलनाडु फिशरिज डेवलप
13.	तमिलनाडु फिशरिज डेवलप	14.	ओसियन फूड्स एक्सपोर्ट लि०	15.	केथैनी मैरिन
16.	आर बी टी एक्सपोर्ट	17.	महाराजा सीफूड इंडिया प्रा०	18.	स्टैंडर्ड मैरिन प्रोडक्ट्स
19.	सीफेरर फिशरिज प्रा० लि०	20.	परवाज फूड पैकर्स	21.	न्यू इंडिया मैरिटाइम एजेन्सी
22.	अगर एण्ड अलगिनेट लेबोरेटर्स	23.	एग्री मैरिन एक्सपोर्ट प्रा०लि०	24.	अश्विनी कोल्ड स्टोरेज
25.	बाला मैरिन एक्सपोर्ट्स	26.	बालाजी सीफूड एक्सपोर्ट	27.	इंटर सी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन
28.	डायमंड सीफूड एक्सपोर्ट्स	29.	किंग्स इंनीट्ल एक्वा मैरिना एक्सपो लि०	30.	पोचीलाकडा फिशरिज लि०
31.	ओसिएनिक फिशरिज इंडिया लि०	32.	सेन्चुरी कोल्ड स्टोरेज लि०	33.	अमूल्य सीफूड्स प्रा०लि०
34.	तमिलनाडु फिशरिज डेवलप को०	35.	किंग्स इंटरनेशनल कोर०	36.	काडालकन्नी फ्रोजेन फूड्स
37.	मैक इंडस्ट्रीज लि०	38.	निमास लि०	39.	नीला सीफूड्स प्रा०लि०
40.	थेवा एण्ड को०	41.	तमिलनाडु फिशरिज डेवलप को०	42.	जार्ज मैजो
43.	बेबी मैरिन ईस्टर्न एक्सपोर्ट	44.	सेलिस फूड्स प्रा० लि०	45.	ओसीएनिक फिशरिज इंडिया लि०
46.	कल्याण मैरिन	47.	रॉयल कोल्ड स्टोरेज (प्रा०) लि०		

महाराष्ट्र राज्य

क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम
1.	हिरावती इंटरनेशनल प्रा० लि०	2.	कैस्टल रॉक फिससीज	3.	संन्ट्रआइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज
4.	गदरा मेराइन एक्सपोर्ट्स	5.	अहमद एण्ड कं० कोल्ड स्टोरेज	6.	आरकी केमिकल्स एण्ड एग्रो
7.	नाअक आइस एन कोल्ड स्टोरेज	8.	रत्ना सीफूड्स प्लाट-I	9.	रवि फिसरीज लि०
10.	व्यार डब्ल्यू सावन्त एण्ड कं०	11.	एटरलिंग फिशरीज एण्ड कोल्ड	12.	नाइक सी फूड्स
13.	रियंज आइस एन कोल्ड स्टोरेज	14.	फिरोज एण्ड के०	15.	दिनयार आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज
16.	रवि फ्रोजेन फूड्स लि०	17.	कैस्टल रॉक फिशरीज लि०	18.	लाइट पैक आइस एंड कोल्ड स्टोरेज
19.	हा एण्ड आर इंटरप्राइजेज	20.	रत्नागिरी जिला मछीमार	21.	एमडी नायक इंडस्ट्रीज
22.	जम जम इंटरप्राइजेज	23.	सेम्च्यूरी कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०	24.	हजार आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज
25.	बाइसरॉय फूड्स लि०	26.	आवा कोल्ड स्टोरेज एंड आइस	27.	अरविंद एक्सपोर्ट्स लि०
28.	इनोवेटिव मेराइन फूड्स लि०	29.	फोरस्टार फ्रोजेन फूड्स प्रा०लि०	30.	एच एम जी इंडस्ट्रीज लि०
31.	रत्ना सीफूड्स प्लांट लि०	32.	मलिका फूड्स	33.	दांडा फिशरीज
34.	इंडियन सी फूड्स कारपोरेशन	35.	सिसन्स फिशरीज	36.	सोनिया फिशरीज
37.	जाफ प्रोसेस्ड फूड एण्ड	38.	एकस्ल आइस सर्विसेज	39.	लिबरन सीफूड्स
40.	रेटिना मैरिन एक्सपोर्ट्स	41.	एल बी फाइन कैमिकल्स प्रा०लि०	42.	सावंत फूड प्रोडक्ट्स लि०
43.	अमर फ्रोजेन फूड्स	44.	चाम एक्सपोर्ट्स	45.	पेप्सी फूड्स प्रा० लि०
46.	वीवा फ्रोजेन फूड्स	47.	डोलफिन फिशरीज	48.	फाइन फ्रोजेन फूड्स लि०

गुजरात राज्य

क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम
1.	अमर कोल्ड स्टोरेज	2.	बी एम जी फिशरस	3.	कैसलरॉक सीफूड लि०
4.	चाय आइस एंड कोल्ड स्टोरेज	5.	कोकंण फिशरस प्रा० लि०	6.	पिक्नजिस फ्रीजिंग तथा कोल
7.	राव रत्ना निर्यात लि०	8.	अलाना फ्रो फूड प्रा० लि०	9.	जे बारके सीफूड लि०
10.	चाय ट्रेडिंग ओगकान प्लाट	11.	हीरावती आईस कोल्ड स्टोरेज	12.	मोनर्चा फूड प्रा० लि०
13.	मीनाक्षी आई एण्ड कोल्ड स्टोरेज	14.	एच एम जी, इंडस्ट्रीज लि०	15.	प्रोनोटो फूड्स प्रा० लि०
16.	मकलाई कोल्ड स्टोरेज	17.	आर के आइस कोल्ड स्टोरेज	18.	इलाईट शिपयार्ड
19.	अमृत कोल्ड स्टोरेज प्रा०	20.	अताना फ्रोफूड्स प्रा० लि०	21.	सागर फूड्सं
22.	दीपमाला मैराइन फूड्स प्रा० लि०	23.	रामेश्वर कोल्ड स्टोरेज	24.	एशियन मैराइन प्रोडक्ट्स
25.	दिन्या मैराइन फूड्स प्रा० लि०	26.	तीर्थ सीफूड्स	27.	कापीश्वर आइस एंड कोल्ड स्टोर
28.	तुलसी सीफूड्स	29.	केसलरोक सीफूड्स लि०	30.	द्विरावथी निर्यात प्रा० लि०
31.	हिन्दुस्तान लीकू लि०	32.	मारुति फ्रोजन फूड्स	33.	सोनिका आइस तथा कोल्ड
34.	सागरपुत्र प्रोडक्ट्स	35.	चाय मैराइन प्रोडक्ट्स लि०	36.	रितु, मैराइन प्रोडक्ट्स
37.	बनीथा कोल्ड स्टोरेज	38.	मामता कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि०	39.	रौनक आइस तथा कोल्ड स्टोरेज
40.	भवानी सीफूड्स प्रा० लि०	41.	मीनाक्षी फ्रोजन फूड्स प्रा० लि०	42.	सालेट सीफूड्स प्रा० लि० नारा
43.	कैसल राक कोल्ड स्टोरेज दी	44.	रूही फ्रोजन फूड्स जवार	45.	चाय ट्रेडिंग और मैनिक प्लाट-II
46.	एच एम जी इंड० लि० प्लाट-II	47.	देव सीफूड्स कं० लि०	48.	कीर्थी कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि०
49.	वीरातल मैराइन तथा कैमिकल	50.	कार्तिक कोल्ड स्टोरेज	51.	हिन्नी मैरादन ट्रेडर्स
52.	हीरावथी निर्यात प्रा० लि०	53.	मीनाक्षी फ्रोजन फूड्स प्रा० लि०		

आन्ध्र प्रदेश राज्य

क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम
1.	ए पी फिसरज कोर्प	2.	ए पी फिसर्स कोर्प	3.	कावेरी सीफूड्स
4.	इस्ट कोस्ट मैरीन प्रोडक्ट्स	5.	फिस प्रोडक्ट्स लि०	6.	जार्ज मैजो एण्ड का०
7.	केरल फूड्स पैकर्स	8.	चौवान एक्सपोर्ट लि०	9.	वी बी सी इंडस्ट्रीज लि०
10.	वानि सीफूड्स प्रा० लि०	11.	श्री विजय आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज	12.	श्रीनिवास इंटरप्राइज लि०
13.	नावाबाराथ फेरो एलोयस लि०	14.	श्री विजय आइस एण्ड कोल्ड स्टो०	15.	लालिथा सी फूड्स लि०
16.	नेखान्ती सीफूड्स लि०	17.	जी पी मारिन प्रोडेक्ट कं०	18.	गोथान कान्सटिट्यूटन एण्ड
19.	यूनिवर्सल कोल्ड स्टोरेज लि०	20.	सन्नी एक्सपोर्ट प्रा० लि०	21.	इंदूज फूड्स लि०
22.	स्टोर्क फिशरीज प्रा० लि०	23.	अमलगम फिशर्स लि०	24.	ओरिंटल फूड इंडस्ट्रीज
25.	एस बी अंजिनियरिंग इंटरप्राइज	26.	असबानी फिशरीज लि०	27.	सुदर्शन इंटर०
28.	परबाज फूड पैकर्स	29.	मिनोटा एक्वा फूड लि०	30.	पी सी एल मेरीटेक लि०

क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम
31.	आनंदा फूड्स	32.	च्वाइस कैनिंग कं०	33.	एक्वीट एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
34.	वेलकम फिशरीज प्रा० लि०	35.	रैंक एक्वा इस्टेट लि०	36.	एन सी सी ब्लू वाटर प्रोडक्ट्स
37.	कोस्टल ट्रैवलर्स लि०	38.	बालाजी वायोटैक लि०	39.	सन्ध्या मेराइन प्रा० लि०
40.	ऊषा सी फूड्स	41.	बीजग आइस इंडस्ट्रीज	42.	पाटील एक्वा प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
43.	सवर्ना एक्वा फार्म एक्स्पो	44.	अल्सा मेराइन एण्ड हार्वेस्ट्स लि०	45.	वी बी सी इंड० लि०
46.	श्री निवास इंटर० लि०	47.	सरकार सी फूड्स प्रा० लि०	48.	दी वाटर वेस लि०
49.	इनोवेटिव मेराइन फूड्स लि०	50.	आल्सा मैरिन एण्ड हारवेस्ट लि०		

पश्चिम बंगाल राज्य

क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम
1.	कलकत्ता सी फूड्स	2.	हिन्दुस्तान आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज	3.	सौरब
4.	स्पेनसर एण्ड कं०	5.	वी एस पी एक्सपो प्रा० लि०	6.	वी एम धवन एण्ड कं०
7.	सेन्ट्रल कलकत्ता कोल्ड स्टोरेज	8.	बंगाल मेराइन्स प्रा० लि०	9.	सौदर्न कोल्ड स्टोरेज एण्ड
10.	ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि०	11.	एसोसिएटेड इंटरनेशनल ई०	12.	एन सी जी बी मेराइन प्रा० लि०
13.	एल्क एण्ड कं०	14.	अल्सा मेराइन हारवेस्ट्स लि०	15.	हिन्दुस्तान आइस एंड कोल्ड स्टोरेज
16.	सेन्ट्रल कलकत्ता कोल्ड स्टोरेज	17.	विजय इम्पेक्स	18.	जाक्स इंटरनेशनल
19.	ए एन आस एण्ड कं० प्रा० लि०	20.	जी ए रान्देरियन लि०	21.	डायमन्ड सीफूड्स
22.	स्टार फ्रोजेन फूड्स प्रा० लि०	23.	इंडियन एक्सपो एक्वारियम प्रा० लि०	24.	जी एफ केलनर एण्ड कं०
25.	त्रिवेणी फूड्स प्रोडक्ट्स	26.	वे सीफूड्स प्रा० लि०	27.	सेन्ट्रल कलकत्ता कोल्ड स्टोरेज
28.	क्वालिटी सीफूड्स	29.	मोनाली सीफूड्स प्रा० लि०	30.	रजवान सीफूड्स प्रा० लि०
31.	ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि०	32.	एस बी दत्ता इंटरप्राइजेज	33.	इंडेक्सपोर्ट लि०
34.	त्रिवेणी फूड प्रोडक्ट्स				

उड़ीसा राज्य

क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम
1.	उड़ीसा मेराइन इंड० लि०	2.	हिन्दुस्तान मेराइन्स	3.	विजया मेराइन प्रोडक्ट्स
4.	सूर्या उद्योग लि०	5.	पी एण्ड एस पी बी टी लि०	6.	रामाज एसोल्टेड कोल्ड स्टोरेज
7.	विजय इम्पेक्स	8.	कलिंगा मेराइन्स एंड ट्रांसपोर्ट पी एल	9.	जार्ज मेजो एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
10.	सबसीहाइन एक्सपोर्ट्स	11.	उत्कल एक्सपोर्ट्स	12.	सूर्या मेराइन प्रा० लि०
13.	एस चंचला कम्बाइन्स	14.	पालकोन मेराइन एक्सपोर्ट्स लि०	15.	के पी एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०
16.	कैपिटल फ्रीजिंग काम्पलैक्स	17.	फालक्रोन मेराइन एक्सपोर्ट्स लि०	18.	विजया मेराइन प्रोडक्ट्स प्ला
19.	एस चंचला कम्बाइन्स	20.	सीलैन्ड फिशरीज प्रा० लि०	21.	सबसीहाइन पैकेजिंग इंडस्ट्रीज

कर्नाटक राज्य

क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम
1.	बिनागा आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज	2.	कर्नाटका फूड पैकर्स	3.	स्टर्लिंग फूड्स
4.	मुक्तेस्वर फूड्स एण्ड एक्सपोर्ट्स	5.	बेबी मेराइन प्रोडक्ट्स	6.	बरक्का ओवरसीज ट्रेडर्स
7.	अपोलो फिशरीज प्रा० लि०	8.	लेविस नेचुरल फूड्स लि०	9.	विनस फिशरीज प्रा० लि०
10.	पेके एफ डी सी लि०	11.	के एफ डी सी लि०	12.	एक्सीलरेटेड फ्रेज फ्रीग कं० लि०
13.	सिद्धी फ्रीजर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स	14.	उदयन मेराइन प्रोडक्ट्स लि०		

गोवा राज्य

क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम	क्रम सं०	समुद्री खाद्य एकक का नाम
1.	राहुल फूड्स (गोवा)	2.	पायोनियर एक्सपोर्ट्स कं०	3.	वैम ओसीन ट्रेजर्स सी लि०
4.	कार्लिन मेराइन एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०	5.	डायरेक्टोरेट आफ फिशरीज	6.	राहुल एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०

उत्तरी बंगाल में भूटानी मुद्रा

524. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग और सम्पूर्ण उत्तरी बंगाल में भूटानी मुद्रा में धोखाधड़ी के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस समानान्तर मुद्रा पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह कहा गया है कि कम मूल्यवर्ग के नोटों और सिक्कों की कमी के कारण सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग क्षेत्र में व्यापारियों द्वारा भूटानी मुद्रा स्वीकार की जा रही है ।

(ख) कानून के अन्तर्गत भारतीय सीमा के भीतर विदेशी मुद्रा के चलन की अनुमति नहीं दी जाती ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक उक्त जिलों तथा उत्तरी बंगाल के भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मुद्रा राजकोष शाखाओं में सिक्कों तथा 10 रुपये के नोटों की सप्लाई बढ़ा रहा है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने कलकत्ता कार्यालय और इस क्षेत्र में स्थित बैंकों को भी आवश्यक हिदायतें जारी की गई हैं कि वे भूटानी मुद्रा के चलन को रोकने के लिए 10 रुपये के नोटों तथा कम मूल्य के सिक्कों के चलन को बढ़ाये । जलपाईगुड़ी तथा कूच बेहर के जिलाधीश को भी भूटानी मुद्रा के चलन को रोकने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया गया है ।

पेटेंट संशोधन विधेयक

525. **श्री बेल्लैया नंदी :**
लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाशमणि त्रिपाठी :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवादास्पद पेटेंट कानून संशोधन विधेयक 1995 अब तक लम्बित है;

(ख) क्या पेटेंट अंतर्राष्ट्रीय औषध उद्योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है और मौलिक अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करके इसे वाणिज्यिक रूप से लाभकारी बनाने के लिए पेटेंट संरक्षण आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो सभा में पेटेंट (संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया): (क) दसवीं लोक सभा के भंग हो जाने से पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1995 समाप्त हो गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार इस संबंध में सहमति प्राप्त करने के लिए इस विषय पर व्यापक विचार-विमर्श कराने की प्रक्रिया में है ।

दिल्ली में मीनार परियोजना

526. **श्री मोहन रावले :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कोप (एस०सी०ओ०पी०ई०) ने पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेन्टर में "मीनार परियोजना" के वित्तपोषण हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से धन जुटाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ङ) सीमा से अधिक धन और समय लगने के क्या कारण हैं;

(च) क्या इस संबंध में किसी की जवाबदेही निश्चित की गई है;

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) इस "मीनार परियोजना" के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलीमारन): (क) और (ख) सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) ने आज की तारीख तक सरकारी क्षेत्र के उन 41 संघटकों (उपक्रमों) से 168.99 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं, जिन्हें पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट काम्प्लैक्स में मीनार परियोजना में स्थान आबंटित किया गया है ।

(ग) वर्ष 1986 में परियोजना की लागत 74.38 करोड़ रुपये थी और इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया तथा फरवरी, 1996 में इसकी लागत 183.25 करोड़ रुपये आंकी गई थी ।

(घ) इस परियोजना पर अब तक 151.72 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं । इस परियोजना से संबंधित सिविल एवं संरचनात्मक कार्य लगभग पूरे किए जा चुके हैं, केवल परिष्करण संबंधी कार्य शेष हैं जो सेवा संविदाकारों के कार्य समापन पर निर्भर हैं तथा इन संविदाकारों के कार्य की वास्तविक प्रगति करीब 60 प्रतिशत है ।

(ङ) इस परियोजना की लागत एवं समय में वृद्धि अनेक कारणों से हुई, जैसे संघटकों (उपक्रमों) से निधि प्राप्ति में विलम्ब, सम्पूर्ण कार्य स्थल की सुपुर्दगी, बैरकों को हटाने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भवन योजना के अनुमोदन में देरी, प्रारम्भ में खोदी गई मिट्टी को रखने के लिए स्थान की अनुपलब्धता, इस्पात का पुन: प्रबलन न हो पाना, निर्माण हेतु दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम (अब दिल्ली विद्युत बोर्ड) से विद्युत नहीं प्राप्त हो पाना, बदरपुर खान को बन्द करना, विभिन्न आंदोलन एवम् हड़ताल आदि, संविदाकारों द्वारा धीमी गति से कार्य तथा मध्यस्थता की मांग करना, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बन्द किए जाने के आदेश के कारण हीटिंग वेण्टिलेशन और एयर कण्डीशनिंग के संविदाकारों द्वारा कार्य-परित्याग, सेवा संविदाकारों द्वारा अस्वीकार्य दावे करना, विविध अभिकरणों को कार्यचालन स्थलों का उपलब्ध न हो पाना आदि ।

(च) कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया है ।

(छ) यह प्रश्न स्कोप नामक एक संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है, द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजना से संबंधित है और इसलिए प्रत्यक्षत: सरकार से संबंधित नहीं है ।

(ज) इस परियोजना के अप्रैल, 1998 में पूरी हो जाने तथा अक्तूबर, 1998 से चालू हो जाने की सम्भावना है ।

ट्रिप्स एक्सपर्ट ग्रुप में अव्यवस्था

527. **श्री अनंत गुढ़े :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अक्तूबर, 1997 के "द फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "ट्रिप्स एक्पर्ट ग्रुप इन ए मेस ऐस की मेम्बर्स आप्ट आउट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

निर्यातकों को पैकेज

528. **श्री सुरेश प्रभु :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ने विदेशों से व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए निर्यातकों की सहायता करने हेतु व्यापक पैकेज शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह निर्णय लिए जाने से पूर्व निर्यातकों के प्रमुख संगठनों के विचार प्राप्त किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) अभी ई०सी०जी०सी० विदेशी क्रेताओं की ऋण योग्यता और देश की स्थिति का पता लगाने के बाद भारतीय निर्यातकों को भुगतान जोखिम के लिए व्यापक सुरक्षा (वाणिज्यिक और राजनीतिक दोनों ही) प्रदान करता है । ई०सी०जी०सी० द्वारा दी गई सुरक्षा को मोटे तौर पर चार समूहों में बांटा जा सकता है :

1. अल्पावधि ऋण पर निर्यात में होने वाले भुगतान जोखिम से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्यातकों को मानक पालिसी जारी की जाती है और इसी उद्देश्य से कम निर्यात वाले निर्यातकों को छोटे निर्यातकों की पालिसी जारी की जाती है;

2. (क) भुगतान की आस्थगित शर्तों पर निर्यात (ख) विदेशी पार्टियों को प्रदत्त सेवाओं तथा (ग) विदेश में किए जाने वाले निर्माण कार्य और टर्नकी परियोजनाओं में शामिल भुगतान जोखिम भारतीय फर्मों को सुरक्षा दिलाने के लिए बनाई गई विशिष्ट पालिसियां;

3. निर्यातकों को लदान-पूर्व एवं लदान-पश्चात की स्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करते समय उसमें होने वाली हानि की जोखिम से उनकी सुरक्षा करने के लिए भारत में बैंकों को वित्तीय गारंटी जारी की जाती है; तथा

4. विशेष योजनाएं, अर्थात् बैंकों को सुरक्षा देने के लिए स्थानान्तरण गारंटी, जिससे विदेशी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण पत्र की पुष्टि होती है, क्रेता ऋण के लिए बीमा सुरक्षा, लाइन ऑफ क्रेडिट, विदेशी निवेश बीमा और मुद्रा उतार-चढ़ाव जोखिम बीमा ।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय परामर्शी समिति तथा शाखा समन्वय समिति की बैठकें, जिनका आयोजन नियमित अन्तराल पर होता है, के द्वारा ई०सी०जी०सी० निर्यातक समुदाय की राय प्राप्त करती रहती है । इन बैठकों से निगम को भविष्य की योजनाएं तैयार करने में तथा निर्यातकों और संबंधित वाणिज्यिक बैंकों के प्रचालन संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने में सहायता मिलती है । यह निगम प्रमुख निर्यातक संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में भी भाग लेता है तथा ई०सी०जी०सी० द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में उपभोक्ताओं से जानकारी भी प्राप्त करती है । निर्यातक समुदाय को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए यह एक सतत् और नियमित प्रक्रिया है ।

सोने की शुद्धता

529. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमाणीकरण हेतु परिष्करण प्रमाण चिन्ह तथा अन्य संबंधित सुविधाओं तथा सोने और स्वर्ण आभूषण के निर्यात पर शुद्धता नियंत्रण से संबंधित प्राधिकारियों के प्रमाणीकरण अथवा अन्यथा का विकास देश में कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आयातित सोने तथा निर्यात की जाने वाली स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उक्त सुविधाओं को पर्याप्त मानती है;

(घ) क्या उक्त सुविधाओं के स्थान पर संस्थागत तथा कानूनी व्यवस्था तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

विश्व व्यापार संगठन का विवाद संबंधी पेनल

530. **श्री सुरेश कलमाडी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान समिति में हमारे हितों की रक्षा करने हेतु विश्व व्यापार संगठन में भारत के मिशन को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आयात पर मात्रा संबंधी प्रतिबंध और पेटेंट सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यापार संबंधी मामलों के एक वकील सहित कम से कम छह वार्ताकारों के एक दल का गठन करने पर विचार करेगी; और

(ग) विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान समिति में भारत के हितों की उचित रक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य किन-किन कदमों के उठाए जाने पर विचार किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) सरकार डब्ल्यू टी ओ में अपनी प्रभावी उपस्थिति और सहभागिता को बहुत महत्व देती है । जेनेवा में डब्ल्यू टी ओ में भारत के मिशन को सुदृढ़ करने के लिए तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि विवाद निपटान निकाय में भारत के हितों का ध्यान रखा जाता है, प्रभावी उपाय किए गए हैं और किए जाते रहेंगे ।

[हिन्दी]

नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई

531. **श्री भाचर चन्द गेहलोत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान अक्टूबर तक विदेशों में कितने मूल्य वर्ग के सिक्के ढलवाए गए और नोट छपवाए गए;

(ख) उपरोक्त सिक्के और करेंसी नोट किन संस्थानों से ढलवाए और मुद्रित करवाए गए;

(ग) क्या देश में इन करेंसी नोटों की मुद्रण लागत विदेशों में नोटों की मुद्रण लागत से कम है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें विदेश में मुद्रित करवाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) 1994-95, 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 (अक्टूबर, 1997 तक) ढाले गए सिक्कों की संख्या और उन का मूल्यवर्ग निम्नानुसार है :-

सिक्का

	देश में ढाले गए कुल सिक्के (मिलि० अदद में)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अक्टूबर तक)
5 रुपये	256	337	280	168
2 रुपये	262	454	279	133
1 रुपया	379	198	528	352
50 पैसे	341	146	267	215
25 पैसे	404	240	142	66
20 पैसे	22	24	20	3
10 पैसे	10	23	41	16
5 पैसे	30	26	4	-

भारत सरकार ने 1000 मिलियन अदद सिक्कों (1 रुपया मूल्य वर्ग के 700 मि० अदद तथा 2 रुपये मूल्यवर्ग के 300 मि० अदद) का आयात करने का निर्णय किया है । इसके लिए पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं ।

नोट

(आंकड़े मिलि० अदद में)

मूल्यवर्ग	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अक्टूबर, 97 तक)
1	2	3	4	5
1 रुपया	40	-	-	-
2 रुपये	91	-	-	-
5 रुपये	459	177	-	-
10 रुपये	2575	2743	3040	2065
20 रुपये	50	61	109	168
50 रुपये	1041	1177	823	441
100 रुपये	1274	1351	1593	1146
500 रुपये	88	105	59	-

भारतीय रिजर्व बैंक को विदेश से 3600 मि० अदद मुद्रित नोटों (100 रुपये मूल्य वर्ग के 2000 मि० अदद तथा 500 रुपये मूल्यवर्ग के 1600 मि० अदद) का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

(ख) सिक्के मुम्बई/कलकत्ता/हैदराबाद/नौएडा स्थित भारत सरकार की टकसालों में ढाले जाते हैं । 1000 मिलियन अदद सिक्कों का आयात मैसर्स हयूनडाई कारपोरेशन कोरिया (2 रु० के 300 मिलियन अदद) तथा मैसर्स कारा डी मोन्डे डे, मैक्सिको (1 रु० के 700 मिलियन अदद) से किया जा रहा है ।

नोट सरकारी नियंत्रण में विद्यमान दो मुद्रणालयों अर्थात बैंक नोट प्रेस देवास (म०प्र० तथा करेंसी नोट प्रेस नासिक (महाराष्ट्र) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रणधीन दो मुद्रणालयों अर्थात एक सालबोनी में तथा एक अन्य मैसूर में मुद्रित किए जाते हैं । मुद्रित नोट निम्नलिखित फर्मों से आयात किए जा रहे हैं ।

कम्पनी का नाम

(क) कंसोर्टियम

(1) डी ला रूई करेंसी सिक्योरिटी प्रिंट (औपचारिक रूप से टी०ओ०एल०आर० के रूप में प्रसिद्ध)

(2) डेबडेन सिक्योरिटी प्रिंटिंग

(3) अमेरिकन बैंक नोट कारपोरेशन

(4) बंडेसड्रुकेरी जी०एम०बी०एच०*

(ख) क. कंसोर्टियम

(1) जीसेक एंड डेवरिएंट जी०एम०बी०एच०

(2) फ्रांसोइस चार्ल्स ओबेरथर फीडुक्लेयर

(3) ब्रिटिश अमेरिकन बैंक नोट

ख. कनाडियन बैंक नोट कम्पनी

* इस फर्म ने करार निष्पन्न नहीं किया है । बैंक ने प्रस्ताव का पत्र वापिस ले लिया है और यथानुपात आधार पर अन्य दो आपूर्तिकर्ताओं को 100 मिलियन अदद का पुनःआबंटन करने का निर्णय लिया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) मुद्रित नोटों का आयात एक बारगी उपाय के रूप में कमी से निपटने के लिए किया जा रहा है ।

[अनुवाद]

फटे-पुराने करेंसी नोट

532. **श्री विजय पटेल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फटे-पुराने नोट अभी भी चल रहे हैं जो मानकों के खिलाफ हैं और जो जाली नोटों के परिचालन की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल महाराज): (क) जी, नहीं ।

(ख) हालांकि, किसी खास समय पर परिचालन में मौजूद कटे-फटे नोटों का सही अनुमान लगाना कठिन है, तो भी भारतीय रिजर्व बैंक ने 1996-97 (जुलाई-जून) के दौरान परिचालन से वापिस आए सभी मूल्यवर्गों में लगभग 4300 मिलियन अदद कटे-फटे नोट प्राप्त किए हैं ।

(ग) स्थिति पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये के निम्न मूल्यवर्ग के नोटों का सिक्काकरण तथा इस प्रकार बचाई गई क्षमता का उपयोग उच्च मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई के लिए करना ।

(2) नासिक और देवास स्थित दो नोट प्रिंटिंग प्रेसों का आधुनिकीकरण ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन प्रत्येक 4950 मिलियन अदद की क्षमता वाली दो नई नोट प्रिंटिंग प्रेसों की स्थापना अर्थात् एक मैसूर (कर्नाटक) में ओर एक अन्य सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में ।

(4) एक बारगी उपाय के रूप में विदेश से 3,600 मिलियन अदद छपे हुए नोटों का आयात ।

[हिन्दी]

ऋण राहत योजना

533. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1969-90 में ऋण राहत योजना को मंजूरी दी थी;

(ख) क्या मूल योजना के अनुसार योजना में दावा प्राप्त होने के बाद अग्रिम रूप से अथवा पंद्रह दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सहकारी बैंक/प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को राहत की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सहकारी बैंकों/प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को पूरी राहत राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी;

(घ) क्या "नाबार्ड" ने केन्द्रीय सहकारी बैंक राजस्थान के प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों पर पांच प्रतिशत की दर पर 14.69 करोड़ की राशि कम की है और यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(ङ) क्या इस योजना के अनुसार "नाबार्ड" को राजस्थान सहकारी विभाग की ओर से समय पर भुगतान न किए जाने के कारण 40.33 करोड़ रुपये के ब्याज की प्रतिपूर्ति करने हेतु दावे प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो केन्द्र सरकार/नाबार्ड द्वारा उक्त दावे का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल महाराज): (क) से (ङ) माननीय सदस्य का संकेत सम्भवत: कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत (एआरडीआर) योजना, 1990 की ओर है, जिसे वर्ष 1990 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित और क्रियान्वित किया गया था । इस योजना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की चयनित श्रेणी के उन उधारकर्ताओं को ऋण राहत प्रदान किए जाने पर विचार किया गया है जो योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों । राज्य सरकारों ने भी सहकारी बैंकों के उधारकर्ताओं के लिए अपनी योजनाएं प्रतिपादित कीं । जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और आरआरबी द्वारा प्रदान की गई ऋण राहतों की पूर्णत: प्रतिपूर्ति की जानी थी, सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण राहत 50:50 के आधार पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटी जानी थी ।

सहकारी बैंकों द्वारा किए गए दावों का निपटान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दावों की संवीक्षा के बाद और केन्द्र सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) से निधि की उपलब्धता की शर्तों पर चरणबद्ध रूप से किया गया था । इन्हीं उपबंधों के अध्यधीन, नाबार्ड से यह अपेक्षा की गई थी कि वह संवीक्षा के बाद इन दावों को, प्राप्त करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर निपटाए चूंकि सहकारी बैंकों द्वारा किए गए योजना कार्यान्वयन में कुछ कमियां नजर आई थी अत: नाबार्ड ने बैंकों को सलाह दी थी कि अंतिम दावे दर्ज करने के पहले वे सभी दावों का 100 प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करें । बैंकों द्वारा दर्ज किए गए दावों को नाबार्ड द्वारा, इन बैंकों के मुख्य कार्यपालकों द्वारा जारी किए गए ऐसे दावों की सत्यपरकता के प्रमाणपत्र के आधार पर निपटाया गया था ।

बैंकों द्वारा दर्ज किए गए दावों का अंतिम निपटान नाबार्ड द्वारा दाण्डिक ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज, जहां कहीं थी-ऐसे दावों में शामिल किया गया हो, के भाग को घटाकर किया गया

जैसा कि योजना के अन्तर्गत अनुबंध किया गया था । तथापि, जहां कहीं भी संबद्ध एससीबी/एसएलडीबी ने इस बात का प्रमाणपत्र दिया कि उनके दावों में दाण्डिक ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज को अलग किया जा चुका है, वहां ऐसा कोई अपवर्जन नहीं किया गया । जैसाकि राजस्थान एसएलडीबी ने यह प्रमाणपत्र दिया था कि उनके दावों में दाण्डिक और चक्रवृद्धि ब्याज शामिल नहीं है, नाबार्ड ने उनके पूरे दावों का निपटान कर दिया । तथापि, जैसे कि राजस्थान एससबी ने ऐसा प्रमाण-पत्र नहीं दिया था, इसलिए उनके दावे में से दाण्डिक और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में उनके द्वारा उक्त दावे में शामिल 14.68 करोड़ रुपये की राशि कम कर ली गई ।

मार्गनिर्देशों के अनुसार, एआरडीआर योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 31 मार्च, 1991 अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी । यद्यपि राजस्थान में स्थित बैंकों द्वारा दावों के आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ था, नाबार्ड ने, बैंकों द्वारा दर्ज किए गए अनुमानित दावों के आधार पर और यहां तक कि बैंकों द्वारा दर्ज किए गए अंतिम दावों की प्राप्ति और संवीक्षा से पहले ही अग्रिम भुगतान कर दिया था । राजस्थान एससीबी के मामले में, जब तक नाबार्ड के पास अंतिम दावे दर्ज किए जाते, कुल प्रतिपूर्ति की 278.83 करोड़ रुपये की राशि में से 258.53 करोड़ रुपए का अग्रिम पहले ही दिया जा चुका था । इसी प्रकार नाबार्ड के पास अंतिम दावे दर्ज किए जाने से पहले ही कुल प्रतिपूर्ति की 32.62 करोड़ रुपए की राशि में से 29.36 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका था । इस प्रकार राजस्थान एससीबी और एसएलडीबी द्वारा दर्ज किए गए दावों की प्रतिपूर्ति में नाबार्ड की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ। इसके अलावा, एआरडीआर योजना में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि दावों के निपटान में हुई देरी के कारण हुई हानि के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति की जाए ।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री का विदेशी दौरा

534. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्री दिलीप संघानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अक्तूबर, 1997 के "पायनियर" में "एप०एम्स० रशियन विजिट कम्बु ए-क्रोपर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस ने रियक्टरों की पूर्ति के लिए केवल दुर्लभ मुद्रा में भुगतान करने पर लगातार बल दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो तमिलनाडु के कुंडाकुलम विद्युत परियोजना हेतु नाभिकीय रियक्टरों के निर्माण के लिए वर्तमान समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) रूस के प्राधिकारियों के साथ हुई अन्य चर्चाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके क्या निष्कर्ष निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) रूस ने कुंडाकुलम परियोजना के लिए रूसी ऋण की वापसी अदायगी मुक्त रूप से प्रत्यावर्तनीय दुर्लभ मुद्रा में किए जाने को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है रूसी ऋण की वापसी अदायगी के तौर-तरीकों सहित उसकी शर्तें दोनों सरकारों के बीच विचाराधीन हैं ।

(घ) दोनों सरकारों के बीच विचाराधीन वित्तीय मामलों के एक बार निपटान के बाद, वर्ष 1988 के अन्तर्सरकारी करार के अनुपूरक करार के निष्पन्न होने की सम्भावना है, जिससे कुंडाकुलम परियोजना के लिए रूसी पक्ष द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा ।

(ङ) और (च) वित्त मंत्री ने भारत-रूसी अंत:सरकारी आयोग के दो सह अध्यक्षों के बीच अंत-सत्रीय विचार-विमर्श के लिए 5-8 अक्तूबर, 1997 को रूस की यात्रा की तथा रूसी सह-अध्यक्ष, प्रथम उप प्रधान मंत्री मि० ए० चुबेइस तथा रूसी संघ के विदेश आर्थिक संबंध और व्यापार मंत्री मि० एम०ई० फेडकोव के साथ द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग के मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया । फरवरी, 1997 में मास्को में आयोजित अंत:सरकारी आयोग के पिछले सत्र के निर्णयों के कार्यान्वयन के स्तर की समीक्षा की गई। 27-29 नवम्बर, 1997 को नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अंत: सरकारी आयोग के चौथे सत्र की तैयारी के सिलसिले में बैंकिंग तथा वित्त, विद्युत तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों, धात्विकी, पेट्रोलियम, सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परिवहन और व्यापार व आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में द्विपक्षीय कार्यकारी दल और उप-दलों की बैठक के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया ।

डिस्पोजेबल चिकित्सा संबंधी उपकरणों का आयात

535. **श्री सुकदेव पासवान :**
श्री शिवानन्द एच० कौजलगी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिस्पोजेबल चिकित्सा संबंधी उपकरणों के आयात का वार्षिक मूल्य सहित औसत क्या है;

(ख) चिकित्सा से संबंधित इन उपकरणों को आयात करने के क्या कारण हैं;

(ग) इन उपकरणों का आयात करने से स्वदेशी उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) स्वदेशी उपकरण निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) वर्ष 1996-97 के दौरान आयात किये गये प्रयोज्य चिकित्सा उपकरण जैसे सिरिंज, सीवन तथा सुइयां, शल शलांका, पतली ट्यूब आदि की अनुमानित लागत 89 करोड़ रुपये थी ।

(ख) लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधायें मुहैया कराई जानी चाहिये, इस पर विचार करते हुए चिकित्सा उपचार उत्पादों को मुक्त आम लाइसेंस के अन्तर्गत रखा जाता है ।

(ग) और (घ) 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति तथा बाद में किये गये उपायों से देशी विनिर्माणकर्ता अपने उत्पाद को विश्वव्यापी प्रतियोगात्मक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अन्तरण तथा विदेशी इक्यूटी सहभागिता सम्बन्धित निर्माणकर्ताओं सहित निवेश निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होते हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की सिफारिशें

536. **श्री संतोष मोहन देव :**
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत के लिए कुछ नई सिफारिशें की हैं जिनमें कर ढांचे की पुन:संरचना करने और खर्च में कटौती करने, सरकारी क्षेत्र के घाटे को कम करने जैसी बातें शमिल हैं और विश्व संस्था द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले सुधार किए जाने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अधिकारियों ने भारतीय प्राधिकारियों के साथ समायोजन नीति के प्रमुख संघटकों पर कोई बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले और क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा की गई सिफारिशों पर चर्चा की गई है तथा इनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने उर्वरक और खाद्य-राजसहायता जैसे अनुत्पादक व्यय को घटाने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इन सिफारिशों को किस हद तक स्वीकार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल महाराज): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) अनुच्छेद IV 1997 भारत के साथ परामर्श करके 29 अप्रैल 1997 को वाशिंगटन में निष्पन्न किया गया था । कार्यकारी बोर्ड ने 2 जुलाई, 1997 को स्टाफ रिपोर्ट पर चर्चा की । जब तक पदस्थ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबन्ध को स्वीकार नहीं करता तब तक अनुच्छेद IV संबंधी परामर्श कोष तथा सदस्य के बीच केवल एक सहयोग प्रक्रिया के रूप में बना रहेगा और यह बाध्यकारी एजेंडा के तौर पर नहीं होगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में इस सदी के अन्त तक केन्द्रीय सरकार के घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक कम करने के प्राधिकारियों के लक्ष्य का स्वागत किया गया । उन्होंने समग्र सरकारी क्षेत्र के घाटे को कम करने की आवश्यकता के अतिरिक्त, कर आधार को विस्तृत करने की आवश्यकता, कर रियायतों को घटाने तथा हाल की कर दरों में कटौती संपूर्ति करने हेतु कर प्रशासन में सुधार करने पर जोर दिया है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निवेशकों ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की ओर बढ़ने तथा संरचनात्मक सुधारों को सम्मुख लाने की आवश्यकता पर जोर दिया ।

जहां एक ओर राजसहायता के मुद्दे पर सार्वजनिक विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करने के सरकार के दृष्टिकोण का स्वागत किया गया वहीं दूसरी ओर अधिकांश निदेशकों के आधारभूत और सामाजिक क्षेत्रों को दी जाने वाली राजसहायता जैसे अनुत्पादक खर्चों को हटाकर व्यय को पुन: अनुकूल बनाने की आवश्यकता महसूस की । भारत की ओर से हमारे कार्यकारी निदेशक ने संतुलित मूल्यांकन रिपोर्ट का स्वागत किया और बोर्ड को सूचित किया कि हम उनके अमूल्य सुझावों से लाभान्वित होंगे तथा अपने आर्थिक कार्य निष्पादन में सुधार करने के प्रयास को निरन्तर बनाए रखेंगे ।

शराब में विदेशी इक्विटी

537. **श्री प्रमोद महाजन :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शराब और मदिरा में विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत में इक्विटी खरीदने या व्यापार स्थापित करने के लिए अब तक कितनी विदेशी शराब कम्पनियों को स्वीकृति प्रदान की गयी है;

(ग) इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कम्पनी को कितने प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति दी गयी है और प्रत्येक मामले में लगाई गई विशेष शर्तें क्या हैं;

(घ) लगाई गई शर्तों के अनुपालन पर निगरानी के लिए क्या तंत्र है;

(ङ) अब तक पता लगाये गये या सरकार के ध्यान में आए उन मामलों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है, जिनमें शर्तों का उल्लघंन किया गया है/पालन नहीं किया गया है; और

(च) प्रत्येक ऐसे मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) सरकार भारतीय संयुक्त उद्यम भागीदार की मौजूदा लाइसेंस क्षमता के भीतर भारत में बनी विदेशी शराब सहित पेय अलकोहल के उत्पादन के लिए विदेशी निवेश की अनुमति देती रही है ताकि नयी क्षमता का सृजन नहीं हो सके । सभी अनुमोदन इस शर्त पर होते हैं कि उन प्रस्तावित संयुक्त उद्यम भारतीय भागीदार की वर्तमान लाइसेंस क्षमता का उपयोग करेंगे जो वर्तमान वैध लाइसेंसधारी होंगे ।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना

538. **श्री नारायण आठवले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वैछिक आय घोषणा योजना के अन्तर्गत देश के प्रमुख शहरों में अब तक प्रत्यक्ष कर की वसूली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा क्या उपलब्धि हुई है;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों का सहयोग लेने के लिए उठाए गए कदमों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) महाराष्ट्र में विशेषकर मुम्बई में अब तक की गई वसूली का क्या ब्यौरा है तथा योजना के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए आयकर सलाहकारों को इससे कितनी आय होगी तथा इससे योजना के अन्तर्गत क्या लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना, 1997 के अन्तर्गत संसाधन जुटाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए हैं । चूंकि इस योजना में यह व्यवस्था है कि घोषणाओं के संबंध में पूर्ण गोपनीयता रखी जाएगी इसलिए घोषणाकर्ताओं की संख्या अथवा घोषित की गई धनराशियों आदि के बारे में आयुक्तों से केन्द्रीयकृत रूप से ब्यौरे प्राप्त नहीं किये जा रहे हैं ।

(ख) राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया है कि स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना के अन्तर्गत की गई घोषणाओं के आधार पर संगत राज्य अधिनियमों के अधीन कोई जांच-पड़ताल न की जाए ।

(ग) महाराष्ट्र में की गई वसूलियों के ब्यौरे ऊपर भाग (क) में दिए गए कारणों से नहीं दिए जा सकते । सरकार को स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना के अन्तर्गत कर-निर्धारितियों की मदद करने के लिए आयकर सलाहकारों को उद्भूत होने वाली संभावित आय के बारे में जानकारी नहीं है ।

लालमटिया कोयला खानें

539. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पहले लालमटिया कोयला खानों और इसके आस-पास वाली कोयला खानों को समायोजित करके एक अलग कोयला कंपनी बनाने का प्रस्ताव था लेकिन बाद में असंगत शर्तों के कारण इसे छोड़ दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उपर्युक्त कोलफील्ड क्षेत्र के विकास के लिए अलग कंपनी स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की राजमहल परियोजना लालमटिया में स्थित है । ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के देवधर कोलफील्ड तथा राजमहल कोलफील्ड हेतु एक नई कंपनी का प्रस्ताव कोल इंडिया लि० के निदेशक बोर्ड की 29.8.1992 को सम्पन्न 124वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया । कम उत्पादन के कारण बोर्ड एक पृथक कंपनी की स्थापना किए जाने पर सहमत नहीं था । तथापि, यह सुझाव दिया गया कि अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की प्रदत्त शक्तियों के साथ राजमहल को केन्द्रीय निदेशक प्रभार के अधीन रखा जाए, जो इन कोयला क्षेत्रों के तीव्र विकास हेतु आवश्यक कदम उठा सके । राजमहल समूह की खानों हेतु निदेशक पद के सृजन के लिए सरकार के पास एक प्रस्ताव है ।

[हिन्दी]

अफीम, गांजा इत्यादि की तस्करी

540. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे परिचित है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ से अफीम, गांजा तथा चांदी की मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अब तक इस पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वृद्धि दर

541. **श्री पंकज चौधरी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी०एस०ओ०) द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार, 1996-97 के दौरान उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में कुल वृद्धि 6.8 प्रतिशत थी । इसके साथ ही, आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6.0 प्रतिशत की तुलना में 6.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ समाप्त हुई ।

सरकार ने औद्योगिक और समग्र विकास को बढ़ाने के लिए 1997-98 के बजट में बड़ी संख्या में आर्थिक सुधार उपायों की घोषणा की । इनमें आयकर और निगमित कर दरों में कमी, उत्पाद और सीमा शुल्कों का यौक्तिकीकरण, कृषि, उद्योग, व्यापार में प्रतिबंधों को समाप्त करना, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज में स्वायत्ता प्रदान करना आदि शामिल है ।

आर्थिक सुधार

542. **श्री डी०पी० यादव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के हस्तक्षेप में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में आठ प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने से गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या आर्थिक सुधार के कारण भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है परन्तु भुगतान संतुलन संतोषजनक नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आई०एम०एफ०) और विश्व बैंक (डब्ल्यू०बी०) का कोई हस्तक्षेप नहीं है ।

(ग) गरीबी के उन्मूलन का एक स्थायी समाधान आय और उत्पादक रोजगार में लगातार वृद्धि करना है । आर्थिक सुधारों का यह आधारभूत उद्देश्य है । दो मुख्य कारक, जिन पर गरीबी में कमी अन्तिम रूप से निर्भर करती है, ये हैं (1) जनसंख्या की वृद्धि दर तथा (2) सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) की वृद्धि दर । यदि अगले 10-15 वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था में आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत दर पर वृद्धि होती है तो यह संभव है कि उपयुक्त नीतियों से एक पीढ़ी के भीतर गरीबी को दूर किया जा सके ।

(घ) और (ङ) 1991 के बाद से सरकार द्वारा अपनए गए आर्थिक स्थिरीकरण उपायों से सकारात्मक वृहद आर्थिक परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसमें भुगतान संतुलन स्थिरता का तुरंत पुन: दुरस्त करना शामिल है । भारतीय विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों (स्वर्ण तथा एस०डी०आर० को छोड़ कर) में जुलाई, 1991 में केवल एक मिलियन अमरीकी डालर से अक्तूबर, 1997 के अन्त तक 26.2 बिलियन अमरीकी डालर का निरन्तर सुधार हुआ है ।

[अनुवाद]

दानकुनी कोयला परिसर

543. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री हाराधन राय :
क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानकुनी कोयला परिसर भारी वित्तीय संकट से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परिसर पर कोल इंडिया लि० का भारी ऋण बकाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस इकाई के उत्पादों का सही रूप से विपणन नहीं किया जाता है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस इकाई को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) दानकुनी, पश्चिम बंगाल में अवस्थित दानकुनी कोयला काम्पलेक्स (डी०सी०सी०), जोकि एक निम्न ताप का कार्बनीकरण संयंत्र है, को वित्तीय वर्ष (अप्रैल, 97 से अक्तूबर, 97) के दौरान 20 करोड़ रुपये की राशि (अनंतिम) का घाटा हुआ है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उत्तर के भाग (ग) को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ङ) और (च) डच-उत्पादों के उपयुक्त विपणन हेतु मुंबई तथा कलकत्ता में स्टॉकिस्ट नियुक्त किए गए हैं । किंतु, आयात संबंधी उदारीकरण की नीति के कारण डामर रसायनों को कठिन विश्वव्यापी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है ।

(छ) डी०सी०सी० की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) संयत्र की क्षमता में वृद्धि किए जाने के लिए ग्रेटर कलकत्ता गैस आपूर्ति निगम (जी०सी०जी०एस०सी०) को गैस की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने के साथ-साथ गैस की लाभकारी कीमत प्रदान करने के लिए जी०सी०जी०एस०सी० को अनुरोध करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विचार-विमर्श ।

(2) कीमती रसायनों, जैसे कि क्लोराक्साइसीनोल, क्लोरोफेनॉल आदि का उत्पादन करना ।

कानपुर की भारत-डच परियोजना

544. **श्री उत्तम सिंह पवार :** क्या वित्त मंत्री 25 फरवरी, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 492 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कानपुर में भारत-डच परियोजना जो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पहले से ही स्वीकृत कर दी गई है, संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और

(घ) इस पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) "गंगा कार्य योजना सहायता परियोजना" (जी०ए०पी०एस०पी०) नामक परियोजना के लिए 51.240 मिलियन नीदरलैंड्स गिल्डर की राशि हेतु भारत सरकार तथा नीदरलैंड्स की सरकार के बीच 23.7.97 को एक अनुदान करार पर हस्ताक्षर किए गए । इस परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- गंगा नदी के प्रदूषण बोझ को कम करना; और
- भारतीय परिप्रेक्ष्य में शहरी पर्यावरण में सुधार लाना, इस प्रकार शहरी नागरिकों विशेषकर गंदी बस्तियों में रहने वालों के रहन-सहन की कि स्थितियों को सुधारना । इस परियोजना की अवधि 1 अक्टूबर, 1996 से 1 अक्टूबर, 2000 तक 4 वर्ष होने का अनुमान है ।

[हिन्दी]

ग्रेनाइट का निर्यात

545. **श्री नरेन्द्र बुडानिया :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्रेनाइट के निर्यात में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस क्षेत्र में भारत को कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो ग्रेनाइट का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) भारतीय ग्रेनाइट का निर्यात वर्ष 1985 में हुए 50 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1995-96 में 1065 करोड़ रुपये हो गया । विश्व बाजार में भारत का हिस्सा 14 प्रतिशत है । भारत कोरिया गणराज्य, इटली, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है ।

(ग) प्रसंकृत ग्रेनाइट का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में ग्रेनाइट उद्योग और व्यापार के विकास के बारे में राज्यों के खान मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया है जिसमें ग्रेनाइट उद्योग की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया और इस बारे में दिए गए अन्य सुझावों में शामिल हैं : निर्यातोन्मुख इकाईयों को ग्रेनाइट के ब्लाकों की आपूर्ति करने लालों को 80 एच एच सी का लाभ उपलब्ध कराना; पूंजीगत सामान के शुल्क मुक्त आयात की सीमा को कम करना; और ग्रेनाइट निर्यातोन्मुख एककों को ई पी सी जी योजना के अन्तर्गत खनन उपकरणों के आयात की अनुमति भी प्रदान करना ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों को लाभ/हानि

546. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान देश में कार्यरत प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक का लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा बैंकों को और अधिक प्रभावी तथा लाभकारी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना/तुलन पत्र के

अनुसार, देश में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों के वर्ष 1996-97 के निवल लाभ और हानियां नीचे दी गई हैं :-

बैंक का नाम	निवल लाभ/हानि (राशि करोड़ रुपये)
इलाहाबाद बैंक	64.3
आन्ध्रा बैंक	35.7
बैंक आफ बड़ौदा	276.53
बैंक आफ इंडिया	360.02
बैंक आफ महाराष्ट्र	47.26
केनरा बैंक	147.4
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	150.83
कार्पोरेशन बैंक	125.13
देना बैंक	72.91
इंडियन बैंक	-389.09
इंडियन ओवरसीज बैंक	104.51
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	180.25
पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	20.00
पंजाब नैशनल बैंक	237.71
सिंडिकेट बैंक	66.96
यूको बैंक	-176.23
यूनियन बैंक आफ इंडिया	215.63
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	-113.64
विजया बैंक	18.96

(ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों पर अपने ऋण मूल्यांकन तंत्र को मजबूत बनाने तथा अग्रिमों का बारीकी से पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने, अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली में सुधार करने के लिए प्रभावी उपाय करने और अपने उपरिव्यय को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है । भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यनिष्पादन की आवधिक रूप से निगरानी कर रहे हैं ।

बैंकों द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर शुल्क लिया जाना

547. **श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अक्तूबर, 1997 को "इंडियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली में प्रकाशित "50 बैंक्स अंडर प्रोब फार ओवर चार्जिंग कस्टमर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र का लाभ उठाते हुए ग्राहकों से निर्धारित दर से अधिक दर पर शुल्क के रूप में 1991 से ही कई करोड़ रुपये वसूल किए जाते रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 2 सितम्बर, 1991 को सभी बैंकों से कहा है कि उन्हें अपने ऋणकर्ताओं को "समानुपातिक आधार" पर ब्याज-कर अन्तरित करना चाहिए । बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे भारतीय बैंक संघ (आइबीए) से परामर्श करके इस संबंध में एक समान प्रथा का अनुसरण करें । आईबीए ने दिनांक 9 अक्तूबर, 1991 के परिपत्र द्वारा अपने सभी सदस्य बैंकों को सलाह दी थी कि 3 प्रतिशत ब्याज कर सहित ब्याज लगाया जाना चाहिए और उसे अगले 0.25 प्रतिशत तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यह बताते हुए कई शिकायतें मिली हैं कि ब्याज दरों पर कर को अगले 0.25 प्रतिशत तक पूर्णांकित करना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि कर 3 प्रतिशत लेवी द्वारा दिए गये वारंट से कहीं अधिक होता है । ग्राहकों और संगठनों के सामने आ रही कठिनाइयों तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बैंक 2.00 लाख रुपये से अधिक का अग्रिम राशि पर अपनी स्वयं की उच्चतम ऋण दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है । भारतीय रिजर्व बैंक का विचार है कि ब्याज पर ब्याज-कर लगाने के बाद उसे पूर्णांकित करने की एक समान प्रथा का अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है । तद्नुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए निर्देश जारी किए हैं कि 2 प्रतिशत ब्याज-कर (जिसे अब 3 प्रतिशत से कम कर दिया गया है) सहित ब्याज-दर को पूर्णांकित नहीं किया जाना चाहिए ।

कोयला क्षेत्र में निवेश

548. **श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : क्या कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान अधिनियमों और नियमों में निजी निवेश के बारे में प्रतिबंधात्मक प्रावधान होने के कारण कोयला क्षेत्र अपेक्षित निवेश से वंचित रह गया है; और

(ख) यदि हां, तो कोयला क्षेत्र तथा आधार-भूत ढांचे के लिए आवश्यक वृहद निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अड़चनों

को दूर कर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को व्यवसायिक रूप से चलाकर उन्हें "महारत्न" का दर्जा देने तथा कोयला खान अधिनियम तथा कानून में उचित परिवर्तन हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए हैं अथवा निकट भविष्य में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद, वर्ष 1993 तक केवल सरकारी कंपनियां ही कोयला खनन में निवेश कर सकती थीं । किन्तु, योजना आयोग द्वारा की गई कार्रवाई से यह निर्दिष्ट होता है कि यद्यपि सरकारी कंपनियों द्वारा निवेश किए जाने में पर्याप्त वृद्धि हुई है, तथापि नौवीं योजना के अंत तक तथा दसवीं योजना अवधि के दौरान मांग तथा आपूर्ति के बीच के अंतराल में वृद्धि होगी ।

(ख) कोयला क्षेत्र में और अधिक निवेश किया जा सके, इस उद्देश्य से सरकार निजी निवेश को सुनिश्चित किये जाने हेतु कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार कर रही है । इस संबंध में कर्मचारी संघों से विचार-विमर्श शुरू किया जा चुका है, ताकि विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके ।

निजी कम्पनियों में यू०टी०आई० द्वारा निवेश

549. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यू०टी०आई० द्वारा 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1996 के दौरान खरीदे गये निजी कम्पनियों के असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की कुल लागत कितनी है;

(ख) यू०टी०आई० द्वारा 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1996 के दौरान निजी तौर पर या खरीद के द्वारा निजी कम्पनियों के खरीदे गये सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की कुल लागत कितनी है;

(ग) 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1996 के दौरान यू०टी०आई० द्वारा खरीदे गये निजी कम्पनियों के असूचीबद्ध परिवर्तनीय डिबेंचरों की कुल लागत क्या है;

(घ) यू०टी०आई० द्वारा 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1996 के दौरान निजी तौर पर या खरीद के द्वारा निजी कम्पनियों के खरीदे गये सूचीबद्ध परिवर्तनीय डिबेंचरों की कुल लागत क्या है; और

(ङ) 1 अप्रैल, 95 से 30 जून, 96 के दौरान उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित कम्पनियों से कुल कितना लाभांश प्राप्त हुआ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि 1.7.92 से 30.6.96 तक की अवधि में खरीदे गए असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की कुल लागत 75.23 करोड़ रु० थी ।

(ख) 1.7.92 से 30.6.96 तक की अवधि में निजी व्यवस्था/खरीद सौदों के जरिए खरीदे गए सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की कुल लागत 1258.60 करोड़ रु० थी ।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि इसने निजी लिमिटेड कम्पनियों के असूचीबद्ध परिवर्तनीय डिबेंचरों में कोई निवेश नहीं किया ।

(घ) 1.7.92 से 31.3.96 के दौरान निजी क्षेत्र की कम्पनियों के भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अधिदत्त किए गए परिवर्तनीय डिबेंचरों की कुल लागत 462.27 करोड़ रु० थी ।

(ङ) असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों [(क) में उल्लिखित] के संबंध में भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा प्राप्त लाभांश की कुल राशि 0.10 करोड़ रु० थी और सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों [(ख) में उल्लिखित] के संबंध में यह राशि 58.99 करोड़ रु० थी ।

गोइन्दवाल में नाभिकीय औद्योगिक परिसर

550. **श्री मेजर सिंह उबोक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के अमृतसर जिले में गोइन्दवाल भारत का पहला नाभिकीय औद्योगिक परिसर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त काम्पलेक्स के लिए कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है; और

(घ) वहां कितने और कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां स्थापित की गई हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने जुलाई, 1980 के अपने औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार औद्योगिक रूप से पिछड़े पाये गये क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए देश में नाभिकीय औद्योगिक परिसरों की स्थापना करनी थी । उपर्युक्त विवरण के अनुसरण में, पंजाब सरकार ने भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करके पंजाब के अमृतसर जिले में गोइन्दवाल साहिब में पहला नाभिकीय औद्योगिक परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया और अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में गोइन्दवाल औद्योगिक और निवेश निगम को वर्ष 1981 में संस्थापित किया था ताकि निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए काली सतहयुक्त सड़कें, नल से जलप्रदाय, भूमिगत मलव्यवस्था, निकास, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना, निरंतर विद्युत की आपूर्ति, शैक्षणिक सुविधाओं, दूरसंचार सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य सेवा सुविधाओं के माध्यम से अवसंरचना का सृजन किया जा सके । इस समय, एक स्पिनिंग मिल और एक कागज मिल चालू हो गई है । नौवीं

पंचवर्षीय योजना में और अधिक औद्योगिक इकाईयों के स्थापित किये जाने की भी आशा है । अब, लगभग 3,000 श्रमिक रोजगार में हैं । राज्य सरकार परिसर में औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है । क्षेत्र को रेलमार्ग द्वारा व्यास से जोड़ा गया है ।

(ग) परिसर के लिए 909 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है।

(घ) मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लि० और दि गोइन्दवाल कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० ने परिसर में अपनी "इकाईयों" की स्थापना की है । किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने किसी भी इकाई की स्थापना नहीं की है ।

उच्च शिक्षा के लिए ऋण

551. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारत अथवा विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को ऋण सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और ऐसे ऋणों को विनियमित करने से संबंधित शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए ऋणों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारत में और भारत से बाहर उच्च अध्ययन के लिए जरूरतमंद छात्रों को शैक्षिक ऋण प्रदान करने की योजनाएं तैयार की है । जबकि बैंकों के विभिन्न मानदंड हैं, तथापि, समान्यतया 25,000/- रुपये तक के ऐसे ऋणों के लिए कोई मार्जिन राशि अपेक्षित नहीं है, लेकिन 25,000/- रुपये से अधिक के ऋणों के लिए 15-25 प्रतिशत के बीच मार्जिन राशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जा सकती है । इसके अलावा, बैंक सामान्यतया वापसी अदायगी की मासिक किस्तें निर्धारित करते हैं, जो पाठ्यक्रम पूरा होने के एक वर्ष बाद या छात्र द्वारा रोजगार शुरू करने के एक महीने बाद, जो भी पहले हो, आरंभ होती है।

वर्तमान में, इन ऋणों की ब्याज दरें निम्नानुसार हैं :-

25,000/- रुपये तक के ऋण	12 प्रतिशत वार्षिक
25,000/- रुपये से अधिक और 2,00,000/- रुपये तक के ऋण	13.50 प्रतिशत वार्षिक
2,00,000/- रुपये से अधिक ऋणों के लिए	ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं।

यद्यपि शैक्षिक ऋण निर्बंध आधार पर मंजूर किए जाते हैं, तथापि गारंटी/संपार्श्विक प्रतिभूति प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर ली जाती है ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मार्च 1994, मार्च 1995 और मार्च 1996 को समाप्त अवधि के लिए बकाया शैक्षिक ऋणों के आंकड़ों (नवीनतम उपलब्ध) को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

मार्च 1994, मार्च 1995 और मार्च 1996 को समाप्त अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिक्षा के संबंध में दिए गए बकाया ऋणों का ब्यौरा

(रु० करोड़ में)

क्रम सं०	बैंक का नाम	मार्च, 1994		मार्च, 1995		मार्च, 1996	
		खातों की सं०	बकाया राशि	खातों की सं०	बकाया राशि	खातों की सं०	(अनन्तिम) बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद बैंक	117	34362	106	6495	101	7188
2.	आन्ध्रा बैंक	906	63040	725	51435	887	5510
3.	बैंक आफ बड़ौदा	3531	117213	3157	126000	3329	83760
4.	बैंक आफ इंडिया	3573	86057	3915	96086	8940	112862
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	641	12630	1056	26346	1077	21756
6.	केनरा बैंक	21692	549407	22996	651571	25498	857763
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2697	25232	2694	31534	3257	71911

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	कारपोरेशन बैंक	596	12885	708	17233	676	81238
9.	देना बैंक	1020	11028	1005	14382	922	15544
10.	इंडियन बैंक	360	5820	531	34310	1157	71616
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1051	16080	1221	36533	1169	30163
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	88	3108	88	3190	284	4491
13.	पंजाब नैशनल बैंक	769	20915	763	20273	586	25489
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	51	727	27	1710	27	1645
15.	सिंडिकेट बैंक	8186	129098	7573	125018	6313	110945
16.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	819	8825	734	9008	763	9526
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	990	21960	1073	30037	1221	45840
18.	यूको बैंक	46	10958	687	9576	687	9576
19.	विजया बैंक	835	12180	892	21008	946	33554
	योग :	48563	1141525	49951	1313056	52860	1586955

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये बैंक सेवा

552. **श्री विजय हाण्डिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता के लिए बैंक सेवा को बढ़ावा देने के लिए 1995 में गुवाहाटी में स्थापित पूर्वोत्तर विकास वित्त संस्थान को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या इस संस्थान की वास्तविक आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या और अधिक धन प्राप्त करने के लिये असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों ने केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में बैंक सेवा को और बढ़ावा देने के लिये किसी गैर-सरकारी संस्था के प्रयास को प्रोत्साहित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बर्मा के साथ व्यापार

553. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मार्च 1995 में बर्मा के साथ व्यापार के लिए सीमा को खोलते समय व्यवसायियों और व्यापारियों को क्या आश्वासन दिए गए थे;

(ख) इनमें से किन-किन आश्वासनों को पूरा कर दिया गया है; और

(ग) अन्य आश्वासनों को पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) सरकार ने अप्रैल, 1995 में मोरेह-तामु मार्ग के जरिए म्यांमार के साथ सीमा व्यापार को खोलते समय संकेत दिए थे कि म्यांमार का दौरा करने वाले व्यापारियों को विदेशी मुद्रा ले जाने, बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और म्यांमार से चावल के आयात को अनुमति देने जैसी कुछ सुविधायें प्रदान की जाएंगी । उपर्युक्त के निष्पादन के लिए सरकार ने म्यांमार का दौरा करने वाले व्यापारियों को सात दिन के लिए 350 अमरीकी डालर तक विदेशी मुद्रा ले जाने की अनुमति दी है । बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं, जिसमें शामिल हैं, सड़कों का विकास, बैंकिंग, सीमाशुल्क, आप्रवासन सुविधायें इत्यादि । म्यांमार के साथ सीमा व्यापार के लिए 22 व्यापार योग्य मदें अभिज्ञात की गई हैं और म्यांमार से सीमित मात्रा में चावल के आयात की अनुमति दी गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व बैंक द्वारा महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

554. **श्री राजा भाऊ ठाकरे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा कुल कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई और विश्व बैंक द्वारा किन-किन क्षेत्रों/सेक्टरों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है;

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास उक्त राज्य से संबंधित कितनी परियोजनाएं अनुमोदन के लिए लंबित पड़ी हैं और कब से; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हां । महाराष्ट्र राज्य में विश्व बैंक की सहायता से चल रही राज्य क्षेत्र की 5 परियोजनाएं हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है :-

(मिलियन अमरीकी डालर में)

	परियोजना का नाम	ऋण राशि करोड़ में	क्षेत्र
1.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वच्छता	109.09	जल संसाधन प्रबन्ध
2.	बम्बई मल व्ययन निपटान	192.00	जल संसाधन प्रबन्ध
3.	महाराष्ट्र विद्युत	337.33	विद्युत
4.	द्वितीय महाराष्ट्र विद्युत	350.00	विद्युत
5.	महाराष्ट्र आपातकालीन भूकम्प पुनर्वास	220.70	शहरी

राज्य क्षेत्र की इन परियोजनाओं के अतिरिक्त, द्वितीय तकनीशियन शिक्षा परियोजना नाम की एक बहुराज्यीय परियोजना और केन्द्र सरकार की कई परियोजनाएं हैं जिनमें महाराष्ट्र राज्य लाभभोगी है ।

(ग) और (घ) संघ सरकार के पास महाराष्ट्र राज्य हेतु विश्व बैंक की संभाव्य सहायता से चलने वाला कोई परियोजना प्रस्ताव लम्बित नहीं है ।

[हिन्दी]

लघु पेपर मिल

555. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी लघु पेपर मिलों की स्थापना कहां-कहां की गई है;

(ख) क्या सरकार लघु पेपर मिलों को कच्चे माल के रूप में कृषि सामग्री का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित कर रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में बड़े पेपर मिलों की तुलना में लघु पेपर मिलों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे कागज की मात्रा का अनुपात कितना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) पेपर उद्योग पूर्ण रूप से लाइसेन्स मुक्त है । गत तीन वर्षों के दौरान पेपर उद्योग के लिए दायर किए गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापनों और जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	औद्योगिक उ०ज्ञा० की संख्या	आशय पत्रों की संख्या
1995	355	13
1996	271	7
1997	128 (31.10.97 तक)	2 (17.7.97 तक)

(ख) जी, हां ।

(ग) उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत लघु मिलों से उपलब्ध कराया जाता है ।

[अनुवाद]

इलायची का मूल्य

556. **श्री प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इलायची उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया): (क) अगस्त-जुलाई (1996-97) की अवधि के दौरान छोटी इलायची की अखिल भारतीय औसत कीमत 365.82 रु० प्रति कि०ग्रा० थी जबकि अगस्त-जुलाई (1995-96) के दौरान यह 201.58 रु० प्रति कि०ग्रा० थी । चालू वर्ष के पिछले 3 महीनों के दौरान इलायची की कीमतों में मिश्रित रुख प्रदर्शित रहा है जैसा कि नीचे दिए गए विस्तृत विवरण से उल्लेख किया जा सकता है :-

1997

अगस्त : 269.08 रु० प्रति कि०ग्रा०

सितम्बर : 303.38 रु० प्रति कि०ग्रा०

अक्तूबर : 275.95 रु० प्रति कि०ग्रा०

(स्रोत : मसाला बोर्ड)

कीमतों का मिश्रित रुख मुख्यत: बाजार की इस आशा के कारण रहा है कि चालू वर्ष के दौरान छोटी इलायची का अधिक उत्पादन हुआ है ।

(ग) और (घ) जी हां, उत्पादकों के लिए लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाने के लिए प्रस्तावित कुछ कदमों में शामिल हैं :-

1. बंबई जैसे उपभोग केन्द्रों के नजदीक निलामकर्ताओं को लाइसेंस देना ।
2. नेपाल के रास्ते गुवाटेमाला से इलायची की कथित तस्करी की शिकायतों के विरुद्ध राजस्व विभाग एवं अन्य सभी सीमाशुल्क प्राधिकारियों एवं उनके क्षेत्रीय संगठनों को सावधान करना;
3. उत्तर और पश्चिम भारत में उपभोक्ता पैकों में इलायची को बढ़ावा देना; तथा
4. मध्य पूर्व के गंतव्यों को उपभोक्ता पैकों में होने वाले छोटी इलायची के निर्यात के लिए 20 रु० प्रति कि०ग्रा० की दर पर वायु भाड़ा शुल्क की प्रतिपूर्ति और इलायची के निर्यात पर उपकर के भुगतान में छूट ।

केन्द्रीय सहायता

557. **श्री रजनीब बिसवाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवें वित्त आयोग ने कुछ राज्यों को योजना राजकोषीय घाटा अनुदान देने की सिफारिश नहीं की है;

(ख) क्या कुछ राज्यों को विशेष रूप से योजनान्तर्गत राजस्व व्यय का प्रावधान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उड़ीसा जैसे राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) दसवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिये योजना राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश नहीं की है ।

(ख) से (घ) नवें वित्त आयोग द्वारा 1990-95 की अवधि के दौरान राज्यों को संस्तुत 106036 करोड़ रुपये की तुलना में दसवें वित्त आयोग के तहत 1995-2000 की अवधि के दौरान कुल 226643 करोड़ रुपये के अंतरण का अनुमान है । 1990-95 की पूर्ववर्ती पंचवार्षिक अवधि के दौरान नवें वित्त आयोग (एन०एफ०सी०) द्वारा उड़ीसा को सिफारिश किये गये 5523.04 करोड़ रुपये की तुलना में दसवें वित्त आयोग द्वारा 1995-2000 की अवधि के दौरान 9706.55 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये जाने का अनुमान है । दसवें वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत 1995-2000 की अवधि के दौरान उड़ीसा सहित राज्यों को दी जाने वाली हस्तांतरण राशि में पर्याप्त वृद्धि की गयी है । दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें भारत सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृत कर ली गयी हैं अत: केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 1995-2000 की अवधि के दौरान स्रोतों से हस्तांतरण दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही किया जाएगा ।

राज्य सरकारों के वार्षिक योजना के वित्तपोषण के लिए संसाधन अपेक्षाओं के आंकलन का कार्य योजना आयोग द्वारा राज्यों के परामर्श से किया जाता है । योजना आयोग द्वारा वर्ष 1997-98 के लिये उड़ीसा की अंतिम रूप से स्वीकृत वार्षिक योजना को पूरा धन मुहैया करा दिया गया है । वित्त आयोग द्वारा आबंटित राशि के अलावा भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध करवाने संबंधी कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पता लगाए गए जांच घोटाले

558. **डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997 (1 नवम्बर तक) के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बैंक तथा सरकारी कार्यालयों में पता लगाए गए वित्तीय घोटालों की संख्या कितनी है;

(ख) इन बैंकों/निकायों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और इससे कितनी धनराशि वसूल की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

बिहार में रुग्ण उद्योग

559. **श्री ब्रज मोहन राम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के बड़े रुग्ण उद्योगों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) ये उद्योग कब से बन्द पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सोनघाटी पोर्ट लैण्ड सीमेंट फैक्टरी को पुन: चालू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक चालू किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार बिहार राज्य के विभिन्न रुग्ण उद्योगों को पुन: चालू करने का है; और

(च) यदि हां, तो इन उद्योगों को पुन: चालू करने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उद्योग-वार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (च) देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किये जाते हैं । नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 1996 के अंत में बिहार में 56 गैर लघु उद्योग रुग्ण एकक थे । ये मुख्यत: इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रिकल, शुगर, वस्त्र, कागज, लोहा तथा इस्पात और रसायन एकक हैं ।

औद्योगिक रुग्णता के लिए अकसर मिश्रित रूप से संचालित अनेक कारण बाह्य तथा आन्तरिक दोनों ही उत्तरदायी रहे हैं ।

सरकार ने औद्योगिक रुग्णता के पुनरुज्जीवन के लिए अनेक कदम उठाये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश, स्वस्थ एककों के साथ रुग्ण एककों का समामेलन, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशिष्ट-प्रावधान) अधिनियम के तहत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना राष्ट्रीय नवीकरण कोष, राष्ट्रीय इक्विटी कोष इत्यादि शामिल हैं ।

[अनुवाद]

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में केबल की चोरी

560. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1997 के प्रथम सप्ताह में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की नयागांव (मध्य प्रदेश) स्थित इकाई में 5 लाख रुपये के केबल की चोरी की घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केबल तथा अन्य वस्तुओं की चोरी की ऐसी घटनायें पहले भी हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) 2/3 अक्तूबर, 1997 की रात में नयागांव सीमेंट फैक्टरी में केबल चोरी की एक घटना हुई थी । लगभग 1.05 लाख रुपये मूल्य की करीब 50 मीटर लम्बी कॉपर कंडक्टर पॉवर केबल की चोरी हुई थी । चुराई गई केबल की मढ़ाई की सामग्री पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) नयागांव इकाई के पिछले कुछ वर्षों के विवरण निम्नानुसार हैं :-

1993-94	56,000 रुपये मूल्य का सामान चोरी हुआ ।
1994-95	29,000 रुपये मूल्य का सामान चोरी हुआ ।
1995-96	शून्य
1996-97	शून्य
1997-98	उपरोक्त (क) में उल्लेखानुसार ।

चोरी के सभी मामलों में पुलिस के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज कराई गई थी । इसके अलावा, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए चोरी के सम्भावित क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करने, प्रकाश व्यवस्था में सुधार करने आदि जैसे उपाय किए गए । वर्ष 1993-94 में चोरी हुआ 20,000/- रुपये का माल बरामद कर लिया गया ।

घसलीटांड दुर्घटना

561. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घसलीटांड खान में दुर्घटना की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) उत्तर के भाग (क) को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठते हैं ।

पहाड़गोड़ा कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

562. **श्री हाराधन राय :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में सालनपुर में पहाड़गोड़ा कोयला खान के राष्ट्रीयकरण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

घरेलू उपयोग के लिए कोयले की आपूर्ति

563. **श्री हंसराज अहीर** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० के वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में काम करने वाले श्रमिकों को घरेलू उपयोग के लिए कोयला दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह रिपोर्ट मिली है कि अधिकांश श्रमिक इस कोयले को बाजार में कोयला व्यापारियों को बेचते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोयले के स्थान पर श्रमिकों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे; और

(च) यदि हां, तो उन्हें यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) जी, हां । वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से प्राप्त आसूचना रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के कालोनी/कोलियरी अहाते में रह रहे कामगार/श्रमिक सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा सख्ती से जांच/नियंत्रण किए जाने के कारण अवैध रूप से कोयले को बेचने की स्थिति में नहीं हैं । किन्तु वे कामगार जो कोलियरी से बाहर निजी आवास (कोलियरी क्षेत्र से दूर) में रह रहे हैं उनमें अपने निजी लाभ के लिए प्राइवेट पार्टियों/कोयला व्यापारियों को कोयले की बिक्री करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रेषित कोयला निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच सके, यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर आकस्मिक जांच की जाती है । सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा जब्त किए गए कोयले अथवा उससे संबंधित मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

(ङ) और (च) श्रमिकों को चरणबद्ध रूप में मुफ्त कोयला प्रदान किए जाने के बदले में उन्हें एल०पी०जी० की सुविधा प्रदान की जा रही है । यह सुविधा चरणबद्ध रूप में है तथा इसे पांच वर्ष के भीतर पूरा किए जाने की सम्भावना है जोकि गैस डिपो में गैस की उपलब्धता तथा कामगारों द्वारा इसे स्वीकार करने की स्थिति पर निर्भर करती है ।

विवरण

क्रम संख्या	तारीख	क्षेत्र	इकाई	अंतर्ग्रस्त मात्रा	अंतर्ग्रस्त धनराशि	वसूल की गई मात्रा	वसूल की गई धनराशि	गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या	एफ०आई०आर० संख्या
1.	25.5.95	बल्लारपुर	बीओसीएम	1 मि०ट०	600/-	1 मि०ट०	600/-	1	459/95 3/7 ईसी एक्ट
2.	25.5.95	- तदैव -	- तदैव -	- तदैव -	- तदैव -	- तदैव -	- तदैव -	- तदैव -	460/95 3/7 ईसी एक्ट
3.	25.5.95	- तदैव -	- तदैव -	- तदैव -	- तदैव -	- तदैव -	- तदैव -	- तदैव -	461/95 3/7 ईसी एक्ट
4.	6.1.97	बल्लारपुर	सास्ती	1.5 मि०ट०	1500/-	1.5 मि०ट०	1500/-	3	2/97,3/97,4/97 41(1) डी आईपीसी
		जोड़		4.5 मि०ट०	3300/-	4.5 मि०ट०	3300/-	6	

[अनुवाद]

राजकोषीय नीतियां

564. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी राज्यों ने राजकोषीय नीतियां बनाने में और अधिक स्वायत्तता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) उत्तरी राज्यों में राजकोषीय नीतियां बनाने में और अधिक स्वायत्तता की मांग संबंधी कोई विशेष प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

साधारण बीमा निगम

565. **श्री सौम्य रंजन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम (जी०आई०सी०) और इसकी सहायक कम्पनियां कर्मचारी संघों/एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक पूर्वनिर्धारित बैठकें आयोजित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा बुलाई गई पूर्वनिर्धारित बैठकों का ब्यौरा क्या है । और उनके द्वारा आमंत्रित किये गये कर्मचारी संघों/एसोसिएशनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कुछ कर्मचारी संघों/एसोसिएशन को नहीं बुलाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

566. **श्री रूप चन्द पाल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकृत व्यापार नीति के तहत आयातित उपभोक्ता वस्तुओं से प्रतिबंध चरणबद्ध रूप से हटाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन उपभोक्ता वस्तुओं के मद-वार नाम क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां । (ख) आयात पर बचे हुए मात्रात्मक प्रतिबंधों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए भारत की योजना में वे मदें जिनके संबंध में भुगतान संतुलन के उद्देश्य से आयात प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनमें शामिल हैं :- कच्चा माल, संघटक पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं, जिनमें कृषि-जन्य, वस्त्र और औद्योगिक वस्तुएं भी हैं :- जैसे कि सब्जियां और फल, समुद्री उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य, धागे और फैब्रिक्स, मेड अप्स, रसायन और उर्वरक, सौंदर्य प्रसाधन, जूते, टोपी और वैसी ही चीजें, रत्न और आभूषण, धातु और धातु विनिर्माण, मशीनी और बिजली की मशीनरी, उपकरण और औजार तथा मोटर वाहन ।

संपत्ति अधिकार अधिनियम

567. *श्री लिंगाराज वल्याल : क्या* **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसानों के अधिकारों की रक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किस कानून के अंतर्गत?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ख) जी, हां । प्लांट वैराइटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइटरस बिल, 1997 के प्रारूप में किसानों के अधिकारों की रक्षा की गई है ।

[हिन्दी]

थोक मूल्य तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में रखी गयी वस्तुयें

568. **प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए चयनित वस्तुओं की संख्या में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो सूचकांकवार इनके लिए कितनी वस्तुओं का चयन किया गया है;

(ग) इन वस्तुओं के उपयोग को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं का स्तर क्या है जिसके आधार पर वस्तुओं का चयन किया गया है; और

(घ) देश की कुल जनसंख्या की तुलना में इन उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) थोक मूल्य सूचकांक में 447 मदें शामिल हैं जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगार) में वस्तुओं और सेवाओं की संख्या 260 है । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की संरचना औद्योगिक कामगारों के परिवार बजट सर्वेक्षण पर आधारित होती है; जबकि थोक मूल्य सूचकांक अर्थव्यवस्था में चुनिन्दा व्यापारिक वस्तुओं की थोक कीमतों को प्रतिबिम्बित करता है । थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखलाओं और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखलाओं के बीच अन्तर उन विशिष्ट उद्देश्यों के कारण होता है जिन्हें दोनों श्रृंखलाओं में से प्रत्येक को पूरा करना अपेक्षित है ।

थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

569. **श्री नीतीश कुमार :**
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 1997 के अन्तिम सप्ताह में उक्त सूचकांकों की स्थिति क्या है;

(ग) इन दोनों सूचकांकों में इस भारी अन्तर के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस अन्तर को कम करने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक अर्थव्यवस्था में चुनिन्दा व्यापारिक वस्तुओं के थोक मूल्यों को मानीटर करता है जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आई०डब्ल्यू०) औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपभोज्य वस्तुओं और चुनिन्दा सेवाओं के समूह के खुदरा मूल्यों को परिलक्षित करता है । दोनों श्रृंखलाएं वस्तुओं के भिन्न-भिन्न समूहों की कीमतों में उतार-चढ़ाव को परिलक्षित करती हैं । थोक मूल्य सूचकांक साप्ताहिक रूप से परिकलित होता है जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माहवार परिकलित किया जाता है । सितम्बर, 97 के अंतिम सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981-82) 329.1 (अ.) पर था जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आई.डब्ल्यू.) (1982=100) सितम्बर, 1997 में 361 था ।

(ग) से (ङ) दोनों मूल्य सूचकांक वस्तुओं के भिन्न-भिन्न समूहों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को दर्शाते हैं अत: ये पूर्णत: तुलनीय नहीं है ।

[अनुवाद]

अहमदाबाद की कपड़ा मिलों को अर्थक्षम बनाना

570. **श्री हरिन पाठक :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने "कपड़ा मजदूर संघ" के परामर्श से केन्द्रीय बजट में अहमदाबाद कपड़ा मिल को पुन: चालू करने के लिए 150 करोड़ के प्रावधान के लिए अहमदाबाद में 14 वस्त्र मिलों को अर्थक्षम बनाने और पुन: चालू करने हेतु "अहमदाबाद परियोजना" नामक कोई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह परियोजना स्वीकृत की गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मिलों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत मिलने वाले ब्याज पर आयकर में छूट

571. **श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचत योजना (1992) के अन्तर्गत जमाराशि पर मिलने वाले ब्याज पर आयकर से छूट प्राप्त है अथवा क्या इस पर धारा 80-एल के अन्तर्गत सुविधा के साथ-साथ कर देना होता है;

(ख) क्या राष्ट्रीय बचत योजना (1992) के अन्तर्गत जमाराशि को अवधि पूर्व होने पर निकालने पर आयकर से छूट प्रदान की जाती है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय बचत योजना (1987) के समान राष्ट्रीय बचत योजना (1992) के खाता धारी की मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा कानूनी वारिसों को कर देने से छूट दी जाती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) राष्ट्रीय बचत योजना नियमावली, 1992 में निहित राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत निक्षेपों पर प्राप्तव्य ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कराधेय होता है । आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-ठ के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू होते हैं ।

(ख) राष्ट्रीय बचत योजना, 1992 के अन्तर्गत निक्षेप की धनराशि पर परिपक्वता पर निकासी के समय आयकर से छूट दी जाती है । आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निक्षेप पर प्राप्तव्य केवल ब्याज ही कराधेय होता है ।

(ग) राष्ट्रीय बचत योजना नियमावली, 1992 में यह व्यवस्था है कि यदि नामिती अथवा कानूनी वारिस द्वारा निक्षेप पर ऐसा ब्याज प्राप्त किया जाता है, जिस पर उक्त मृतक व्यक्ति द्वारा उस स्थिति में कर अदा किया गया होता यदि उसकी मृत्यु न हुई होती, तो उक्त नामिती अथवा कानूनी वारिस द्वारा उस पर कर अदा किया जाएगा ।

वैश्य बैंक लिमिटेड

572. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जुलाई, 1997 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "इट टुक 17 ईयर्स फार एक्विटल आफ फोर एक्यूज्ड इन बैंक फ्रॉड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के थोड़ा सतर्क रहने से वैश्य बैंक लिमिटेड में हुई धोखाधड़ी से बचा जा सकता था;

(घ) यदि हां, तो सतर्क नहीं रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या चेक बुक जारी करने वाले तथा फर्जी हस्ताक्षरों/दस्तावेजों के आधार पर इसे समाशोधित (क्लियर) करने वाले अधिकारियों में से किसी को इस घटना के दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी आरोपित नहीं किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा बैंक द्वारा इन अधिकारियों को कब तक आरोपित करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित समाचार देख लिया है ।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पांचवें वित्त आयोग की रिपोर्ट का प्रभाव

573. **श्री सुशील चन्द्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के कारण वर्ष 1997-98 और अगले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा और इस वित्तीय भार को वहन करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि वेतन में हुई अतिरिक्त वृद्धि का प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जो अपने कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन देती हैं;

(ङ) क्या वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के कारण राज्य सरकारों पर पड़े अतिरिक्त वित्तीय भार को वहन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इससे राज्यों के आधारभूत ढांचे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई योजना तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के स्वीकार किए जाने से लगभग 10200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होने का अनुमान है । इसके अतिरिक्त 1997-98 के दौरान 4800 करोड़ रुपये की बकाया राशि और 1998-99 के दौरान 3500 करोड़ रुपये की बकाया राशि के भुगतान का आकलन किया गया है । इसके लिये 1997-98 के बजट अनुमान में 11250 करोड़ की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है और 1997-98 के संशोधित अनुमान में 3750 करोड़ की व्यवस्था भी की जा रही है । केन्द्रीय योजना, गैर योजना खर्च में 5 प्रतिशत की कटौती से प्राप्त बचत और अतिरिक्त स्रोतों को गतिशील करके अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जा रही है ।

(घ) से (च) राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन का मसला राज्य के दायरे में आता है अत: संबंधित राज्य सरकारों को यह निर्णय लेना है कि वे अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दें अथवा नहीं । अगर जरूरी हो तो राज्य सरकारें इस मद के लिये स्वयं अतिरिक्त राशि की व्यवस्था कर सकती हैं ।

आयकर अधिनियम, 1974

574. **श्री सुरेन्द्र आर० जादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) अधिनियम, 1974 (1 अप्रैल, 1996 को निरस्त) के अंतर्गत कुछ जमाराशि अभी भी जमा कार्यालयों में पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास बिना दावा के अभी भी कुल कितनी धनराशि जमा है; और

(ग) जमाकर्ताओं द्वारा इस राशि को वापस न लिए जाने की स्थिति में सरकार द्वारा इसका किस प्रकार उपयोग किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) अनिवार्य निक्षेप (आयकर दाता) योजना के अंतर्गत 30.6.1997 की स्थिति के अनुसार विभिन्न बैंकों के पास बकाया शेष जमा राशि लगभग 65.66 करोड़ रुपए थी । भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही सभी बैंकों को जमाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से बकाया जमा आहरित करने हेतु लिखने की सलाह दी है ।

[हिन्दी]

मैटालिक यार्न उद्योग

575. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों की श्रेणी में कौन से उद्योग आते हैं और सरकार द्वारा इन्हें संवर्धित करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने मेटालिक यार्न के उत्पादों से जुड़े कई संगठनों की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मेटालिक यार्न उद्योग को लघु उद्योग की श्रेणी में शामिल करके इसे अनेक रियायतें प्रदान की हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में आदेशों को कब से कार्यान्वित किया जा रहा है और आदेशों के अनुसार रियायतों का ब्यौरा क्या है और यह कब से दी जा रही हैं;

(च) क्या इन आदेशों को जारी किए जाने के बावजूद आयकर अधिकारी मेटालिक यार्न उद्योग से बकाया धनराशि वसूल कर रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) लघु उद्योग में औद्योगिक उपक्रम आते हैं जिसमें संयंत्र और मशीनरी की अचल संपत्ति, चाहे वह स्वधारित आधार पर हो या बट्टे पर या फिर किराया खरीद के आधार पर, ये निवेश 60 लाख रुपए से अधिक नहीं हो तथा अनुषंगिक इकाइयों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश सीमा 75 लाख रुपये है ।

लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए फिलहाल 821 मदें आरक्षित की गई हैं । आरक्षित मदों के अतिरिक्त किसी अन्य मद का उत्पादन भी लघु उद्योग क्षेत्र में किया जा सकता है ।

लघु उद्योगों को उपलब्ध कराये गए कुछ अन्य प्रोत्साहन ये हैं: -

(1) पहचान किए गए क्षेत्रों में भूमि, भवन निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाएं ।

(2) विनिर्दिष्ट कारोबार सीमाओं तक रियायती दर पर उत्पाद शुल्क ।

(3) केन्द्रीय सरकार की खरीद कार्यक्रम में अधिमान्यता ।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें अपने औद्योगिक नीति के अनुसार प्रोत्साहन दे सकती हैं ।

(ख) और (ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) मेटालिक यार्न सहित सभी लघु उद्योग इकाइयां उपर्युक्त (क) में उल्लेख किए गए अनुसार प्रोत्साहन का उपयोग कर सकते हैं ।

(च) और (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों/वकीलों के लिए आवास

576. **श्री वी०एम० सुधीरन :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उच्च न्यायालयों के बहुत से न्यायाधीशों/वकीलों के पास उचित आवास व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) और (ख) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 22क(1) में यह उपबंध है कि प्रत्येक न्यायाधीश किराए का संदाय किए बिना, एक सरकारी आवास का उपयोग करने का हकदार होगा । यह संबंधित राज्य सरकार के लिए है कि वह अपने उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के लिए किराया मुक्त आवास की व्यवस्था करें ।

तथापि, समुचित आवास की कमी के कारण, उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों के लिए निवास स्थान का व्यवस्था नहीं की गई है । उच्च न्यायालयों के अधिवक्ताओं के लिए, उनके शासकीय निवास की व्यवस्था करने की कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों से, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के लिए समुचित आवासों की व्यवस्था करने की बात दुहराती रही है । केन्द्रीय सरकार एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजना पक्ष में वित्तीय सहायता का भी उपबंध कर रही है जिसके अन्तर्गत न्यायालयों के सन्निमणि और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवासिक भवन भी हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

577. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार, क्षेत्रवार तथा वर्षवार 8वीं योजनावधि के दौरान देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े, मझोले तथा लघु क्षेत्र को कितना ऋण प्रदान किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान लघु क्षेत्र को कुल वितरित की गयी ऋण राशि की कुल कितने प्रतिशत राशि दी गई; और

(ग) राज्यवार तथा क्षेत्रवार इन क्षेत्रों पर कितनी ऋण राशि बकाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नाबार्ड द्वारा केरल राज्य सहकारी बैंक का पुनः वित्त पोषण

578. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य सहकारी बैंक तथा केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को मार्च 1997 के बाद से नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त पोषण की सुविधाएं समाप्त किए जाने के संबंध में केरल सरकार से प्राप्त पत्र पर कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने राज्य सरकार/राज्य सहकारी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे कि सहकारी ऋण ढांचे का सुदृढ़ आधार पर पुनर्गठन किया जा सके । इस समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी प्रतिज्ञापत्र शामिल है जिसके अनुसार सहकारी संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को केवल नाबार्ड के परामर्श से नियुक्त किया/बदला जा सकेगा । परिणामस्वरूप, इसे नाबार्ड से ऋण स्वीकृत कराने/पुनर्वित्तयन कराने की शर्तों में से एक शर्त के रूप में शामिल किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि इस अपेक्षा को पूरा न करने से पुनर्वित्तयन पर रोक लग जाएगी ।

जहां तक केरल का संबंध है, राज्य सरकार ने ऐसे आदेश पारित किए हैं जिनके अनुसार केरल राज्य सहकारी बैंक (के एस सी बी) और केरल राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (के एस सी ए आर डी बी), दोनों में, नाबार्ड से पूर्व परामर्श किए बिना मुख्य कार्यपालक को बदला नहीं जा सकेगा इसलिए नाबार्ड ने पुनर्वित्तयन स्वीकृति/प्रदान करने की सुविधा से संबंधित संगत प्रतिज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार दोनों संस्थाओं को सभी प्रकार के ऋणों का पुनर्वित्तयन करना फिलहाल रोक दिया है । तथापि, नाबार्ड के अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई चर्चाओं के पश्चात् उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि वे नाबार्ड के साथ किए गए समझौता ज्ञापन की विभिन्न शर्तों का अनुपालन करेंगे और मार्च 1997 के अंत तक पुनर्वित्तयन सुविधा पुनः प्रारम्भ कर दी गई है ।

नाबार्ड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 जुलाई, 1997 तक के एस०सी०बी० को 1.15 करोड़ रु० और के०एस०सी०ए०आर०बी० को 29.09 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त उपलब्ध करवाया है ।

रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता

579. **श्री रनवीव बिसवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता की दिशा में कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या रुपए को पूर्ण परिवर्तनशील बनाए जाने से हमारी अर्थव्यवस्था को संतोषप्रद वृद्धि दर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और यह दीर्घकाल में विदेशी निवेश आकर्षित करने में समर्थ होंगी; और

(घ) यदि नहीं तो इस उपाय को अपनाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) अगस्त, 1994 में चालू खाते में रुपए को परिवर्तनीय बनाया गया था । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूंजी लेखा परिवर्तनीयता पर नियुक्त श्री एस०एस० तारापोर की अध्यक्षता वाली समिति ने 30 मई, 1997 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी । इसकी सिफारिशों की जांच की जा रही है । भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी कुल सिफारिशों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है । इनमें मुद्रा अर्जन के धारण के संबंध में मुद्रा अर्जित करने वालों के लिए छूट, विदेशों में परियोजनाओं का निष्पादन करते समय भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन के संबंध में भारतीय परियोजना निर्यातकों को छूट, मध्यावधिक निर्यात प्राप्तियों को जब्त करने के संबंध में प्राधिकृत व्यापारियों को छूट शामिल है । विदेशों में संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को ऋण/गैर-ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता के बिना विदेश में कार्यालय खोलने के लिए निगमित निकायों को भी छूट दी गई है । भारत से माल एवं सेवाओं के निर्यातों को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकों को भी उनके अपने विवेक पर क्रेता ऋण/स्वीकृत वित्त प्रदान करने की अनुमति दी गई है । सेबी में पंजीकृत म्यूचुअल निधियों सहित भारतीय निधि प्रबन्धकों को सेबी की मार्ग-निर्देशिकाओं के अनुसार विदेशी बाजार में पूंजी निवेश करने की अनुमति दी जाएगी । सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि दस वर्षों या इससे अधिक औसत परिपक्वता की अवधि वाले ऋणों को विदेशी वाणिज्यिक ऋण की सीलिंग से बाहर रखा गया । कुछ सिफारिशें जिनका आंशिक रूप से कार्यान्वयन कर लिया गया है, प्राधिकृत व्यापारियों/बैंकों द्वारा

विदेशी बाजारों में ऋण/निवेशों, अनिवासी भारतीयों के लिए फॉरवर्ड कवर और बैंकों द्वारा सोने के आयातों से संबंधित है । पूर्ण परिवर्तनीयता से यह आशा की जाती है कि घरेलू बचतों को बढ़ाने के लिए इससे विदेशी पूंजी की स्वतंत्र रूप से प्राप्ति/प्रोत्साहन मिलेगा और इससे अधिक आर्थिक विकास होगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

वैश्य बैंक लिमिटेड

580. **श्री आई०डी० स्वामी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैश्य बैंक लिमिटेड ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कितनी कृषि/ग्रामीण शाखाएं खोली हैं;

(ख) क्या ये शाखाएं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं;

(ग) इन शाखाओं ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने लोगों को ऋण दिया, तत्संबंधी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बैंक को इन शाखाओं के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के दौरान अशोध्य ऋण के रूप में कितनी राशि की हानि हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वैश्य बैंक लिमिटेड ने कोई विशिष्ट कृषि वित्त शाखा नहीं खोली है । तथापि, बैंक की ग्रामीण शाखाओं की संख्या दिनांक 30.6.97 की स्थिति के अनुसार 114 है ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जर्मनी के साथ सहयोग

581. **श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मनी के सहयोग से देश में स्थापित परियोजनाओं की क्षेत्र-वार, राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) इस में कुल कितना विदेशी निवेश किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान जर्मनी के सहयोग से सरकार द्वारा कुछ नई परियोजनाएं स्थापित किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक मंजूर की गई प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) महोदय, 1.8.91 से 30.9.97 की अवधि के दौरान जर्मनी से सहयोग वाले कुल 1391 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्ताव (वित्तीय और तकनीकी) स्वीकृत किये गये हैं जिनमें 5232.97 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परिकल्पना है । ऐसे प्रस्तावों का क्षेत्र-वार और राज्य-वार विस्तृत ब्यौरे विवरण-I और विवरण-II में संलग्न हैं ।

ऐसे प्रस्तावों के विवरण अर्थात भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्ता और उसके देश का नाम, शामिल इक्विटी निवेश, विनिर्माण/कार्यकलाप की मद को भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा मासिक न्यूक्लेटर के पूरक के रूप में प्रकाशित किया जाता है और इसकी प्रतियां नियमित रूप से संसदीय पुस्तकालय को भेजी जाती हैं ।

विवरण - I

1.8.91 से 30.9.97 तक की अवधि में जर्मनी के साथ अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रवार ब्यौरे

क्रम सं०	उद्योग का नाम	कुल	कुल तकनीकी	वित्तीय	अनुमोदित वि०प्र०नि० की राशि (रु० करोड़ में)	कुल अनुमोदित राशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	धातुकर्मी उद्योग					
	लोह	43	27	16	1153.25	22.04
	अलौस	6	3	3	4.00	0.08
	विशेष मिश्रधातु	6	6	0	0.00	0.00
	विविध (अन्य मद) धातुकर्मी	7	5	2	1.34	0.03
	योग	62	41	21	1158.59	22.14
2.	ईंधन					
	बिजली	4	0	4	508.15	9.71
	तेलशोध शाला	6	4	2	1.25	0.02
	अन्य (ईंधन)	7	4	3	43.38	0.83
	योग	17	8	9	552.78	10.56
3.	बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	12	7	5	51.96	0.99
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत के अलावा)	14	8	6	28.87	0.55
5.	विद्युत उपकरण					
	विद्युत उपकरण	158	95	63	750.30	14.34
	कम्प्यूटर साफ्टवेयर उद्योग	28	3	25	18.55	0.35
	इलेक्ट्रानिक्स	22	8	14	26.41	0.50
	अन्य (एस/डब्ल्यू)	1	1	0	0.00	0.00
	योग	209	107	102	795.26	15.20
6.	दूरसंचार					
	दूरसंचार	13	7	6	52.12	1.00
	सेल्युलर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा	3	0	3	303.80	5.81
	योग	16	7	9	355.92	6.80
7.	परिवहन उद्योग					
	आटोमोबाइल उद्योग	62	33	29	161.36	3.08
	वायुयान/समुद्री परिवहन	6	1	5	5.31	0.10
	यात्री कारें	4	0	4	328.88	6.29
	आटो अनुषंगिक/पार्ट	5	3	2	23.27	0.44
	अन्य (परिवहन)	10	6	4	83.60	1.60
	योग	87	43	44	602.52	11.51

1	2	3	4	5	6	7
8.	औद्योगिक मशीनरी	257	163	94	133.92	2.56
9.	मशीनी औजार	36	22	14	14.12	0.27
10.	कृषि मशीनरी	2	2	0	0.00	0.00
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	10	6	4	11.67	0.22
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	103	39	64	209.01	3.99
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	4	3	1	0.70	0.01
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	5	2	3	16.20	0.31
15.	औद्योगिक उपकरण	29	14	15	12.80	0.25
16.	वैज्ञानिक उपकरण	4	2	2	11.70	0.22
17.	अंकगणितीय सर्वेक्षण तथा ड्राइंग	1	0	1	0.12	0.00
18.	उर्वरक	6	5	1	1.00	0.02
19.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	153	87	6	728.16	13.91
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	1	1	0	0.00	0.00
21.	रंजक सामग्री	1	0	1	15.78	0.30
22.	औषध तथा भेषज	31	14	17	66.46	1.27
23.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित सहित)	26	15	11	17.83	0.34
24.	कागज तथा लुगदी कागज उत्पाद सहित	14	8	6	47.00	0.90
25.	फर्मन्टेशन उद्योग	9	5	4	20.95	0.40
26.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग					
	खाद्य उत्पादक	38	7	31	84.21	1.61
	मेराइन उत्पाद	1	0	1	0.08	0.00
	योग	39	7	32	84.30	1.61
27.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	2	1	1	0.03	0.00
28.	साबुन, कास्मेटिक तथा टायलेट प्रिपेशन	4	2	2	1.35	0.03
29.	रबड़ की वस्तुएं	12	10	2	0.10	0.00
30.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारक	22	3	19	20.15	0.39
31.	कांच	4	1	3	10.44	0.20
32.	सिरेमिक्स	13	7	8	9.66	0.18
33.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	6	4	2	91.00	1.74
34.	परामर्शदायी सेवाएं					
	डिजाइन तथा इंजीनियरी सेवाएं	19	4	15	17.79	0.34
	प्रबन्ध सेवाएं	10	2	8	3.67	0.07
	विपणन	4	0	4	23.32	0.45
	योग	33	6	27	44.78	0.86

1	2	3	4	5	6	7
35.	सेवा क्षेत्र					
	वित्तीय	6	0	6	02.88	0.05
	गैर वित्तीय सेवाएं	9	0	9	28.22	0.54
	बैंकिंग सेवाएं	1	0	1	0.21	0.00
	अस्पताल तथा नैदानिक केन्द्र	1	0	1	18.00	0.34
	अन्य सेवाएं	1	0	1	1.03	0.03
	योग	18	0	18	50.34	0.96
36.	होटल तथा पर्यटन					
	होटल तथा रेस्तरां	11	0	11	1.29	0.02
	पर्यटन	3	0	3	0.16	0.00
	योग	14	0	14	1.45	0.03
37.	ट्रेडिंग	23	0	23	6.59	0.13
38.	विविध उद्योग					
	बागवानी	3	1	2	1.30	0.02
	कृषि	3	1	2	1.55	0.03
	पुष्प खेती	2	0	2	1.00	0.02
	अन्य (विविध उद्योग)	84	61	23	55.00	1.05
	योग	92	63	29	59.39	1.13
	कुल योग	1391	713	678	5232.97	

विवरण - II

अगस्त, 1991 से सितम्बर, 1997 तक के दौरान जर्मनी के लिए अनुमोदित विदेशी सहयोग तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे ।

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत
	कुल	तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	36	12	24	65.20	1.25
असम	1	1	0	0.00	1.25
बिहार	24	18	6	24.80	0.47
गुजरात	69	42	27	362.43	6.93
हरियाणा	58	23	35	155.13	2.96
हिमाचल प्रदेश	5	5	0	0.00	2.96
जम्मू और कश्मीर	1	1	0	0.00	2.96
कर्नाटक	82	28	54	1032.62	19.73

1	2	3	4	5	6
केरल	11	4	7	2.36	0.05
मध्य प्रदेश	17	9	8	37.21	0.71
महाराष्ट्र	177	92	85	597.21	11.41
उड़ीसा	8	4	4	461.27	8.81
पंजाब	6	3	3	2.15	0.04
राजस्थान	25	9	16	22.28	0.43
तमिलनाडु	98	42	56	102.59	1.96
त्रिपुरा	1	0	1	0.68	0.01
उत्तर प्रदेश	55	25	30	103.43	1.98
पश्चिम बंगाल	49	21	28	100.84	1.93
चंडीगढ़	1	0	1	0.06	0.00
दादर और नागर हवेली	15	14	1	8.40	0.16
दिल्ली	40	3	37	307.45	5.88
गोआ	7	6	1	0.04	0.00
पांडिचेरी	8	1	7	105.27	2.01
दमन और दीव	6	3	3	2.47	0.05
अन्य (राज्य दर्शाये नहीं गये)	591	347	244	1739.08	33.23
कुल	1391	713	678	5232.97	

बुनकर कल्याण योजना

582. **श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बुनकरों के कल्याण संबंधी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूरे देश में से 40 जिलों को चुना है;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को पूर्व गोदावरी और करीमनगर जिलों में भी यह योजना लागू करने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और प्रत्येक जिले को कुल कितनी राशि प्रदान की गयी; और

(घ) इस योजना से कितने बुनकरों को लाभ होगा?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 40 जिलों को उनके एकीकृत विकास के लिए संवृद्धि केन्द्रों के रूप में चुना है ।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पूर्व गोदावरी तथा नालगोंडा जिलों को शामिल करने का आग्रह किया है । ये जिले चयनित आधार पर क्षेत्र में हथकरघा बाहुल्य को ध्यान में रखते हुए चुने गये हैं । सरकार की देश के अन्य किसी जिले को शामिल करके सूची में विस्तार की कोई योजना नहीं है ।

(घ) शामिल होने वाले बुनकरों की संख्या राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित किये गये प्रस्तावों के आधार पर संभव होगी ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार

583. **श्री भीमराव विष्णुजी वडाडे : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 49 के अंतर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के महानिदेशक (जांच और पंजीकरण) को आपराधिक कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू करने की सांविधिक शक्तियां प्राप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कार्यवाही के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की पूर्वानुमति आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो अधिनियम, नियम अथवा विनियमों के किन उपबंधों के अंतर्गत यह अपेक्षित है; और

(घ) कनाडा, अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, आस्ट्रेलिया में अधिनियमों और नियमों के ऐसे समान उपबंधों का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत उक्त पूर्वानुमति अपेक्षित है अथवा नहीं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड के मामले में आर०टी०पी०ई० सं. 267/95 में अभियोग सं. 4/96 के तहत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 49 के अंतर्गत महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) की शक्तियों से संबंधित मामला एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के सम्मुख विचाराधीन है । मामले को आयोग की पूर्ण पीठ के सम्मुख 20 जनवरी, 1998 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है । मामला न्यायाधीन है ।

(घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 49 के आधार पर उचित व्यापार अधिनियम, 1973 यूनाइटेड किंगडम तथा आस्ट्रेलिया व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1965-1966 के उपबंधों में यह अनुबंध है कि कोई व्यक्ति जो नामजद अधिकारी अर्थात् उचित व्यापार के महानिदेशक या आयुक्त को अपेक्षित सूचना मुहैय्या करवाने से इन्कार करता है या जानबूझकर अवहेलना करता है तो वह अपराध का दोषी होगा और उसे जुर्माना या कारावास की सजा दी जा सकेगी ।

परम मित्र राष्ट्र का दर्जा

584. **श्री सत्यजित सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने की इच्छा जाहिर की है और पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि जब तक भारत के साथ सभी बकाया राजनीतिक मसले, जिसमें कश्मीर का मामला भी शामिल है, हल नहीं कर लिए जाते तब तक पाकिस्तान द्वारा भारत को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाना संभव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली व्यापार और उद्योग संघ के प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था, उस समय उन्होंने भारत पाक व्यापार संघ स्थापित करने का प्रस्ताव भी रद्द कर दिया था;

(ग) इन विवादास्पद विचारों ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की वार्ता को कहां तक प्रभावित किया है और इसमें यह कितना परिलक्षित हुआ है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रामैया) : (क) से (घ) सरकार ने पाकिस्तानी वाणिज्य मंत्री द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को अभिप्रेत करने वाले समाचार माध्यमों की इस रिपोर्ट को देख लिया है कि कश्मीर मामले सहित राजनीतिक मामलों का जब तक समाधान नहीं हो जाता है, तब तक भारत के साथ न तो मुक्त व्यापार किया जा सकता है और न ही पाकिस्तान इस देश को "परम मित्र राष्ट्र" का दर्जा देने के लिए सहमत होगा । सरकार ने प्रचार माध्यमों के उस आशय की रिपोर्ट को भी देख लिया है जो एक भारत पाक संयुक्त अध्ययन दल समिति के गठन के लिए पी०एच०डी०सी०सी०आई० के साथ लाहौर वाणिज्य मंडल द्वारा एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की कार्रवाई करने के संबंध में पाकिस्तान सरकार द्वारा आपत्ति प्रकट करने के बाद आई है । फिर भी, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान, भारत ने आपसी लाभों पर आधारित आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बनाने के लिए अपनी तत्परता दिखाई है ।

[हिन्दी]

हैंडलूम सोसायटी

585. **श्री महावीर लाल विश्वकर्मा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उत्तरी छोटानागपुर तथा दक्षिणी छोटानागपुर में चलाई जा रही हैंडलूम सोसायटियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान उन्हें कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) इन केन्द्रों से कितने बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) सरकार द्वारा उत्तरी तथा दक्षिणी छोटानागपुर में कोई हथकरघा समिति नहीं चलाई जाती है । तथापि, क्षेत्र में छोटानागपुर क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी संघ लि०, रांची के सदस्य के रूप में कई सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं ।

(ख) इन समितियों को वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान प्रदान की गई सहायता की राशि क्रमश: रुपये 19.84 लाख तथा रुपये 16,000 हैं ।

(ग) उपरोक्त सहायता से वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान लगभग 2000 बुनकर लाभान्वित हुए ।

आर्थिक सुधार कार्यक्रम

586. **श्रीमती केतकी देवी सिंह :**
कुमारी उमा भारती :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को आर्थिक सुधार कार्यक्रम में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सामाजिक न्याय के साथ विकास गत वर्षों में हमारी आयोजना का एक मूलभूत उद्देश्य रहा है । सरकार ने गरीबी उन्मूलन, सामाजिक कल्याण और रोजगार सृजन के अनेक कार्यक्रमों सहित एक बहुलक्षी नीति अख्तियार की है । सरकार द्वारा जुलाई 1996 में घोषित साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सी०एम०पी०) समता मूलक न्याय की प्राप्ति के लिए सामाजिक क्षेत्रों के विकास के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है । यह प्रतिबद्धता सामाजिक सेवाओं के लिए बाजार मूल्यों पर सं०घ०उ० के अनुपात के रूप में केन्द्रीय सरकार के योजनागत और गैर-योजनागत आबंटनों में वृद्धि में परिलक्षित होती है । यह आबंटन पिछले दो वर्षों अर्थात् 1997-98 (ब०अ०) और 1996-97 (ब०अ०) के लिए 1.19 प्रतिशत के रिकार्ड उच्च स्तर तक बढ़ा है । आधारभूत न्यूनतम सेवाओं पर व्यय के लिए 1997-98 के बजट में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता की 3300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी आबंटित की गई है ।

[अनुवाद]

धीमी विकास दर के संबंध में बैठक

587. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री आर० साम्बासिवा राव :
श्री जी०ए० चरण रेड्डी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने धीमी विकास दर पर विचार करने के लिये अक्तूबर, 1997 के दौरान उद्योगपतियों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैठक में कितने उद्योगपतियों ने भाग लिया;

(ग) उस बैठक में मुख्य रूप से किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया;

(घ) क्या इस बैठक में टेलीफोन टेप करने का मामला चर्चा का प्रमुख विषय था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलीमारन) : (क) और (ख) जी, हां । भारतीय उद्योग के कार्य निष्पादन और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बातचीत करने हेतु प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में विनिर्माणकारी क्षेत्र के उद्योगपतियों के साथ 14.10.1997 को बैठक हुई थी । इस बैठक में 57 उद्योगपतियों ने भाग लिया ।

(ग) से (ङ) बैठक के दौरान सीमेंट, आटोमोबाइल, पूंजीगत माल, कागज/अखबारी कागज, चमड़ा, स्टील, वस्त्र, इलेक्ट्रोनिक्स/साफ्टवेयर सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया था और संगत मुद्दों पर निर्णय लिये गये थे, जैसें-पूंजीगत माल के आयात हेतु कर ढांचे को व्यावहारिक बनाने के मामले पर विचार हेतु एक लघु दल का गठन, विशेषकर शून्य कर आयात के संदर्भ में, भवन निर्माण कार्यकलाप को प्रोत्साहित करना, न केवल भवनों की संख्या बढ़ाने हेतु ही बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्य कोर क्षेत्रों को भी आवश्यक बल प्रदान करने की दृष्टि से, एक नयी जन अनुकूल, पर्यावरणानुकूल और उद्योगानुकूल वन नीति तैयार करना, विद्युत, तेल, कोयला, दूरसंचार, सड़क आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश की गति की समीक्षा करना ।

विनिर्माण क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

588. **श्री जी०ए० चरण रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि बुनियादी संरचनाओं पर सरकारी क्षेत्र के व्यय की गति की समीक्षा किये जाने की संभावना है तथा आयात को आसान बनाने के लिए पूंजीगत माल क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जांच के लिए अंतर-मंत्रालीय समूह गठित की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक के पश्चात वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान मांग में वृद्धि तथा विनिर्माण क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में तेजी से वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु कई उपायों की घोषणा की; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलीमारन) : (क) और (ख) 14.10.97 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में विनिर्माणकारी क्षेत्र के विषय पर उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक में पूंजीगत माल के आयात हेतु कर ढांचे को व्यावहारिक बनाने के मुद्दों की जांच करने हेतु और प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश की गति की समीक्षा करने हेतु एक लघु दल के गठित करने का निर्णय लिया गया था ।

(ग) और (घ) बैठक के दौरान सीमेंट, आटोमोबाइल, पूंजीगत माल, कागज/अखबारी कागज, चमड़ा, स्टील, वस्त्र, इलेक्ट्रोनिक्स/साफ्टवेयर सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया था और संगत मुद्दों पर निर्णय लिये गये थे, जैसे-पूंजीगत माल के आयात हेतु कर ढांचे को

व्यावहारिक बनाने के मामले पर विचार हेतु एक लघु दल का गठन, विशेषकर शून्य कर आयात के संदर्भ में, भवन निर्माण कार्यकलाप को प्रोत्साहित करना, न केवल भवनों की संख्या बढ़ाने हेतु ही बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्य कोर क्षेत्रों को भी आवश्यक बल प्रदान करने की दृष्टि से, एक नयी जन अनुकूल, पर्यावरणानुकूल और उद्योगानुकूल वन नीति तैयार करना, विद्युत, तेल, कोयला, दूरसंचार, सड़क आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश की गति की समीक्षा करना ।

आवास हेतु "नाबार्ड" ऋण

589. **श्री एम०के० धेमचन्द्रन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड का विचार कमजोर वर्गों के लिए कोई नई आवासीय योजना लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्पाल महाराज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक "नाबार्ड", अन्य बातों के साथ-साथ कृषि एवं सम्बद्ध क्रिया-कलापों के लिए बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष वित्तीय संस्था है । नाबार्ड द्वारा अभी तक आवास वित्त का कार्य नहीं लिया गया है, इसलिए उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कम महत्वपूर्ण मदों पर राजसहायता

590. **श्री भक्त चरण दास :**
कुमारी ऊमा भारती :
श्रीमती सत्यवती नवीनचन्द्र मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कम महत्वपूर्ण मदों पर दी जा रही राजसहायता को समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कम महत्वपूर्ण मद का ब्यौरा क्या है जिसे दी जा रही राजसहायता समाप्त किए जाने की संभावना है;

(ग) यह निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) राजसहायता समाप्त किए जाने का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राजसहायता पर वार्षिक कितनी राशि व्यय की जा रही है और यह राशि किन मदों पर व्यय की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्पाल महाराज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

आर्थिक सहायताओं का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

	वास्तविक 1988-89	वास्तविक 1989-90	वास्तविक 1990-91	वास्तविक 1991-92	वास्तविक 1992-93	वास्तविक 1993-94	वास्तविक 1994-95	वास्तविक 1995-96	संशोधित 1996-97	बजट 1997-98
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क. मुख्य आर्थिक सहायता	6787	9032	9581	9793	9414	10764	11527	12128	14233	17130
1. खाद्य	2200	2476	2450	2850	2800	5537	5100	5377	8966	7500
2. स्वदेशी (यूरिया) उर्वरक	3000	3771	3730	3500	4809	3800	4075	4300	4743	5240
3. आयातित (यूरिया) उर्वरक	201	771	659	1300	996	762	1166	1935	1350	1950
4. छोटे और सीमांत किसानों को उर्वरक सहायता	-	-	-	385	-	-	-	-	-	-
5. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास	1386	2014	2742	1758	818	665	658	16	400	440
6. किसानों को रियायत सहित विनियन्त्रित उर्वरकों की बिक्री	-	-	-	-	-	-	528	500	1674	2000
ख. किसानों को ऋण सहत	-	-	1502	1425	1500	500	341	-	-	-
ग. अन्य आर्थिक सहायता	945	1442	1075	1035	1081	1418	1064	1177	2461	1121
7. रेलवे	207	233	283	312	353	412	420	418	466	537

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. मिल निर्मित कपड़ा	27	10	10	15	15	16	-	1	-	-
9. हथकरघा कपड़ा	146	181	185	187	161	174	148	143	98	84
10. चीनी, खाद्य तेलों आदि का आयात/निर्यात	40	-	-	-	-	-	-	100	50	50
11. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	406	881	379	316	113	113	76	34	1257	34
12. उर्वरक संवर्धन के लिए सहायता	-	-	-	-	340	517	-	-	-	-
13. अन्य आर्थिक सहायता	119	137	218	205	99	186	420	481	590	416
जोड़ - आर्थिक सहायता	7732	10474	12158	12253	11995	12682	12932	13305	16694	18251

बजट संबंधी आवंटन

591. श्री सुन्दरलाल पटवा :
श्री वी०एम० सुधीरन :
श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :
श्री शरत पटनायक :
श्री विजय पटेल :
डा० रमेश चन्द तोमर :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 92,000 करोड़ रुपए के केन्द्रीय योजना परिव्यय में से पहले तीन माह में 70 प्रतिशत व्यय को दर्शाते हुए केवल 16,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए;

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि को पूर्णतया खर्च न किए जाने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या प्रधानमंत्री ने पर्याप्त संसाधन पैदा न करने वाले कई मंत्रालयों/विभागों द्वारा पर्याप्त संसाधन न जुटाने और बजट में उनके लिए आवंटित धनराशि का पूरी तरह से खर्च न किए जाने पर गम्भीर चिंता प्रकट की है;

(घ) क्या प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के कार्य-निष्पादन के बारे में ऐसी टिप्पणी दिए जाने के बाद कोई रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी हां, केन्द्रीय योजना परिव्यय में से किया गया खर्च 17.5 प्रतिशत है, न कि 70 प्रतिशत । आवंटन का उपयोग चार भागों में किया जाएगा । पहला भाग सामान्यतया 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होता ।

(ग) से (ङ) योजना व्यय की समीक्षा करते समय विभिन्न मंत्रालयों की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रशासनिक विभागों को सामान्यतया व्यय प्रगति पर नजर रखने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आंतरिक संसाधनों को जुटाने का निर्देश दिया था । योजना परिव्यय को मासिक/तिमाही आधार पर मानीटर करने के लिए व्यय विभाग में भी प्रबंध किए जा रहे हैं । सितम्बर, 1997 को समाप्त तिमाही के लिए किए गए व्यय का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति

592. श्री दत्ता मेघे :
श्रीमती सुभावती देवी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं को खोलने के लिए बैंकवार निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्यवार खोली जाने वाली वाणिज्यिक बैंकों की प्रस्तावित शाखाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1985-90 की अवधि के अंत तक 60,000 से अधिक बैंक शाखाओं के व्यापक शाखा नेटवर्क सहित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त बैंकिंग आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य की व्यापक प्राप्ति हो जाने पर यह निर्णय लिया गया था कि विगत की तरह जनसंख्या कवरेज जैसे विशिष्ट लक्ष्यों सहित पंचवर्षीय योजनाओं के साथ समाप्त होने वाला शाखा विस्तार कार्यक्रम विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

वर्ष 1992 से यह निर्णय लेना अलग-अलग बैंकों पर छोड़ दिया गया है कि वे शाखाएं खोलने की आवश्यकता का मूल्यांकन करें। इसलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए कोई बैंकवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । तथापि, दिनांक 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार अर्थात् आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में कार्यरत शाखाओं का राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है । शाखाएं खोलने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 1995 से 31 अक्तूबर, 1997 तक जारी अनुमोदनों की संख्या और अभी खोले जाने वाली शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है ।

विवरण-I

भारत में प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं की राज्य और जनसंख्या समूहवार संख्या (31 मार्च, 1997 की स्थिति)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या समूह				शाखाओं की संख्या
		ग्रामीण	अर्धशहरी	शहरी	महानगरी	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान व निकोबार	17	14	–	–	31
2.	आंध्र प्रदेश	2470	1121	861	452	4904
3.	हिमाचल प्रदेश	67	1	–	–	68
4.	असम	841	248	148	–	1237
5.	बिहार	3530	869	545	–	4944
6.	चंडीगढ़	10	10	123	–	143
7.	दादर व नागर हवेली	7	–	–	–	7
8.	दमन व दीव	1	12	–	–	13
9.	दिल्ली	56	15	–	1164	1235
10.	गोआ	154	127	–	–	281
11.	गुजरात	1568	768	418	751	3505
12.	हरियाणा	692	315	377	–	1384
13.	हिमाचल प्रदेश	649	115	–	–	764
14.	जम्मू व कश्मीर	577	73	146	–	796
15.	कर्नाटक	2252	963	643	634	4492
16.	केरल	343	2213	548	–	3104
17	लक्षद्वीप	9	–	–	–	9
18.	मध्य प्रदेश	2752	887	524	259	4422
19.	महाराष्ट्र	2326	1021	810	1802	5959
20.	मणिपुर	51	14	21	–	86
21.	मेघालय	131	16	32	–	179
22.	मिजोरम	61	9	8	–	78
23.	नागालैण्ड	40	31	–	–	71
24.	उड़ीसा	1616	289	245	–	2150
25.	पांडिचेरी	23	15	36	–	74
26.	पंजाब	1113	584	484	166	2347
27.	राजस्थान	1930	694	415	192	3231
28.	सिक्किम	36	10	–	–	46
29.	तमिलनाडु	1845	1196	888	684	4613
30.	त्रिपुरा	123	27	29	–	179
31.	उत्तर प्रदेश	5466	1442	1349	459	8716

1	2	3	4	5	6	7
32.	पश्चिम बंगाल	2271	555	546	948	4320
33.	अखिल भारत	33027	13654	9196	7511	63388

विवरण-II

शाखाएं खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों (विदेशी बैंकों को छोड़कर) को 1.4.95 से 31.10.1997 तक जारी प्राधिकार-पत्र/लाइसेंस की बकाया स्थिति का राज्यवार सारांश ।

क्रम सं०	राज्य	एसबीआई अनुषंगी	राष्ट्रीयकृत बैंक	आरआरबी	निजी बैंक	योग
1.	आंध्र प्रदेश	10	36	22	30	98
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–
3.	असम	1	2	2	2	7
4.	बिहार	8	40	3	4	55
5.	गोआ	4	6	–	15	25
6.	गुजरात	16	41	9	19	85
7.	हरियाणा	18	46	–	10	74
8.	हिमाचल प्रदेश	1	14	–	–	15
9.	जम्मू व कश्मीर	–	3	–	9	12
10.	कर्नाटक	37	60	44	18	159
11.	केरल	15	27	2	43	87
12.	मध्य प्रदेश	16	24	2	6	48
13.	महाराष्ट्र	21	126	6	109	262
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–	–
17.	नागालैण्ड	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	9	26	9	4	48
19.	पंजाब	34	62	–	27	123
20.	राजस्थान	22	39	4	9	74
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	12	55	1	29	97
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	20	116	12	22	170
25.	पश्चिम बंगाल	16	34	–	26	76
26.	अण्डमान व निकोबार	–	–	–	–	–
27.	चंडीगढ़	6	17	–	1	24
28.	दादर व नागर हवेली	–	1	–	1	2
29.	दमन व दीव	–	1	–	–	1
30.	दिल्ली	17	100	–	27	144
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	1	1	–	1	3
	योग	284	877	116	412	1689

बैंकों को और स्वायत्ता देना

593. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी :**
श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों को और अधिक स्वायत्ता देने संबंधी विभिन्न आर्थिक और अन्य मुद्दों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) नए वातावरण में वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण और अविनयमन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में बैंकों को समर्थ बनाने के लिए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों को अपेक्षाकृत अधिक प्रशासनिक स्वायत्तता दी गई है । 8 प्रतिशत से अधिक की पूंजी पर्याप्तता मानदंड, पिछले तीन वर्ष के दौरान निवल लाभ, 9 प्रतिशत से कम निवल अनुपयोज्य आस्ति और सौ करोड़ रुपये की न्यूनतम स्वाधिकृत निधि के मानदंड को पूरा करने वाले बैंकों को विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती करने और अपनी परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनरी) आफिसरों संबंधी अपेक्षा को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए कैम्पस भर्ती करने की अनुमति दी जाएगी । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड अब विशेषज्ञों के प्रवेश सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक और वैयक्तिक मामलों में नीति निर्धारित कर सकेंगे और साथ ही महाप्रबंधक के स्तर से नीचे के पदों का सृजन करने तथा अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्र में तैनातियों और अपने अधिकारियों की अन्य बैंकों में प्रतिनियुक्ति/आंतरिक संचलन के संबंध में अपनी नीतियां तैयार करने का उन्हें अधिकार होगा ।

[अनुवाद]

करेंसी नोटों तथा सिक्कों का आयात

594. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री मोहन रावले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने करेंसी नोटों तथा सिक्कों का आयात करने के बारे में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो वे कितने मूल्य के होंगे तथा जिन देशों से करेंसी नोटों का आयात किए जाने का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा क्या है तथा इनका आयात करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के इस प्रकार के कदम से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन करेंसी नोटों का आयात विदेशी जहाजों के माध्यम से किया जा रहा है;

(च) भारतीय जहाजों से इस "संवेदनशील" पण्य का आयात न करने के क्या कारण हैं; और

(छ) करेंसी के आयात की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सरकार ने वर्तमान कमी से निबटने के लिए एक बारगी उपाय के रूप में 3600 मिलियन अदद छपे हुए नोट तथा 1000 मिलियन अदद सिक्कों का आयात करने का निर्णय किया है । करेंसी नोटों के आयात का मूल्यवार विवरण निम्नानुसार है :-

कंपनी का नाम	मूल्यवर्ग	अदद मिलियन में
(क)		
क. कन्सोर्टियम		
(1) डी ला रुई करेंसी एंड सिक्योरिटी प्रिंट (औपचारिक रूप से टी०ओ०एल०आर० के रूप में प्रसिद्ध)	100	1040
(2) डेबडेन सिक्योरिटी प्रिंटिंग	100	260
ख. अमेरिकन बैंक नोट कारपोरेशन	100	600
ग. बंडेसडूकेरेई जी०एम०बी०एच०*	100	100
		2000
(ख)		
क. कन्सोर्टियम		
(1) जीसेंक एंड डेवरिएंट जी०एम०बी०एच०	500	400
(2) फ्रेनियोस चार्ल्स, ओबेरथर फिडुक्लेयर	500	240
(3) ब्रिटिश अमेरिकन बैंक नोट	500	160
ख. कनेडियन बैंक नोट कंपनी	500	800
		1600

* इस फर्म ने करार निष्पन्न नहीं किया है । बैंक ने प्रस्ताव का अपना पत्र वापिस ले लिया है और भारतीय रिजर्व बैंक ने यथानुपात आधार पर अन्य दो आपूर्तिकर्ताओं को 100 मिलियन अदद का पुनर्आबंटन करने का निर्णय किया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) संविदाएं सी०आई०एफ० आधार पर हैं । तथापि, आपूर्तिकर्ताओं को सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो, प्रेषित माल की खेपें भारतीय जहाजों द्वारा भेजें । प्रेषित माल की खेपें विदेशी जहाजों तथा एस०सी०आई० जहाजों के जरिए प्राप्त की जा रही हैं ।

(च) आयात संविदा सी०आई०एफ० आधार पर है । इसके बावजूद आपूर्तिकर्ताओं को आयातित माल को अधिकतम संभाव्य सीमा तक भारतीय जहाजों पर भेजने की सलाह दी गई है ।

(छ) मुद्राओं/सिक्कों का आयात ऐसे कंटेनरों में किया जा रहा है जो कि सुरक्षित रूप से तालाबंद हैं । ये कंटेनर जहाज पर ऐसे रखे जाएंगे जहां पहुंच असम्भव है । आपूर्तिकर्ता यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जहाज पर लदान में भूतल और परिवहन मंत्रालय (परिवहन चार्ट), भारत सरकार की मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन किया जा रहा है ।

आयकर अपवंचन

595. **कर्नल सोनाराम चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समाज के उच्च वर्ग के व्यक्ति अर्थात् नौकरशाह, बड़े व्यापारी, फिल्म उद्योग तथा इसके कलाकार, डाक्टर, स्वयंभू, सन्त आदि सुरक्षापूर्वक आयकर का अपवंचन कर रहे हैं तथा इस संबंध में आयकर विभाग भी गंभीर प्रतीत नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ सुविख्यात व्यक्तियों को अभी आयकर अपवंचन के जुर्म में पकड़ा गया था परन्तु उनसे पूरी बकाया राशि वसूल नहीं की जा सकी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा केन्द्रीय आयकर विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है जिससे विभाग अकसर छापा मार सके तथा आयकर अपवंचन को रोक सके?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सरकार को नौकरशाहों, बड़े-बड़े उद्योगपतियों, फिल्मी हस्तियों, व्यावसायिकों आदि सहित समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा कर अपवंचन के बारे में चिन्ता है । जब कभी आयकर विभाग की जानकारी में कर अपवंचन का विशिष्ट दृष्टान्त आता है, तब अपवंचनकर्ताओं के खिलाफ व्यापक संवीक्षा, सर्वेक्षण और तलाशी एवं अभिग्रहण सहित आवश्यक कार्यवाहियां की जाती हैं ।

(ग) आयकर विभाग, सुविख्यात व्यक्तियों द्वारा आयकर अपवंचन के मामलों की जांच कर रहा है । बकाया धनराशि की वसूलियां कर निर्धारणों के पूरे होने और अपीलों को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् आयकर अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं ।

(घ) सरकार कर अपवंचन की रोकथाम करने और विभाग के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए समय-समय पर ऐसे आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक और विधायी उपाय करती आ रही है जिन्हें उचित समझा जाता है ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

596. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री के० परसुरामन :
डा० एम० जगन्नाथ :
श्री वी०वी० राघवन :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री सिदैया कोटा :
श्री सनत मेहता :
श्री छीतू भाई गामीत :
श्री मणिकराव होडल्या गावीत :
श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण :
प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अब तक कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को रुग्ण मिलों को संबंधित राज्य सरकारों को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो उनकी वित्तीय देयताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार बैंकिंग क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम को उपलब्ध कराए गए ऋण और उस पर देय ब्याज की देनदारी वहन करने पर सहमत हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन मिलों को राज्य सरकारों को सौंपने से पहले कपड़ा मिलों के मजदूरों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) एन०टी०सी० की मिलों को 30.6.97 तक की स्थिति अनुसार निवल घाटा 4630 करोड़ रु० (अंतिम) मूल्य का हुआ ।

(ख) से (च) रुग्ण वस्त्र मिलों को सामान्य लागत से अथवा निशुल्क अधिग्रहीत करने के लिए संबंधित राज्य

सरकारों को एक प्रस्ताव किया गया था बशर्ते कि राज्य सरकारें अर्थक्षम मिलों को चलाने तथा कामगारों के हितों की रक्षा करने का दायित्व स्वीकार कर लें । इस आशय का भी प्रस्ताव किया गया था कि भारत सरकार/एन टी सी (धारक कंपनी) द्वारा इन मिलों को दिए गए ऋणों तथा उन पर लगने वाले ब्याज के साथ-साथ स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकार करने वाले कामगारों को अदा की गई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की राशि को बट्टे खाते डाल देगी/माफ कर देगी ।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार कामगारों को देय सांविधिक बकाया राशि की देयताओं को भी पूरा करने की इच्छुक होगी । सरकार बैंकिंग क्षेत्र द्वारा किए गए ऋण तथा उस पर लगने वाले ब्याज की देयताओं के भार को वहन करने के लिए सहमत नहीं है । महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है । अन्य राज्य सरकारों, जिन्हें ऐसा प्रस्ताव किया गया था, से कोई ठोस प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । चूंकि जिन राज्य सरकारों को प्रस्ताव दिया गया था उनमें किसी से भी कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वित्तीय तथा प्रचालन संबंधी अड़चनों का पता नहीं लगाया गया है ।

चावल का निर्यात/आयात

597. **श्री के० परसुरामन :**
डा० जी०आर० सरोदे :
डा० साहेबराव सुकराम बागूल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विदेशों को कितने और किस किस्म के चावल का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे वर्ष-वार कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या इसके कारण विदेशी मुद्रा अर्जन में कमी आई है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान देश द्वारा चावल की कतिपय किस्में भी आयात की गई थीं;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित बासमती और गैर-बासमती चावल का मूल्य और मात्रा इस प्रकार है :-

मात्रा: लाख मी. टन
मूल्य: करोड़ रुपए

वर्ष	बासमती चावल		गैर-बासमती चावल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1994-95	4.42	865.32	4.48	340.47
1995-96	3.73	850.67	45.41	3717.41
1996-97	4.89	1197.75	19.85	1952.83
1997-98 (अप्रैल-अगस्त, 98)	2.19	604.86	6.79	560.24
1996-97 (अप्रैल-अगस्त, 97)	2.19	486.18	9.36	885.39

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस कलकत्ता)

(घ) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित चावल का मूल्य और मात्रा इस प्रकार है :-

मात्रा: मी. टन
मूल्य: लाख रुपए

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1994-95	6990	855.31
1995-96	80	9.69
1996-97	-	-
1997-98 (अप्रैल-अगस्त, 97)	18	2.79

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस कलकत्ता)

सरकार द्वारा चावल के स्टाक और आपूर्ति में उभर रहीं प्रवृत्तियों की समीक्षा करने के बाद चावल की 50 प्रतिशत या अधिक टूटी हुई आम/मोटी किस्मों के मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति दी गई है जो 27.05.1997 से प्रभावी है ।

तम्बाकू बोर्ड

598. **श्री ए०जी० जोस:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नीलामी के अतिरिक्त तम्बाकू की बिक्री को रोकने हेतु तम्बाकू बोर्ड को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए सहमत हो गयी है ताकि तम्बाकू उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित कानूनों नियमों तथा विनियमों की वांछित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए

इनकी क्षमता और प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु समीक्षा की जाती है । जब कभी जरूरत होती है, तो इनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए इनमें उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं ।

निर्यात निष्पादन

599. **श्री पी०आर० दासमुंशी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7वीं तथा 8वीं योजना के दौरान निर्यात प्रसंस्करण जोन तथा निर्यात प्रसंस्करण इकाईयों का इकाईवार निर्यात निष्पादन क्या रहा;

(ख) मार्च, 97 तक कितनी नई इकाईयां इसमें शामिल हुईं तथा कितनी इकाईयों ने इसे छोड़ा; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निर्यात संसाधन क्षेत्रों की इकाईयों द्वारा किए गए निर्यात क्रमश: 2266.02 करोड़ रुपये और 13,563.88 करोड़ रुपये मूल्य के थे । 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई०पी०जैड०) में 513 इकाईयां चालू थीं जबकि 160 इकाईयां स्कीम से बहिष्कृत कर दी गई थीं । स्वयं नीति में इकाईयों को निर्धारित निर्यात दायित्वों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी अयोग्यता पर या प्रौद्योगिकी के अप्रचलन, विपणन व्यवस्थाओं की कमी विदेशी सहयोगियों की निकासी, वित्तीय और प्रबंधकीय समस्याओं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी आदि विभिन्न कारणों से स्कीम की अन्य जरूरतों को पूरा न करने पर स्कीम से बाहर निकाल देने का प्रावधान है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उन्नयन

600. **श्री संदीपान थोरात** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों ने दिशानिर्देशों के अनुसार यथोचित तर्क देते हुए अपने-अपने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उन्नयन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का उन्नयन किया गया और 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार कितने प्रस्ताव लंबित पड़े थे और निर्णय लेने वाले प्राधिकारी का नाम क्या है और प्रस्ताव के लंबित होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया में सुस्पष्टता, दक्षता और पारदर्शिता लाने की दृष्टि से कार्य-प्रणाली को सरल बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलीमारन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय ही अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समुन्नयन के लिए सक्षम प्राधिकारी से सम्पर्क करते हैं । विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के 7 उपक्रमों के समुन्नयन संबंधी प्रस्ताव सरकारी उद्यम विभाग को प्राप्त हुए हैं, जो इस उद्देश्य के लिए नोडल विभाग है । विवरण संलग्न है ।

(ग) उक्त अवधि के दौरान गोवा शिपयार्ड लि० का समुन्नयन किया गया था । दिनांक 31.3.97 की स्थिति के अनुसार ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० के समुन्नयन से संबंधित प्रस्ताव निर्णय करने वाले प्राधिकारी के पास लम्बित था । जुलाई, 97 में इस संबंध में निर्णय लिया गया ।

(घ) और (ङ) इस उद्देश्य के लिए एक भली-भांति परिभाषित तथा स्थापित प्रक्रिया मौजूद है ।

विवरण

विगत 3 वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों के समुन्नयन से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, उनके नाम निम्नलिखित हैं :-

1. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
3. मझगांव डॉक लिमिटेड
4. ड्रेजिंग कारपो० ऑफ इण्डिया लिमिटेड
5. भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
6. भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड
7. विदेश संचार निगम लिमिटेड

कर्नाटक के मुख्य मंत्री का विदेश दौरा

601. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सहित राज्य के अन्य मंत्रियों द्वारा जनवरी, 1996 से जून, 1997 तक किन-किन देशों का दौरा किया गया;

(ख) प्रत्येक मंत्री कितनी बार विदेश यात्रा पर गए;

(ग) इस प्रयोजन हेतु उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सहित राज्य के अन्य मंत्रियों के चिकित्सीय उपचार हेतु कितनी विदेशी मुद्रा जारी की गई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कर्नाटक राज्य के मंत्रियों द्वारा कितने विदेशी दौरे किए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों पर बकाया ऋण

602. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों पर विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन पर आज तक बकाया देय है और यह कब से देय है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उक्त राशि की वसूली के लिए न्यायालयों में मामले दायर कर दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

[अनुवाद]

प्राथमिक पूंजी बाजार

603. **श्री अमर पाल सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक पूंजी बाजार में लम्बे समय से मंदी रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्राथमिक पूंजी बाजार में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान, प्राथमिक बाजार में प्रवेश करने वाली कंपनियों की संख्या में कमी हुई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ सेकेंड्री बाजार में सामान्य अधोप्रवृत्ति और सेबी द्वारा कंपनियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक कड़े प्रविष्टि मानदंडों के आरम्भ के कारण है । अपेक्षाकृत अधिक कड़े प्रविष्टि मानदंड यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल अच्छी कंपनियां बाजार में आएं ।

(ग) बाजार को पुन: चालू करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) नए इश्युओं में अभिदान हेतु छोटे निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए सेबी ने न्यूनतम आवेदनपत्र आकार 5000/- रुपए से घटाकर 2000/- रुपए कर दिया है ।

(2) इक्विटी के सूचीकरण के बिना ऋण प्रतिभूति के सूचीकरण की अनुमति दी गई है;

(3) एक्सचेंजों को, उनके प्रचालन स्थान से बाहर के स्थानों तक अपने कारोबार टर्मिनलों का विस्तार करने की अनुमति दी गई है; और

(4) प्रतिभूतियों में स्क्रिपरहित कारोबार करने के लिए प्रथम निक्षेपागार, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड की स्थापना की गई है ।

कोयला क्षेत्र को विश्व बैंक का ऋण

604. **कुमारी उमा भारती : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का विचार भारत के कोयला क्षेत्र की पुनर्वास योजनाओं के लिए ऋण के रूप में भारी धनराशि प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त ऋण कब तक प्राप्त होगा?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) विश्व बैंक ने कोल इंडिया लि० की कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना हेतु 530 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का अनुमोदन किया है ।

(ख) कोल इंडिया लि० की पांच सहायक कंपनियों, नामत: सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०, नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०, महानदी कोलफील्ड्स लि० साउथ इस्टर्न कोल्डफील्ड्स लि० तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की 24 खानें सी०एस०आर०पी० के अंतर्गत लाभ प्राप्त करेंगी । यह ऋण मुख्य रूप से पुराने उपकरणों को प्रतिस्थापित किए जाने के द्वारा 15 विद्यमान कोयला खानों में कोयला उत्पादन के अनुरक्षण और उत्पादन में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से 9 नई तथा विस्तार परियोजना हेतु उपकरण उपलब्ध कराए जाने के लिए दिया जा रहा है ।

(ग) ऋण की प्राप्ति जापान एक्जिम बैंक के साथ होने वाले ऋण समझौते पर निर्भर करती है जिसकी तिथि के बारे में अभी उनके द्वारा सूचित किया जाना है । विश्व बैंक के इतनी ही राशि के ऋण के अतिरिक्त एक्जिम बैंक 530 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है ।

विदेशी सहयोग

605. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग के लिए आवेदन करते समय कंपनियों द्वारा बायदे के अनुसार निर्यात सुनिश्चित करने हेतु, सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं जो गत तीन वर्षों के दौरान अपनी निर्यात संबंधी वचनबद्धता का निर्वाह करने में असफल रही है; और

(ग) सरकार द्वारा उन कंपनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) इस प्रयोजन के लिए निर्यातकों को निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए स्वयं के लिए बाध्यकारी विधिक प्रतिज्ञा दाखिल करनी आवश्यक है ।

(ख) इस संबंध में एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ग) संबंधित मामले दण्डात्मक कार्रवाई के लिए प्रवर्त्तन प्रभाग को भेज दिए गए हैं ।

विवरण

1. मैसर्स न्यू स्टेण्डर्ड इंजी० कं० लि०, बॉम्बे
2. मै० सोनीफ्लेक्स एक्रेसिव्ज, बॉम्बे
3. मै० जेनिथ स्टील पाइप्स लि०, बॉम्बे
4. मै० इण्डो निप्पोन फूड्स (प्रा०) लि०
5. मै० फ्लेयर इलेक्ट्रानिक्स लि०, लुधियाना
6. मै० परफेक्ट फास्टेनर्स (प्रा०) लि०, फरीदाबाद
7. मै० कॉन्कास्ट इण्डिया प्राइवेट लि०
8. मै० ग्रीव्ज कॉटन एंड कं० लि०, बॉम्बे
9. मै० ऑफेल वेगॅन (आई) प्राइवेट लि०
10. मै० इण्डियन फर्नेन्स कं० लि०
11. मै० श्री कृष्णा ऑयल मिल्स लि०, हैदराबाद
12. मै० एक्सपोर्ट्स एक्सरेल ग्रुप (प्रा०) लि०, न्यू दिल्ली
13. मै० एसोसिएटेड सीमेन्ट कं० लि०, बॉम्बे
14. मै० बेग्रियन शूज लि०, चण्डीगढ़
15. मै० किर्लोस्कर न्यूमेटिक कं० लि०, पुणे
16. मै० श्रीनिवास इंजी० कं०
17. मै० इण्डो फॉरेन केमि०
18. मै० बिकन इण्डिया प्रा० लि०, बंगलौर
19. मै० मार्शल सन्त एंड कं०, मद्रास
20. मै० भारत लिंदर (प्रा०) लि०, बड़ौदा
21. मै० लेदर क्राफ्ट्स इण्डिया लि०
22. मै० सूमल इंजीनियरिंग्स, लखनऊ
23. मै० हिन्दुस्तान डोर ऑलिवर लि०
24. मै० ऑडियो इण्डिया लि०
25. मै० माइक्रोवेव प्रॉडक्ट्स इण्डिया लि०, केरल
26. मै० ईस्ट कोस्ट पेस्टिशियन्स लि०, मद्रास
27. मै० लेजर लैण्ड प्रा० लि०, कलकत्ता
28. मै० नेशनल पेरॉक्साइड लि०, बॉम्बे
29. मै० आई०ए०ई०सी० (बॉम्बे) लि०, बॉम्बे
30. मै० टी०वी०एस० इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लि०, मद्रास
31. मै० बायक्स पैकेजिंग लि०, प० बंगाल

अनुसंधान केन्द्र के विकास के लिए चाय उपकर

606. **श्री केशव महन्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टॉकलाई एक्सपेरिमेंट्स स्टेशन को राष्ट्रीय संस्थान घोषित करने तथा चाय उद्योग जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, में टीईएस के योगदान को देखते हुए चाय बोर्ड द्वारा इसका अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार टॉकलाई स्थित चाय अनुसंधान केन्द्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगा चाय उपकर का उपयोग करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) चाय बोर्ड द्वारा योजना और गैर-योजना कोषों से पहले से ही महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास क्रिया-कलाप किए जा रहे हैं । इसमें चाय अनुसंधान संगठन को आंशिक वित्तपोषण भी शामिल है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व व्यापार संगठन संबंधी विवाद

607. **डा० एम० जगन्नाथ :**
श्री के०एस० रावुडू :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व व्यापार संगठन में भारत को जिन विवादों का सामना करना पड़ रहा है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में क्या वार्ता हुई है; और

(ग) इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) भारत के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा शुरू किए गए विवादों के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोपीय समुदायों ने भारत के विरुद्ध अनुरूपता अथवा अन्यथा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के सम्बद्ध पहलुओं संबंधी करार के तहत भारत के दायित्वों के साथ भारत की पेटेंट प्रणाली के मामले में अलग से विवाद निपटान कार्रवाई शुरू की है । संयुक्त राज्य अमरीका के साथ विवाद संबंधी रिपोर्ट में पेनल ने पाया कि भारत ने ट्रिप्स करार के अनुच्छेद 70.8 (क) या अनुच्छेद 63(1) और (2) तथा अनुच्छेद 70.9 के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है। रिपोर्ट के कुछेक पहलुओं पर अपील करने के लिए भारत को अधिसूचना के बाद डब्ल्यू टी ओ के अपीलीय निकास द्वारा समीक्षा की जा रही है । जहां तक यूरोपीय समुदाय के साथ विवाद का संबंध है, पेनल द्वारा इसकी जांच की जा रही है ।

भुगतान संतुलन प्रयोजनार्थ भारत द्वारा आयातों पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंधों के मामले में आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय समुदाय, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड तथा संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत के विरुद्ध अलग से विवाद निपटान कार्रवाई शुरू की है । जापान भी इसके साथ हितबद्ध तृतीय पार्टी के रूप में शामिल हो गया है । विवाद निपटान प्रक्रिया के अनुसार औपचारिक परामर्शों के अनुसरण में यूरोपीय समुदाय तथा स्विटजरलैंड के साथ परस्पर सम्मत हल निकाल लिए गए हैं। आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड तथा जापान के साथ परस्पर सम्मत हल को औपचारिकता से संबंधित वार्ताओं को शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है । चूंकि संयुक्त राज्य का कोई पारस्परिक संतोषजनक हल नहीं निकला इसलिए इस विवाद में निहित यू०एस० के आरोप की जांच करने के लिए 18 नवम्बर, 1997 को एक पेनल का गठन किया गया है ।

डब्ल्यू टी ओ सदस्य देशों के विरुद्ध भारत द्वारा चलाए गए विवाद के संबंध में जो विवाद निपटान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है उनमें से बकाया विवाद टर्की द्वारा टैक्सटाइल उत्पादों की व्यापक श्रेणी के भारत से आयात पर टर्की द्वारा लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंधों के मामले में टर्की के साथ तथा मलेशिया, पाकिस्तान और थाइलैंड सहित भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध चलाया गया संयुक्त विवाद है जो श्रिम्प तथा वाईल्ड में तैयार श्रिम्प से उत्पादों के आयात पर रोक लगाने के बारे में शुरू किया गया संयुक्त विवाद है । इस विवाद वाणिज्यिक मत्स्य उद्योग तकनालॉजी का प्रयोग करके प्राकृतिक अवस्था में पकड़ी गई श्रिम्प और उससे बने उत्पादों के संयुक्त राज्य अमरीका में आयात करने पर प्रतिबंध है क्योंकि इस तकनालॉजी से समुद्री कछुओं की दुर्लभ जातियों की सुरक्षा नहीं होती ।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

608. **श्री श्याम लाल बंशीवाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पादों के निर्यात में 1996-97 के दौरान वृद्धि होने की प्रवृति लक्षित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस देश का क्या नाम है जिसे अत्यधिक समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) जी हां । वर्ष 1995-96 की तुलना में वर्ष 1996-97 में समुद्री उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार रहा है:-

	1996-97	1995-96
निर्यातित मात्रा (मी. टन में)	378199	296277
मूल्य (करोड़ रुपये में)	4121.36	3501.11
मूल्य (मिलियन डालर में)	1152.83	1111.46

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 में भारत ने समुद्री उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात जापान को किया, जिससे 1886.04 करोड़ रुपये मूल्य (527.56 मिलियन अमरीकी डालर) की प्राप्ति हुई ।

स्रोत : (एम्पीडा)

पाकिस्तान के साथ व्यापार

609. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाधा और अटारी सीमा से नए सड़क मार्ग खोलकर पाकिस्तान के साथ व्यापार को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सड़क मार्ग से व्यापार शुरू करने से तस्करों और उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ने की संभावना पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) बाघा अटारी सीमा के रास्ते पाकिस्तान के साथ विदेशी व्यापार खोलने के भारतीय व्यापार तथा उद्योग के अनुरोध पर सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों की सलाह से प्रथमत: जांच की जा रही है ।

क्षेत्रीय हथकरघा विकास केन्द्र स्थापित करना

610. **श्री शरत पटनायक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय हथकरघा विकास केन्द्रों को स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) और (ख) जी, नहीं । सरकार का क्षेत्रीय हथकरघा विकास केन्द्रों को स्थापित करने का विचार नहीं है । तथापि हथकरघा विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को प्राथमिक हथकरघा सरकारी समितियों द्वारा 1604 हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए 81.64 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की है ।

बीमा सुविधा वाली बचत खाता योजना

611. **श्री के०सी० कोंडय्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत सरकार के उपक्रम, आन्ध्र बैंक ने बचत खाता योजना के अंतर्गत "अभय गोल्ड" नाम की एक योजना शुरू की है जिसमें बहुत ही कम बीमा प्रभार जमा करने के बदले में 100000 रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी इसी प्रकार की योजना शुरू की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी ऐसी योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, ऐसी योजनाएं समय-समय पर संशोधनों के साथ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भी शुरू की गई हैं ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार, ऐसी योजनाएं शुरू करने का निर्णय जमाराशियों पर ब्याज दरों/आहरण आदि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों के अध्यधीन बैंकों के बोर्डों में निहित हैं ।

प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश

612. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** :
श्रीमती शारदा टाडीपारथी :
श्री आर० साम्बासिवा राव :
श्री के०पी० सिंह देव :
श्री काशीराम राणा :
श्री एन०एस०वी० चित्वन :
श्री वी०ए० चरण रेड्डी :
श्री केशव महन्त :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को अप्रैल, 1997 से आज तक पूजी निवेश के संबंध में कितने विदेशी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनुमोदित किए गए प्रस्तावों कि सेक्टर-वार संख्या क्या है;

(ग) इनमें कितना विदेशी पूंजी निवेश अन्तर्ग्रस्त है;

(घ) इन प्रस्तावों में कितने निर्यात का लक्ष्य है;

(ङ) अनुमोदन के लिए विदेशी पूंजी निवेश संवर्धन बोर्ड के पास कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(च) इसके लंबित होने के क्या कारण हैं और इनके शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) अप्रैल, 1997 से 13.11.97 की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी लगभग 610 नये प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसी अवधि में कुछेक संशोधन वाले मामलों सहित 512 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया जिनमें 17697.14 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अन्तर्ग्रस्त था। अनुमोदन सेवा क्षेत्र और परामर्शदायी सेवाओं सहित धातुकर्मीय उद्योगों, ईंधन, विद्युत उपकरण, दूरसंचार, परिवहन उद्योग और अन्य विविध उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिये गये थे । इनमें से 43 प्रस्तावों में निर्यात संभाव्यताएं हैं ।

(ङ) और (च) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की अनुमोदन प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है और प्रस्तावों पर संक्षिप्त समय-सारणी के अन्तर्गत विचार किया जाता है । इस समय अस्थगित किये गये प्रस्तावों सहित लगभग 134 प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने विचार करना है । इस प्रकार के सभी प्रस्तावों को दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाने के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे हैं ।

करेंसी नोट और सिक्के

613. श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री राम नाईक :
श्री विजय पटेल :
श्री वी० धनंजय कुमार :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम मूल्य के करेंसी नोट और सिक्कों की कमी है;

(ख) देश में इस समय कितनी सिक्यूरिटी प्रेस और टकसाल हैं, उनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता और उनमें वर्तमान में कितना उत्पादन होता है; और

(ग) सिक्कों/करेंसी नोटों की कमी को पूरा करने और प्रेसों/टकसालों की क्षमता में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकारी नीति के अनुसार 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये के निम्न मूल्यवर्ग के नोटों का सिक्काकरण किया गया है । तदनुसार, नोट प्रिंटिंग प्रेसों ने क्रमशः सितम्बर, 1994, जनवरी, 1995 और नवम्बर, 1995 से इन मूल्यवर्गों की छपाई बन्द कर दी है । इन मूल्यवर्गों के सिक्कों की आपूर्ति को बढ़ाया गया है ।

(ख) देश में वर्तमान प्रतिभूति मुद्रणालयों और टकसालों के नाम, उनकी उत्पादन क्षमता और उत्पादन के वर्तमान स्तर सहित निम्नानुसार हैं :-

(आंकड़े मिलियन अदद में)

क्रम सं०	इकाई का नाम	वर्तमान वार्षिक क्षमता	1996-97 के दौरान प्राप्त उत्पादन
1	2	3	4
1.	करेंसी नोट प्रेस, नासिक	4000	3308
2.	बैंक नोट प्रेस, देवास	1875	1795
3.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्माणाधीन नोट मुद्रणालय		
	(क) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लि०, मैसूर (कर्नाटक)	मशीनों की एक श्रृंखला पहले ही चालू की जा चुकी है और उसने जून, 96 (मैसूर प्रेस) और	
	(ख) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लि०, सालबोनी (पश्चिम बंगाल)	दिसम्बर, 96 (सालबोनी प्रेस) से उत्पादन आरम्भ कर दिया है । इस समय	
	टिप्पणी : इन प्रेसों कि इकट्ठी क्षमता जब वे दिसम्बर, 1999 के अन्त तक पूरी तरह चालू हो जाएंगी 9900 मिलियन प्रति वर्ष की होगी ।	तक मैसूर प्रेस ने 790 मिलियन अदद तथा सालबोनी प्रेस ने 656 मिलियन अदद का उत्पादन किया है ।	
4.	भारत सरकार टकसाल, मुम्बई	750	401
5.	भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता	750	468
6.	भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	400	313
7.	भारत सरकार टकसाल, नौएडा	2000	382

(ग) सिक्कों/करेंसी नोटों की कमी को पूरा करने तथा मुद्रणालयों/टकसालों की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये के निम्न मूल्यवर्ग के नोटों का सिक्काकरण तथा इस प्रकार चलाई गई क्षमता का उपयोग उच्च मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई के लिए करना ।

(2) नासिक और देवास में स्थित दो नोट प्रिंटिंग प्रेसों का आधुनिकीकरण ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन प्रत्येक 4950 मिलियन अदद की वार्षिक क्षमता वाली दो नई नोट प्रिंटिंग प्रेसों अर्थात् एक मैसूर (कर्नाटक) और एक अन्य सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में, की स्थापना करना ।

(4) एक बारगी उपाय के रूप में विदेशों से 3600 मिलियन अदद छपे हुए नोटों और 1000 मिलियन अदद सिक्कों का आयात ।

सेवा कर

614. श्री चमन लाल गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टूअर आपरेटरों/एजेंटों, केटररों इत्यादि पर सेवा कर लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेवा कर लगाए जाने से देश में पर्यटन में कमी आयेगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 88 द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ किसी टूअर आपरेटर और आउटडोर केटरर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर 5 प्रतिशत की दर से सेवा कर लगाया गया है । यद्यपि टूअर आपरेटर पर सेवा कर 1.9.97 से लगाया गया है किन्तु आउटडोर केटरर के मामले में सेवा कर 1.8.97 से लगाया गया है । टूअर आपरेटर के मामले में सेवा कर की वसूली के लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार होता है जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत स्वीकृत पर्यटक परमिट धारी होता है, जबकि आउटडोर केटररों के मामले में सेवा कर की वसूली के लिए वह व्यक्ति जिम्मेवार होता है जो केटरिंग सेवाएं प्रदान करता है । कराधेय सेवा की राशि को उस साल राशि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे टूअर आपरेटर टूअर के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए ग्राहक से वसूली करता है और इस राशि में ठहरने, खाने और कोई अन्य सुविधा के प्रभार शामिल होते हैं जोकि ऐसे टूअर के संबंध में प्रदान की जाती हैं । आउटडोर केटरर के मामले में यह राशि वह सकल राशि होगी जिसे केटरर द्वारा ऐसे केटरिंग के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए ग्राहक से वसूल किया गया हो जिसमें भोजन, पकवान, मद्य और मद्य से भिन्न पेय अथवा क्राकरी और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं अथवा साज-सामान के प्रभार शामिल होते हैं जो ऐसे ग्राहक को किसी चार्ज अथवा किसी अवसर पर उपलब्ध कराए जाते हैं ।

(ग) और (घ) सेवा कर की सामान्य दर के अलावा, किसी टूअर आपरेटर द्वारा संचालित किसी पैकेज टूअर के मामले में कर का हिसाब लगाने के लिए कराधेय सेवाओं की राशि के 60 प्रतिशत की कमी की गई है और उन मामलों में जिनमें टूअर आपरेटर केवल ठहरने के स्थान की बुकिंग अथवा व्यवस्था करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है, 90 प्रतिशत की कमी की गई है । इसी प्रकार, आउटडोर केटरर के मामले में कराधेय सेवाओं के मूल्य में 50 प्रतिशत की कमी की गई है । उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए इस सेवा कर से देश में पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है ।

कोयला मंत्रालय में भ्रष्टाचार के मामले

615. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार, बेईमानी तथा सिविल अधिकारियों के पास उनकी आय से अधिक परिसम्पत्ति होने के कितने मामलों की जांच की गयी है;

(ख) ऐसे मामलों में कितने अधिकारी (श्रेणीवार) लिप्त पाये गए;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान भ्रष्टाचार तथा बेईमानी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और इन पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या सतर्कता विभाग स्वत: ही उन कर्मचारियों, जिन पर बेईमान तथा भ्रष्ट होने का संदेह है, के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ करता है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने अपने नियंत्रणाधीन सतर्कता विभाग के अधिकारों के प्रयोग की कोई समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कोयला मंत्रालय के सतर्कता अनुभाग द्वारा मंत्रालय के सिविल अधिकारियों के विरुद्ध किसी मामले की जांच नहीं की गई है ।

(ग) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) यदि विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है तो सतर्कता अनुभाग द्वारा स्वत: कार्रवाई आरंभ की जा सकती है ।

(ङ) और (च) सतर्कता अनुभाग के कार्यों और शक्तियों के संबंध में मंत्रालय कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों का पालन करता है । अत: मंत्रालय द्वारा इसकी शक्तियों की समीक्षा किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों का आयात

616. **डा० साहेबराव सुकराम बागूल :**
डा० राम विलास वेदान्ती :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया गया तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस आयात पर सरकार द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गयी; और

(ग) खाद्य तेल के आयात के कारण क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान आयातित वनस्पति तेल (खाद्य) की मात्रा तथा इसके आयात का सी०आई०एफ० मूल्य निम्नानुसार है :-

वर्ष	मात्रा (हजार टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1994-95	347	624
1995-96	1062	2262
1996-97	1287	2926

स्रोत: डी०जी०सी०आई० एंड एस०, कलकत्ता

(ग) कई वर्षों से खाद्य तेल की मांग तथा देशी स्रोतों से इसकी उपलब्धता के बीच लगातार अन्तराल रहा है । अत: खाद्य तेल के आयात को यह देखते हुए पुन: शुरू किया गया है कि जन उपभोग की यह वस्तु उपभोक्ताओं को आसानी से उचित दामों पर मिल सके ।

फसल उत्पादों का निर्यात

617. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन फसल उत्पादों के निर्यात में कृषकों की प्रत्यक्ष भागीदारी हेतु कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात किसानों/किसानों के संगठन सहित कोई भी निर्यातक, निर्यात-आयात नीति के प्रावधानों के अधीन कर सकता है । सभी वस्तु बोर्ड/निर्यात संवर्द्धन परिषदें किसानों/किसानों के संगठन को निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से उनके साथ समय-समय पर बातचीत करती है ।

[अनुवाद]

पूंजीगत माल पर आयात शुल्क

618. **श्री मदन पाटिल :**
श्री अनंत गुढे :
श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण :
श्री मंगत राम शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश औद्योगिक विकास दर में अत्यधिक मंदी के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने आयात-शुल्क ढांचे के कारण पूंजीगत माल क्षेत्र में उत्पन्न हुई समस्याओं पर गौर करने के लिए किन्हीं विशेषज्ञों की समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) ऊर्जा, तेल, कोयला, दूरसंचार, राजमार्ग और सड़क जैसे क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई०आई०पी०) द्वारा यथामापित औद्योगिक वृद्धि में 1995-96 में 12.1 प्रतिशत से 1996-97 में 6.8 प्रतिशत तक की गिरावट आई । तथापि, चालू वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 5.4 प्रतिशत की औद्योगिक वृद्धि वर्ष की अन्तिम तिमाही में देखी गई 2.1 प्रतिशत वृद्धि से अधिक है । जुलाई-अगस्त, 1997 की अद्यतन अवधि जिसके लिए ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान अनंतिम रूप से वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत होने का अनुमान है ।

(ख) सरकार द्वारा तीव्रतर औद्योगिक वृद्धि के लिए कई उपाय किए गए हैं । 1997-98 के केन्द्रीय बजट में घोषित नीतियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल, 1997 और अक्तूबर 1997 में घोषित ऋण नीतियों में निवेश ओर औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रोत्साहन निहित हैं । इन उपायों में वैयक्तिक और निगमित करों में कमी, उत्पादन शुल्क का यौक्तिकीकरण और लघु उद्योग के लिए आरक्षित मदों की सूची से 14 मदों को अनारक्षित करना शामिल है । सरकार ने 5 और उद्योगों को विनियन्त्रित करने के लिए लाइसेंसमुक्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, निर्यात को सुगम बनाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निर्यात संवर्धन बोर्ड की नियुक्ति की है, टैरिफ से संबंधित मुद्दों की देख-रेख के लिए टैरिफ आयोग का गठन किया है और 9 "नवरत्न" और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कामकाजी स्वायत्तता प्रदान की है ।

(ग) और (घ) 14.10.1997 को उद्योगपतियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में योजना आयोग के सदस्य डा० अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में गठित एक समूह से यह जांच करने की शून्य शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात से घरेलू पूंजीगत उद्योग पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उस पर उपाय सुझाने का अनुरोध किया गया है ।

(ङ) अर्थव्यवस्था के "कोर" क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश मानकों को और उदार बनाया गया है । टी०आर०ए०आई० जैसे विनियामक प्राधिकरण और प्रमुख पत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण गठित किए गए हैं । राजमार्गों के विकास ओर पत्तनों में निजी निवेश को सुसाध्य बनाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । आयल पूल घाटे को पूरा करने और अधिक गैर-सरकारी निवेश की बाधाओं को दूर करने के उपाय किए गए हैं । 1997-98 के केन्द्रीय बजट में अधिक राजकोषीय प्रोत्साहन देकर निवेश अवसरों को व्यापक बनाया गया है ।

बागान कम्पनियों को चैक बुक जारी करना

619. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई बैंक बागान कम्पनियों को अभी भी चैक बुकें जारी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने बागान कम्पनियों को चैक जारी किए और कितने चैक जारी किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उन्होंने बैंकों को 25 सितम्बर, 1997 के अपने परिपत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान देने को कहा है कि चैक बुकों की किसी खाताधारक द्वारा असामान्यरूप से बड़ी मांग की ध्यानपूर्वक जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चैकों के पन्नों की अपेक्षा उचित अल्पावधि कारोबार के लिए की गई है । इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जबकि उन्होंने बैंकों से वृक्षारोपण (प्लान्टेशन) कंपनियों को चैक बुक जारी करने से मना नहीं किया है, उन्होंने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ये केवल उचित अल्पावधि कारोबारी अपेक्षाओं के लिए ही है ।

तदर्थ नियुक्तियां

620. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न उच्चतर जिम्मेदारी वाले पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों के संवर्ग के लिए एकमुश्त वेतन के संबंध में कोई सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी सिफारिशों की जांच की गई है तथा जल्द ही इन्हें लागू कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन संवर्गों के संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार करने का है ताकि उनका वेतन वर्ग (ग) तथा (घ) समूहों के बराबर या लगभग बराबर न हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) एकमुश्त वेतन पर नियुक्तियां आवश्यकता के आधार पर की जाती हैं और एकमुश्त वेतन का निर्धारण कार्य आवश्यकता पर आधारित होता है और कार्यपालन के लिए अपेक्षित अभ्यर्थी/अधिकारी के स्तर को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है । ऐसी नियुक्तियों को तदर्थ नियुक्ति नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त इस संबंध में वेतन आयोग या अन्य किसी निकाय ने कोई सिफारिश नहीं की है । तदर्थ नियुक्तियां बहुत कम संख्या में तथा आपवादिक परिस्थितियों में उन्हीं रिक्तियों पर की जाती है जिन्हें नियमित अभ्यर्थी के आने पर खाली न रखा जा सकता हो । संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष तक के लिए की जा सकती हैं । इससे आगे की अवधि के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गयी बैंक शाखायें

621. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
श्री शिवानन्द एच० कोजलगी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गयी हैं;

(ख) क्या यह पता लगाने हेतु ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया गया है कि बैंक कहां तक जमा के रूप में धनराशि प्राप्त करने में सक्षम हैं तथा कृषकों को ऋण देने में बदलती हुई आर्थिक परिस्थिति के साथ चल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 30 जून, 1969 के बाद अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 33025 ग्रामीण शाखाएं खोली गई हैं ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे अखिल भारतीय स्तर पर अपनी ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं के संबंध में अलग-अलग 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करें । बैंकों से यह भी कहा गया है कि जबकि यह आवश्यक नहीं है कि यह अनुपात शाखावार, जिला-वार अथवा क्षेत्र-वार अलग-अलग प्राप्त किया जाए, तथापि, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण वितरण में असंतुलन दूर करने के लिए विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच अनुपात में भिन्नता को कम किया जाए। तथापि, किसी राज्य विशेष अथवा क्षेत्र विशेष में ऋण जमा अनुपात, उस राज्य/क्षेत्र के ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है जो इसके विपरीत सिंचाई, विद्युत, रेल, सड़क परिवहन, आधारभूत और तकनीकी शिक्षा उद्यमवृत्ति और अपेक्षित निविष्टियों की उपलब्धता और कृषि और औद्योगिक उत्पादन के लिए विपणन केन्द्रों जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास जैसे तथ्यों से निर्धारित और प्रभावित होता है ।

विदेशी उत्पादों को डम्प करना

622. **श्री सिद्दया कोटा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादों को हमारे देश में डम्पिंग करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) जिन मामलों में पाटनरोधी जांच पूरी कर ली गई है या चल रही है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है ।

विवरण-I

वे मामले जिन में निश्चित (अन्तिम) पाटनरोधी शुल्क लगाया गया

	उत्पाद	देश
1.	पी०वी०सी० रेजिन	ब्राजील, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य, यू०एस०ए०
2.	बिसफेनोल-ए	जापान
3.	पोटाशियम परमेंगनेट	चीन
4.	आईसोब्यूटाइल बेंजीन	चीन
5.	3.4.5. ट्राईमेथोक्सी बेन्जलडीहाई	चीन
6.	थीओफाईलीन तथा कैफीन	चीन
7.	एक्रीलोनाईट्रील बयूटाडाइन रबर (एन०बी०आर०)	जापान
8.	बिस्फेनोल-ए	ब्राजील और रूस
9.	सोडियम फेरोसाइनाइड	चीन
10.	डैड बर्न्ट मैगनेसाइट (डी०बी०एम०)	चीन
11.	लॉ कार्बन फैरी क्रोम (एलसीएफसी)	रूस तथा कजाकिस्तान
12.	8-हाइड्रोक्सीक्यूनोलोन	चीन
13.	बिस्फेनोल-ए	यू०एस०ए०
14.	एक्रीलोनाइट्रील बुटाडीन रबर (एन०बी०आर०)	जर्मनी तथा कोरिया गण०
15.	एक्रीलिक फाइबर	यू०एस०ए०, थाईलैंड तथा कोरिया गण०

विवरण-II

वे मामले जिन पर अनंतिम शुल्क लगाने की अनुशंसा की गई तथा जिन पर जांच जारी है

	उत्पाद	देश	अनुशंसित शुल्क की मात्रा
1.	कैटालिस्टस	डेनमार्क	रु० 21.24-19201 प्रति मी०
2.	ग्रेफाईट इलैक्ट्रोडस	*	रु० 0-29625/मी० टन
3.	न्यूजप्रिंट	यू एस ए, कनाडा, रूस	रु० 1041-6250 पी०मी० टन
4.	पी टी ए	थाईलैंड, कोरिया गण०, इंडोनेशिया	रु० 463-3375 पी एम टी

*यू एस ए, चीन, स्पेन, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, आस्ट्रिया

विवरण-III

वे मामले जिन पर अनंतिम शुल्क लगाने के लिए जांच चल रही है

	उत्पाद	देश
1.	आइसो ब्यूटाइल बेनजीन (समीक्षा मामला)	चीन
2.	मैगनेशियम	चीन
3.	पोलिस्टाइरॉन	कोरिया गण०, जापान ताइवान, मलेशिया
4.	विटामिन-सी	चीन, जापान
5.	धातुकैमिकल कोक	चीन
6.	एच आर कॉयल	रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान
7.	समुद्री पानी मैगनेशिया	चीन

[हिन्दी]

व्यावसायिक वाहनों का निर्यात

623. **श्री सोहन वीर सिंह :**
डा० रामविलास वेदान्ती :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश की वाहन निर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा किन-किन देशों को व्यावसायिक वाहनों का निर्यात किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने वाहनों का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रामैया) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से मुख्य रूप से निम्नांकित देशों को वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात किया गया:-

अंगोला, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, इथीयोपिया, जर्मन संघीय गणराज्य, घाना, युनान, गुयाना, हंगरी, इंडोनेशिया, इटली, जमेका, केन्या, कुवैत, मलगेशी जनवादी गणराज्य, मारीशस, मलावी, माल्टा, मोजाम्बिक, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, कतर, रूस, सऊदी अरब, सेनेगल, सेशल्स, सिएरा लीओम, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, स्पेन, सुडान, सीरिया, तंजानिया, यू०ए०ई०, युगाण्डा, यू०के०, यू०एस०ए०, वियतनाम समाजवादी गणराज्य, जेयरे, जाम्बिया, जिम्बाब्वे ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए वाणिज्यिक वाहनों की संख्या और उससे हुई विदेशी मुद्रा आय का मूल्य निम्नानुसार है :-

वर्ष	मात्रा	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1994-95	6401	266.15
1995-96	7027	307.10
1996-97 (फरवरी, 97 तक)	6704	315.16
(मार्च 97 तक)	उपलब्ध नहीं	363.68

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक, कलकत्ता ।

वायु समिति

624. **श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :**
श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु समिति ने काले धन के संबंध में सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या ब्यौरा है; और

(ङ) यदि नहीं तो सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार को काले धन के संबंध में वायु समिति द्वारा दी गई किसी रिपोर्ट/सिफारिशों की जानकारी नहीं है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

अप्रयुक्त विदेशी सहायता/ऋण

625. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी :**
श्री वसुन्धरा राजे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक जिन विभिन्न परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता और ऋण प्राप्त किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी सहायता राशि/ऋण कब तक प्राप्त किया गया;

(ग) क्या अनेक परियोजनाओं के लिए प्राप्त विदेशी सहायता और ऋण का उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) विदेशी सहायता मुख्यत: परियोजना से सम्बद्ध होती है और किसी भी परियोजना के लिए स्वीकृत सहायता का उपयोग परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान ही किया जाता है । इसलिए, किसी भी समय पर अनुप्रयुक्त शेष राशि उस कुल राशि को अभिव्यक्त करती है जिसे परियोजना की शेष अवधि के दौरान आहरित किया जा सकता है । अत: अनुप्रयुक्त शेष राशि पिछले बकाया संचितों को अभिव्यक्त नहीं करती ।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । विदेशी सहायता का उपयोग आशा के विपरीत धीमी गति से होने का कारण निधि संबंधी अवरोध, वसूली और संविदागत विलम्ब, भूमि अधिग्रहण में होने वाला विलम्ब और परियोजना से सम्बद्ध अन्य विशिष्ट मुद्दे हैं ।

(ङ) सरकार ने विदेशी सहायता के उपयोग को सुधारने के लिए राज्य सरकारों को सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में शत प्रतिशत विदेशी सहायता जारी करना, राज्यों को अग्रिम तौर पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करना, बोली संबंधी दस्तावेजों का मानकीकरण और वसूली संबंधी क्रियाविधियों को सरल और सुसाध्य बनाना, बजटीय प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मिलने वाली सहायता में से मध्यस्थों को हटाना, पोर्टफोलियो यौक्तिकीकरण, परियोजनाओं का गहनता से अनुवीक्षण और आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबंधन एकक की स्थापना के साथ-साथ नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं ।

विवरण

वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 (31.10.1997 तक) के दौरान हस्ताक्षरित नए परियोजना-करारों का दाता-देश वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(दाता देश मुद्रा मिलियन में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	करार की तारीख	ऋण/अनुदान की राशि	दि० 31.10.97 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त शेष
1	2	3	4	5
जापान (जापानी येन)				
1.	श्रीसेलम वाम तट विद्युत परियोजना	28.2.95	22567.000	9071.700
2.	श्रीसेलम वाम तट विद्युत पारेषण परियोजना	28.2.95	9546.000	9532.800
3.	असम गैस आधारित परियोजना	28.2.95	15821.000	9223.900
4.	पुरूलिया पम्पीकृत भंडारण परियोजना	28.2.95	20520.000	19780.100
5.	बकरेश्वर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	28.2.95	8659.000	7632.300
6.	कोथागुडम् ताप विद्युत केन्द्र	28.2.95	5092.000	2525.900
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 का चतुश्लेनीकरण	28.2.95	4827.000	4827.000
8.	राष्ट्रीय राजमार्ग 5 का चतुश्लेनीकरण	28.2.95	5836.000	5835.000
9.	मद्रास मलव्ययन	28.2.95	17098.000	16981.100
10.	भोपाल झील परियोजना	28.2.95	7055.000	6601.900
11.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, पश्चिम बंगाल	28.2.95	1525.000	1496.600
12.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण आईसीआईसीआई	28.2.95	3000.000	1612.900
13.	राजस्थान वानिकी परियोजना	28.2.95	4219.000	2999.000
14.	अट्टापदी बंजर भूमि व्यापक पर्यावरणीय संरक्षण परियोजना	25.1.96	5112.000	5094.500
15.	गुजरात वन रोपण एवं विकास परियोजना	25.1.96	15760.000	12441.800
16.	बंगलौर जलापूर्ति और मलव्ययन परियोजना	25.1.96	28452.000	28289.000
17.	कुर्नल कुडप्पा नहर आधुनिकीकरण परियोजना	25.1.96	16049.000	16049.000
18.	पिपावाव पत्तन जलयान विराम परियोजना	25.1.96	7046.000	5237.500
19.	अनपाडा विद्युत पारेषण प्रणाली परियोजना-II	25.1.96	12020.000	9048.000
20.	धोली गंगा पनबिजली संयंत्र निर्माण परियोजना	25.1.96	5665.000	5255.900
21.	लघु उद्योग विकास कार्यक्रम-V	25.1.96	30000.000	0.000
22.	शहरी जलापूर्ति एवं सफाई सुधार कार्यक्रम	25.1.96	8670.000	7512.800
23.	उत्तरी भारत पारेषण प्रणाली परियोजना	25.2.97	8497.000	8497.000
24.	पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना	25.2.97	11087.000	11087.000
25.	उमियम पन बिजली केन्द्र नवीकरण परियोजना	25.2.97	1700.000	1700.000
26.	तुरियल पन बिजली केन्द्र परियोजना	25.2.97	11695.000	11695.000
27.	सिम्हद्री ताप विद्युत केन्द्र परियोजना	25.2.97	19817.000	19817.000
28.	दिल्ली जन त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना	25.2.97	14760.000	14760.000

1	2	3	4	5
29.	कलकत्ता परिवहन आधारभूत विकास परियोजना	25.2.97	10679.000	10581.600
30.	पूर्वी कर्नाटक वनरोपण परियोजना	25.2.97	15968.000	15905.700
31.	तमिलनाडु वनारोपण परियोजना	25.2.97	13324.000	13324.000
32.	केरल जलापूर्ति परियोजना	25.2.97	11997.000	11997.000
33.	राजघाट नहरी सिंचाई परियोजना	25.2.97	13222.000	13222.000
34.	निजामुद्दीन पुल निर्माण	22.9.95	2778.000	867.600
35.	कलावती शरण अस्पताल	11.1.96	1217.000	0.000
36.	ऋण राहत-II	11.1.96	184.000	184.000
37.	पोलियो रोग उन्मूलन	23.10.96	768.000	392.900
38.	त्रिची में वृक्षारोपण	13.1.97	50.000	50.000
39.	खाद्य उत्पादन में वृद्धि	13.1.97	500.000	500.000
40.	ऋण राहत 1996-97	13.1.97	150.900	150.900
41.	उपस्कर सुधार परियोजना	13.6.97	667.00	667.000
42.	ऋण राहत 1997-98	13.6.97	134.500	134.500
	एशियाई विकास बैंक (अमरीकी डालर)			
1.	गैस प्रतिस्थापन और विस्तार	17.5.94	195.000	45.143
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग	22.3.95	245.000	231.155
3.	औद्योगिक ऊर्जा कार्य क्षमता	30.3.95	150.000	99.114
4.	पूंजी बाजार कार्यक्रम ऋण	29.11.95	250.000	125.000
5.	कर्नाटक शहरी आधारभूत विकास परियोजना	10.5.96	85.000	80.031
6.	एचडीएफसी ऋण	13.12.96	20.000	10.000
7.	विद्युत पारेषण क्षेत्र परियोजना	18.7.96	275.000	235.339
8.	गुजरात सार्वजनिक क्षेत्र संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम	20.12.96	250.000	150.000
9.	नवीकरणीय ऊर्जा विकास परियोजना	जुलाई, 97	100.000	100.000
10.	पीएसआईएफ-आईसीआईसीआई	14.8.97	150.000	150.000
11.	पीएसआईएफ-आईएफसीआई	14.8.97	100.000	100.000
	कनाडा (कनाडी डालर)			
1.	सीआईआई निवेश प्रबंधन परियोजना	10.10.94	7.000	6.048
2.	निजी क्षेत्र विकास को सुगम करना	8.1.97	7.000	7.000
3.	राजस्व प्रशासन का क्षमता विकास	8.1.97	8.500	8.500
4.	ऊर्जा आधारभूत सेवा परियोजना	8.1.97	13.800	13.800
	नीदरलैंड (डच गिल्डर)			
1.	ग्रांट इंडिया 1995-02	27.5.96	3.526	0.000
2.	ग्रांट इंडिया 1995-04	12.6.96	13.388	12.036
3.	ग्रांट इंडिया 1996-08	14.10.96	32.654	0.000
4.	प्रशिक्षण एवं प्रलेखन केन्द्र परियोजना	26.2.97	0.155	0.155

1	2	3	4	5
5.	ग्रांट इंडिया 1995-03	15.4.97	28.240	17.650
6.	ग्रांट इंडिया 1996-07 गंगा कार्य योजना सहायता परियोजना	23.7.97	51.240	51.240
7.	ग्रांट इंडिया 1996-06 गोगा क्षेत्रीय जलापूर्ति	4.8.97	19.369	19.369
8.	ग्रांट इंडिया 1997-02 पन क्षेत्र सर्वेक्षण संवर्धन	14.8.97	9.275	9.275
	स्विटजरलैंड (भारतीय रुपया)			
1.	इंडो-स्विश सहभागी जल संभर विकास कर्नाटक	19.6.95	91.860	42.429
2.	पावडी राजस्थान परियोजना	27.9.96	98.940	87.440
	स्वीडन (स्वीडिश क्रोनर)			
1.	आईसीडीएस परियोजना चरण-II, तमिलनाडु	30.5.94	55.000	0.000
2.	आईसीडीएस परियोजना चरण-III, तमिलनाडु	6.12.95	60.000	46.176
3.	लोक खुम्बीश परियोजना चरण-II, राजस्थान	26.6.95	100.000	59.465
4.	ईपीटीआरआई चरण-II	8.8.97	16.000	16.000
5.	शिक्षा कर्मी चरण-II, राजस्थान	6.12.95	60.000	26.346
	नार्वे (नार्वे क्रोनर)			
1.	हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण कार्यक्रम	13.12.94	12.000	2.841
2.	राष्ट्रीय आंकड़ा सुधार कार्यक्रम	18.2.97	27.000	12.000
	डेनमार्क (डेनिश क्रोनर)			
1.	व्यापक जलसंभर विकास कार्यक्रम तिरुनेलवली	5.8.94	68.470	46.373
2.	टीईडब्ल्यूए चरण-II, उड़ीसा	1.7.95	23.690	19.281
3.	पल्स पोलिया संगठन	21.5.96	232.700	228.937
4.	ग्रामीण जल और सफाई चरण-II	1.10.96	60.000	58.540
5.	ग्रामीण जल और सफाई चरण-II	1.10.96	65.500	60.379
6.	संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम उड़ीसा चरण-I	2.12.96	54.800	52.676
7.	पशु विकास परियोजना बस्तर, मध्य प्रदेश	5.12.96	28.300	26.329
8.	स्वास्थ्य सुरक्षा परियोजना चरण-III	24.12.96	102.500	100.553
9.	पुदुकोट्टइ पशुधन विकास परियोजना चरण-II	31.1.97	51.480	51.480
10.	कर्नाटक जलसंभर विकास परियोजना चरण-II	2.6.97	46.700	46.700
11.	आईआरईडीए परियोजना	7.9.95	15.000	11.016
	ईईसी अनुदान (इसीयू)			
1.	तालाब पुनरुद्धार परियोजना, पाण्डीचेरी	21.2.97	6.650	6.650
2.	उत्तर प्रदेश में रिवाइन स्थाई करण	17.4.97	7.900	7.900
3.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र विकास	2.9.97	200.000	200.000
	फ्रांस (फ्रेंच फ्रांक)			
1.	डीडब्ल्यूएसएसडीयू के लिए जल प्रबंधन एवं अन्य सामान्य उद्देश्य	1.12.94	207.900	163.62
2.	जयपुर में वेव प्रबंधन परियोजना कोटाडीह कोयला खदान हेतु टीए	1.1.95	43.000	43.000

1	2	3	4	5
3.	मिश्रित परियोजना	30.1.96	371.350	359.427
4.	विसक्रमण और दुग्ध पैकेजिंग एनडीडीबी और एपीडीडी	19.12.96	147.700	147.700
5.	जयपुर जलप्रबंधन और सामान्य उद्देश्य	1.12.94	15.400	8.687
6.	संभाव्यता अध्ययन	30.1.96	4.650	3.950
7.	ठोस कूड़ा करकट निपटान हेतु संभाव्यता अध्ययन	19.12.96	3.300	3.300
जर्मनी (ड्यूश मार्क)				
1.	राजस्थान ग्रामीण जलपूर्ति चरण-I	17.6.94	40.000	26.983
2.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड शहरी	11.12.94	29.740	11.568
3	उर्वरक क्षेत्र कार्यक्रम	20.12.96	45.000	0.013
4.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति चरण-I	17.6.94	95.000	77.739
5.	कर्नाटक जल संभर विकास कार्यक्रम	17.6.94	20.000	18.910
6.	बहुउद्देश्य तुफान आश्रय उड़ीसा	10.5.96	5.000	2.638
7.	ग्रामीण जलापूर्ति प०बं०	5.7.96	50.000	44.462
8.	स्वास्थ्य सुरक्षा महाराष्ट्र	23.7.96	20.000	20.000
9.	कर्नाटक क्षेत्र स्तरीय अस्पताल विकास कार्यक्रम	16.1.97	23.000	23.000
10.	पीएफसी ऊर्जा निवेश कार्यक्रम	19.6.95	46.500	27.598
11.	एनएसआईसी डीसम 17.850 एम XII	2.11.95	17.850	8.000
12.	एनएलसी जीवन विस्तार, लिग्नाइट खान एवं विद्युत	26.4.96	32.500	18.960
13.	राष्ट्रीय नवीकरण निधि	23.5.96	54.040	54.040
14.	एनएसआईसी राष्ट्रीय नवीकरण निधि	23.5.96	50.000	50.000
15.	सामाजिक विपणन पीएसएस एवं पीएसआई द्वारा	20.12.96	15.000	15.000
16.	लिग्नाइट खान और विद्युत केन्द्र का विस्तार	13.3.97	375.200	360.772
17.	नाबार्ड V आदिवासी कार्यक्रम गुजरात	23.12.94	26.000	23.018
18.	हुडको V	29.11.95	35.000	11.101
आईबीआरडी (अमरीकी डालर)				
1.	वित्तीय क्षेत्र	24.3.95	350.000	200.000
2.	द्वितीय मद्रास जलापूर्ति	20.11.95	86.500	75.786
3.	बम्बई मलव्ययन उपचार	28.12.95	167.000	147.878
4.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना	10.7.96	350.000	334.574
5.	उ०प्र० ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय सफाई परियोजना	22.7.96	29.600	56.740
6.	सड़क आधारभूत विकास तकनीकी सहायता परियोजना	15.1.97	51.500	47.051
7.	आ०प्र० राज्यीय राष्ट्र मार्ग परियोजना	30.7.97	350.000	350.000
8.	कोनकोर कंटेनेर कारपोरेशन आफ इंडिया	29.8.94	94.000	82.465
9.	आईबीडीआई औद्योगिक प्रदूषण निवारण	21.11.94	93.000	85.927
10.	आईसीआईसीआई प्रदूषण नियंत्रण	21.11.94	50.000	45.226

1	2	3	4	5
11.	आईडीबीआई वित्तीय क्षेत्रीय विकास	24.3.95	150.000	140.819
12.	आईएल और एफएस निजी आधारभूत संरचना	10.7.96	200.000	175.000
13.	पंजाब जलसंधान प्रबंधन परियोजना	19.6.96	2.225	1.804
14.	आधारभूत वित्तीय परियोजना हेतु अनुदान	22.4.97	1.500	1.355
आईबीआरडी जापानी अनुदान (जापानी येन)				
1.	पीएचआरडी निजी विद्युत विकास (आईबीआरडी)	2.12.94	214.000	135.300
2.	बम्बई शहरी परिवहन-II	19.5.95	286.000	162.800
3.	स्थाई वर्षा पोषित कृषि विकास	16.11.95	81.300	64.000
4.	बम्बई पुनर्स्थापन ओर पुनर्वास परियोजना	1.9.96	67.000	45.300
आईडीए (अमरीकी डालर)				
1.	महाराष्ट्र आपातकालीन भूकम्प पुनर्निर्माण परियोजना	6.4.94	250.669	66.715
2.	जल संसाधन समेकन	6.4.94	262.148	179.369
3.	मोतिया अंधत्व नियंत्रण	19.5.94	118.871	100.551
4.	परिवार कल्याण	24.6.94	87.102	72.187
5.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	21.11.94	24.482	24.246
6.	जिला प्राथमिक शिक्षा	22.12.94	251.291	176.478
7.	आ०प्र० परामर्शी स्वास्थ्य प्रणाली	22.12.94	125.679	111.272
8.	कृषि और मानव संसाधन	11.4.95	56.220	48.404
9.	मध्य प्रदेश वानिकी	11.4.95	54.919	43.150
10.	असम ग्रामीण आधारभूत संरचना	6.6.95	112.185	107.773
11.	त०ना० जल संसाधन समेकन	22.9.95	252.303	237.673
12.	भारत में जल विज्ञान	22.9.95	124.829	118.131
13.	बम्बई मलव्ययन उपचार	28.12.95	22.884	0.000
14.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन	5.1.96	270.578	218.817
15.	द्वितीय राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास	18.4.96	326.299	312.210
16.	कोयला क्षेत्र पर्यावरण और सामाजिक	5.6.96	60.019	56.938
17.	औद्योगिक परियोजना	10.7.96	4.703	4.703
18.	द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा परि०	15.7.96	403.820	394.302
19.	आर्थिक विकास परियोजना	30.9.96	26.968	25.375
20.	पर्यावरणीय प्रबंधन क्षमता निर्माण	14.3.97	48.000	45.000
21.	क्षय रोग नियंत्रण	14.3.97	136.105	132.600
22.	आ०प्र० कृषि III	3.6.97	150.000	100.332
23.	आ०प्र० संकट न्यूनीकरण और आपातकालीन तुफान	9.7.97	100.000	92.000
आईडीएफ अनुदान (अमरीकी डालर)				
1.	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए निवेश क्षमता का सुदृढ़ीकरण	24.1.95	0.120	0.016

1	2	3	4	5
2.	विदेशी निवेश सूची प्रबंधन प्रणाली	2.5.95	0.192	0.000
3.	अंकेक्षण कुशलता संवर्धन और विकास कार्यक्रम	2.12.95	0.199	0.067
4.	उत्पादन क्षमता का सुदृढ़ीकरण	15.7.96	0.445	0.327
5.	आर्थिक विकास परियोजना विश्व व्यापी पर्यावरण सुविधा	30.9.96	20.000	18.493
6.	विनिवेश तकनीकी सहायता	7.5.97	0.495	0.364
आईएफएडी (अमरीकी डालर)				
1.	आ०प्र० सहभागी आदिवासी विकास परियोजना	13.5.94	26 710	22.256
2.	मेवात क्षेत्र विकास परियोजना	29.5.95	15.080	13.464
पीपीएफ (अमरीकी डालर)				
1.	म०प्र० वानिकी (आईडीए)	7.7.94	0.275	0.187
2.	आ०प्र० राष्ट्रीय राजमार्ग (आईबीआरडी)	30.9.94	2.400	0.272
3.	द्वितीय बम्बई शहरी परिवहन (आईबीआरडी)	15.11.94	3.000	0.833
4.	क्षय रोग नियंत्रण (आईडीए)	30.11.94	1.200	0.979
5.	आर्थिक विकास की तैयारी (आईडीए)	30.1.95	2.000	1.950
6.	बम्बई शहरी परिवहन का निर्माण (आईडीए)	13.2.95	2.000	2.000
7.	केरल ओर उत्तर प्रदेश वानिकी (आईडीए)	24.7.96	0.970	0.614
यूएसए (अमरीकी डालर)				
1.	ग्रीन हाऊस गैस प्रदूषण निवारण परियोजना	10.4.95	19.000	17.429
यूनाइटिड किंगडम (यूके पांड स्टर्लिंग)				
1.	कटक स्लम सुधार परियोजना	30.6.94	0.244	0.015
2.	हिमाचल प्रदेश वानिकी परियोजना	8.9.94	3.094	2.200
3.	महाराष्ट्र भूकम्प पुनर्वास	1.2.95	10.000	1.246
4.	यूके/भारत कोचीन शहरी गरीबी न्यूनीकरण चरण-II	10.3.95	0.400	0.030
5.	यूके/कृभको पूर्वी भारत वर्षा पोषित कृषि ग्रांट 95	1.4.95	6.631	6.185
6.	गोमती नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना चरण-I	29.8.95	4.020	3.787
7.	यूके/भारत उड़ीसा ऊर्जा क्षेत्र सुधार	29.8.96	42.000	34.858
8.	यूके/भारत आ०प्र० जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	29.8.96	42.500	41.853
9.	यूके/भारत पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम एलसीजी-1996	22.10.96	47.500	24.879
10.	यूके/भारत झंगरा परियोजना अनुदान 96	28.10.96	3.184	0.161
11.	यूके/भारत कोचीन शहरी गरीबी न्यूनीकरण परियोजना	1.5.97	11.469	11.469
12.	यूके/भारत प०बं० प्राथमिक शिक्षा परियोजना	16.5.97	37.706	37.706
13.	यूके/भारत कर्नाटक जल संभर विकास परियोजना	23.5.97	4.488	4.488
14.	यूके/भारत कटक शहरी सेवा सुधार परियोजना	20.10.97	11.490	11.490
आईपीईसी निधि (अमरीकी डालर)				
1.	शिमला मलव्ययन परियोजना	21.8.97	10.000	10.000

[अनुवाद]

कताई मिलों की स्थापना

626. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों में कताई मिलों की स्थापना के लिए धन प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में केन्द्रीय सहायता से स्थापित कताई मिलों की राज्यवार संख्या क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) जी, नहीं। तथापि उद्यमी सामान्य प्रक्रिया में वित्तीय संस्थानों/बैंकों से निधियां जुटाने में स्वतंत्र हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यक सेवा के रूप में बैंक

627. **श्री राम नाईक :**
श्री मोहन रावले :
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बैंकिंग उद्योग में हड़ताल की बढ़ती हुई धमकियों को रोकने हेतु इसे आवश्यक सेवा के रूप में घोषित किए जाने की मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बैंकिंग उद्योग को "आवश्यक सेवा" के रूप में घोषित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) बैंकिंग उद्योग को समय-समय पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत "लोक उपभोगी सेवा" के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

के०वी०आई०सी० अहमदाबाद के रिक्त पद

628. **श्री सनत मेहता :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद स्थित खादी और ग्रामोद्योग आयोग में उप निदेशक का पद गत पांच वर्षों से रिक्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त पद को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलीमारन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

इलायची तथा लौंग की तस्करी

629. **श्री पी०सी० थामस :**
प्रो० पी०जे० कुरियन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत से बड़े पैमाने पर तस्करी द्वारा इलायची तथा लौंग बाहर भेजी जा रही है;

(ख) तो क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान इस प्रकार का कोई मामला दर्ज किया है;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से मामले दर्ज किए गये, कौन-कौन से व्यक्ति अथवा कम्पनियां इस मामले में लिप्त पाए गए, कितनी मात्रा में तथा किन-किन वस्तुओं को जब्त किया गया;

(घ) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल द्वारा अपनी आवश्यकता से दस गुनी मात्रा में इलायची का आयात किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा किस पत्तन से आयात किया जा रहा है; और

(छ) इलायची और लौंग की तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि इलायची और लौंग की भारत में तस्करी की जा रही है ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ङ) प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि नेपाल अपनी घरेलू मांग से अधिक मात्रा में इलायची का आयात कर रहा है। किन्तु यह अनुमान लगाना कठिन है कि नेपाल द्वारा किये जा रहे इलायची के आयात उसकी घरेलू आवश्यकता से दस गुना अधिक है अथवा नहीं ।

(च) नेपाल द्वारा कलकत्ता पत्तन के जरिए अन्य देशों से किए जाने वाले इलायची के आयातों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	मात्रा (टनों में)
1995-96	33.975
1996-97	3609.986
1997-98 (जुलाई, 97 तक)	809.240

(छ) तस्करी रोधी एजेंसियां इलायची और लौंग की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए सतर्क हैं । किये गये विशेष उपायों में तस्करी के संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से भारत-नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाना और आसूचना लक्षित करना शामिल है । मामले को भारत-नेपाल संधि के मौजूदा उपबंधों के अन्तर्गत नेपाल के महाराजाधिराज की सरकार के साथ उठाया जा रहा है ताकि बेईमानी करने वाले उन नेपाली आयातकों द्वारा इन विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने की प्रथा को समाप्त किया जा सके जो इन अन्य देशों के माल की भारत में तस्करी कर रहे हैं ।

उड़ीसा के लिए नाबार्ड से सहायता

630. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या वित्त, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नाबार्ड ने उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों की सहायता करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कोआपरेटिव बैंक भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को सहायता प्रदान कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1996-97 के दौरान उड़ीसा के सूखाग्रस्त जिलों में कार्यरत ऋण एजेंसियों को आवश्यक वित्तीय सहायता दी है ताकि वे प्रभावित किसानों को परिवर्तन सुविधाएं दे सकें । राज्य सरकार द्वारा घोषित "आनावारी" के आधार पर उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक (ओएससीबी) ने 46.88 करोड़ रुपए की कुल धनराशि हेतु लगभग 1.45 लाख किसानों द्वारा लिए गये अल्पावधि ऋणों के परिवर्तन हेतु आवेदनपत्रों पर कार्रवाई की थी । नाबार्ड ने 16 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डी सी सी बी) की ओर से ओ एस सी बी को 28.10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है जो कि आधारिक स्तर पर कुल परिवर्तन का 60 प्रतिशत बैठता है ।

नाबार्ड ने वर्ष 1996-97 के दौरान मौसमी कृषि कार्यों (एस ए ओ) को वित्तपोषित करने के लिए ओ एस सी बी के पक्ष में पुनर्वित्त आबंटन भी 116 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 136 करोड़ रुपए कर दिया था ताकि राज्य में सूखे के कारण नए वित्त हेतु अतिरिक्त मांग पूरी की जा सके । ओ एस सी बी ने इस आबंटन का पूरा लाभ उठाया था । वर्ष 1997-98 के लिए भी 165 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, ताकि बैंक कृषि संबंधी अग्रिमों में वृद्धि को बनाए रख सके ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षा की जानी है कि वे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ऋणकर्ताओं की फसल ऋण की देय राशि को मध्यावधि ऋणों में बदलकर तीन वर्ष की अवधि में प्रतिदेय होने की सहायता दें । ऐसे ऋणकर्ताओं को कृषि कार्यों को जारी रखने के लिए नए वित्त भी दिए जाते हैं । नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उड़ीसा में सहकारी समितियों ने कुल 46.88 करोड़ रुपए के फसल ऋणों को पहले ही मध्यावधि ऋणों में बदल दिया है और रबी 1996-97 के दौरान 46.38 करोड़ रुपए का नया वित्त दिया है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ऋणकर्ताओं के ऋणों को बदलने के लिए भी उपाय किए हैं ताकि उन्हें अपने कृषि क्रियाकलापों के लिए बैंकों से नया वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके ।

खनिज धातु व्यापार निगम द्वारा इस्पात संयंत्रों की स्थापना

631. **श्री नवीन पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज व धातु व्यापार निगम अपने कार्यकलापों में विविधता लाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के कुछ भागों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना करना इस निगम के विविधता कार्यक्रम का एक भाग है;

(ग) यदि हां, तो खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा किन राज्यों में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) इन इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ङ) क्या उड़ीसा में ऐसे किसी स्थल का चयन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । अपने विविध कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, एम एम टी सी लोहा तथा इस्पात उत्पादों तथा धातुकर्मीय श्रेणी का कोक बनाने के लिए उड़ीसा राज्य में संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है ।

(ग) से (च) उड़ीसा राज्य में एम एम टी सी द्वारा इस्पात संयंत्र लगाया जा रहा है । यह इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य के डुडुरी, जिला जजपुर, कलिंग नगर में स्थित है ।

विधि संबंधी सुधार

632. **श्री अनंत गुढे :** क्या विधि व न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किए गए विभिन्न विधि संबंधी सुधारों की वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर कितनी धनराशि कम की गई है, इसकी व्यावहारिक उपयोगिता क्या है तथा इस पर भविष्य में क्या कार्यवाही की जायेगी;

(ख) क्या सरकार ने विधि संबंधी सुधारों हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति की संरचना, तथा नियम और शर्तें क्या-क्या हैं;

(घ) इस समिति को कौन-कौन से मामले भेजे गए हैं; और

(ङ) समिति को कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) से (ङ) विधिक सुधार संबंधी उपाय, उन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रारम्भ किए जाते हैं जो विभिन्न विधियों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध हैं । तथापि, सरकार ने, हाल ही में, अप्रचलित विधियों के पुनरीक्षणों निरसन की बाबत एक विनिर्दिष्ट आदेश के साथ भारत के विधि आयोग का पुनर्गठन किया है । इस निमित्त पुनर्गठित विधि आयोग के निर्देश निबंधनों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(1) ऐसी विधियों की पहचान करना जो अब जरूरी या सुसंगत नहीं रह गई है और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है;

(2) ऐसी विधियों की पहचान करना, जो आर्थिक उदारीकरण की विद्यमान नीति के सामंजस्य में है, जिसमें कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है;

(3) ऐसी विधियों की पहचान करना जिनमें परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना;

(4) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विशेषज्ञ समूहों द्वारा दिए गए पुनरीक्षण/संशोधन के लिए सुझावों का, उनमें समन्वय और सामंजस्य लाने की दृष्टि से, व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना;

(5) ऐसे विधान की बाबत, जिनका प्रभाव एक मंत्रालय/विभाग से अधिक मंत्रालयों/विभागों के कार्यकरण पर है, मंत्रालयों/विभागों द्वारा उसे किए गए निर्देशों पर विचार करना; और

(6) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना ।

स्टॉक आप्शन स्कीम

633. **श्री सुरेश प्रभु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अनुषंगी कंपनियों के भारतीय कर्मचारियों को ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में स्टॉक आप्शन देने के लिए केवल 750 अमरीकी डॉलर की राशि भेजने की अनुमति दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रयोजनार्थ इस समय कितनी राशि की अनुमति है;

(ग) विदेशी उद्यमों/कार्यालयों में भारतीय कंपनियों द्वारा किये जाने वाले निवेश के संबंध में कुल कितनी वार्षिक मुद्रा बाहर भेजी जाती है; और

(घ) यदि भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अनुषंगी कंपनियों के भारतीय कर्मचारियों की रकम भेजने संबंधी सुविधाओं के संबंध में अपना स्टॉक आप्शन देने की पूर्ववत् अनुमति दी होती तो कुल कितनी वार्षिक विदेशी मुद्रा बाहर भेजी जाती?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) विदेशी कंपनियों की शाखाओं/कार्यालयों/पूर्णतया स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों को विदेशी कंपनियों के शेयर प्राप्त करने हेतु पांच वर्ष की ब्लाक अवधि में 750/- अमरीकी डालर के प्रेषण की अनुमति प्रदान की जाती है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच वर्ष की ब्लाक अवधि में इस सीमा को 750/- अमरीकी डालर से बढ़ाकर 10000/- अमरीकी डालर करने और उक्त प्रेषण सुविधा को संयुक्त उद्यम की कंपनियों के कर्मचारियों के लिए मय मुख्य विदेशी शेयर धारिता अर्थात् 51 प्रतिशत और उससे अधिक विस्तृत करने का निर्णय लिया है ।

(ग) विदेश में संयुक्त उद्यम में भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश के लिए विदेशी मुद्रा का कुल वार्षिक बहिर्प्रवाह निम्नलिखित है :-

(राशि मिलियन अमरीकी डालर में)

	नकद	निर्यात	ऋण	कुल
अप्रैल 1996 से मार्च 1997 तक	197.583	16.472	0.420	214.475

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अनुषंगी कंपनियों के लगभग 1500 कर्मचारियों को इस प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में स्टाक आप्शन (शेयर खरीद की अनुमति प्रदान कर दी है । तथापि, इस संबंध में विदेशी मुद्रा के बहिर्प्रवाह की निश्चित राशि उपलब्ध नहीं है क्योंकि रकम विभिन्न प्राधिकृत डीलरों के माध्यम से प्रेषित की जाती है और संबंधित कर्मचारियों द्वारा विकल्पों का निर्णय लिया जाता है ।

उत्तर प्रदेश में कपड़ा मिलें

634. **श्री अशोक प्रधान :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कई कपड़ा मिलें रुग्ण हो गई हैं और वे बंद होने की स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो इन रुग्ण मिलों के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मिलों के कार्यकरण में स्थिरता लाने और आधुनिकीकरण द्वारा उनके स्तर में सुधार लाने और इन प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रुग्ण इकाइयों के पुनः उत्थान के लिए तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितनी इकाइयों के भविष्य में बंद होने की संभावना है ओर कर्मचारी के पुनर्वास के लिए तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के कार्यचालन की जांच करने के लिए तथा मिलों के पुनरुद्धार के लिए यथापयुक्त योजनाएं तैयार करने तथा उनकी स्वीकृति देने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की है। दिनांक 30.9.97 तक की स्थिति अनुसार उत्तर प्रदेश से 35 मामले बी०आई०एफ० को भेजे गए थे ।

(घ) बी०आई०एफ०आर० ने 17 मामलों के संबंध में बंद करने के आदेश की सिफारिश की है ।

सरकार ने मिलों के स्थाई/आंशिक तौर पर बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अंतरिम राहत देने के लिए वस्त्र कामगार निधि योजना की स्थापना की है ।

खेलकूद के लिए रियायतें

635. **श्री सुरेश कलमाड़ी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खेलकूद के लिए मूलभूत ढांचा और इसके प्रायोजन के लिए करों में छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) इस समय आयकर अधिनियम की धारा 10(23), 35 क ग, 80 द द, 88 और 115 ख ख क के अन्तर्गत कटौतियां केवल खेल संघों और खेल कर्मियों को उपलब्ध हैं । तथापि, विभिन्न खेल निकायों ने खेल अवसंरचना और प्रायोजनों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कर रियायतों से लिए सरकार से प्रस्ताव किया है ।

ऋण और जमाराशियों का अनुपात

636. **श्री राम सागर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक जमाराशियों के अनुपात में ऋण प्रदान नही कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों द्वारा जमाराशियों और ऋण देने के बीच सही अनुपात बनाए रखा जा रहा है, क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है;

(घ) तीन वर्षों के दौरान आज तक की जमा-राशियों और दिए गए ऋणों के बीच के अनुपात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसका उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में विकासात्मक कार्यकलापों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि उन्हें अखिल भारत स्तर पर अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में अलग-अलग 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करना होगा । बैंकों को भी सलाह दी गई है कि यह आवश्यक नहीं है कि उक्त अनुपात शाखावार, जिला-वार या क्षेत्र-वार अलग-अलग प्राप्त किया जाए, फिर भी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के अनुपात के अंतर को दूर किया जाए ताकि ऋण-विनियोजन में असंतुलन न्यूनतम रहे । उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात और अखिल भारत औसत नीचे दिए गए हैं :-

राज्य का नाम	के अंतिम शुक्रवार को सीडीआर(प्रतिशत)		
	मार्च 1995	मार्च 1996	मार्च 1997
उत्तर प्रदेश	35.0	34.2	31.6
हरियाणा	46.7	46.0	42.7
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	74.6	74.7	66.9
अखिल भारत	59.2	61.9	57.3

तथापि, किसी राज्य या क्षेत्र का ऋण-जमा अनुपात उस राज्य या क्षेत्र की ऋण खपत क्षमता पर निर्भर करता है जो बदले में सिंचाई, ऊर्जा, रेल, सड़क परिवहन, बुनियादी और तकनीकी शिक्षा, उद्यमवृत्ति और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन के लिए अपेक्षित निवेश की क्षमता और विपणन केन्द्रों जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास जैसी मदों से निर्धारित एवं प्रभावित होती है। आर०बी०आई० ने

कुछ राज्यों के कम ऋण-जमा अनुपात के कारणों का पता लगाने के लिए कार्यदल स्थापित किए हैं । जिन राज्यों/संघ राज्यों में सीडीआर कम थी, और साथ ही उनके लिए विशेष कार्यदलों का गठन नहीं किया गया था, वहां राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंकों को यह सलाह दी गई थी कि वे इस संबंध में चर्चा के लिए विशेष बैठकों का आयोजन करें और स्थिति में सुधार करने के लिए उपर्युक्त उपाय करें ।

[हिन्दी]

हौजरी के सामान का निर्यात

637. **डा० अरविंद शर्मा :**
श्री नरेन्द्र बुडानिया :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश से हौजरी के सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अवसर विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए हौजरी के सामान तथा इससे अर्जित किए गए विदेशी विनिमय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान हौजरी के सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई हौजरी की वस्तुओं (बुने हुए परिधान) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	मात्रा (मिलियन अदद में)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
1994	426.0	1122.6
1995	436.7	1155.1
1996	540.2	1469.7

(ग) हौजरी की वस्तुओं सहित परिधानों के निर्यातों के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए अपरिष्कृत सामग्रियों के शुल्क मुक्त आयात की विशेष व्यवस्था करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि ।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

638. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से ओवरड्राफ्ट की राशि का पुन: भुगतान करने की अवधि को बढ़ाने के लिए आग्रह कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर०बी०आई०) के पास राज्यों के ओवरड्राफ्ट को क्लिअर करने की सीमा अवधि को बढ़ाने संबंधी राज्य सरकारों का कोई अनुरोध वित्त मंत्रालय के पास लम्बित नहीं है । ओवरड्राफ्ट नियमन नीति की समीक्षा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अंतिम बार सन् 1993 में की गयी थी तथा ओवरड्राफ्ट को क्लिअर करने की सीमा अवधि को 15 अक्तूबर से 7 दिन से बढ़ा कर 10 दिन कर दिया गया था । यह स्कीम इस समय संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है तथा इसमें पुन: किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

[अनुवाद]

भारतीय जहाजों पर कर

639. **श्री एल० रमना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी जहाजों की तुलना में भारतीय जहाजों को कर का बहुत भारी बोझ वहन करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतराष्ट्रीय सामुद्रिक आपरेटरों के समक्ष कर में रियायत पाने के लिए जहाजरानी उद्योग ने सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) वित्तीय प्रोत्साहनों की मांग के लिए भारतीय जहाजरानी उद्योग से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, फिर भी न तो भारत में निर्मित जहाजों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क है और न ही भारत में आयातित जहाजों पर कोई सीमा शुल्क है । मौजूदा आयकर की दरें भी अन्य देशों में प्रचलित न्यूनतम दरों से तुलनीय है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा बुनियादी सुविधाओं में निवेश

640. **श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से जीवन बीमा निगम द्वारा समाजोन्मुखी क्षेत्र "सोशियली ओरियन्टेड सैक्टर्स" में बुनियादी सुविधाओं में निवेश के लिए संभावना को व्यापक बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) वर्ष 1997 से पूर्व जीवन बीमा निगम के समाजोन्मुख क्षेत्र निवेश के अन्तर्गत आवासीय योजनाओं, बिजली बोर्डों, जलापूर्ति और मल व्ययन बोर्डों, राज्य सड़क परिवहन निगमों, सहकारी औद्योगिक सम्पत्तियों और चीनी सहकारिताओं के लिए ऋण प्रदान करना शामिल है । 30 जुलाई, 1997 के पश्चात् समाजोन्मुख क्षेत्र निवेशों का विस्तार, इसमें पत्तनों, सड़कों और राजमार्गों, रेलवे (अर्थात् बीओएलटी परियोजनाएं) और विमान पत्तनों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश को भी शामिल करने के लिए, किया गया है । जीवन बीमा निगम को निजी क्षेत्र की परियोजनाओं तथा उपयुक्त योजनाओं की उपलब्धता के अधीन जो उनकी विवेकपूर्ण शर्तों को पूरा करते हैं, में भी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है ।

आबंटित बजट राशि का उपयोग

641. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारें कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आबंटित धनराशि का उपयोग करने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों ने आबंटित धनराशि का उपयोग दूसरे प्रयोजनों के लिए किया है; और

(ग) यदि हां, तो कितने राज्यों ने अपनी आबंटित धनराशि का उपयोग दूसरे मदों में किया है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन०डी०सी०) द्वारा मंजूर की गई नीति के अनुसार राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को किसी अलग योजना, योजना समूह अथवा विकास शीर्षों से न जोड़ते हुए केवल राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए सकल ऋण और अनुदान के रूप में दिया जाता है । साथ ही विकास के दौरान सामान्य रूप से योजना की प्राथमिकता को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए विकास के कुछ शीर्षों और उप-शीर्षों के अंतर्गत और कुछ विशिष्ट योजनाओं के लिए परिव्यय विनिर्दिष्ट किए जाने हैं । विनिर्दिष्ट योजनाओं/कार्यक्रमों के परिव्यय का राज्यों द्वारा पालन न किए जाने की वजह से केन्द्रीय सहायता में कटौती की प्रक्रिया का भी निर्धारण किया गया है जबकि राज्य सरकार से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह विनिर्दिष्ट परिव्यय को किसी अन्य कार्यक्रम/योजना में लगाए । तथापि, जब तक योजनागत परिव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, राज्य सरकार विनिर्दिष्ट योजनाओं/क्षेत्रों/परियोजनाओं के दिशा परिवर्तन सहित गैर-विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर परिव्यय को पुनः व्यवस्थित/परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र है । क्षेत्रों/योजनाओं/उप-क्षेत्रों की विनिर्दिष्टता राज्यों की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग होती है । उन राज्यों की सूची, जिनके मामले में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उप-क्षेत्रों/योजनाओं में व्यय में कमी की वजह से 1995-96 के दौरान केन्द्रीय सहायता में कटौती प्रभावी रही, कमी और कटौती की राशि भी नीचे दी गई है :-

(लाख रुपयों में)

		कृषि एवं उससे संबंधित क्रिया-कलाप		ग्रामीण विकास	
		कमी	कटौती	कमी	कटौती
1.	आंध्र प्रदेश	102.51	31.75	13.57	4.20
2.	असम	1665.13	1315.49	398.10	314.50
3.	गोआ	-	-	9.00	2.70
4.	मध्य प्रदेश	-	-	3796.73	984.19
5.	महाराष्ट्र	991.00	88.18	248.59	253.45
6.	मेघालय	375.17	267.55	134.87	96.18
7.	मिजोरम	10.68	9.07	9.01	7.65
8.	पंजाब	-	-	38.22	5.55
9.	उड़ीसा	688.71	197.71	-	-
10.	राजस्थान	530.42	79.82	2454.71	369.39
11.	पश्चिम बंगाल	1080.00	297.21	-	-

बिहार के मामले में कमी अथवा अन्य विषय 1996-98 के लिए प्रत्याशित अथवा वास्तविक व्यय आंकड़ों के अभाव में निर्धारित नहीं किए जा सके ।

राज्य योजना (सेक्टर) की वे योजनायें जिनके लिये वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सहायता दी जाती है, के अलावा कृषि और ग्रामीण विकास की कई योजनाओं को कृषि मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालयों द्वारा भी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । केन्द्रीय मंत्रालय राज्य सरकारों के पास योजना के निर्बाध क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त संतुलन को ध्यान में रखते हुये राज्यों को वास्तविक उपयोगिता के आधार पर धन उपलब्ध कराते हैं ।

कोयला खानों में पानी का जमाव

642. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मानसून के दौरान कोयला खानों में पानी जमा होने की समस्या से निपटने के लिए और कोयला खानों में कार्यरत श्रमिकों को पानी से बचाने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता जारी की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० और बी०सी०सी०एल० की कोयला खानों में

पानी जमा होने के कारण कुछ श्रमिकों की मौतें हुई हैं और सरकार को राजस्व की हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार, सरकार ने अधिनियम के अंतर्गत भारत में कोलियरियों से उत्पादित तथा प्रेषित कोयले पर लगाए गए उत्पाद शुल्क में से भारत कोकिंग कोल लि० (भा०को०को०लि०), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (ई०को०लि०) के कोयला क्षेत्रों तथा टाटा आयरन तथा स्टील कंपनी (टिस्को) में जल प्रबंधन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 1996-97 में निधियां प्रदान की थीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :-

	कंपनी	प्रदान की गई धनराशि (लाख रु० में)
(क)	ई०को०लि०	44.80
(ख)	भा०को०को०लि०	481.97
(ग)	टिस्को	18.97

(ग) और (घ) 1994 से 1997 की अवधि के दौरान, भा०को०को०लि० की गसलीटांड तथा अन्य खानों में जलाप्लावन के कारण 77 घातक दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनके परिणामस्वरूप प्रभावित खानों से उत्पादन के पूरी तरह रुक जाने के कारण राजस्व का भारी नुकसान हुआ था ।

(ङ) और (च) जलाप्लावन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों में प्रत्येक खान की विस्तृत सुरक्षा लेखा-परीक्षा किया जाना, बांध/तटबंधों का निर्माण, जल स्रातों की सफाई तथा उन्हें चौड़ा किया जाना, भिचले और धंसे हुए क्षेत्रों को भरा जाना, पम्पिंग संस्थानों हेतु निरन्तर विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाना: वर्षा तथा मौसम की स्थिति का प्रबोधन किया जाना तथा आपातकालीन निकासी व्यवस्था आदि शामिल हैं ।

[हिन्दी]

जीवन बीमा निगम का निजीकरण

643. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश में जीवन बीमा निगम के निजीकरण के विरुद्ध व्यापक आंदोलन शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम के निजीकरण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार को बीमा क्षेत्र में निजीकरण के विरोध में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) वर्तमान बीमा कानूनों के अंतर्गत जीवन बीमा कारोबार पर भारतीय जीवन बीमा निगम का अनन्य विशेषाधिकार है । वर्तमान बीमा कानूनों में संशोधन किए बिना जीवन बीमा निगम का निजीकरण नहीं किया जा सकता है ।

हिन्दी सलाहकार समिति

644. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस समिति के पुनर्गठन और इसकी बैठकें आयोजित करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर उनके मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) इस मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति पुनर्गठन के अन्तिम चरण में है ।

(घ) राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम, 1997-98 में निहित निर्देशों के अनुसार स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर हिन्दी के सरकारी प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से सभी रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं । हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया जिसमें हिन्दी भाषी तथा अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । राजस्व विभाग के अंतर्गत एक टंकण/आशुलिपि केन्द्र संचालित किया जा रहा है जिसमें नॉर्थ ब्लाक/साउथ ब्लाक स्थित कार्यालयों के कई कर्मचारी हिन्दी टंकण तथा हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक

645. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक को चालू करने के लिए कोई अंतिम निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस बैंक को कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है जो मुनाफा कमा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुर्नसंरचना के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सहित कई वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया था कि एकल आधार (स्टेण्ड अलोन) पर उनके तुलन पत्रों को परिशोधित करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनरुज्जीवित किया जाए । तदनुसार ही, 1994-97 की अवधि के दौरान 196 में से 136 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तुलन पत्रों के परिशोधन करने तथा उनमें नई पूंजी लगाने के साथ-साथ उनकी समग्र पुर्नसंरचना करने के लिए हाथ में लिया गया था । केन्द्रीय सरकार ने बजटीय सहायता के रूप में इस प्रयोजनार्थ 573 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई थी । इस प्रक्रिया का उद्देश्य कमजोर और रुग्ण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय रूप से अर्थक्षम और विकेन्द्रीयकृत ग्रामीण बैंक का प्रभावी हथियार बनाना रहा है ।

(ग) नाबार्ड के पास उपलब्ध आंकड़ों (नवीनतम) के अनुसार, वर्ष 1995-96 के दौरान 196 में से 44 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने लाभ अर्जित किया ।

फोटो पहचान पत्र

646. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने का काम पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में यह काम पूरा नहीं हुआ है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये कार्ड उन राज्यों में यथाशीघ्र जारी कर दिए जाएं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ऐसे मतदाताओं के प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण, जिन्हें 31.10.1997 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने त्रुटिरहित फोटो पहचान पत्र प्रदत्त किए गए हैं, संलग्न हैं ।

(ग) स्कीम, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, जहां यह प्रारंभ नहीं की गई है, सभी राज्यों में कार्यान्वयन के विभिन्न प्रक्रमों पर है ।

(घ) कुछ क्षेत्रों में फोटो पहचानपत्रों की स्कीम के कार्यान्वयन की मंद प्रगति के लिए प्रमुख कारण हैं, मतदाताओं का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन, निर्वाचक नामावलियों में मतदाताओं के ब्यौरों में परिवर्तन, मतदाताओं से पर्याप्त प्रतिक्रिया का अभाव, पहचानपत्रों में विवरण का दो भाषाओं में मुद्रण, आदि । स्कीम हाल में ही, तमिलनाडु और केरल राज्यों में आरंभ की गई है ।

(ङ) निर्वाचन, आयोग स्कीम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति का लगातार पुनरीक्षण कर रहा है और इस प्रयोजन के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर नियमित रूप से आयोग को पाक्षिक रिपोर्ट भेजते हैं ।

विवरण

ऐसे निर्वाचकों की संख्या की स्थिति, जिन्हें त्रुटिरहित पहचान-पत्र प्रदत्त किए गए और देश के कुल मतदाताओं की प्रतिशतता, जिन्हें 31.10.1997 तक फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं, को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लोक सभा निर्वाचन 1996 के अनुसार कुल निर्वाचक	ऐसे निर्वाचक जिन्हें त्रुटिरहित पहचानपत्र प्रदत्त किए गए	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	49501274	31731657	64.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	544440	358325	65.82
3.	असम	12575854	67479	0.54
4.	बिहार	58438317	22495057	38.49
5.	गोवा	869093	523189	60.20
6.	गुजरात	28529094	23133904	81.09
7.	हरियाणा	11152856	9324551	83.61

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	3536517	2557616	72.32
9.	जम्मू-कश्मीर	स्कीम कार्यान्वित नहीं की गई		
10.	कर्नाटक	31810069	22811216	71.71
11.	केरल	20673867	3043481	14.72
12.	मध्य प्रदेश	43927252	26958281	61.37
13.	महाराष्ट्र	55254414	43927750	79.50
14.	मणिपुर	1290990	984823	76.28
15.	मेघालय	1092753	839778	76.85
16.	मिजोरम	408094	0	0.00
17.	नागालैंड	874518	0	0.00
18.	उड़ीसा	22419118	18215355	81.25
19.	पंजाब	14489825	10728436	74.04
20.	राजस्थान	30388357	18123259	59.64
21.	सिक्किम	229160	200077	87.31
22.	तमिलनाडु*	42488022	*0	0.00
23.	त्रिपुरा	1647908	1150698	69.83
24.	उत्तर प्रदेश	100826305	51573000	51.15
25.	पश्चिम बंगाल	45583054	33255937	72.96
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	211226	172000	81.43
27.	चंडीगढ़	450599	293975	65.24
28.	दादरा और नागर हवेली	94909	57933	61.04
20.	दमन और दीव	70202	42305	60.26
30	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	8058941	5518000	68.47
31.	लक्षद्वीप	34111	29612	86.81
32.	पांडिचेरी	633635	554286	87.48
	सम्पूर्ण भारत	592560483	328671982	55.47

* तमिलनाडु में, यद्यपि पहचान पत्र अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, फिर भी, 69.94 निर्वाचकों की फोटो खींच ली गई है ।

[हिन्दी]

वाइंड अप स्कीम्स

647. **श्री राजीव प्रताप रुही :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 सितम्बर, 1997 के "द इकॉनामिक टाइम्स" में प्रकाशित "गवर्नमेंट टू किल 216 स्कीम्स, सेव रुपीज 1000" समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विद्युत औद्योगिक विकास, वाणिज्य, कोयला और पर्यटन मंत्रालयों की योजनाओं को बंद करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और इसके औचित्य क्या हैं;

(घ) क्या ऐसी योजनाओं में पहले ही कुछ निवेश किया गया था और इसके कारण हानि हुई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) उल्लिखित मंत्रालयों की स्कीमों सहित सभी गैर जरूरी और निरर्थक तौर पर चिन्हित की गई स्कीमों की छटनी एक व्यापक संवीक्षा प्रक्रिया के बाद ही की गई है, जिसमें इन मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । इसमें सिर्फ उन्हीं स्कीमों को बन्द किए जाने के लिए चिन्हित किया गया है जो कि अनावश्यक और अनुपयोगी पाई गई हैं । चूंकि इस प्रक्रिया में गैर जरूरी और निरर्थक स्कीमों पर होने वाले व्यर्थ के व्यय की रोकथाम के लिए इस प्रकार की स्कीमों को समाप्त किए जाने के लिए अभिनिश्चित किया जाना था अत: इसके कारण किसी प्रकार के नुकसान का प्रश्न ही नहीं उठता । जहां कहीं किसी विभाग ने मजदूरी के निष्फल भुगतान को घटाने या संपदाओं के उपयोग में परिवर्तन के लिए समय चाहा है तो ऐसे मामलों पर भी विचार किया गया है, क्योंकि समापन प्रक्रिया की निरन्तर समीक्षा की जा रही है ।

[हिन्दी]

सार्वजनिक निवेश

648. **डा० रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ माह के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने परियोजनाओं में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) चालू वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान जारी की गई एल०ओ०आई० की संख्या 78 तथा फाइल की गई आई०ई०एम० की संख्या 1012 थी । इसकी तुलना में पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान जारी की गई एल०ओ०आई० की संख्या 72 और फाइल की आई०ई०एम० की संख्या 960 थी । जारी एल०ओ०आई० के संबंध में प्रस्तावित निवेश की राशि बढ़कर दूसरी तिमाही में 3761 करोड़ रुपये हो गई । पहली तिमाही में निवेश की राशि न्यूनतर 1321 करोड़ रुपये थी । तथापि, फाइल किए गए आई०ई०एम० के संबंध में प्रस्तावित निवेश चालू वर्ष की पहली तिमाही में 14489 करोड़ रुपये से दूसरी तिमाही में कम होकर 10528 करोड़ रुपये रह गया।

(ग) और (घ) केन्द्रीय बजट में अन्तर्निहित उपायों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल, 1997 और अक्तूबर, 1997 में घोषित ऋण नीति ने निवेशक के विश्वास को बढ़ाने के लिए सम्मिश्रित नीतियों का सृजन किया है । सरकार ने 9 नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कामकाजी और प्रचलनात्मक स्वायत्ता प्रदान की है, विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी अंतरण को शासित करने वाली नीति और प्रक्रियाओं को उदार किया है । इन उपायों का उद्देश्य निजी और सरकारी क्षेत्रों में निवेश के और अधिक प्रवाह को सुसाध्य बनाना है ।

[अनुवाद]

बकाया उत्पाद शुल्क

649. **श्री अन्नासाहिब एम० के० पाटिल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन शीर्ष 25 नियमित कंपनियों के पास उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क वसूली हेतु लम्बित पड़े हैं तथा यह राशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त बकाये की वसूली हेतु कोई विशेष क्रैश कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक राजस्व की वसूली को बढ़ाने हेतु एकमुश्त निपटान के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई है अथवा वसूल किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने विवादित दावों/मामलों के समाशोधन/निपटान हेतु विशेष प्रकोष्ठों को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई विशेष उपाए किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा निजी कंपनियों में निवेश

650. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1996 के दौरान निजी कंपनियों के खरीदे गए उन शेयरों की कुल लागत कितनी है जो सूचीबद्ध नहीं हुए;

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1996 के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट आफ बॉट-आउट डील्स के माध्यम से खरीदे गए निजी कंपनियों के सूचीबद्ध शेयरों की कुल लागत कितनी है;

(ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1996 के दौरान निजी कम्पनियों के खरीदे गए गैर-सूचीबद्ध परिवर्तनीय डिबेंचरों की कुल लागत कितनी है;

(घ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1996 के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट आफ बॉट-आउट डील्स के माध्यम से खरीदे गए सूचीबद्ध परिवर्तनीय डिबेंचरों की कुल लागत कितनी है; और

(ङ) (क) और (ख) में दी गई कंपनियों से पृथकत: 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1996 के दौरान कुल कितना लाभांश प्राप्त हुआ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि० (आईएफसीआई) ने सूचित किया है कि वह खुले बाजार से शेयर नहीं खरीदता है। तथापि, आई एफ सी आई शेयरों को हामीदारी/परियोजना वित्त क्रियान्वयन के अंतर्गत प्रत्यक्ष अंशदान सहायता और जहां कहीं भी अनुबंधित है, परिवर्तन विकल्प के माध्यम से, प्राप्त करता है। 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1996 की अवधि के दौरान आई एफ सी आई द्वारा गैर सूचीबद्ध गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को अंशदान किए गए कुछ इक्विटी शेयरों का मूल्य 1887.77 लाख रुपये था ।

(ख) और (घ) आई एफ सी आई ने सूचित किया है कि इस अवधि के दौरान ऐसा कोई लेन देन नहीं हुआ था ।

(ग) अप्रैल 1992 से मार्च 1996 के दौरान आईएफसीआई द्वारा गैर सूचीबद्ध गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को अंशदान किए गए परिवर्तनीय डिबेंचरों का कुल मूल्य 1807.15 लाख रुपये था।

(ङ) आई एफ सी आई ने सूचित किया है कि प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित कंपनियों के बारे में, उसके द्वारा अप्रैल, 1992 से जून, 1996 की अवधि के दौरान, प्राप्त किए गए लाभांश की कुल राशि 20.30 लाख रुपये थी ।

मोर्च, मणिपुर में बैंक शाखा

651. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर राज्य में मोर्च में सरकारी क्षेत्र का केवल एक बैंक कार्य कर रहा है;

(ख) क्या मोर्च में व्यापारी और अन्य लोग वहां भारतीय स्टेट बैंक की एक और शाखा खोलने की मांग करते रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी मांग मानने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मणिपुर में मोर्च में यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया की एक शाखा कार्यरत है ।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को मोर्च में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने के लिए व्यापारियों और अन्यों से कोई अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, केन्द्र चुनने का हक बैंकों पर छोड़ दिया गया है जो अर्थक्षमता पहलू और आधारभूत संरचना संबंधी पहलू को ध्यान में रखने के बाद ही नई शाखाएं खोलने का निर्णय लेते हैं ।

[हिन्दी]

भिन्न-भिन्न ब्याज दर

652. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों तथा राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों में सावधि जमा पर भिन्न-भिन्न ब्याज दर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बैंक तथा ग्राहकों पर इस अंतर का क्या प्रभाव पड़ता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमाराशियों की ब्याज दरें डाक घरों की ब्याज दरों से भिन्न हैं क्योंकि डाकघरों के परिचालनों की तुलना वाणिज्यिक बैंकों के परिचालनों के साथ नहीं की जा सकती । बैंक वाणिज्यिक संगठन हैं और अपनी जमा निधियों का प्रयोग निवेशों, ऋणों और अग्रिमों के लिए करते हैं । बैंक जमाराशियों की ब्याज दरों का निर्धारण निधियों की समग्र लागत, निधियों से होने वाली आय, जमाराशियों की सेवा (सर्विसिंग) की लागत, परिपक्वता के स्वरूप आदि जैसे कई घटकों के आधार पर करते हैं ।

डाक घरों के विपरीत, बैंक की सावधि जमाराशियां अधिक अर्थसुलभ होती हैं क्योंकि जमाकर्ता जमाराशियों को दण्ड सहित समय से पहले आहरित कर सकते हैं या जमाराशियों पर ऋण ले सकते हैं । इसके अलावा, बैंक जमाकर्ताओं को चैक बुक की सुविधा, प्रेषण की सुविधा, मांग ड्राफ्ट, समाशोधन की सुविधा और ऐसी ही अन्य सुविधाओं जैसी विभिन्न प्रकार की सेवाएं और उत्पाद प्रदान करते हैं । वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों एवं सेवाओं को देखते हुए, वाणिज्यिक बैंकों से भारी मात्रा में जमाराशियां डाकघरों में ले जाए जाने की संभावना नहीं है ।

[अनुवाद]

1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को पेंशन

653. **श्री सत्य पाल जैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की पेंशन संबंधी शिकायतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसको निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या 1 अगस्त, 1992 से प्रभावी संशोधित वेतनमान के मद में वेतन/उपदान/पेंशन की बकाया राशि जारी करते समय नियत तिथि निर्धारित कर एक नया मुद्दा बनाकर वर्ग-I के अधिकारियों के बीच भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा निम्नलिखित विसंगतियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठा जा रहे हैं:-

(1) 1 अगस्त, 1992 से 31 मार्च, 1993 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को वेतन तथा संशोधित पेंशन की बकाया धनराशि का भुगतान न किया जाना;

(2) 1 अगस्त, 1992 से 31 जुलाई, 1994 के बीच सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को उपदान राशि का अन्तर न दिया जाना; और

(3) 1 अप्रैल, 1973 से पूर्व पदोन्नत हुए अधिकारियों को 1 अप्रैल, 1993 के पश्चात् वर्ग-I के अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुए व्यक्तियों से भिन्न मान कर उन्हें उक्त संशोधन के कारण उपदान राशि के लाभ से वंचित रखना?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम में दिनांक 1.11.1993 से लागू पेंशन योजना दिनांक 1.1.1986 अथवा उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों पर भी लागू होती है । यह पेंशन योजना तत्कालीन अंशदायी भविष्य निधि योजना के बदले में लागू की गयी थी । इस पेंशन योजना के अन्तर्गत दिनांक 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी शामिल किए जाने के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे । वित्तीय तथा प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों में इस पेंशन योजना को विस्तारित करना संभव नहीं था ।

(ग) और (घ) हालांकि श्रेणी-II के अधिकारियों के वेतनमानों में दिनांक 1.8.1992 से संशोधन किया गया था, फिर भी खर्च संबंधी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए वेतन की बकाया/राशियों, बढ़े हुए उपदानों और अन्य भत्तों जैसे लाभों के आहरण के लिए प्रभावी तारीखों को बदल दिया गया और अब यह जीवन बीमा निगम के सभी श्रेणी-I के अधिकारियों पर समान रूप से लागू है ।

विमान कंपनियों पर बकाया कर

654. **श्रीमती लक्ष्मीपनबाका :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी विमान कंपनियों पर आयकर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या "डेल्टा एअरलाइंस" और "यूनाइटेड एअरलाईंस" ने भारत में पिछले कुछ वर्षों में कुल अर्जित 800 करोड़ रुपए पर आयकर नहीं दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डेल्टा एअरलाइंस ने 1991 से भारत में कर का भुगतान नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अमरीकी एअरलाइंस ने भी 1995 से कर का भुगतान नहीं किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर का भुगतान न करने वाली इन विमान कंपनियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) आय पर कर के भुगतान के बारे में केवल तीन विदेशी एयर लाइनों के चूककर्ता होने की सूचना दी गई है ।

(ख) से (छ) भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच निष्पादित दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार के अनुच्छेद-8 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की एयरलाइनों की आय पर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कर लगाया जाता है ।

तथापि, कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक के लिए मैसर्स डेल्टा एयरलाइन्स को नोटिस जारी किये गए हैं ताकि एयरलाइनों के प्रचालन संबंधी कारोबार से प्राप्त आय से भिन्न उसकी आय पर कर लगाया जा सके । इन नोटिसों के प्रत्युत्तर में मैसर्स डेल्टा एयरलाइन्स द्वारा विवरणियां दायर की गई हैं ।

इसी प्रकार एयरलाइन प्रचालनों से उद्भुत हुई आय से भिन्न आय पर कर लगाने के लिए मैसर्स यूनाइटिड एयरलाइन्स के संबंध में भी जांच-पड़ताल की गई है ।

राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता

655. **डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों विशेषकर आन्ध्र प्रदेश द्वारा कुल कितनी अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मांग की गई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान परियोजना-वार आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी अतिरिक्त सहायता की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) राज्य की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप योजना आयोग द्वारा दिया जाता है तथा इन्हें राज्यों के अपने संसाधनों, केन्द्रीय रूप से आंबटित संसाधनों, यथा बाजार ऋणों, आपसी बातचीत से तय होने वाले ऋणों, केन्द्रीय सहायताओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है । केन्द्रीय योजना सहायता में सामान्य केन्द्रीय सहायता, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, केन्द्र द्वारा राज्यों को हस्तांतरित प्रायोजित स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता तथा क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता निहित होती है । उपर्युक्त मदों के अंतर्गत राज्यों को निधियां उनकी पात्रता (मंजूरी)/आबंटन के अनुसार प्रदान की जाती है । विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य, केन्द्र सरकार से सम्पर्क करते हैं । केन्द्र सरकार अपने संसाधनों की मौजूदा सीमितता तथा वित्तीय जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, अत्यंत विशेष मामलों में अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है । वित्त मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 1994-1997 तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं । अनुरोधों की इस श्रेणी में भविष्य के लिए पात्रताओं (मंजूरी), प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सहायता, पुनर्भुगतान बाध्यताओं को आस्थगित करने के अनुरोध शामिल नहीं हैं ।

विवरण

राज्यों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता और
वर्ष 1994-95 से 1997-98 (18.11.97 तक) के दौरान प्रदान की गई राशि

क्र०सं०	राज्य	राशि (करोड़ रुपयों में)	प्रयोजन	टिप्पणियां/प्रदत्त राशि (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4	5
क.	*1994-95*			
1.	आंध्र प्रदेश	250.00	आंध्र प्रदेश सिंचाई-II परियोजना के बैलेंस कंपोनेंट के कार्यान्वयन के लिए	सहमति नहीं मिली
2.	असम			
	(1)	-	पांच वर्षों के ब्याज सहित समस्त बकाया के पुनर्भुगतान पर ऋण स्थगन	- उपरोक्त -
	(2)	220.00	अतिरिक्त मार्केट उधार	30.00
	(3)	300.00	1993-94 के अंतिम घाटे को पूरा करने के लिए अग्रिम योजना सहायता	सहमति नहीं मिली
3.	हिमाचल प्रदेश			
	(1)	550.00	भाखड़ा और व्यास प्रबंधन बोर्ड (बी०वी०एम०बी०) प्रणाली से ऊर्जा शेयर करने के कारण पड़ोसी राज्यों से और इन राज्यों को विद्युत सप्लाई के कारण देय 1100 करोड़ रुपए के बकाया ऋण की तुलना में	- उपरोक्त -
	(2)	100.00	राज्य में सरकारी क्षेत्र के सभी दिहाड़ी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए	- उपरोक्त -

1	2	3	4	5
	(3)	268.74	1993-94 के दौरान प्रदत्त 268.74 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता को पूर्ण अनुदान अथवा दीर्घकालीन ऋण में परिवर्तित करने के लिए	- उपरोक्त -
4.	जम्मू एवं कश्मीर			
	(1)	555.00	बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए अग्रिम योजना सहायता	973.00 विशेष योजना सहायता के रूप में
	(2)	185.00	सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए	
	(3)	733.00	वसूलियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 1994-95 के दौरान देय 733.00 करोड़ रुपए की पुनर्सूची तैयार करने के लिए	
5.	केरल	100.00	अतिरिक्त मार्केट उधार	50.00
6.	मणिपुर			
	(1)	35.00	बकाया देनदारियों को समाप्त करने के लिए	सहमति नहीं मिली
	(2)	119.00	मणिपुर के आर्थिक विकास हेतु विशेष पैकेज	- उपरोक्त -
	(3)	10.00	उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के लिए अनुरोध	- उपरोक्त -
7.	मेघालय	50.00	ओवरड्राफ्ट को क्लीअर करने के लिए अर्थोपाय अग्रिम/अल्पावधि ऋण	- उपरोक्त -
8.	नागालैण्ड			
	(1)	152.75	केन्द्रीय सरकार के पैटर्न पर महंगाई भत्ता देने, आरम्भिक घाटे को पूरा करने के लिए	12.00 (योजना ऋण)
	(2)	80.00	घोर वित्तीय संकट से निपटने के लिए अग्रिम योजना सहायता/अर्थोपाय अग्रिम	सहमति नहीं मिली
9.	उड़ीसा	250.00	राज्यों की वार्षिक योजना 1994-95 को वित्त पोषित करने के लिए संसाधनों के अंतराल को पूरा करने के लिए मध्यावधि ऋण	- उपरोक्त -
10.	पंजाब	310.00	वार्षिक योजना 1994-95 के लिए संसाधनों के अंतराल को पूरा करने के लिए और मुख्य विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए	किसी किस्म की अतिरिक्त सहायता नहीं दी गई । तथापि, राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त मार्केट उधार लेने की अनुमति दी गई ।
11.	त्रिपुरा		राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए अनुदान, 100 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण और 10 प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया	सहमति नहीं मिली
12.	उत्तर प्रदेश			
	(1)	51.50	अनपारा "बी" थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थानीय लागत के व्यय का 50 प्रतिशत की व्यवस्था करने के लिए	- उपरोक्त -

1	2	3	4	5
	(2)	24.00	बुनकरों को ऋण राहत के लिए 1993-94 में दिए गए अग्रिम योजना सहायता की तुलना में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	- उपरोक्त -
ख.	*1995-96*			
1.	अरुणाचल प्रदेश	20.20	राजधानी निर्माण परियोजना के लिए	योजना आयोग द्वारा मंजूर 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
2.	आंध्र प्रदेश			
	(1)	636.00	वार्षिक योजना 1995-96 के लिए अतिरिक्त योजना सहायता के रूप में 636 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	सहमति नहीं मिली
	(2)	150.00	अर्थोपाय अग्रिम के लिए अनुरोध	- तदैव -
	(3)	-	नशाबन्दी नीति के कार्यान्वयन के कारण और 2 रुपये प्रति किलो रियायती चावल स्कीम के कार्यान्वयन के कारण भी होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्य को प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	- तदैव -
3.	असम			
	(1)	50.00	बोडोलैण्ड स्वायत्त परिषद के लिए एकमुश्त अनुदान	- तदैव -
	(2)	136.00	अप्रैल, 1995 में दिए गए अर्थोपाय अग्रिम को मध्यावधिक ऋण में परिवर्तित करने के लिए	- तदैव -
4.	हिमाचल प्रदेश	516.00	वर्ष 1994-95 में 416.00 करोड़ रुपए के घाटे और राज्य में सरकारी क्षेत्र के पिहाड़ी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी पर उच्चतम न्यायलय के निर्णय की वजह से 100 करोड़ रुपये के अंतिम घाटे के कारण राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए	- तदैव -
5.	जम्मू और कश्मीर			
	(1)	71.00	केन्द्रीय पैटर्न पर अपने कर्मचारियों को अंतरिम राहत के लिए राज्य सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए	42.34 करोड़ रुपये अतिरिक्त सहायता के रूप में उपलब्ध कराए गए
	(2)	67.00	विद्युत आयात के लिए अतिरिक्त अनुदान	सहमति नहीं मिली
	(3)	155.21	सुरक्षा मदों के संबंध में 251.21 करोड़ रुपये में से बकाया राशि की प्रतिपूर्ति	143.16 करोड़ रुपये
6.	मणिपुर	16.50	राज्य पुलिस बल को मजबूत करने के लिए	गृह मंत्रालय द्वारा 1.75 करोड़ रुपये जारी किये गए

1	2	3	4	5
7.	मिजोरम	11.44	11.44 करोड़ रुपये तक की विशेष अनुदान सहायता दी गई, जो केन्द्रीय करों में शेयर के लिए दसवें वित्त आयोग के अनुमानों की तुलना में वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों में आई गिरावट के बराबर है	सहमति नहीं मिली
8.	उड़ीसा	2100.80	ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए	- उपरोक्त -
9.	पंजाब	259.00	रंजीत सागर बांध सहित प्रमुख विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए	- उपरोक्त -
10.	त्रिपुरा	18.95	दसवें वित्त आयोग के निर्णय और 1995-96 के लिए भारत सरकार से अनुमानित अंतरण के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए	- उपरोक्त -
11.	उत्तर प्रदेश			
	(1)	31.00	गैर-ग्रामीण क्षेत्रों के बुनकरों के ऋणों को छोड़ देना	- उपरोक्त -
	(2)	772.54	राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए मार्च, 1995 तक ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युतीकरण बोर्ड (यू०पी०एस०ई०बी०) की देयताओं को क्लियर करने के लिए	
ग.	*1996-97*			
1.	आंध्र प्रदेश			
	(1)	636.00	वार्षिक योजना 1995-96 के लिए अतिरिक्त योजना सहायता बतौर 636 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	सहमति नहीं मिली
	(2)	150.00	150 करोड़ रुपए के अर्थोपाय का आवधिक ऋण में परिवर्तन	- उपरोक्त -
	(3)	-	मद्य-निषेध नीति के लागू होने के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्य को क्षतिपूर्ति करने के लिए	सहमति नहीं मिली
2.	असम			
	(1)	326.00	1990-95 के दौरान राज्य में आंतरिक सुरक्षा उपायों पर राज्य सरकार द्वारा वहन किए गए व्यय को पूरा करने के लिए	131.91 करोड़ रुपए की सहमति हुई
	(2)	30.00	असम राज्य के कोराझाड़ और बोंगाई गांव जिलों में हाल ही में हुए जातीय झगड़ों में गृहदाह के शिकार परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए	25 करोड़ रुपए की सहमति हुई
	(3)	500.00	बजटीय संसाधनों में सुधार लाने के लिए	सहमति नहीं हुई
	(4)	1000.00	स्थायी राजधानी का निर्माण	- उपरोक्त -

1	2	3	4	5
3.	बिहार	-	चार सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	- उपरोक्त -
4.	हरियाणा	300.00	1995-96 के दौरान 300 करोड़ रुपये के मध्य आवधिक ऋण को 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत अनुदान के बतौर परिवर्तित करने के लिए	सहमति नहीं हुई
5.	हिमाचल प्रदेश			
	(1)	500.00	500 करोड़ रुपये के लम्बी अवधि के सुलभ ऋण के लिए अनुरोध	- उपरोक्त -
	(2)	600.00	तत्काल ऋण अथवा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ पंजाब वेतनमानों के संशोधन आदि के कारण आवर्ती देयताओं को पूरा करने के लिए दीर्घ आवधिक ऋण	- उपरोक्त -
6.	जम्मू और कश्मीर			
	(1)	378.50	1995-96 के स्तर पर विशेष योजना सहायता और विशेष योजना ऋण के कारण निधि जारी करने के लिए	- उपरोक्त -
	(2)	351.94	बजट अनुमान 1996-97 में अग्रिम छोड़े गए अंतराल को पूरा करने के लिए 351.94 करोड़ रुपये की विशेष सहायता उपलब्ध कराना	- उपरोक्त -
	(3)	87.94	वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय विनियोग की क्रिया विधि (मैकेनिज्म) के माध्यम से विद्युत प्रभारों की पुन: प्राप्ति स्थगित करना	- उपरोक्त -
7.	कर्नाटक	400.00	वित्तीय असुविधाओं को सुलझाने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली फैक्टरी एन०डी०ई०एफ० के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	- उपरोक्त -
8.	मणिपुर			
	(1)	40.00	वर्ष 1996-97 और 1997-98 में जारी की गई राशि के स्थान पर राष्ट्रीय खेल 1977 के लिए विशेष आबंटन के रूप में एकमुश्त वित्तीय सहायता जारी करना	मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी 131 लाख रुपये में से राज्य स्तर के प्रशिक्षण काम्पलैक्स के लिए 87.50 लाख रुपये जारी किए
	(2)	120.00	राज्य राजधानी परियोजना के लिए	सहमति नहीं मिली
9.	मिजोरम	45.00	वर्ष 1996-97 के राज्य के बकाया घाटे को पूरा करने के लिए 45 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋणों के लिए अनुरोध	- उपरोक्त -

1	2	3	4	5
10.	नागालैंड			
	(1)	1.25	भू-पर्यावरणीय अध्ययनों के लिए कोहिमा नगर के भू-स्खलन को शुरू करने के लिए	उपरोक्त -
	(2)	55.07	वित्तीय दबावों के कारण राज्य सरकार द्वारा कराए गए काम के एवज में अदायगी न किए जाने के कारण लम्बित बिलों को क्लिअर करने के लिए	7.11 करोड़ रुपए जारी किये गए
	(3)	19.54	दसवें वित्त आयोग द्वारा यथा संस्तुत केन्द्रीय करों में शेयर के अनुपातों में अंतर के कारण 19.54 करोड़ रुपये की कमी पड़ने को ठीक करना तथा केन्द्रीय बजट में यथा उपलब्ध केन्द्रीय करों का अंशदान	सहमति नहीं मिली
	(4)	18.00	30 करोड़ रुपए के विशेष योजना ऋणों में से 18 करोड़ रुपये के विशेष योजना ऋण का नवीकरण करना, जिसे समतुल्य राशि के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के एवज में समायोजित किया गया था	- उपरोक्त -
	(5)	225.90	केन्द्रीय ऋणों को बट्टे खाते डालना	- उपरोक्त -
11.	पंजाब	250.00	रणजीत सागर (जल विद्युत) हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के पूरा करने के लिए	- उपरोक्त -
12.	उत्तर प्रदेश	200.00	गन्ना उत्पादकों के लम्बित बिलों को क्लिअर करने के लिए अतिरिक्त निधियां एवं अर्थोपाय अग्रिम	- उपरोक्त -
घ.	*1997-98*			
1.	आंध्र प्रदेश	393.00	मध्यावधिक ऋण	सहमति नहीं हुई । तथापि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 263 करोड़ रुपये तथा अर्थोपाय अग्रिम के रूप में 72 करोड़ रुपये के रूप में राज्य सरकार की सहायता की थी।
2.	असम	500.00	संसाधनों के अंतराल को पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	सहमति नहीं हुई
3.	गुजरात	-	संशोधित वेतनमानों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	- उपरोक्त -

1	2	3	4	5
4.	हरियाणा	2850.00	पंजाब में आतंकवाद के कारण वर्ष 1983-84 से 1994-95 के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल पर हुए खर्च तथा बिक्री कर में राजस्व प्राप्ति में हानि तथा रोडवेज में हुई कम आय के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, विशेष सहायता	- उपरोक्त -
5.	जम्मू एवं कश्मीर	550.00	पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन से हुई अतिरिक्त भार को पूरा करने के लिए	- उपरोक्त -
6.	केरल	30.00	केलटेक के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता ।	- उपरोक्त -
7.	मध्य प्रदेश	100.00	दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए ।	- उपरोक्त -
8.	महाराष्ट्र	-	संशोधित वेतनमानों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता ।	- उपरोक्त -
9.	मणिपुर			
	(1)	41.00	बकाया घाटे को पूरा करने के लिए अग्रिम योजना सहायता (ए०पी०ए०) अथवा अर्थोपाय अग्रिम	20 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये के अर्थोपाय अग्रिम जारी किए गए
	(2)	35.00	अर्थोपाय अग्रिम	38 करोड़ रुपये के अर्थोपाय अग्रिम जारी किए गए
10.	मिजोरम	117.34	मध्यावधिक ऋण	सहमति नहीं हुई
11.	नागालैंड	90.00	अग्रिम योजना सहायता	- उपरोक्त -
12.	राजस्थान			
	(1)	372.00	381 करोड़ रुपये के संसाधनों और अर्थोपाय अग्रिम के अंतराल को पूरा करने के लिए मध्यावधिक ऋण	अर्थोपाय अग्रिम के रूप में 385 करोड़ रुपये दिए गए
	(2)		पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता ।	सहमति नहीं हुई
	(3)	300.00	अर्थोपाय अग्रिम	माना नहीं गया परन्तु दिसम्बर, 1997 में सामान्य केन्द्रीय सहायता की किश्त जारी की गई
13.	तमिलनाडु	2000.00	केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए	सहमति नहीं हुई
14.	कर्नाटक	200.00	वित्तीय असुविधाओं को हल करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली फैक्टरी एन०जी०ई०एफ० को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	- उपरोक्त -

मुस्लिम महिलाओं के अधिकार

656. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**
श्री हरिन पाठक :
श्री काशी राम राणा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मुस्लिम महिला (तलाक पश्चात् अधिकारों की रक्षा) अधिनियम के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा जुलाई, 1997 में दिए गए उस निर्णय की ओर दिलाया है जिसके अधीन एक विधुर मुस्लिम पिता को अपनी पत्नी के साथ रह रहे अपने बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता देना होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रयोजन हेतु संबंधित अधिनियम/कानूनों में संशोधनों करने के लिए संसद में एक विधान लाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) सम्प्रति इस प्रयोजन के लिए कोई विधान आवश्यक नहीं समझा गया है ।

[हिन्दी]

कोयले की ढुलाई

657. **श्री हंसराज अहीर** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के संयुक्त उद्यम के रूप में चलाई जा रही भूतपूर्व सैनिकों की परिवहन कंपनियों के कार्यकरण में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस शिकायतों के मद्देनजर कोई जांच आरंभ करायी है अथवा पूरी की है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच में किन अनियमितताओं का पता चला है और दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना को बंद करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) जिन अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था वे निम्नलिखित थी - ये कंपनियां विद्यमान समझौता ज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अनुसार भूतपूर्व-सैनिकों को नियुक्त नहीं कर रही हैं तथा उन्हें बाजार दर से अधिक पर भुगतान किया जा रहा है । उपर्युक्त अनियमितता संबंधी आरोपों की जांच करते हुए 2.1.1997 को संपन्न कोल इंडिया लि० बोर्ड की 163वीं बैठक में एक समिति का गठन किया गया ताकि भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति तथा विद्यमान समझौता ज्ञापन की शर्तों की समीक्षा की जा सके । समिति यह महसूस करती है कि भूतपूर्व सैनिकों की परिवहन कंपनियों को जारी रखने की आवश्यकता है जो सहायक कोयला कंपनियों को विश्वसनीय ग्रहीत परिवहन की व्यवस्था करती है तथा इस व्यवस्था से भूतपूर्व सैनिकों को पूनर्वास की सुविधा प्राप्त होती है । पुनर्वास महानिदेशालय के साथ विचार-विमर्श किए जाने के बाद समिति द्वारा उपर्युक्त अनियमितताओं को कम करने तथा उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त सुधारों का सुझाव दिया गया । इसे 19.9.1997 को कोल इंडिया लि० बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई । कोयला मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा परिवहन कंपनी के साथ कोई संयुक्त उपक्रम कंपनी नहीं है ।

(घ) जी, नहीं । इस स्कीम को बंद करने की कोई योजना नहीं है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

ग्रीन चैनल आकलन योजना

658. **श्री रूपचन्द पाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "द ग्रीन चैनल आकलन योजना" के नाम की कोई योजना है जिसमें बेदाग छवि वाले आयातकों को विस्तृत जांच के बगैर स्वीकृति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उन "बेदाग" आयातकों के क्या नाम हैं तथा आयात में उनकी सेवावधि क्या है; और

(ग) उनके द्वारा आयात की गई मदों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्पाल महाराज) : (क) से (ग) जी, हां । सरकार ने उन आयातकों के लिए शीघ्र निर्धारण और माल की निकासी की योजना अधिसूचित की है जिनकी पहचान बन गई है और जिनका पिछला रिकार्ड साफ सुथरा है । इस योजना के अंतर्गत जिस प्रकार का माल शामिल किया गया है उसमें प्रमुख विनिर्माताओं द्वारा आयातित थोक कच्ची सामग्री और संघटक शामिल हैं जिनका कि बार-बार आयात किया जा रहा है । कंपनियों के नामों और उनके द्वारा आयातित माल की निरूपक सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

उन आयातकों की सूची जिन्होंने ग्रीन चैनल सुविधा का लाभ उठाया है

क्रम सं०	आयातक का नाम	पद	वह तारीख जिससे सुविधा का लाभ उठाया गया है, जहां उपलब्ध हो
1	2	3	4
1.	प्रकाटर रेलीज लेबरारटरीज	औषध मध्यवर्ती और सपुंज औषधियां	1992
2.	एम०आर०एफ० लिमिटेड	टायर, प्लास्टीसाइजर्स, एडैसिव, प्लास्टिक और रबड़ कैमिकल्स	1992
3.	ल्यूकस टी०वी०एस० लिमिटेड	ओरिंग्स, सीलस, विभिन्न मशीनों के सहायक पुर्जे, एडैसिव, प्लास्टिक, रबड़ सामग्री और इलैक्ट्रानिक वस्तुएं	1992
4.	एल० एण्ड टी० मैकनेल लि०	संघटक और कैच्ची सामग्रियां	
5.	टी०वी०एस० सुजुकी लि०	मोटर वाहन संघटक	
6.	भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि०	धातुएं	
7.	राज्य व्यापार निगम	खाद्यान्न आदि	
8.	एस०पी०आई०सी०	मशीनरी और उपस्कर	
9.	आई०सी०आई० इंडिया लि० मद्रास	- तदैव -	
10.	लारसेन एण्ड टूब्रो	- तदैव -	
11.	कार्डिला लैब्स लि० अंकलेश्वर	बल्क ड्रग्स	
12.	हिन्दुस्तान मोटर्स	मशीनरी और कलपुर्जे	
13.	मलाया मनोरम लि०	अखबारी कागज, कलपुर्जे	
14.	अशोक लेलैंड, चेन्नई	मशीनों के पुर्जे और आटोमोबिल उपस्करों के पुर्जे	
15.	डनलप (इंडिया) लि०	प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ तथा रबड़ कैमिकल्स	
16.	गोकुल दास एक्सपोर्ट्स, बंगलौर	गार्मेन्ट एक्सैसरीज एवं टैक्सटाइल्स	
17.	पर्ल ग्लोबल लि०, नई दिल्ली	- तदैव -	
18.	विप्रो इम्पोटैक लि०, बंगलौर	कम्प्यूटर पार्ट्स	
19.	दिल्ली ब्रास एण्ड मैटल वैयर्स कंपनी, नई दिल्ली	गार्मेन्ट एक्सैसरज एण्ड टैक्सटाइल्स	

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद

659. **श्री सुशील चन्द्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा इस वर्ष इसकी अनुमानित वृद्धि दर क्या है;

(ख) क्या भारत का आर्थिक स्थिति विशेषकर उद्योग, व्यापार, निर्यात-आयात इत्यादि में दिन-प्रतिदिन गिरावट आ रही है हालांकि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की प्रतिशतता में कोई विशेष कमी नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत वर्ष बचत दर क्या थी तथा इसके चालू वर्ष में क्या होने की संभावना है;

(ङ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीन में 42 बिलियन डालर का विदेशी पूंजी-निवेश किया जा रहा है, इस वर्ष कितना विदेशी पूंजी-निवेश होगा;

(च) क्या कृषि उत्पादन में निरन्तर कमी आ रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जुलाई, 1997 में जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार 1996-97 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि 6.8 प्रतिशत थी । 1997-98 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग) अप्रैल से जुलाई, 1997 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की समग्र वृद्धि अप्रैल-जुलाई, 1996 में 10 प्रतिशत की तुलना में 6.4 प्रतिशत है । डी०जी०सी०आई० एण्ड एस० के आंकड़ों के अनुसार, अमरीकी डालरों के रूप में निर्यात में अप्रैल-सितम्बर, 1996 में 9.9 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 1997 में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई तथा आयातों में अप्रैल-सितम्बर, 1997 में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि अप्रैल-सितम्बर, 1996 में यह 5.2 प्रतिशत थी ।

औद्योगिक और निर्यात वृद्धि में यह गिरावट मुख्य रूप से कुछ आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्रों के अल्प निष्पादन और विश्वव्यापी मंदी के कारण आई विदेशी मांग में कमी की वजह से थी ।

(घ) 1996-97 और चालू वर्ष के लिए बचत दरों के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, 1995-96 के दौरान, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचतों की दर 25.6 प्रतिशत थी ।

(ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) तथा विश्व निक्षेपागार प्राप्तियों (जी०डी०आर०) के जरिए विदेशी पूंजी का अन्तर्प्रवाह अप्रैल-अगस्त, 1997 में 2159 मि० डालर तथा विदेशी संस्थागत निवेश (एफ०आई०आई०) के जरिए अप्रैल-सितम्बर, 1997 में यह 1307 मि० डालर था ।

(च) और (छ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.13 प्रतिशत थी, जो छठी योजना अवधि (1980-85) की 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर के अतिरिक्त सभी पूर्ववर्ती योजना अवधियों में प्राप्त औसत वृद्धि दर से अधिक थी ।

[अनुवाद]

विदेशी ऋण/अनुदान

660. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने कितना विदेशी ऋण/अनुदान प्राप्त किया है;

(ख) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यों को प्राप्त इन ऋणों/अनुदानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों के लिये इन ऋणों/अनुदानों की मंजूरी के लिये केन्द्र सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनायी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सातवीं और आठवीं योजना के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी ऋण/अनुदानों की राशि निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपये)

	ऋण	अनुदान	कुल
सातवीं योजना (1985-86 से 1989-90)	18998.88	2572.74	21571.62
आठवीं योजना (1992-93 से 1996-97)	43451.84	4830.00	48281.84

(ख) भारत सरकार द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी ऋणों और अनुदानों को राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृत किया जाता है । सातवीं और आठवीं योजना के दौरान राज्यों को प्रदान की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(करोड़ रुपये)

	ऋण	अनुदान	कुल
सातवीं योजना	2185.30	973.52	3158.82
आठवीं योजना	13210.76	5941.03	19151.79

(ग) राज्य सरकारें विदेशी ऋणों/अनुदानों के लिए परियोजना प्रस्तावों को तैयार करती हैं और उनको तकनीकी और व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने हेतु केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालय को भजती है । इस प्रस्ताव की योजना आयोग द्वारा भी आयोजना परिव्यय के अन्तर्गत संसाधन उपलब्धता के लिए जांच जाती है । केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालय और योजना आयोग की स्वीकृति के पश्चात्, यह प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया जाता है जो विदेशी दाता एजेन्सियों को ये परियोजनाएं प्रस्तुत करने के लिए नोडल एजेन्सी है । आर्थिक कार्य विभाग प्रस्ताव की इसकी व्यवहार्यता के संबंध में जांच करता है और परियोजना का मिलान दाता देशों की क्षेत्रीय तरजीहों से करता है तथा परियोजना को उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त दाता देश से सम्पर्क स्थापित करता है ।

सुपारी की तस्करी

661. **श्री टी० गोविन्दन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नेपाल से सुपारी की तस्करी होती है तथा ड्राई फ्रूट के नाम पर सुपारी का आयात भी किया जाता है जिससे भारतीय उत्पादकों और मुख्यत: केरल, कर्नाटक और असम के सुपारी उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सुपारी की तस्करी रोकने तथा सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि नेपाल से भारत को सुपारी की तस्करी की कुछेक घटनाएं हुई हैं । सुपारी की तस्करी का प्रयास करते हुए जितना माल पकड़ा गया है उसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	पकड़े गए माल का मूल्य (लाख रु० में)
1994-95	16.14
1995-96	54.74
1996-97	41.69

तथापि, ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं मिली हैं जिनसे यह पता चलता हो कि सुपारी का सूखे मेवों के रूप में आयात किया जा रहा हो ।

(ग) तस्करी रोधी एजेंसियां सुपारी की तस्करी सहित किसी भी प्रकार की तस्करी को रोकने और उसका पता लगाने के लिए सतर्क हैं । किए गए विशेष उपायों में भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सीमा जैसे तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और आसूचना को लक्षित किया जा रहा है ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

662. **श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र द्वारा एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित किए जाने के प्रस्ताव पर कड़ा विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक किन-किन अन्य राज्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध और अनुमोदन किया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) जी, हां ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का विरोध किया है क्योंकि इससे आन्ध्र प्रदेश राज्य में प्रादेशिक और भाषायी भिन्नताओं के कारण दक्ष न्याय प्रशासन के हितों की पूर्ति नहीं हो सकेगी ।

(ग) अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर और नागालैंड की राज्य सरकारों ने भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के स्थापित किए जाने का समर्थन नहीं किया है । गोवा, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के लिए सरकार के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है ।

(घ) अखिल भारतीय न्यायाधीश संगम मामले (रिट याचिका सं० 1022/89) में भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसरण में, सरकार ने पहले ही अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन से संबंधित विषय को रोक दिया है । दूसरे, और राज्यों से टीका-टिप्पणियां अभी प्राप्त होनी हैं ।

[अनुवाद]

कृषि निर्यात

663. **श्री भक्त चरण दास :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री जी०ए० चरण रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 5000 टन दुग्ध पाउडर के निर्यात का कोटा जारी करने के साथ-साथ मूंगफली और तिल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान इन मदों को मुक्त रूप से निर्यात योग्य घोषित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन दो मदों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या मार्ग-निर्देश जारी किए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ) जी, हां । सरकार ने दिनांक 14 जुलाई 1997 के नीति परिपत्र सं० 9/97-98 और दिनांक 30 जुलाई, 1997 के नीति परिपत्र सं० 14/97-98 के द्वारा चालू लाइसेंसिंग वर्ष 1997-98 के दौरान बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंधों के एच पी एस मूंगफली और सीसम (तिल के बीज) का मुक्त निर्यात करने की स्वीकृति दी है । इसी प्रकार नीति परिपत्र सं० 16/97-98 के जरिए सरकार ने 5000 मी० टन दूध के पाउडर के निर्यात की अनुमति दी है ।

चालू लाइसेंसिंग वर्ष 1997-98 के दौरान एच पी एस मूंगफली और तिल के बीज के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति उसकी उपलब्धता और पिछले वर्षों के दौरान किए गए निर्यात को ध्यान में रखते हुए दी गई है ।

इसके अलावा दिनांक 30 जुलाई, 1997 के नीति परिपत्र सं० 14/97-98 के अनुसार निर्यातकों को निर्यात की तारीख के 30 दिनों के अन्दर, पोतलदान बिलों की प्रति के साथ निर्यात किए गए तिलों के बीज की मात्रा का ब्यौरा भी देना होता है ।

प्रकल्पित कर योजना

664. **श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे उद्यमियों और व्यवसायियों से कर के रूप में 1400 रुपए प्रति वर्ष लेने से संबंधित प्रकल्पित कर योजना पूर्णत: असफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित राशि की तुलना में संबंधित वर्षों के दौरान कितनी वास्तविक वसूली की गई; और

(ग) क्या इस योजना के असफल होने का मुख्य कारण वसूलीकर्ताओं की अनिच्छा और करदाताओं तथा वसूलीकर्ताओं के बीच सांठगांठ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) आनुपातिक कर योजना को अपनाने वाले व्यक्तियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों से यह पता चलता है कि उक्त योजना से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे ।

(ख) वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान आनुपातिक कर योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए फार्मों की संख्या और कर वसूलियों से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

वित्त वर्ष	आनुपातिक कर योजना के अन्तर्गत फार्मों की संख्या	आनुपातिक कर योजना के अन्तर्गत वसूली (करोड़ रुपये में)
1992-93	1,16,644	16.47
1993-94	1,95,600	27.53
1994-95	3,56,322	49.96
1995-96	2,51,824	35.39
1996-97	1,58,733	22.73

उक्त योजना के अन्तर्गत कर वसूली के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे ।

(ग) जी, नहीं ।

[हिन्दी]

राज्य व्यापार निगम/खनिज और धातु व्यापार निगम के निर्यात/आयात में वृद्धि

665. **श्री पी०आर० दासमुंशी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं और आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्य व्यापार निगम/खनिज और धातु व्यापार निगम के निर्यात/आयात में कितनी वृद्धि हुई; और

(ख) राज्य व्यापार निगम/खनिज और धातु व्यापार निगम को देश के प्रतिस्पर्धात्मक ट्रेडिंग हाउसिंग बनाने के लिए नए प्रस्ताव क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) सातवीं और आठवीं योजना अवधि के दौरान एस०टी०सी०/एम०एम०टी०सी० के वर्षवार निर्यात/आयात के कुल कारोबार के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	एसटीसी		एमएमटीसी	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
7वीं योजना				
1985-86	378	2158	622.6	2367.1
1986-87	542	2179	711.7	2037.4
1987-88	581	3037	728.4	2118.7
1988-89	530	2045	872.6	2971.4
1989-90	752	1070	1148.3	3914.5
8वीं योजना				
1992-93	551	324	1674.9	3368.4
1993-94	798	239	1371.3	1699.3
1994-95	806	965	1368.3	3662.1
1995-96	749	858	1373.6	4450.8
1996-97	513	1896	1136.6	3406.9

(ख) एस०टी०सी० और एम०एम०टी०सी० के माध्यम से पहले से सारणीकृत मदों के आयात और निर्यात के असरणीकरण के फलस्वरूप दोनों निगमों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में उदारीकृत अर्थव्यवस्था तथा प्रतियोगी वातावरण के अनुरूप अपने व्यापारिक क्रियाकलापों को पुनर्व्यवस्थित करने का प्रस्ताव किया है ।

- काफी, चाय, घटसन का सामान तिलहन, निष्कर्षण जैसी वस्तुओं में प्रत्यक्ष खरीदने और बेचने पर बल देना;
- कोक का उत्पादन करने के लिए लोहा और इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए नीलांचल इस्पात निगम लि० के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से कैपटिव सप्लाई आधार का विकास करना तथा बाद में ब्लास्ट फरनेस में खपत के लिए एन आई एन एल को आपूर्ति करना;
- सोने और चांदी जैसे नए क्षेत्रों में व्यापारिक क्रिया का विविधीकरण तथा आभूषणों का निर्यात तथा मौजूदा कार्यकलापों का समेकन;
- सम्पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगिक कंपनियों की स्थापना करके विदेश बाजार नेटवर्क तथा भंडारघरों को सुदृढ़ करना;
- निर्यात/आयात की भारी मदों के सफल तथा कुशल रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए अवस्थापना संबंधी विकास करना;
- कृषि उत्पादों आदि के गैर-परम्परागत क्षेत्र में एम एम टी सी द्वारा व्यापारिक क्रियाकलापों का विविधीकरण करना ।

गरीब व्यक्तियों को कानूनी सहायता

666. **श्री दत्ता मेघे : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में आज तक महाराष्ट्र में गरीब व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) उक्त प्रणाली को सुचारु बनाने तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर सहायता सुनिश्चित कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप) : (क) केन्द्रीय विधियों का आबंटन राज्यों के आधार पर नहीं किया जाता है । राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों आदि के प्रशासनिक और दिन प्रतिदिन के कार्यकारी व्यय, तत्संबंधी राज्य सरकारों द्वारा उपबंधित राज्य निधियों से पूरे किए जाते हैं । वित्तीय वर्ष, 1995-96, 1996-97 और 1997-98, अब तक, के दौरान महाराष्ट्र राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड आदि को दी गई अनुदान सहायता निम्नवत् है :-

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	दी गई अनुदान सहायता की रकम (रुपयों में)
1.	1995-96	-
2.	1996-97	2,05,000
3.	1997-98 (18.11.97 तक)	3,00,000

(ख) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को दी गई वित्तीय सहायता का विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 के अधीन परिकल्पित विभिन्न विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अधिक प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली को और सुकर बनाने तथा उसका पुनरावलोकन करने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यकारी अध्यक्षों की बैठक बुलाए जाने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

[अनुवाद]

बड़ी निगमित क्षेत्र की कंपनियों पर लम्बित कर

667. **श्री आई०डी० स्वामी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगमित क्षेत्र की उन बड़ी कंपनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने एक अप्रैल, 1997 की तिथि के अनुसार भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से 500 करोड़ रुपये से अधिक रुपया उधार लिया है;

(ख) उपरोक्त निगमित क्षेत्र की कंपनियों जैसे उत्पाद, सीमा शुल्क तथा आयकर आदि जैसी कंपनियों पर सरकार की कितनी देयताएं बकाया हैं; और

(ग) ऐसी प्रत्येक कंपनी पर ऋण की तथा देयताओं की कुल कितनी राशि बकाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-उपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

थोक मूल्य सूचकांक

668. **श्रीमती केतकी देवी सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार थोक मूल्य सूचकांक के अन्तर्गत कुछ और सेवाओं को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार टेलीफोन और परिवहन सेवा को थोक मूल्य सूचकांक में शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला में संशोधन करने के लिए एक कार्यकारी दल स्थापित किया है ताकि उसमें 1981-82 जो वर्तमान श्रृंखला का आधार वर्ष है, के बाद से अर्थव्यवस्था में हुए ढांचागत परिवर्तनों को परिलक्षित किया जा सके । कार्यकारी दल वर्तमान सूचकांक की संरचना की समीक्षा करेगा तथा नए आधार वर्ष सहित उन मदों का सुझाव देगा जो नई श्रृंखला में शामिल या बाहर किए जाने योग्य होंगे । कार्यकारी दल द्वारा किया जा रहा विश्लेषण अन्तिम चरण में है ।

[अनुवाद]

कपास का निर्यात

669. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे कपास की सात लाख गांठों के निर्यात को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष कपास के उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है और सरकार द्वारा कपास का और निर्यात किए जाने के कदम से घरेलू बाजार में कपास की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कपास की स्वदेशी मांग को देखते हुए कपास के निर्यात के बारे में अपने निर्णय पर पुन: विचार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कपास की कीमतों पर नियंत्रण रखने हेतु सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा) : (क) जी, हां ।

(ख) कपास मौसम अक्तूबर, 1997-सितम्बर 1998 के लिए कपास उत्पादन का सही आकलन करना बहुत जल्दी है । जहां तक कपास की कीमतों का संबंध है, इनमें अनेक कारकों के कारण अंतर होता है अर्थात् गुणवत्ता, आवक की मात्रा, वर्षा, कपास का निर्यात आदि ।

(ग) से (ङ) कपास के निर्यात कोटे सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष समय-समय पर विभिन्न राज्य परिसंघों, सी सी आई, नेफेड, व्यापार आदि को विभिन्न कारकों को ध्यान में रखने के पश्चात जारी किए जाते हैं जिनमें अनुमानित उत्पादन, उपलब्धता, घरेलू मांग तथा सम्भावित देशी कपास तथा साथ ही कीमत प्रवृतियां आदि शामिल हैं।

उत्पाद शुल्क का अपवंचन

670. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का निर्माताओं द्वारा बेरोक-टोक कई मामलों में अपवंचन किया जाता है तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्राधिकारियों द्वारा इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के कितने मामलों का पता चला है तथा इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(घ) सरकार द्वारा विनिर्माण इकाइयों के समय-समय पर/आवधिक जांच द्वारा इन अपवंचन को रोकने हेतु केन्द्रीय (राजस्व) उत्पाद विभाग को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, नहीं । जहां तक चोरी-छिपे अपवंचन करने का प्रश्न है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग अपवंचन के मामलों की रोक-थाम करने तथा उनका पता लगाने के बारे में गंभीर है ।

(ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

वर्ष	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त शुल्क की राशि (करोड़ रुपयों में)
1994-95	7606	1386.03
1995-96	6662	1236.27
1996-97	7053	1421.42

(घ) अपवंचन रोधी महानिदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों के अधिकारियों को विनिर्माण इकाईयों के बारे में आसूचना एकत्र करने, तलाशी लेने, मार्ग में जांच-पड़ताल करने, निगरानी रखने, आकस्मिक जांच-पड़ताल करने और स्टॉक की गणना करने के लिए कहा गया है ताकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कोई अपवंचन किया जा रहा हो तो उसका पता लगाया जा सके। हाल ही में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून में निवारक अर्थदण्ड लगाने और अपवंचित शुल्क पर ब्याज लगाने की व्यवस्था की गई है।

गोल्ड डिनोमीनेटड फाइनेंसियल इन्स्ट्रूमेंट शुरू करना

671. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक स्वर्ण बांडों, स्वर्ण भंडारों तथा स्वर्ण योजनाओं जैसे गोल्ड डिनोमीनेटेड फाइनेंसियल इन्स्ट्रूमेंट शुरू करने का विचार कर रहा है;

(ख) इस कदम के पीछे क्या कारण हैं और इसे घरेलू वित्तीय बाजारों यानी पैसों, प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा और पूंजीगत बाजार के साथ सोने के बाजार के साथ समेकित करना कहां तक लाभदायक होगा; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक पूंजी खाता परिवर्तनीयता संबंधी समिति (1997) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार स्वर्ण आधारित वित्तीय लिखितों जैसे स्वर्ण मूल्यवर्णित जमाराशियों, स्वर्ण मूल्यवर्गित ऋणों, स्वर्ण संचयों आदि को लागू करने की व्यवहार्यता पर विचार कर रहा है ।

(ख) और (ग) स्वर्ण मूल्यवर्गित वित्तीय लिखितों को आरम्भ करने के पीछे तर्काधार भारतीय जनता के लिए सुरक्षा प्रबंधन लागत के सहवर्ती जोखिमों के बिना भौतिक स्वरूप में स्वर्ण के विकल्प के रूप में बचत/निवेश के साधन उपलब्ध कराना तथा स्वर्ण सम्बद्ध प्रतिभूतियों/लिखितों का वित्तीय परिसम्पत्ति के रूप में विकास करना है जो घरेलू वित्तीय बाजार में समाकलन को सुसाध्य बनाएगा ।

नारियल जटा उद्योग

672. **श्री एस०सी० जोस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान आजतक कुल कितनी नारियल जटा को उपयोग के लिए तैयार किया गया है; और

(ख) भारत किन-किन देशों को नारियल जटा का निर्यात कर रहा है?

उद्योग मंत्री (श्री मोरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कयर का कुल अनुमानित उत्पादन और वर्ष 1997-98 के लिए अनन्तिम अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है :-

(मात्रा मीट्रिक टनों में)

वर्ष	सफेद रेशा	भूरा रेशा
1994-95	127000	123000
1995-96	127000	136000
1996-97	127000	149000
1997-98	127000	169000

(ख) 1996-97 के दौरान भारत ने विश्व के 62 देशों को कयर उत्पादन का निर्यात किया । जिन देशों को निर्यात किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं :-

यू०एस०ए०, यू०के०, नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, इटली, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन, रूस, डेनमार्क, ग्रीक, आइरिश रिपब्लिक, न्यूजीलैंड, कनाडा, इजराईल, ब्राजील, तुर्की, जापान, साउथ अफ्रीका, यू०ए०ई०, कुवैत, सऊदी अरब, नारवे, मोरक्को, मालदीव आईलैंड, अर्जेंटीना, फिनलैंड, मिस्र, युगोस्लाविया, मैक्सिको उरुग्वे, पाकिस्तान, लेबनान, पोलैण्ड, कतर, चिले, केन्या, ताईवान, नाईजीरिया, स्विटजरलैंड, सिंगापुर, साऊथ कोरिया, पेरु, मारीशस, हंगरी, घाना, आस्ट्रिया, हांगकांग, साइप्रस, ओमान, बहरीन, थाईलैण्ड, आइवरि कोस्ट, मलेशिया, श्रीलंका, क्यूबा, कैमरून, जार्डन और सेचेलीस ।

पी०पी०एफ०

673. **श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी०पी०एफ० पर अर्जित ब्याज आयकर मुक्त होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंशदाता पी०पी०एफ० खाते से अपनी इच्छानुसार किसी भी समय ब्याज निकाल सकता है;

(ग) क्या पी०पी०एफ० के खाताधारी के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह आयकर की धारा 10(11) के अन्तर्गत अपनी आयकर विवरणिका में वार्षिक ब्याज दर्शाये तथा ब्याज निकाले बिना ही आयकर की धारा 10(11) के अंतर्गत छूट की मांग कर सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या पी०पी०एफ० में किए गए अंशदान पर समयावधि पूरी होने पर आयकर अथवा पी०डी०एस० देना होता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या पी०पी०एफ० खाताधारी नामिनी अथवा कानूनी उत्तराधिकारी को भी खाता-धारी की मृत्यु होने के मामले में जमा राशि निकालते समय कर देना होता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां । केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और उसके द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की गई किसी भविष्य निधि में से किए गए किसी भुगतान पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(11) के अन्तर्गत आयकर से छूट प्राप्त है ।

(ख) लोक भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत निकासी की धनराशि और उन निबंध एवं शर्तों की व्यवस्था की गई है, जिनके अन्तर्गत किसी अंशदाता द्वारा निकासी की जा सकती है । तथापि, लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 6 के परन्तुक के अनुसार किसी भी निकासी की अनुमति उस वर्ष की समाप्ति से 5 वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर ही दी जाएगी, जिस वर्ष में उक्त निधि में आरंभिक अंशदान किया गया है ।

(ग) आय विवरणी में अलग से एक भाग निहित है, जिसमें किसी कर-निर्धारिती द्वारा ऐसी आय के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित होते हैं, जिसे छूट प्राप्त होने का दावा किया गया है ।

(घ) किसी लोक भविष्य निधि खाते में किया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत उसमें विहित शर्तों के अनुसार कर रिबेट का पात्र होता है ।

(ङ) जी, नहीं ।

वैश्य बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली

674. **श्री जंगबहादुर सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को वैश्य बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का किसी भी तरह के उल्लंघन का पता लगाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सरकार ने वैश्य बैंक लि० सहित गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य संचालन के बारे में माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की प्रतियां भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दी हैं । चूंकि वैश्य बैंक एक गैर-सरकारी बैंक है अत: सरकार के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना न तो संभव है और न ही कांछनीय है । भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया था कि इनकी जांच करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है और यदि ऐसा हुआ है तो ऐसे उल्लंघन के लिए क्या कार्रवाई की गई । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों (1995-97) के दौरान, वैश्य बैंक लिमिटेड का दो बार निरीक्षण किया गया था ताकि दिनांक 29 दिसम्बर, 1995 और 31 मार्च, 1997 को उसकी स्थिति का पता लगाया जा सके ।

शाखाओं का निरीक्षण चुनींदा आधार पर किया जाता है और सभी बैंकों का निरीक्षण नहीं किया जाता । भारतीय रिजर्व बैंक का निरीक्षण अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश/मार्गनिर्देशों ओर साथ ही स्वयं बैंक के प्रबंधकों द्वारा आंतरिक रूप से निर्धारित नीतियों एवं क्रियाविधियों के अनुपालन का मूल्यांकन करने पर केन्द्रित होता है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बिलों, तात्कालिक ऋणों तथा शेयरों पर अग्रिम के संबंध में अपने निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए वैश्य बैंक लि० पर 20 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकरण होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को इस मामले की जानकारी है ।

रबर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

675. **श्री रमेश चेन्नितला : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के कोट्टायम में एक रबर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता द्वारा चल रही रबर विकास परियोजना के अंतर्गत, रबर उपजकर्ताओं, रबड़ प्रसंस्कृत करने वालों, रबड़ उत्पाद के विनिर्माताओं और रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोट्टायम में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस केन्द्र पर 1.85 करोड़ रुपये की लागत लगने का अनुमान है और सार्वजनिक निर्माण सितम्बर, 1998 तक पूरा होने का अनुमान है ।

[हिन्दी]

भारत-रूस व्यापार

676. **श्री संदीपान थोरात : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत-रूस व्यापार के मूल्य और मात्रा में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत वर्ष के दौरान व्यापार बढ़ाने और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) रूस के साथ हाल ही में किए गए प्रमुख समझौतों का ब्यौरा क्या है और इसके आर्थिक परिणाम क्या निकले हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं । भारत-रूस व्यापार पिछले वर्षों में

1994-95 और 1995-96 में रुपये के रूप में क्रमशः 46.6 प्रतिशत और 54.3 प्रतिशत तक बढ़ा था । फिर भी, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 1996-97 की अवधि के दौरान, भारत-रूस व्यापार में रुपये के रूप में 21.5 प्रतिशत की गिरावट रही थी । तथापि, अप्रैल-अगस्त, 1996 के मुकाबले अप्रैल-अगस्त, 1997 के दौरान व्यापार कारोबार में मामूली वृद्धि होने से इस रुख पर काबू पा लिया गया है । इसके अलावा, वर्ष 1996-97 के दौरान रूस के साथ कुल व्यापार कारोबार 4995 करोड़ रुपये का रहा जो 1994-95 के 4113 करोड़ रुपये की तुलना में 21.4 प्रतिशत अधिक था ।

(ख) यह गिरावट मुख्यतः भारत से काजू और चाय के निर्यातों में गिरावट आने और रूस से उर्वरक, लौह एवं इस्पात तथा मशीनों के आयातों में गिरावट आने के कारण आई है । भारत से रूस को वर्ष 1995-96 के दौरान 262.6 करोड़ रुपये का काजू का निर्यात गिरकर 1996-97 के दौरान 7.6 करोड़ रुपये का रह गया है । यह गिरावट काजू के व्यापार को (अन्यत्र जाने से) रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के कारण आई जिसके बारे में सूचना मिली है कि भारी मात्रा में निर्यात तीसरे देश के गंतव्यों को कर दिया गया था । वर्ष 1995-96 के दौरान चाय का निर्यात 476.6 करोड़ रुपये स्तर से घटकर 1996-97 के दौरान 224.7 करोड़ रुपये तक पहुंचने का मुख्य कारण रूस में चाय के आयात के लिए रुबवा आबंटन में अत्यधिक विलम्ब होने से ऋण भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत रूसी आयातकों द्वारा चाय की अपेक्षाकृत कम खरीद करना था । परन्तु चाय के निर्यातों में वर्ष 1996-97 के दौरान आई गिरावट की स्थिति पर अप्रैल-अगस्त, 1997 के दौरान सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है जब रूस को चाय का निर्यात 188.7 करोड़ रु० का किया गया जो अप्रैल-अगस्त, 1996 के 77.6 करोड़ रु० के मुकाबले 143.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ग) सरकार ने भारत-रूस व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं । इन उपायों में शामिल हैं सेप बिक्री को प्रोत्साहित करना और भंडारगृह खोलना, व्यापार योग्य वस्तुओं की सूची और बड़ा करना, सीमाशुल्क के मामलों पर सहयोग और आपसी सहायता के करार पर हस्ताक्षर करना, रुपया कोष के शीघ्र आबंटन के लिए रूसी पक्ष पर दबाव डालना । भारतीय बैंक खोलना, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, भेषज के क्षेत्र में व्यापार बढ़ाना और ऋण भुगतान के अधीन रूस को निर्यात किए जाने वाले पर्सनल कम्प्यूटरों सहित कुछ हाई-टेक मदों के संबंध में मूल्यवर्द्धन मानदंडों को 100 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत करना इत्यादि । आशा है कि इन उपायों से आगामी वर्षों में भारत-रूस व्यापार को अधिक विस्तार करने में मदद मिलेगी ।

(घ) हाल में हस्ताक्षर किए गए करारों में शामिल हैं - सीमाशुल्क मामलों में सहयोग और आपसी सहायता पर करार, दोहरे कराधान के निवारणार्थ करार, पौध संरक्षण एवं संगरोधन करार और सूचना तकनीकी उत्पादों के लिए प्रमाणन संबंधी करार । ये करार निर्यातकों और आयातकों के लिए इन दोनों बाजारों में बेहतर व्यापार वातावरण बनाएंगे और व्यापार वृद्धि को सुविधाजनक बनाएंगे ।

[अनुवाद]

बदरपुर विद्युत स्टेशन को कोयले की आपूर्ति

677. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ समय से दिल्ली स्थित बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन को इसकी आवश्यकतानुसार कोयले की नियमित आपूर्ति नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में बिजली की भारी कमी उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन की कितनी इकाइयां बंद हो चुकी हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक उक्त स्टेशन को कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई है और यह आवश्यकता से कितनी मात्रा से कम है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस स्टेशन को इसकी आवश्यकतानुसार कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) बदरपुर ताप विद्युत गृह (बी०टी०पी०एस०) को नियमित रूप से कोयले की आपूर्ति की जाती है । चालू वर्ष के दौरान अर्थात अप्रैल से अक्तूबर, 1997 में 2.29 मिलियन टन कोयले की लिंकेज की तुलना में 2.27 मिलियन टन की आपूर्ति की गई । कोयले की इस आपूर्ति से बदरपुर ताप विद्युत गृह में 31.10.1997 की स्थिति के अनुसार कोयले का स्टाक बढ़कर 29 दिन की खपत के बराबर हो गया जबकि 1.4.1997 को यह स्टाक 2 दिन की खपत के बराबर था ।

(ग) कोयले की आपूर्ति कभी-कभी, प्राप्त किए गए भुगतान के अनुरूप सीमित कर दी जाती है, जिससे बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ होगा ।

(घ) वर्ष 1995-96, 1996-97 और अप्रैल, 1997 से अक्तूबर, 1997 की अवधि के दौरान प्रेषित किए गए कोयले का विवरण नीचे दर्शाया गया है :-

('000 टन में)

वर्ष	लिंकेज	वास्तविक आपूर्ति
1995-96	3480	2876
1996-97	3530	3214
अप्रैल, 97 से अक्तूबर, 97	2530	2270

(ङ) कोल इंडिया को भी निदेश दिए जा रहे हैं कि बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र को निर्धारित लिंकेज के अनुसार पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति करें । तथापि कोयले की नियमित आपूर्ति के लिए विद्युत केन्द्रों को भी कोयले के बिलों का समय से पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए । कोयला कंपनियां भी विद्युत केन्द्र तक सुचारु रूप से कोयले के प्रेषण के लिए विद्युत केन्द्र और रेलवे से निरन्तर सम्पर्क बनाए रहती हैं ।

एच०आर० इस्पात उत्पादों को डम्प करना

679 **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री अनन्त गुढ़े :
श्री मधुकर सरपोतदार :
श्री सुरेश प्रभु :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूस और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल द्वारा एच०आर० इस्पात उत्पादों को भारत में डम्प करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) सीमाशुल्क टेरिफ अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी ने रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान से हॉट रॉल्ड कवायल्स/शीट्स/प्लेट्स के कथित पाटन के बारे में 6.10.97 को प्रतिपाटन जांच की शुरुआत की है ।

प्रति-पाटन कानूनों के अंतर्गत जांच की शुरुआत करने की तिथि से एक वर्ष के अंदर अर्थात इस मामले में 5.10.98 तक जांच को पूरा करना अपेक्षित है । जांच-परिणाम को अपील-योग्य आदेश के द्वारा जारी किया जाता है और इसे सरकारी राज्यपत्र में प्रकाशित किया जाता है ।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 24 नवम्बर, 1997/ 3 अग्रहायण, 1919 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।